पंचम माला, खंड 38, अंक 32, सोमवार, 8 अप्रैल, 1974/18 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 32, Monday, April 8, 1974/Chaitra 18, 1896 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

5th Lok Sabha

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price : Two Rupees*

[ यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है । ]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi. ]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32, सोमवार, 8 अप्रैल, 1974/18 चैत्र, 1896 (शक)

*No. 32, Monday, April 8, 1974/Chaitra 18, 1896 (Saka)*

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर** ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 587. | वर्ष 1974-75 में राज्यों की उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा उसके वितरण संबंधी सूत्र — Formula for Assessing and Distribution of Fertiliser to States for 1974-75 | 1-5 |
| 589. | गेहूं के उत्पादन में एकाएक वृद्धि — Wheat Output through Sudden Spurts | 5-6 |
| 591. | केरल को राष्ट्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता — Financial Assistance from National Road Fund to Kerala | 6-9 |
| 592. | टाइप एक के क्वार्टरों में एक कमरे के सभी स्थान पर दो कमरे बनाना — Conversion of All Type I Single Roomed Quarters in to Two Rooms | 9-11 |
| 594. | दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चयन वेतन-मान — Selection Grade in Government Aided Schools in Delhi | 11-14 |
| 595. | केरल में पेय जल उपलब्ध करने का लक्ष्य — Target for providing Drinking Water in Kerala | 14-15 |
| 596. | उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में विश्वविद्यालय की स्थापना — Setting up of University in Faizabad Division of U.P. | 15-17 |
| 598. | गुंजरात में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग संबंधी परियोजना प्रतिवेदन पर स्वीकृति — Sanction for Project Report on Exploitation of Natural Resources in Gujarat | 17-18 |
| 599. | गेहूं को छोटे तने वाली किस्मों की चयन पद्धति पर भारत-सोवियत गोष्ठी — Indo-Soviet Symposium on Method of Selection of Short Stem Varieties of Wheat | 18-19 |


**अल्प- सूचना प्रश्न** SHORT-NOTICE QUESTIONS


| | | |
|---|---|---|
| अ० सू० प्र० संख्या 6. | बम्बई के निकट जहाजों की टक्कर — Collision of Vessels near Bombay | 19 |


किसी नाम पर अंकित चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 588. | पाम्बन पुल (तमिल नाडु) का निर्माण / Construction of Pamban Bridge (Tamil Nadu) | 20 |
| 590. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान के परिणामों के प्रकाशन से पूर्व अनुसंधान की जांच के लिये तंत्र / Machinery to test Research by ICAR and IARI before their Publications | 20 |
| 593. | खाद्यान्नों की बिक्री फालतू माल की वसूली के लिये अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के फेडरेशन द्वारा की गई पेशकश / Offer by Federation of All India Foodgrains Dealers Association to procure Marketable Surplus of Foodgrains | 21-22 |
| 597. | भारतीय खाद्य निगम, पंजाब द्वारा पश्चिम बंगाल को घटिया चावल की सप्लाई / Supply of Sub standard Rice to West Bengal by FCI, Punjab | 22 |
| 600. | भारतीय नौवहन निगम का कार्य / Performance of Shipping Corporation of India | 22 |
| 601. | भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत / Central Guidelines on Land Ceiling | 22-23 |
| 602. | केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल में कार्य प्रभारित कर्मचारी / Work Charged Staff in Arunachal Pradesh Circle of C.P.W.D. | 23 |
| 603. | महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र / Drought affected Areas in Maharashtra | 23-24 |
| 604. | ओमान में प्रायोगिक कृषि फारम के लिये सहायता / Assistance for Experimental Farm in Oman | 24 |
| 605. | कृषि मूल्य आयोग को पटसन के मूल्य निर्धारित करने संबंधी निदेश / Directions to Agricultural Prices Commission to fix Jute Prices | 24-25 |
| 606. | उचित दर दुकानों पर आटा/मक्का के बदले गहूं की सप्लाई करने का प्रस्ताव / Proposal for Supply of Wheat in lieu of Atta/Maize at Fair Price Shops | 25 |
| **अता० प्र० सं०** U. S. Q. Nos. | | |
| 5864. | गवर्नमेंट एडिड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा हड़ताल / Strike by Government Aided Schools Teachers Association | 26 |
| 5865. | नई दिल्ली में "मानव संबंधों तथा प्रभावकारी विद्यालय पर्यवेक्षण" पर विचार-गोष्ठी (वर्कशाप) / Working on Human Relations and Effective School Supervision held in New Delhi | 26-27 |
| 5866. | दाहोद में खान नदी पर पुल का निर्माण / Construction of Bridge on River Khan at Dahod | 27 |

| अता० प्र० सं०<br>U. S. Q. Nos. | विषय<br>SUBJECT | पृष्ठ<br>PAGES |
|---|---|---|
| 5867. रक्षा मंत्रालय के लिये भवन का निर्माण | Construction of Building for Defence Ministry .. .. .. .. | 27 |
| 5868. इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या कम करने का प्रस्ताव | Proposal to reduce Number of Engineering Colleges .. .. .. | 27–28 |
| 5869. गहरे कुएं खोदन के लिये मशीनों की कमी | Shortage of Machines for Drilling Deep Wells .. .. .. .. | 28 |
| 5870. पोलिटेक्निक पाठ्यक्रम के बारे में तकनीकी समिति | Technical Committee on Polytechnic Course .. .. .. .. | 28–30 |
| 5871. संग्रहालयों से चोरी के ढंग का अध्ययन | Study of Pattern of Museum Thefts | 30–31 |
| 5873. दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्माणाधीन क्वार्टर | Quarters for Government Employees under Construction Delhi/New Delhi .. .. .. .. | 32 |
| 5874. गुजरात में परिवहन की सुविधाएं तथा राजमार्गों का निर्माण | Transport Facilities and Construction of Highways in Gujarat .. .. | 32–33 |
| 5875. आंध्र प्रदेश द्वारा चीनी की मांग तथा उसे की गई सप्लाई | Sugar demanded and supplied to Andhra Pradesh .. .. .. | 33–34 |
| 5876. कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1974-75 के लिये सुझाई गई खाद्यान्नों की वसूली की दरें | Procurement Prices of Foodgrains for 1974-75 as suggested by A.P.C. | 34 |
| 5877. इन्द्रपुरी कालोनी के निकट की भूमि का आवंटन | Allotment of Land adjoining Indrapuri Colony .. .. .. .. | 34 |
| 5878. इन्द्रपुरी कालोनी में दूसरी मंजिल का निर्माण करने की अनुमति | Permission for Construction of Second Storey in Indrapuri .. .. .. | 34–35 |
| 5879. खाद्य उत्पाद आदेश को कुछ उद्योगों पर लागू करना | Extension of Food Product Order to certain Industries .. .. .. | 35 |
| 5880. सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिए राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति तिथि को प्राथमिकता तिथि मानना | Date of Joining the State Government Service as Date of Priority for allotment of Government Accommodation .. .. .. .. .. | 35–36 |
| 5881. अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के बारे में केरल प्राइवेट टीचर्स एसोसियशन की ओर से अभ्यावेदन | Representation from Kerala Private Teachers' Association on Distribution of National Awards to Teachers | 36 |
| 5882. कोचीन पत्तन न्याय के कर्मचारियों की मांगें | Demand of the Workers of Cochin Port Trust .. .. .. .. .. | 36–37 |
| 5883. 11वें अखिल भारतीय डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें | Recommendations of the 11th All India Dairy Industry Conference | 37 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 5884. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों के लिए प्राक्कलन और उनका निरीक्षण | Estimates for and Inspection of All Works built by C. P. W. D. .. | 37 |
| 5885. इंजीनियरों के सभी वर्गों में स्थायी तथा अस्थायी पद | Permanent and Temporary Posts in All Ranks of Engineers .. .. | 38–39 |
| 5886. इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये संवर्ग | Cadre for Engineering Graduates | 39 |
| 5887. पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागानों में खाद्य, बीज आदि की कमी | Shortage of Inputs in Tea Gardens of North Eastern Region .. .. | 39–40 |
| 5888. डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के सदस्यों द्वारा शपथ पत्र देना | Furnishing Affidavit by Members of Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society, Delhi .. .. | 40 |
| 5889. डेरा इस्माइल खां आवास सोसाइटी, दिल्ली का सर्विस प्लान | Service Plan on the Dera Ismail Khan Housing Society, Delhi .. .. | 40–41 |
| 5890. पश्चिमपुरी तथा मदनगिरि जनता कालोनियों की बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइसचेयरमैन द्वारा दिये गये वचन | Commitments by the Vice Chairman of DDA in a Meeting of Paschimpuri and Madangiri Janta Colonies | 41 |
| 5891. जनता कालोनी, पश्चिमपुरी तथा राजोरी गार्डन, नई दिल्ली के बीच पुल का निर्माण | Construction of Bridge in the Midst of Janta Colony, Paschimpuri and Rajouri Garden, New Delhi .. | 41–42 |
| 5892. सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में बने रहना | Retention of Government Accomodation after Retirement .. .. | 42 |
| 5893. विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लिए पृथक् पूल | Separate Pools for different Departments and Ministries .. .. | 42–43 |
| 5894. वसंत विहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उपपट्टा समाप्त करना | Termination of Sub lease of Plot in Vasant Vihar, New Delhi .. .. | 43 |
| 5895. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किये गये गलत सौदे के मामले की जांच | Enquiry into Shady Deal by National Seeds Corporation .. .. | 43–44 |
| 5896. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किसी फ्लैट को प्राप्त करने के लिये शर्तें | Terms and Conditions for acquiring a flat constructed by DDA .. | 44 |
| 5897. दिल्ली में चालान की गई उचित दर की दुकानें | Fair Price Shops challanned in Delhi | 44 |
| 5898. ईरान को लौह-अयस्क और बाक्साइट के निर्यात के लिये नौवहन क्षमता | Shipping Capacity for exporting Iron Ore and Bauxite to Iran .. .. | 45 |
| 5899. दिल्ली तथा खरखोदा (हरियाणा) के बीच बस-सुविधायें | Bus Facilities between Delhi and Kharkhoda (Haryana) .. .. .. | 45 |

| अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 5900. | केदार बाग, दिल्ली-35 में पानी की सप्लाई करने की योजना | Scheme for Supply of Water in Kedar Bagh, Delhi-35 .. .. .. | 45–46 |
| 5901. | दरियागंज, दिल्ली स्थित राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिये विशेष बस-सेवा की व्यवस्था | Provision of Special Bus Service for the Students of Government Teachers Training Institute, Daryaganj, Delhi .. .. .. .. | 46 |
| 5902. | पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली में पेय जल और सीवर की सुविधाओं की व्यवस्था | Provision of Drinking Water and Sewerage Facilities in Punjab Garden, New Delhi .. .. .. .. | 46–47 |
| 5903. | दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक तथा विशेष सहवर्ग के अध्यापकों को दिया गया चयन वेतन-मान | Administrative and Special Cadre Teachers given Selection Grade in Government Schools, Delhi .. | 47 |
| 5904. | स्वर्गीय प्रोफेसर एस० एन० बोस का उपचार | Treatment of late Prof. S. N. Bose | 48 |
| 5905. | आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं में ऋणता से राहत तथा भूमि को संबद्ध करने तथा उसे वापस देने के बारे में अध्ययन-दल का प्रतिवेदन | Report of Study Group on Relief of Indebtedness, Land Alienation and Restoration in Tribal Development Agency Projects .. .. .. | 48–49 |
| 5906. | कलकत्ता पत्तन में हड़ताल | Strikes in Calcutta Port .. .. | 49 |
| 5907. | होटल प्रबंध पाठ्यक्रम के लिए छात्र-वृत्तियां | Scholarships in Hotel Management | 49–50 |
| 5908. | गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज, खाद आदि का बेहतर उपयोग | Better Use of Inputs to raise Wheat Output .. .. .. .. | 50 |
| 5909. | कुआलालमपुर के लिए भारतीय फुटबाल टीम का चयन | Selection of Indian Football Team for Kuala Lampur .. .. .. | 50–51 |
| 5810. | नकोदर (जालंधर) में सतलुज नदी पर पुल के लिये वित्तीय सहायता | Financial Assistance for Bridge on Sutlej in Nakodar (Jullundur) | 51–52 |
| 5911. | ग्रामीण क्षेत्रों में डेरी-केन्द्र | Dairy Centres in Rural Areas .. | 52–53 |
| 5912. | विशेष रोज़गार योजना के अधीन मैसूर के कमांड क्षेत्रों में मिट्टी का सर्वेक्षण | Soil Survey in Command Areas in Karnataka under Special Employment Scheme .. .. .. | 54 |
| 5913. | मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं का जल ग्रहण क्षेत्र | Command Area for Irrigation Potential in Midnapore, West Bengal | 54 |
| 5914. | न्यायपालिका के लिए सुधार सेवाओं संबंधी गोष्ठी | Seminar on Correctional Services for Judiciary .. .. .. .. | 55 |
| 5915. | गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण | Construction of another Bridge over Ganga .. .. .. .. | 55 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 5916. | बिहार में आदिवासी सहकारी निगम | Tribal Cooperative Corporation in Bihar .. .. .. .. | 55–56 |
| 5917. | यमुनानगर में चीनी मिल का बंद हो जाना | Closure of Sugar Mill at Yamunanagar | 56 |
| 5918. | बर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों की ओर से ऊंची दरों की मांग | Demand for Higher Price from Virginia Tobacco Growers .. .. .. | 56 |
| 5919. | त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच भूमि संबंधी विवाद | Land Disputes between Tribals and Non-Tribals in Tripura .. .. | 57 |
| 5920. | पांचवीं योजना के दौरान छोटे किसानों को दुधारू पशुओं के पालने के लिये ऋण की व्यवस्था | Permission of Loan to Small Farmers for breeding Milch Cattle during Fifth Plan .. .. .. .. | 57 |
| 5921. | मुख्य राजमार्गों पर ट्रक-ट्रेलर चलाना | Introduction of Truck Trailor Combination on Major Highways .. .. | 57–58 |
| 5922. | श्रमिक कल्याण के बारे में राष्ट्रीय श्रम सहकारिता सलाहकार बोर्ड के सुझाव | Suggestions by National Advisory Board on Labour Co-operative for Labour Welfare .. .. .. | 58 |
| 5923. | राज्यों में हरिजनों की भूमि हड़पने के मामलों की जांच | Inquiry into grabbing of Land of Harijans in States .. .. .. | 58 |
| 5924. | मिलावटी दूध की दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के रूप में बिक्री | Sale of Adulterated Milk as DMS Milk .. .. .. .. | 58–59 |
| 5925. | मिट्टी का तेल, उर्वरक, सीमेंट तथा चीनी का राज्यवार आवंटन | Statewise Allocation of Kerosene Fertilizer, Cement and Sugar .. .. | 59 |
| 5926. | राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल योजना को लागू करना | Implementation of Drinking Water Scheme for Rural Areas in Rajasthan | 59 |
| 5927. | पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पेय जल सुविधाओं के लिए शामिल किया गया व्यापक कार्यक्रम | Comprehensive Programme for Drinking Water Facilities included in Fifth Five Year Plan .. .. .. | 60 |
| 5928. | पौष्टिक आहार के कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता | Economy in Expenditure on Nutrition Programmes .. .. .. | 60–61 |
| 5929. | मद्य निषेध के कारण राजस्व में हुई हानि को पूरा करने के लिए राज्य को सहायता देना | Assistance to States to make up Losses in Revenue due to Prohibition .. | 61 |
| 5930. | मछली के आयात के संबध में बंगला देश के साथ हुए समझौते का कार्यकरण | Working of Agreement with Bangla desh for Import of Fish .. .. | 61–62 |
| 5931. | विभिन्न बंदरगाहों पर बाहर भेजे जाने वाले माल का जमा हो जाना | Accumulation of Cargo intended for Shipping at various Harbours | 62 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 5932. सहकारी ऋण संस्थाओं का कार्य निष्पादन | Performance of Cooperative Credit Institutions .. .. .. .. | 62–63 |
| 5933. खाद्यान्नों के आयात के लिए धनराशि | Funds for Import of Foodgrains | |
| 5934. कृषक-सेवा समितियों सम्बन्धी योजना | Farmers Service Socieitics Scheme .. | 63 |
| 5935. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दी गई धनराशि के उपयोग के बारे में जांच | Enquiry in Utilisation of Funds given to National Cooperative Development Corporation .. .. .. | 63–64 |
| 5936. दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट | Audit Report of Delhi State Corporative Bank .. .. .. .. | 64 |
| 5937. परिवहन चालकों को यात्रियों की अनुमति प्राप्त संख्या के मामले में राहत | Relief to Transport Operators re. Permissible Limit of Passengers .. | 65 |
| 5938. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया में जल स्रोतों का सर्वेक्षण | Survey of Water Resources in South East Asia by Central Ground Water Board .. .. .. .. | 65 |
| 5939. नई दिल्ली की कालोनियों में अप्राधिकृत फेरी वाले | Unauthorised Hawkers in New Delhi Colonies .. .. .. .. | 65–66 |
| 5940. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर के इंजीनियरों द्वारा हृदय संकेत देने वाले उपकरण (इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम) का अविष्कार | Equipment for transmitting Electro-Cardiogram invented by Engineers of IIT-Kanpur .. .. .. | 66 |
| 5941. उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करना | Abolishing of Liquor Shops in Tribal Areas of Orissa .. .. .. | 66–67 |
| 5942. खाद्यान्नों के परिवहन तथा रख-रखाव के लिए जम्मू और काश्मीर को वित्तीय सहायता | Financial Assistance to Jammu and Kashmir for Transportation and Storage of Foodgrains .. .. | 67 |
| 5943. उत्तरी गुजरात में मोधेरा में मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिये कार्यवाही | Steps to reconstruct Temple at Modhera in North Gujarat .. .. | 68 |
| 5944. साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश से भारत के चीनी निर्यात पर पड़ा प्रभाव | Effect on India's Sugar Exports due to Britain's Entry into Common Market .. .. .. .. | 68 |
| 5945. हुगली पर दूसरे पुल के लिये विदेशी ऋण तथा सहायता | Foreign Loans and Assistance for Second Hooghly Bridge .. .. | 69 |
| 5946. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा | Ceiling on Urban Property | 69 |
| 5947. श्रीलंका के साथ चीनी के लिए व्यापार करार | Sugar Trade Pact with Sri Lanka .. | 69–70 |

| अतां० सं० स०<br>U. S. Q. Nos. | विषय<br>SUBJECT | पृष्ठ<br>PAGES |
|---|---|---|
| 5948. वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आयातित खाद्य तेल का मूल्य | Rate of Imported Edible Oil during 1972-73 and 1973-74 .. .. | 70 |
| 5949. श्वेत चीनी का निर्यात | Export of White Sugar .. | 71 |
| 5950. भारत और पोलैंड के बीच अधिक घनिष्ट आर्थिक संबंध स्थापति करने तथा मत्स्य पोतों का आयात करने हेतु समझौता | Agreement between India and Poland for closer Economic Ties and Import of Fishing Trawler .. .. | 71 |
| 5951. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सहकारी चीनी कारखाना | Cooperative Sugar Factory in Bahraich Distt., U.P. .. .. .. .. | 71–72 |
| 5952. 'वंडर फ्लोर' का विकास | Development of Wonder Flour .. | 72 |
| 5953. विश्वविद्यालयों को अनुदान | Grants to Universities | 73 |
| 5954. दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनायें | Accidents of DTC Buses in Delhi | 73–74 |
| 5955. सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन | Allotment of Land to Cooperative Societies .. .. .. .. | 74 |
| 5956. भारतीय हाकी संघ में मतभेद | Rift in Indian Hockey Federation .. | 74–75 |
| 5957. चीनी कारखानों द्वारा खुली बिक्री वाली चीनी की जमाखोरी | Hoarding of Free Sale Sugar by Sugar Factories .. .. .. .. | 7 |
| 5959. खाद्यान्नों के आयात के बारे में वाणिज्य मंत्री का वक्तव्य | Statement of Commerce Minister on Import of Foodgains .. .. | 76 |
| 5960. केरल में कुट्टानड तथा त्रिचूर की 'कोले' भूमियों में भूरे टिड्डों के कारण फसल को हानि | Loss to Crop due to Brown Hopper Pests in Kuttanad and in the Kole Lands of Trichur in Kerala .. | 76–77 |
| 5961. विश्व खाद्यान्न रक्षित भंडार | World Grain Reserve .. .. | 77 |
| 5962. दिल्ली के कनाट प्लेस में ऊंची इमारतों के निर्माण के बारे में रोक लगाना | Freeze on Construction of High raise Building in Connaught Place, New Delhi .. .. .. .. | 77–78 |
| 5963. तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद | slation of Technical and Scientific Bo into Hindi .. .. .. | 78–79 |
| 5864. गुजरात में अभावग्रस्त के रूप में घोषित गांव | Villages declared as Scarcity Hit in Gujarat .. .. .. .. | 79 |
| 5965. खाद्यान्नों की दोहरी मूल्य पद्धति को लागू करना | Introduction of Dual Price System of Foodgrains .. .. .. .. | 80 |
| 5966. भारतीय हाकी फेडरेशन द्वारा एशियाई खेलों तथा विश्व कप के लिये राष्ट्रीय दल का तैयार किया जाना | Preparation of National Team for Asian Games and World Cup by IHF .. .. .. .. .. | 80–81 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 5967. मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के लिये विश्व बैंक सहायता | World Bank Aid for Madhya Pradesh State Forest Development Corporation .. .. .. .. .. | 81 |
| 5968. मध्य प्रदेश द्वारा खाद्य निगम बनाया जाना | Food Corporation by Madhya Pradesh | 81–82 |
| 5969. बनों का विकास और संरक्षण | Development and Protection of Forests | 82–83 |
| 5970. उड़ीसा के शिक्षा में पिछड़े हुए जिलों में उच्च शिक्षा | Higher Education in Educationally Backward Areas of Orissa .. .. | 83 |
| 5971. कोरापुट में प्राचीन स्मारकों का संरक्षण | Proteccion of Ancient Monuments in Koraput .. .. .. .. | 83 |
| 5972. इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी | C.P.W.D. Staff on Deputation of International Airport Authority of India .. .. .. .. | 83–84 |
| 5973. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश का वर्क चार्जड स्टाफ | Work Charged Staff of Arunachal Pradesh of C. P. W.D. .. .. | 84–85 |
| 5974. खाद्यान्नों में अधिक और कम उत्पादन वाले राज्य | Surplus and Deficit States in Foodgrains .. .. .. .. | 85 |
| 5975. प्रत्येक राज्य में प्रतिवयस्क प्रति माह दी गई खाद्यान्न की मात्रा | Quantity of Foodgrains given in each State per Audlt per month .. | 86 |
| 5976. ज्वार और बाजरे का वसूली लक्ष्य तथा उपलब्धि | Procurement Target and Achievement of Jowar and Bajra .. .. | 86–87 |
| 5977. आयातित खाद्यन्न में कूड़ा-करकट और न खाने लायक पदार्थ के बारे में महाराष्ट्र की ओर से शिकायत | Complaint from Maharashtra regarding Waste and Non-consumable Material in Imported Foodgrains .. | 88 |
| 5978. पांचवीं योजना में वन विभाग में 50 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करना | Creation of 5 Million Jobs in Forest Deptt. during Fifth Plan .. | 88 |
| 5979. हरिजन कालोनियों में शिक्षा संस्थाओं के लिये विशेष कार्यक्रम | Special Programme for Education Institution in Harijan Colonies .. | |
| 5980. उचित दर दुकान संख्या 2204 में राशन की वस्तुओं का उपलब्ध न होना | Non-availability of Rationed Articles at Fair Price Shop No. 2204 .. | 89–90 |
| 5981. डी० आई० जेड० एरिया और दिल्ली/ नई दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में टाईप IV के क्वार्टरों का निर्माण | Construction of Type IV Quarters in DIZ Area and other Parts of De New Delhi .. .. .. | 90–91 |

| अता० पृ० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 5982. | आयातित खाद्यन्न को मद्रास बंदरगाह से निकालने में विलंब | Delay in Clearance of Imported Food-grains at Madras Harbour .. .. 91 |
| 5983. | भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबद में रिक्त पद | Posts lying Vacant in Government of India Press, Faridabad .. .. 92–93 |
| 5984. | जवाहर ज्योति पर व्यय | Expenditure on Jawahar Jyoti .. 93 |
| 5985. | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या | Number of Employees belonging to S.C. and S.T. .. .. .. 93–94 |
| 5986. | गुजरात में राज्य कृषि विकास परिषद् को समाप्त करना | Abolition of State Agriculture Development Conncil in Gujarat .. .. 94 |
| 5988. | भारत में उर्वरकों की कमी और खाद्य उत्पादन पर उनके प्रभाव के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के विचार | Views of Director General, F.A.O. on Shortage of Fertiliser in India and its Effect on Food Production .. 94–95 |
| 5989. | राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की मार्च, 1974 में हुई बैठक | Meeting of National Food Advisory Council held in March, 1974 .. 95 |
| 5990. | पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर चीनी मिलों का प्रबंध अपने अधीन करना | Take over of Management of Amritsar Sugar Mills by Punjab Government 95 |
| 5991. | जामनगर, गुजरात में विक्टोरिया पुल | Victoria Bridge in Jamnagar, Gujarat 96 |
| 5992. | "प्रोजेक्ट टाइगर" कार्यक्रम का मूल्यांकन | Assessment of Project Tiger Programme .. .. .. .. 96–97 |
| 5993. | दिल्ली दुग्ध योजना अधिकारी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन | Memorandum submitted by Delhi Milk Scheme Officers Association .. 97 |
| 5994. | दिल्ली में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान के अध्यापक | Science Teachers in Central Schools in Delhi .. .. .. .. 97–98 |
| 5995. | गंदी बस्तियां विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन करना | Taking away of Slum Department by DDA .. .. .. .. 98 |
| 5996. | उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय आवास सुविधाएं | Central Housing Facilities extended to Orissa .. .. .. .. 98–99 |
| 5987. | उड़ीसा का चौथी योजना के दौरान शिक्षा सुविधाओं का लक्ष्य | Target of Educational Facilities extending to Orissa during Fourth Plan 99 |
| 5998. | कृषि संबंधी करार के लिये रूसी कृषि प्रतिनिधिमंडल का दौरा | Visit of Soviet Agricultural Delegation for Agreement on agricultrure 96–101 |
| 5999. | चावल के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण चावल के मूल्य में वृद्धि | Rise in Price of Rice due to Restriction on Movement .. .. .. 101–102 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 6000. खाद्यान्न के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध का हटाया जाना | Removal of Resriction on Movement of Foodgrains .. .. .. .. | 102 |
| 6001. आदिवासी खंडों में सहकारी समितियां | Cooperative Societies in Tribal Blocks | 102 |
| 6002. पालिश करने के कारण चावल को क्षति | Loss of Rice due to Polishing .. | 102–103 |
| 6003. पंजाब में रबी की फसल को नुकसान | Damage to Rabi Crop in Punjab | 103 |
| 6004. गेहूं के मूल्य में वृद्धि का जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव | Effect of Increase in Wheat Price on Cost of Living .. .. .. | 103 |
| 6005. नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट | Kapurthala Plot in New Delhi .. | 103–104 |
| 6006. केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये चौथी योजना का परिव्यय | Fourth Plan Outlay for the Development of National Highways in Kerala .. .. .. .. | 104–105 |
| 6007. केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये आवंटित धनराशि में कटौती | Slashing of Funds allocated for Development of National Highways in Kerala .. .. .. .. | 105 |
| 6008. मछली पन्तन, धामरा, उड़ीसा के बारे में परियोजना प्रतिवेदन | Project Report on Fishing Harbour, Dhamara, Orissa .. .. .. | 105 |
| 6009. भुवनेश्वर में रीजनल इंस्टीटयूट आफ इंगलिश की स्थापना | Establishment of Regional Institute of English at Bhubaneshwar .. .. | 106 |
| 6010. चांदबली (उड़ीसा) छोटे पन्तन संबंधी समिति का प्रतिवेदन | Report of the Committee on Minor Port of Chandbali (Orissa) .. | 106 |
| 6011. खाद्यान्न की कीटों, चूहों आदि से रक्षा करने के लिये संगठन | Organisation to save Foodgrains from Insects, Rodents etc. .. .... | 106–107 |
| 6012. कर्नाटक में उर्वरक उपलब्ध न होने से गन्ने की काश्त पर प्रभाव | Effect of Non-availablity of Fertilisers on Sugarcane Cultivation in Karnataka .. .. .. .. | 107 |
| 6013. मोटे अनाज को लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के कारण खाद्यान्न की वसूली में सुधार | Improvement in Procurement of Food grains due to lifting of Restriction on Movement of Coarse Grain | 108 |
| 6014. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिये तमिलनाडु सरकार की योजना | Tamil Nadu Government's Scheme for Development of Education in Rural Areas during Fifth Five Year Plan | 108 |
| 6015. त्रिनगर से केन्द्रीय सचिवालय तक मार्ग संख्या 59 और 59ए पर चल रही बसें | Route Nos. 59 & 59-A Operating between Trinagar to Central Secretariat | 109 |
| 6016. रामपुरा से केन्द्रीय सचिवालय तक ग्रीन लाइन बसें चलाना | Introduction of Green Line Routes from Rampura to Central Secretariat .. .. .. .. .. | 109–110 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 6017. हुगली पर नये पुल के निर्माण के करार के मसौदे पर मंजूरी | Sanction of Draft Agreement for Construction of New Bridge Across Hoogly .. .. .. .. | 110 |
| 6018. हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा मुगल लाइन के लिये 17,200 डी० डब्ल्यू० टी० के 12 मालवाह जहाजों का निर्माण | Building of 12 Cargo Ships of 17·200 dwt for Mogul Line by Hindustan Shipyard .. .. .. .. | 110–111 |
| 6019. दिल्ली की झुग्गियों तथा गंदी बस्तियों के निवासी | Inhabitants of Jhuggi and Slums in Delhi .. .. .. .. | 111 |
| 6020. दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रावास कर्मचारियों को वेतन | Salary to Hostel Staff of Delhi University and its Affiliated colleges | 111–112 |
| 6021. नेपालगंज से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण | Construction of National Highway from Nepalganj to Ahmedabad | 112 |
| 6022. निम्न आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत ऋण देने की प्रणाली | Procedure governing Advancement of Loans under Low Income Group Housing Scheme .. .. .. | 112–113 |
| 6023. भारतीय खाद्य निगम के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री की शिकायत | Complaint from Chief Minister, Rajasthan regarding FCI .. .. | 113 |
| 6024. बालवाड़ी और बाल कल्याण केन्द्र चलाने वाली स्वेच्छिक संस्थाएं | Voluntary Institutions running Balvadis and Bal Kalyan Kendras | 113–114 |
| 6025. अमरीका को चीनी का निर्यात | Export of Sugar to USA | 114 |
| 6026. अन्न कर लगाना | Introduction of Grain Tax .. | 114 |
| 6027. मोटे अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से मोटे अनाज के मूल्यों में वृद्धि | Rise in Prices of Coarse Grains due to Lifting of Restrictions on its Movement .. .. .. .. .. | 114–115 |
| 6028 पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम को शिक्षा के लिए आवंटित राशि | Fifth Five Year Plan Allocation for Education in Assam .. .. | 115 |
| 6029. राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन | Report of the National Commission on Agriculture .. .. .. | 115-116 |
| 6030. चीनी के बारे में तमिलनाडु में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक | Tripartite meeting convened in Tamil Nadu on Sugar .. .. .. | 116–117 |
| 6031. गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में चीनी कारखानों द्वारा दिया गया गन्ने का मूल्य | Price of Sugar Cane paid by Sugar Factories in Tamil Nadu during Last Three Years .. .. .. | 117–119 |
| 6032. कीट प्रभावित क्षेत्रों का अनुमान | Estimate of Insect ffaected Areas | 119–120 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 6033. | बिहार में बीज निगम की स्थापना को केन्द्रीय स्वीकृति — Central Approval for setting Seed Corporation of Bihar .. .. .. | 120 |
| 6034. | रूई की बहुत अच्छी फसल — Bumper Cotton Crop .. | 120–121 |
| 6035. | राजधानी में बसों के किराये में वृद्धि — Increase in Bus Fares in the Capital | 121 |
| 6037. | दिल्ली/नई दिल्ली की गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन — Allotment of Developed Plots to the Members of House Building Cooperative Societies in Delhi/New Delhi | 121–122 |
| 6038. | चीनी के लिए श्रीलंका का अनुरोध — Request from Sri Lanka for Sugar | 122 |
| 6039. | गत तीन महीनों में मध्य प्रदेश को सप्लाई किया गया बाजरा — Bajra supplied to Madhya Pradesh during Last Three Months .. .. | 122 |
| 6040. | नौवहन और परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय बचत पूल में कटौती/मितव्ययता — Cut/Economy in Central Saving Pool of Shipping and Transport Ministry | 123 |
| 6041. | कृषि मंत्रालय में केन्द्रीय बचत पूल के अधीन मितव्ययता — Economy under Central Saving Pool in Ministry of Agriculture .. | 123 |
| 6042. | गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की बिक्री और लाभ — Sale and Profit of Sugar Mills in Private and Public Sectors during Last Three Years .. .. .. | 123–124 |
| 6043. | दिल्ली में दूध की कमी को पूरा करने के लिये सहकारी डेयरियों के लिये योजना क्रियान्वित करना — Implementation of Scheme for Cooperative Dairies in Delhi to meet Milk Shortage .. .. .. | 124 |
| 6044. | 'शुगर फ्राड कास्ट्स गवर्नमेंट रूपीज़ टू लैक्स' शीर्षक के अंतर्गत समाचार — Sugar Fraud costs Government Rs. Two Lakhs .. .. .. .. | 125 |
| 6045. | केन्द्रीय सरकार द्वारा डुमरिया पुल (चम्पारन बिहार) पर खर्च की गई धनराशि — Amount incurred on Dumaria Bridge (Champaran Bihar) by Central Government .. .. .. | 125 |
| 6046. | कृषि उत्पादन के बारे में किसानों की समस्या पर विचार करने के लिये एक संगठन का बनाया जाना — Constitution of a Body on Probelm of Farmers regarding Agricultrual Produce .. .. .. .. .. | 125 |
| 6047. | कलाकारों, चित्रकारों और शिल्पकारों के बारे में सरकार की नीति और दृष्टिकोण — Government Policy and Attitude towards Artists, Painters and Sculptors | 125–126 |
| 6048. | दिल्ली में जाली राशन कार्डधारी — Bogus Ration Card Holders in Delhi | 126 |
| 6049. | संसदीय सौध के निर्माण के लिये ठेका — Contract for Construction of Sansadiya Soudha .. .. .. .. | 126–127 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 6050. उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में विलंब | Delay in Construction of National Highways in Orissa .. .. .. | 127 |
| 6051. देवनागरी लिपि का विकास एवं प्रचार | Development and Propagation of Devnagari Script .. .. .. | 127–128 |
| 6052. 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' प्रकाशित करने का प्रस्ताव | Proposal to bring out History of Freedom Movement in India .. | 128 |
| 6053. 'लैक आफ बिटूमन सबस्टिच्यूट बैफल्स रोड प्लेनर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार | News Item regarding Lack of Bitumen Substitute Baffles Road Planners | 129 |
| 6054. महाराष्ट्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करना | Establishment of Sanskrit University in Maharashtra .. .. .. | 129 |
| 6055. उर्वरक उद्योग के लिये कच्चे माल को सुचारू रूप से भेजने हेतु पत्तनों पर अतिरिक्त सुविधाएं देना | Additional Facility of Ports for Smooth Discharge of Raw Material for Fertiliser Industry .. .. | 129–130 |
| 6056. स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के कुपोषण का मुकाबला करने के लिये कार्यक्रम | Programme to combat Malnutrition among Pre-school Children.. .. | 130 |
| 6057. ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम को लागू करके दिया गया रोजगार | Employment provided during Operation or Crash Programme for Rural Employment .. .. .. .. | 131 |
| 6058. पंखा रोड, दिल्ली को चौड़ा बनाना | Widening of Pankha Road, Delhi | 131 |
| 6059. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मौलाना आजाद पुस्तकालय से चित्रों और पांडुलिपियों (पेंटिग्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स) की चोरी | Paintings and Manuscripts stolen from Maulana Azad Library of AMU .. | 131–132 |
| 6060. पश्चिम बंगाल का अप्रैल के बाद अधिक मात्रा में गेहूं और चावल का आवंटन करने का अनुरोध | Request from West Bengal for increased Allotments of Wheat and Rice from April onward .. .. .. | 132 |
| 6061. भारत में खाद्य स्थिति के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन के आंकड़े | F.A.O. Data on Food Situation in India .. .. .. .. .. | 132–133 |
| 6062. महिलाओं में शिक्षा का प्रसार | Spread of Education among Women | 133–134 |
| 6063. गुजरात में कीटाणुयुक्त पेय जल की सप्लाई | Supply of Germ infected Drinking Water in Gujarat .. .. .. | 134 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. .. | 134–135 |
| दिल्ली के जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल को समाप्त किये जाने के बारें में वक्तव्य | Statement Re. Calling off of Strike by Delhi Junior Doctors .. .. | 136 |
| डा० कर्ण सिंह | Dr. Karan Singh | 136 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| समिति के लिए निर्वाचन | Election to Committee | 136 |
| अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये राज्य सभा को सिफारिश | Recommendation to Rajya Sabha to elect Members to Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .. .. .. | 136 |
| सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक-पुर:स्थापित | Code of Civil Procedure (Amendment) Bill —*Introduced* .. .. .. | 137 |
| नियम 377 के अंतर्गत मामला | Matter Under Rule 377 | 137 |
| बिहार सरकार द्वारा श्री राजनारायण को निष्कासन आदेश दिये जाने का समाचार | Reported Esternment Order served on Shri Raj Narain by Government of Bihar .. .. .. .. | 137 |
| अनुदानों की मांगें, 1974-75 | Demands for Grants, 1974-75 .. .. | 137–164 |
| वाणिज्य मंत्रालय | Ministry of Commerce | 137 |
| श्री एम० सुदर्शनम् | Shri M. Sundarasanam .. | 137–139 |
| श्रीमती पार्वती कृष्णन् | Shrimati Parvathi Krishnan .. | 139–142 |
| श्री बी० के० दासचौधरी | Shri B. K. Daschowdhury .. .. | 142–144 |
| श्री राम हेडाऊ | Shri Ram Hedaoo .. | 144 |
| श्री धामनकर | Shri Dhamankar .. | 144–145 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri .. .. | 146–147 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri Chapalendu Bhattacharyyia | 147–148 |
| श्री सतपाल कपूर | Shri Sat Pal Kapur .. .. .. | 148–149 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi .. .. | 149–150 |
| श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान | Shri Md. Jamilurrahaman .. | 150 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe .. .. | 150–151 |
| श्री ए० सी० जार्ज | Shri A. C. George .. .. | 151–153 |
| श्री मूलचन्द डागा | Shri M. C. Daga | 154 |
| श्री एस० ए० मुरुगनन्तम | Shri S.A. Muruganantham .. | 154–156 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री राजा कुलकर्णी | Shri Raja Kulkarni | .. 157–158 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय | Dr. Laxminarain Pandeya .. | .. 158–159 |
| प्रो० मधु दंडवते | Prof. Madhu Dandavate .. | .. 159–160 |
| प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय | Prof. D.P. Chattopadhaya .. | .. 160–164 |
| शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग | Ministry of Education and Social Welfare .. .. .. .. and Department of Culture .. | .. 165–167 |
| श्री माधुर्य्य हाल्दार | Shri Madhuryya Haldar | .. 166–167 |
| आधे-घंटे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion | .. 167 |
| निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता | Legal Aid to Poor .. .. | .. 167–170 |
| श्री सी० के० चन्द्रप्पन | Shri C. K. Chandrappan .. | .. 167–168 |
| श्री नीतिराज सिंह चौधरी | Shri Nitiraj Singh Chaudhary | .. 168–170 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

सोमवार, 8 अप्रैल, 1974/18 चैत्र, 1896 (शक)

*Monday, April 8, 1974/Chaitra 18, 1896 (Saka)*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR SPEAKER *in the chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### वर्ष 1974-75 में राज्यों की उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा उसके वितरण संबधी सूत्र

*587. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए क्या सूत्र अपनाया गया है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 तथा 1974-75 में प्रत्येक राज्य को इस सूत्र के आधार पर **समेकित** (पूल्ड) उर्वरक का कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल० टी० 6643/74**]

**श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : अनुबन्ध II में विभिन्न राज्य सरकारों को अलाट किए गए मूल उर्वरकों का उल्लेख है। कर्नाटक को वर्ष 1972-73 के लिए 50,370 टन तथा 7,159

टन तथा 1974 में फरवरी से अप्रैल तक की अवधि के लिए 16,477 टन तथा 5,884 टन उर्वरक अलाट किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अलाट किया गया उर्वरक सप्लाई कर दिया गया था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। दूसरे, क्या यह सच है कि रेल माल डिब्बों की कमी के कारण दक्षिण में विभिन्न राज्यों को आयातित उर्वरक सप्लाई नहीं किया जा सका, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सड़क परिवहन के द्वारा उर्वरक के आवागमन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाए ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : अलाट की गई मात्रा तथा सप्लाई की मात्रा में कुछ अन्तर हो सकता है। यद्यपि भारत सरकार यह प्रयत्न करती है कि जितनी मात्रा में उर्वरक अलाट किया गया है उतना ही सप्लाई किया जा सके तथापि इसमें कुछ कठिनाइयों आई हैं। उदाहरण के लिए आयात के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर या बहुत सी अनिश्चितताएं रहती हैं। देश में भी उतना उत्पादन नहीं होता जितने की आशा थी। उसी कारण कमी रही। जहां तक कर्नाटक का संबंध है। उसके लिए सप्लाई में कमी होने का मुख्य रूप से यही कारण है कि पत्तनों पर भीड़भाड़ रही। हाल में कर्नाटक के मंत्री यही थे तथा उन्हें हमने यह आश्वासन दिया है कि यदि कर्नाटक सरकार हमें सड़क परिवहन संबंधी प्रस्ताव भेजे तो हम 500 किलोमीटर तक सड़क परिवहन से उर्वरकों की ढुलाई की अनुमति दे देंगे।

**श्री ए० के० कोत्रागेट्टी** : जहां तक स्वदेशी उर्वरकों का संबंध है, कर्नाटक सरकार को ज़ौरी फर्टिलाज़र फैक्ट्री, गोआ, एफ० ए० सी० टी०, कोचीन और मद्रास फर्टिलाइजर्स नामक तीन विभिन्न कारखानों के उर्वरक सप्लाई किए जाते हैं। अधिकांश उर्वरक गोआ कारखाने से अलाट किया जाता है। किन्तु यह कारखाना पूरी क्षमता से उर्वरक का उत्पादन आरम्भ कर सका तथा राज्य सरकार को उसका सम्भावित कोटा नहीं मिल पाता। क्या सरकार इसका कोटा-एफ ए० सी० टी० अथवा मद्रास फर्टिलाज़र-किसी अन्य कारखाने से अलाट करेगी ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : स्वदेशी उत्पादन के संबंध में अलाटमेंट आदेशों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे अन्य राज्यों की सप्लाई में बाधा पड़ेगी। उत्पादन के सम्बन्ध में वास्तव में कोई कठिनाई नहीं है किन्तु रेल आवागमन के कारण कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है। हम इस ओर ध्यान देंगे किन्तु कारखाना बदलने से कर्नाटक की कठिनाइयां हल नहीं की जा सकतीं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मंत्री महोदय ने अभी उर्वरक के आयात में कठिनाइयों का उल्लेख किया है। क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन पर जहाजों को घाट लगाने संबंधी कठिनाइयों के कारण उर्वरक ही नहीं वरन बहुत सा अन्य कच्चा माल 10 मार्च से बम्बई पत्तन पर प्राप्त नहीं किया जा सका, यदि हां, तो क्या वह नौवहन और परिवहन मंत्री से परामर्श करके हमें यह बताएंगे कि वहां घाट लगाने संबंधी और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी अथवा नहीं जिससे वहां जमा उर्वरक के कच्चे माल का अविलम्ब निपटान किया जा सके ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : नौवहन और परिवहन मंत्रालय ऐसी समस्याओं पर अनुकूल रूप से विचार करता है। हमने जब भी उसे अपनी समस्याएं बताई हैं तभी उन्होंने हमारी सहायता की है।

किन्तु, इसके बावजूद, श्रम समस्याओं रेल समस्या, माल उतारने संबंधी समस्या जैसी कुछ समस्याओं के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। यह कठिनाई मेरे मंत्रालय तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न नहीं हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** इस सम्बन्ध में एक नीति बनानी होगी कि घाट संबंधी सुविधाएं केवल उर्वरकों के आयात के लिए ही नहीं दी जाएंगी वरन उर्वरक के लिए अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिए भी दी जाएगी। यह नीति-निर्णय करना होगा।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** कृपया माननीय सदस्य इस बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय से पृथक प्रश्न करें।

**श्री एस० बी० पाटिल :** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सड़क परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। क्या उर्वरकों को सड़क परिवहन से लाने ले जाने से कदाचारों तथा ऐसी अन्य बातों को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** हमें ज्ञात है कि इसमें कुछ कदाचारों की आशंका है किन्तु राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यथासम्भव से कम ऐसे कम अवसर आने दे। उर्वरकों को सड़क परिवहन से ढुलाई का मुख्य कारण यह है कि इस बार कर्नाटक को आवंटित उर्वरक में से केवल 20 प्रतिशत उर्वरक सप्लाई किया गया है; स्थिति बहुत खराब है तथा खरीफ की फसल आ रही है। अत: कर्नाटक सरकार को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम इस बात की सावधानी बरतेंगे कि कदाचार नहीं। इस संबंध में राज्य सरकार का सहयोग भी लिया जाएगा।

**श्री के० लकप्पा :** मंत्री महोदय के उत्तर से विदित होता है कि प्रत्येक राज्य की उर्वरक की मांग का अनुमान कार्य पूरा नहीं किया गया क्योंकि उत्तर अपर्याप्त है। अधिक उपज देने वाली फसलों तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के आधार पर भी कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को आवश्यक उर्वरक सप्लाई नहीं किया गया। जिससे फलस्वरूप वे अधिक उपज देने वाली फसलें नहीं उगा सके। कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य इसमें असफल रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह तरीकों अपनाने पर भी उर्वरकों की उपर्युक्त रूप से ढुलाई नहीं होती तथा माल-डिब्बों की सप्लाई और अन्य कारखानों से राज्यों को समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं होते। इसके कारण कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में अपेक्षित फसलें नहीं हो पातीं। सरकार इन मामलों को कहां तक सुव्यवस्थित करेगी, जिससे ये कठिनाइयां उत्पन्न न हो सकें ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे।** महोदय यह कहना सच नहीं है कि अनुमान नहीं लगाया गया। खरीफ के लिए अनुमान लगाया गया है। रबी के लिए बाद में अनमान लगाया जाएगा। विभिन्न राज्यों को आवंटन के बारे में कुछ निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। प्रक्रिया में सुव्यवस्था लाने संबंधी सुझाव उत्तम है। हमारा भी यही प्रयत्न है कि उर्वरक को आवागमन में यथासम्भव समन्वय तथा सुव्यवस्था बरती जाए।

**श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :** यह सच है कि देश भर में उर्वरक की भारी कमी है। विशेषकर केरल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मैं जानना चाहता हूं कि क्या एफ० ए० सी० टी० से किसानों को इस समय दिए जाने वाले उर्वरक में कम से कम 10 प्रतिशत

की वृद्धि की जाएगी ए एफ० सी० टी० किसानों की सहायता के लिए है किन्तु इस बारे में किसानों को भारी कठिनाई हो रही है ।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई का ठीक ही उल्लेख किया है । इसका यह कारण है कि मांग अधिक है तथा पूर्ति कम है । माननीय सदस्यों को स्थिति ज्ञात है । जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है हम प्रत्येक राज्य को वही उर्वरक दे सकते हैं जो हमारे आंतरिक कारखानों में बनता है तथा जो आयात किया जाता है । किन्तु यदि आयात तथा आंतरिक उत्पादन में कोई कमी होती है तो उस कमी को विभिन्न राज्यों में वितरण करना स्वाभाविक है । जहां तक केरल का संबंध है उर्वरक के वितरण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादकों को आदेश दिए गए हैं । आवंटन में वृद्धि किया जाना कठिन होगा किन्तु इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि केरल को जितना उर्वरक आवंटित किया गया है, उतना उसे मिल जाए ।

**Shri Narsingh Narain Pandey :** May I know whether the Hon. Minister would consider the point that due to the shortage of fertilizer the individual dealers are indulging in black marketing and the fertilisers are being sold on higher prices ? May I know whether any steps have been taken by the Food Ministry to check this thing to avoid black marketing of fertilisers.

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न प्रत्येक राज्य की आवश्यकता जानने के लिये अपनाये गये सूत्र के बारे में है । यह कमी के बारे में नहीं है । वह प्रश्न भिन्न है ।

**श्री नरसिंह नारायण पांडे :** मंत्री महोदय ने इस बारे में कहा था, इसी लिये मैं पूछ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कुछ भी कहा हो । आप प्रश्न के विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखिये । श्री गोस्वामी ।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** उन्होंने विवरण में उर्वरक को अनुमान सम्बन्धी आंकड़े उन फसलों के बारे में दिये हैं, जो खाद्य निगम को दी जाती हैं । मेरा चाय और काफी जैसी फसलों के सम्बन्ध में प्रश्न है । क्या सरकर ने चाय उत्पादक राज्यों के लिये उर्वरक के आवंटन के बारे में कोई कमेटी बनाई है और यदि हां, तो क्या ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** चाय और काफी के लिये भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के लिये सीधे आवंटन किया जाता है जहां चाय और काफी का उत्पादन होता है जैसे कि माननीय सदस्य का राज्य है । इस मामले में पूरी सावधानी रखी जाती है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** आप को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में चावल की भारी कमी है । इसी कारण वहां के किसानों ने अधिक से अधिक बोरो फसल उगाने का प्रयत्न किया । वहां उर्वरक की भारी कमी है । इसी कारण बोरो का उत्पादन कम हो जाएगा । मंत्री महोदय पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सप्लाई कराने के लिये क्या ठोस उपाय करेंगे ? इस बारे में क्या सूत्र बनाया गया है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** यह सूत्र विभिन्न राज्य सरकारों की मांग को ध्यान में रखकर बनाया गया है । उनको यह छूट भी दी गई है कि वे 1969-70 के पश्चात् का कोई वर्ष चुन लें । जो भी वर्ष चुना जाएगा उन्हें उस वर्ष की खपत से 12 प्रतिशत अधिक उर्वरक दिया जाएगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न पर बहुत से प्रश्नों की अनुमति दी जा चुकी है अब अगला प्रश्न लिया जाएगा ।

## गेहूं के उत्पादन में एकाएक वृद्धि

*589. **श्री एन० के० लकप्पा**
**श्री एन० शिवप्पा** } **: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विचाराधीन देश में गेहूं के उत्पादन में, जहां तक इसकी वृद्धि दर का सम्बन्ध है, एकाएक वृद्धि किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये जाने वाले उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शन्दे) :** (क) तथा (ख) खासकर गेरुआ रोधी अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्र में वृद्धि करके और समय पर बोआई और उन्नत प्रबंध पद्धतियों संबंधी विस्तार शिक्षा के जरिये गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है।

**श्री के० लकप्पा :** मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं । देश में गेहूं की पैदावार में कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि देश की वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, हम गेहूं की पैदावार में वृद्धि का स्वागत करेंगे । जहां तक सम्भव है, गेहूं की पैदावार की कोई सीमा नहीं है । प्रश्न तो केवल गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक फार्मूला बनाने का है । गत पांच अथवा छः वर्षों के दौरान किस फसल का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में बढ़ा है । मुझे कहना चाहिये कि गेहूं का उत्पादन पांच अथवा छः वर्ष पहले की अपेक्षा दो गुणा बढ़ा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये हमने 380 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

**श्री के० लकप्पा :** अब जबकि सरकार देश में गेहूं की पैदावार में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति का सामना करने हेतु गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिये देश भर में उपलब्ध भूमि में सरकारी फार्म खोलने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

**श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे :** गेहूं के उत्पादन में वृद्धि केवल उपलब्ध भूमि पर सरकारी फार्म खोलने द्वारा ही सम्भव नहीं है । वास्तव में सरकारी फार्मों की स्थापना राज्य फार्म निगम करता है । देश भर के लिये हमारा सामान्य मूल्यांकन इस प्रकार है । पूर्वी भारत, विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । हमारा विचार इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन करने की ओर विशेष ध्यान देने का है ।

**श्री वसंत साठे :** क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि विश्व ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता डा० बारलो ने अपने भारत के दौरे के दौरान कहा है कि मौकसेकन किस्म का का नया बीज तैयार करना जरूरी है । जब तक नया बीज तैयार करने का प्रयास नहीं किया जाता, उस समय तक गेहू की पैदावार कम ही होगी । इस किस्म के बीज अधिक

समय तक नहीं रहते । अतः हमें समय-समय पर नये बीज तैयार करने के प्रयास करने चाहियें। जो कुछ इन्होंने कहा, क्या सरकार को उसकी जानकारी है ? ये इस बारे में क्या कार्य वाही कर रहे हैं ताकि गेहूं के उचित किस्म के बीजों के अभाव के कारण गेहूं के उत्पादन को क्षति न पहुंचे ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** डा० बारलो द्वारा दिये गये वक्तव्य की हमें जानकारी है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा हमें भी देश में गेहूं के बीज तैयार करने सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी है। अपः हमारा प्रयास यथासम्भव नये बीज तैयार करने का है। इस देश में आजकल लगभग 4,5 बीज की किस्में लोकप्रिय हैं। इस प्रकार के 29 बीजों की किस्मों पर परीक्षण किये जा रहे हैं आने वाले वर्षों में इन बीजों को वित्तरित किया जायेगा। जिस प्रयास की ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिये अनुसंधान हेतु हम पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

**श्री प्रबोध चन्द्र :** बीजों की किस्मों में सुधार करने के अतिरिक्त क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उर्बरक के अधिक उपयोग द्वारा भूमि की बनावट में परिवर्तन आता है जिसके फलस्वरूप फसल के उत्पादन में कमी होती है ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने से अधिकाधिक पैदावार होती है। हमारी जानकारी में यह बात नहीं आई है कि उर्बरक का भूमि के उपजाऊपन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है लेकिन यदि आर्गेनिक तथा इन-आर्गेनिक उर्बरक का उपयोग प्राकृतिक ढंग से किया जाये तो भूमि का उपजाऊपन सर्वोत्तम ढंग से बनाया रखा जा सकता है।

## केरल को राष्ट्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

\+

*591. **श्री वयालार रवि**
**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सड़क निधि से विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं तथा इस प्रयोजन के लिए पांचवीं योजना में इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है,

(ख) इस निधि की सहायता से केरल राज्य में शुरू की गई योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उस राज्य में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ग) पांचवीं योजना में केरल राज्य में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनायें कौन-कौन सी हैं और कुल कितनी धनराशि मंजूर किये जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6644/74**]

**श्री वयालार रवि** : क्या मैं जान सकता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल केरल से मोटर स्पिरिट पर लगाये गये अतिरिक्त केन्द्रीय शुल्क की कुल कितनी राशि एकत्र हुई है ? जैसे कि अपने वक्तव्य में कहा है कि चौथी योजना के दौरान 126.8 लाख रुपये केरल सरकार को उपलब्ध किये गये। क्या यह सच है कि वर्ष 1971-72; 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान किये गये राशि के नियतन की कोई सूचना अपने केरल सरकार को नहीं दी ? इसके क्या कारण हैं ?

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : वास्तव में 126.8 लाख रुपये की इस राशि का नियतन राज्य सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जा चुका है। इस राशि में से 47.48 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जहां तक शेष राशि का सम्बन्ध है. यह केरल सरकार के खाते में रहेगी और समाप्त नहीं होगी। सामान्य सिद्धान्त यह है कि राज्य में मोटर स्पिरिट पर 3.5 पैसे प्रति लिटर की दर से एकत्र राशि राष्ट्रीय सड़क निधि को मिलती है।

**श्री वयालार रवि** : अन्य कठिनाइयों के कारण केरल सरकार राष्ट्रीय सड़क निधि का अधिकाधिक उपयोग नहीं करती। केरल में सड़क निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर क्या सरकार विचार करेगी ?

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, केरल सरकार ने 21 योजनायें भेजी थीं। ये सब स्वीकृत की गईं और इसी आधार पर इस राशि का नियतन किया गया। जहां तक पांचवीं योजना का सम्बन्ध है केरल सहित विभिन्न सरकारों से हमने सुझाव मांगे हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना है। पांचवीं योजना के दौरान भी, राज्य सरकार को, जितनी भी राशि उपलब्ध हो, दी जायेगी।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : उत्तर के भाग (ग) में कहा गया है कि केरल सरकार को 146.65 लाख रुपये दिये जाने की सम्भावना है। क्या यह पहले के मूल्यों पर आधारित नहीं है ? 25 प्रतिशत मूल्य बृद्धि के बाद क्या अनुमानों का पुनरीक्षण किया जायेगा और पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर राज्य सरकार को राशि दी जायेगी क्योंकि इसमें पुनः परिवर्तन आने की सम्भावना है ? इस पर आधारित आंकडे क्या हैं ?

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : इस निधि में से राशि का नियतन करने हेतु साधारणतः दो प्रक्रियाएं हैं। कुल निधि दो भागों में विभाजित की जाती है : पहले 80 प्रतिशत का नियतन किया जाता है और इसका आधार राज्य में मोटर स्पिरिट की खपत है; 20 प्रतिशत राशि आरक्षित निधि में रखी जाती है और उसमें से भी हम प्रस्तावों के गण-दोषों को देखते हुए, राज्य सरकारों को राशि का नियतन करते हैं। इसके लिये, आर्थिक महत्व, अन्तर्राज्यीय सम्पर्क आदि सम्बन्धी कुछ मापदंड निर्धारित किये जा चुके हैं। इस राशि का नियतन उस आधार पर किया जाता है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : उन्होंने पुनरीक्षित अनुमान भेज दिया है।

**श्री वयालार रवि** : प्रत्येक परियोजना का पुनरीक्षण किया जा चुका है।

**अध्यक्ष महोदय**: श्री गोस्वामी।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : वक्तव्य से प्रतीत होता है कि आसाम, मणिपुर तथा त्रिपुरा सहित समूचे पूर्वी क्षेत्र को मेघालय को छोड़कर 50 लाख रुपये से कम राशि दी गई।

समूचे पूर्वी क्षेत्र में संचार की कठिनाइयां हैं। मैं जानना चाहता हुं कि इतनी कम राशि किस आधार पर स्वीकृत की गई? क्या यह राशि किसी ध्येयपूर्ण मापदंड के आधार पर स्वीकृत की गई अथवा अस्थायी आधार पर की गई?

**श्री प्रणबकुमार मुखर्जी :** इस निधि में से राशि का नियतन कैसे किया जाता है, इसके बारे में कह चुका हूं। मोटर स्पिरिट पर उत्पादशुल्क लगाकर राष्ट्रीय सड़क निधि बनाई गई है। इसके लिये सामाय मापदंड है।

जहां तक मेघालय का सम्बन्ध है, इसके बारे में माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि उस समय इस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था और यह आसाम का एक भाग था। जिस सिद्धान्त पर राशि का नियतन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राशि में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। लेकिन राज्यों को सड़क विकास तथा संचार विकास के लिये केवल यही राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है। यह केवल राष्ट्रीय सड़क निधि से ही सम्बन्धित है।

**श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै :** उत्तर के भाग (ग) के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल को राष्ट्रीय सड़क निधि में से 146.65 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। यह सरकार की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहले बनाये गये अनुमान के आधार पर है। यह आंकड़े कुछ पुराने अनुमानों पर आधारित हैं। मूल्य वृद्धि तथा नई स्थिति के आधार पर क्या केरल सरकार अनुमान को पुनरीक्षित करेगी?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** हम बार योजना आयोग से उपलब्ध राशि पर निर्भर करेगी···

**श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै :** यह बात भिन्न है। यह पेट्रोल तथा मोटर स्पिरिट से सम्बन्धित है। यह योजना से बाहर का व्यय है।

**अध्यक्ष महोदय :** इन्होंने उत्तर दे दिया है। प्रश्न योजना आयोग द्वारा किये गये नियतन से सम्बन्धित था।

**Shri Shivnath Singh :** Mr. Speaker, Sir, it is clear from the statement that some states hav been allocated more funds while some others have been given less. For example an amount of Rs. 449 lakhs was given to Maharashtra as against Rs. 113 lakhs to Rajasthan. I would like to know whether more funds would be allocated to Rajasthan in view of its vast territory and its location bordering with Pakistan.

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** मैं उस सिद्धान्त का ब्यौरा पहले ही दे चुका हूं जिसके आधार पर यह राशि आवंटित की जाती है। इसका आधार मोटर स्पिरिट की खपत है। मोटर स्पिरिट लगाई गई लेवी तथा उस पर लगा उत्पादन शुल्क के अंश से यह निधि बनाई जाती है। इस में धन का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक राज्य में इसके लिए एक निश्चित सूत्र है और वह है मोटर स्पिरिट की खपत, धन के आवंटन का आधार भी यही है।

**श्री एम० टोम्बी सिंह :** विशेषकर नागालैण्ड और मनीपुर में राष्ट्रीय राजपथों का रख-रखाव ठीक नहीं हो पाता और इंजीनियर भी अपना कार्य ठीक नहीं करते क्योंकि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय का अभाव है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का दूसरा भाग केरल राज्य में शुरू की गई योजना की संक्षिप्त रूपरेखा से है।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : जी, हां। किन्तु भाग (क) में विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का जिक्र है। मैं बताना यह चाहता हूं कि नागालैण्ड और मनीपुर को जो राशि दी जाती है उसका केन्द्रीय और राज्य सरकारों में अभाव के कारण सदुपयोग नहीं हो पाता। सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग प्रश्न है परन्तु, यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : समन्वय के अभाव की जानकारी हमें नहीं है। माननीय सदस्य के पास इस सम्बन्ध में जो जानकारी है, यदि वह हमें भेज देंगे, तो हम जांच करेंगे।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मोटर स्पिरिट से करों के रूप में होने वाली आय का कितने प्रतिशत सड़क निधि में दिया जाता है ? क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और रख-रखाव के लिए केन्द्र द्वारा कोई पृथक निधि रखी जायेगी ?

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3.5 पैसे प्रति लिटर की दर से यह विशेष निधि बनी है। जहां तक राष्ट्रीय राजपथों के लिए धन के आवंटन का प्रश्न है, वह अलग से किया जाता है। उसका केन्द्रीय सड़क निधि (सेन्ट्रल रोड़ फंड) से कोई सम्बन्ध नहीं है।

## टाइप I के क्वार्टरों में एक कमरे के सभी स्थान पर दो कमरे बनाना

+

*592. **डा० हरिप्रसाद शर्मा**<br>**श्रीमती मुकुल बनर्जी** } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में टाइप I के सभी एक कमरे के क्वार्टरों को दो कमरों वाले क्वार्टरों में बदलने के लिये सरकारी कालोनियों की चतुर्थ श्रेणी एसोसिएशन को तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्री स्वर्गीय मेहर चंद खन्ना द्वारा दिये गए आश्वासन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन क्वार्टरों का प्रस्तावित निर्माण कब तक शुरू किया जायगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** (क) तथा (ख) स्वर्गीय मंत्री मेहर चन्द खन्ना द्वारा दिये गये किसी ऐसे आश्वासन को उपलब्ध करना संभव नहीं हुआ है। तथापि, हाल ही में सरकार ने टाईप I के 2 कमरे वाले 1461 क्वार्टरों का निर्माण किया है। जहां तक पुराने क्वार्टरों को बदलने का संबंध है, इस पर (I) संरचनात्मक तथा वास्तुकीय संभाव्यता, (II) निधियों की उपलब्धता तथा (III) मकानों के रूप-परिवहन, जिससे केवल उन्हीं कर्मचारियों की संतुष्टि होगी जिन्हें पहले ही मकान मिल चुके हैं, की तुलना में अधिक संख्या में लोगों को मकान देने के लिये नये मकानों के निर्माण के मुकाबले की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : श्रीमन्, मेरा प्रश्न श्रेणी चार के उन कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में है जिन्हें अपने वयस्क बच्चों और वृद्ध माता-पिताओं सहित एक कमरे वाले क्वार्टरों में रहना पड़ता है। क्या सरकार को पता है कि एक कमरे में गुजर करने वाले परिवारों को सामाजिक तनाव और अशान्ति का किस हद तक सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार के पास इस समस्या का क्या हल है, बजाय इसके कि वह यह कहे कि भूतपूर्व मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में आपके मतानुसार क्या होना चाहिए जबकि कोई मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री सार्वजनिक सभा में और यहां सभा में किसी बात के लिए आश्वासन देता है और बाद में कह दिया जाता है कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। मेरी जानकारी के अनुसार स्वर्गीय श्री खन्ना ने कई बार यह आश्वासन दिया था कि एक कमरे वाले टेनेमैंटों को दो कमरों वाले क्वार्टरों में बदल दिया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि ऐसा कोई आश्वासन उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि आप उस आश्वासन को इन्हें उपलब्ध करा दें तो इससे मेरी स्थिति भी मजबूत होगी।

**श्री भोला पासवान शास्त्री** : सामाजिक दृष्टि से सरकार इस बात को मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कमरा नहीं, बल्कि दो कमरे होने चाहिएं। लेकिन इसके लिए अन्य बातों पर भी विचार करना होता है, जैसे वित्तीय स्थिति आदि। अभी यह सम्भव नहीं है कि एक कमरे वाले टनेमैंटों में एक-एक कमरा और जोड़ा जाये।

**डा० हरि प्रसाद शर्मा** : सरकार की इन घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए कि वह समाज के दुर्बल अंगों की सहायता करेगी, क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रिहायशी फ्लैट देने के लिए कुछ कर रही है ? इनको जो एक कमरे वाले टेनेमैंट दिये जाते हैं उनमें आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। उनमें पहली मंजिल पर ही पानी नहीं पहुंच पाता। आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।

**श्री भोला पासवान शास्त्री** : हम इस मामले पर ध्यान देंगे।

**Shrimati Mukul Banerji** : The Minister has told that the conversion of old tenements will be considered in the light of structural and architectural feasifility and availability of funds etc. There are 85 blocks on Pachkui Road and Block IV in Rouse Avenue, in which class IV employees have been residing. Drinking water is not availabl. there. Latrines are in very bad condition. In some of these latrines the apartment walls are broken causing great inconviinence to the users. The funds allocated for maintenance of the latrines and for provision of drinking water have not been utilized for these purposes. There is no proper arrangement of drinking water in upper storeys. In Sevanagar What steps are being taken by Government to remove their hardships ?

**Shri Bhola Paswan Shastri** : The Government will look into the information furnished by hon. Member.

**Shri Mukul Banerji** : But why do you not utilize the funds already senctioned for the purpose.

**Shri Bhola Paswan Shastri** : We will look into it also.

**श्री वसन्त साठे** : श्रीमान् क्या सरकार इन टेनेमैण्टों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वामित्व के आधार पर देने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि वे स्वयं उनमें अपने खर्चे पर एक-एक कमरा जोड़ सकें, क्योंकि ये जब तक सरकार के पास रहेंगे तब तक इनमें एक और कमरा न जुड़ सकेगा।

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह अनुरोध कार्यवाही के लिए है।

**Shri Vasant Sathe :** Will you consider it ?

**Shri Bhola Paswan Shastri :** The Government is listening to all these points.

**Shri Vasant Sathe :** What is the result ?

**Shri Bhola Paswan Shastri :** The action will tell you the result.

**Shri Vasant Sathe :** Will you give serious thought to my suggestions.

**Shri Bhola Paswan Shastri :** We are seriously listening to all what the hon. Member is saying.

**श्री जगन्नाथ राव :** एक कमरे वाले टेनेमैंटों को दो कमरे बदले बनाने में आने वाली कठिनाई को मैं मानता हूं। लेकिन्तु अब तक टाइप एक के कितने टेनेमैंट दो कमरों वाले बनाये गए हैं।

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** सरकार सभी उपायों पर विचार कर रही है।

**दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चयन वेतन-मान**

*594. **श्रीमधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों ने अपने अध्यपकों के लिए चयन वेतन-मान लागू नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं जो अपने अध्यापकों को चयन वेतन-मान नहीं दे सके हैं; और

(ग) क्या चयन वेतन मान को तुरन्त क्रियान्वित न करने की स्थिति में इस विलम्ब के कारण ऐसे चयन वेतन-मान के लिए हकदार उम्मीदवार इससे वंचित रह जायेंगे।

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :**

(क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे 35 स्कूलों ने आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है।

**विवरण**

(ख) विवरण संलग्न है।

1. गीता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नांगलोई।
2. हरियाणा शक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलावल्म।
3. सुखू खालसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतहनगर।
4. दिल्ली तमिल एजूकेशन एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूसा रोड़।
5. रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नम्बर 5, देव नगर।
6. खालसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देव नगर।
7. श्री गुरु तेग बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुलबंगस।
8. बालगीधर खालसा माध्यमिक विद्यालय।
9. सालवान गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र नगर।
10. श्री गुरु तेगबहादुर खालसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देव नगर।
11. आर्य गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेगड़पुरा।

12. रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नम्बर 1, 5, 6 और 7।
13. गुरुनानक गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर।
14. सनातन धर्म स्कूल, शाहदरा।
15. चन्द्र आर्य विद्यालय मन्दिर गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर।
16. होप हाल माध्यमिक स्कूल वजीर नगर, नई दिल्ली।
17. दिल्ली तमिल एजूकेशन एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली।
18. रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नम्बर 4, चित्रगुप्त रोड़, नई दिल्ली।
19. विलाईड रिलीफ माध्यमिक स्कूल, किंचलू मार्ग, नई दिल्ली।
20. गढ़वाल प्राइमरी सहशिक्षा स्कूल, पंचकुइन रोड, नई दिल्ली।
21. एस० ई० एस० बाबा नेभराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
22. दयानन्द माडल गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीडिंग रोड, नई दिल्ली।
23. श्री गुरु हरकिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगला साहब
24. लाइन्स विद्या मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काश्मीर हाउस।
25. दिल्ली कनाडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोदी एस्टेट।
26. विद्या भवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोदी रोड।
27. नव शक्ति विद्या मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अराकशन रोड।
28. रघू मल आर्य गर्ल्स प्राइमरी स्कूल प्रथम पारी, डाक्टरज लेन।
29. दिल्ली तमिल एजूकेशन एसोसिएशन उच्चतर माध्यमकि विद्यालय, लक्ष्मीबाई नगर।
30. दिल्ली तमिल एजूकेशन एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुरम।
31. दिल्ली तमिल एजूकेशन एसोसिएशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोती बाग-II
32. श्री गुरु नानक खालसा गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली छावनी।
33. जैन गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन।
34. खालसा मिडिल स्कूल, सरोजिनी नगर।
35. एंग्लो संस्कृत वी० जे० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

(ग) जी, नहीं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी सहायता प्राप्त 35 स्कूलों ने इस उपबंध का उल्लंघन किया है। क्या दिल्ली प्रशासन मुख्य कार्यकारी पार्षद का सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से कुछ के प्रबन्ध से सम्बन्धित है और परिणामत: उनमें कुछ निर्णय लागू नहीं हो पाते। क्या यह सच है कि सरकारी सहायता प्राप्त कई स्कूलों में दिल्ली स्कूल अधिनियम 1973 के बहुत से उपबंध लागू नहीं किये जा रहे हालांकि यह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया था और राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति भी शीघ्र ही दे दी थी। इस स्थिति में क्या अनेक स्कूलों में यह धमकी दे दी गई है कि 10 अप्रैल, 1974 से आरम्भ होने वाली परीक्षाओं का पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे ?

**श्री डी० वी० यादव :** दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे 852 सहायता-प्राप्त और सरकारी स्कूलों में से केवल 35 में चयन वेतनमान लागू नहीं किये गये हैं और यह संख्या मेरे विचार से बहुत अधिक नहीं है । इस दिशा में कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है । जहां तक मुख्य कार्यकारी पार्षद का इन स्कूलों के प्रबन्ध से जुड़े रहने का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है । इस प्रश्न के भाग (ग) के बारे में मुझे पता नहीं है ।

**श्री प्रो० मधु दण्डवते :** मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । इस सूची में विद्या भवन स्कल, नई दिल्ली का नाम दर्ज है । इसमें बहुत से अध्यापक हैं । क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के कुछ अध्यापकों को बिना शिक्षा विभाग की अनुमति लिये बर्खास्त कर दिया गया है । एक महिला अध्यापक को भी बर्खास्त किया गया । क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप उस स्कूल में 43 दिन हड़ताल रही थी । यदि हां, तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे भविष्य में शिक्षा को अस्त-व्यस्त करने वाली ऐसी घटनाएं न हों ।

**श्री डी० वी० यादव :** मैं इसकी जांच करूंगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह उत्तर ही नौकरशाही ढंग से दिया गया है । यदि उत्तर ऐसे ही दिये जायेंगे तो प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप चाहते ही यह थे कि इस मामले में जांच की जाये ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** मंत्री द्वारा दिये गये विवरण में इस स्कूल का नाम है । मंत्री महोदय को उसके बारे में तथ्य और आंकड़ों से तैयार होकर आना चाहिये था ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह एक सामान्य उत्तर है जिसे किसी भी प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप चाहते हैं कि वे उस पर ध्यान दें ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** क्या आप माननीय मंत्री से यह कहेंगे कि भविष्य में कह वठी उत्तर देने के लिए तैयार होकर आयें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि वह तैयार होकर नहीं आए हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यदि इसी का नाम तैयारी है तो स्थिति बहुत ही दयनीय है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप कोई जानकारी विशेष प्राप्त करना चाहते थे । आपने माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर दिलाया है और इससे सम्बन्धित जानकारी वह आपको बाद में भेज देंगे ।

**श्री पी० जी० मावलेकर :** यह सच है कि चयन वेतनमानों को लागू न करने वाले स्कूलों की संख्या बहुत कम है—852 में से केवल 35 का ऐसे स्कूलों ने ये वेतनमान लागू न करने के कारण भी बताएं हैं । और क्या उनके द्वारा वेतनमान लागू कराये जाने की दिशा में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

**श्री डी० पी० यादव :** मैं आपको और सभा को आश्वासन देता हूं कि सभी मामले दो महीने में तय कर दिये जायेंगे ।

**श्री पी० जी० मावलेकर :** क्या इन 35 स्कूलों ने बताया है कि किन कारणों से वे ऐसा नहीं कर सके हैं ?

**श्री डी० पी० यादव :** उन्होंने कारण तो बताये हैं किन्तु सरकार उनसे सतुष्ट नहीं है । तभी तो सरकार ने एक समिति बनाई है । मैं सभा में आश्वासन दे चुका हूं कि चयन वेतनमान दो महीने के भीतर ही लागू कर दिये जायेंगे ।

**श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नवम्बर 1971 में कुछ अनियमितताएं दूर करने के लिए चयन वेतनमान के बारे एक परिपत्र जारी किया था । फिर दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने अपने परिपत्र संख्या 832/184/Gen. 71-72 द्वारा मूल 8 श्रेणियों को मनमाने ढंग से 14 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था । अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे चयन वेतनमान केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुरूप शीघ्रता से और उचित रूप से लागू हो जायें ?

**श्री डी० पी० यादव :** परिपत्र के अनुसार 15 श्रेणियों को, न कि 14 को, चयन वेतनमान के लिए हकदारी बताया गया है । यदि माननीय सदस्य को कुछ ऐसी श्रेणियों का पता है जो छोड़ दी गई हैं, तो वह मुझे बतायें और मैं इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करूंगा ।

## केरल में पेय जल उपलब्ध करने का लक्ष्य

*595. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा राज्य में पेय जल की कमी वाले गांवों में पेय जल उपलब्ध करने का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) तथा (ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकार का लक्ष्य 301 ग्रामों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का था । कार्यक्रम में अभावग्रस्त क्षेत्र, अधिक लवण वाला तटीय क्षेत्र, हैजा की स्थानिक मारी वाला क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं । चौथी योजना में 203 ग्रामों के लिए 155 योजनाएं पूर्ण की गई थी । इन में से 145 ग्राम अभावग्रस्त क्षेत्र तथा 63 लवण-युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ।

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** चौथी योजना में 301 गांवों को पेय जल प्रदान करने का प्रस्ताव था जिनमें से 208 गांवों को पेय जल प्रदान किया जा चुका है । केरल राज्य के कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल की सुविधा नहीं है ? दूसरे, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने पर हुए वास्तविक व्यय की राशि पांचवी योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक थी ? क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाएं प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** एक साथ कई प्रश्न पूछे गए हैं और सभी का उत्तर देना कठिन है । जहां तक केरल का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुछ योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा कुछ पूरी की जानी हैं ।

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अब मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछती हूं। ग्रामीण क्षेत्रों को पेय जल सुविधाएं देने के लिए पांचवीं योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और पांचवीं योजना के दौरान केरल राज्य के कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** मुख्य प्रश्न केवल अभावग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित है। इसका उत्तर दिया जा चुका है।

**श्री वसंत साठे :** उनका प्रश्न है : पांचवीं योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और पांचवी योजना के दौरान अभावग्रस्त क्षेत्रों में कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** जहां तक त्वरित जल सप्लाई योजना का सम्बन्ध है.....

**अध्यक्ष महोदय :** आप ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को अलग अलग किस प्रकार कर सकते हैं यह उनका प्रश्न है ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच धनराशि का ब्यौरा अभी तक विचाराधीन है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :** केरल और विशेषकर केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में खारेपन की समस्या मुख्य रूप से बनी हुई हैं। क्या सरकार ने खारापन समाप्त करने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो क्या इसे योजना आयोग को भेजा गया है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

**श्री भोला पासवान शास्त्री :** विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक खारेपन का सम्बन्ध है, केरल सरकार ने कुछ राशि दी है और मामला राज्य सरकार तथा योजना आयोग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

## उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में विश्वविद्यालय की स्थापना

*596. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में एक सामान्य विश्वविद्यालय कब स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस बीच इस उद्देश्य के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नुरुल हसन) :** (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षिक सत्र 1974-75 से प्रस्तावित जनरल विश्वविद्यालय के स्थापित होने की संभावना है।

(ख) विश्वविद्यालय को फैजाबाद में स्थापित करने का विचार है।

(ग) जी, नहीं।

**श्री आर० के० सिन्हा :** फरवरी के तृतीय सप्ताह में उत्तरप्रदेश द्वारा की गई घोषणा में 'सम्भावना' शब्द नहीं था। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए सरकारी विवरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई इस घोषणा में अन्तर्विरोध है कि यह वर्ष 1974-75 में निश्चित रूप से स्थापित की जाएगी। फैजाबाद

में विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि इसकी स्थापना अयोध्या में की जाए और इसका नाम अयोध्या विश्वविद्यालय रखा जाए क्योंकि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है ?

**प्रो० एस० नुरूल हसन** : इस विषय पर विचार करना केन्द्रीय सरकार का काम नहीं है। राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना का उत्तर दायित्व राज्य की विधान सभा का है और यह निर्णय करना विधान सभा का काम है कि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाए और इसका क्या नाम रखा जाना चाहिए ।

**श्री आर० के० सिन्हा** : राज्य सरकार द्वारा सामान्य धनराशि तथा अन्य आवंटनों के लिए किए गए अन्य अनुरोधों की क्या स्थिति है तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों के बारे में क्या स्थिति है ?

**प्रो० एस० नुरूल हसन**: केन्द्रीय सरकार से अनुदान के प्रश्न का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12क द्वारा की जाती है। इस धारा के उपबन्धों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री एच० एम० पटेल**: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि राज्यों में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या नीति है ?

**प्रो० एस० नुरूल-हसन** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी;

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

(3) विश्वविद्यालय अधिनियम में योजना आयोग के गठन के बारे में व्यवस्था की जाएगी; इसमें समग्र भारत के आधार चुने गए विशेषज्ञ शामिल होंगे; बोर्ड का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना के तुरन्त बाद किया जाएगा तथा इसके परामर्ष पर विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा;

(4) विश्वविद्यालय बहु-अनुशासनिक होगा तथा विभिन्न विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करेगा ;

(5) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग में कम से कम ..... कर्मचारी होंगे .....

**अध्यक्ष महोदय** : श्री एच० एम० पटेल इन बातों को जानते हैं।

**श्री एच० एम० पटेल** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें बताई हैं । किन राज्य सरकार ने अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बातचीत नहीं की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विषय पर सोच विचार करने का अवसर नहीं मिला। मंत्री महोदय ने दो या तीन शर्तों का उल्लेख किया है, जैसा कि सर्वेक्षण विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाएगा, योजना आयोग का गठन किया जाएगा आदि आदि। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह कहना किस प्रकार न्यायसंगत है कि विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्रीय सरकार की सहायता से की जाएगी ?

**प्रो० एस० नुरूलहसन** : संविधान के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न राज्य विधान सभा के क्षेत्राधिकार में आता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से संसद ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकार सहायता तभी देगी जब पूर्व शर्तें पूरी की जाएं (व्यवधान) हमने किसी सहायता का वचन नहीं दिया है।

## गुजरात में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग संबंधी परियोजना प्रतिवेदन पर स्वीकृति

*598. **श्री डी० पी० जदेजा**
**श्री अरविन्द एम० पटेल** } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिये गुजरात सरकार से प्राप्त कौन कौन से परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति के लिये कृषि मन्त्रालय के विचाराधीन हैं; और

(ख) उन पर निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

गुजरात सरकार ने पोरबन्दर और वेरावल तथा अनेक स्थानों पर बन्दरगाहों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अनुरोध किया है। मात्स्यकी बन्दरगाह निवेश पूर्व सर्वेक्षण सम्बन्धी परियोजना में बेरावल, मंगरोला और पोरबन्दर के विषय में आवश्यक डिज़ाइन तैयार किये हैं। गुजरात सरकार से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। उसके पश्चात् मात्स्यकी बन्दरगाह के विनिर्माण के विषय में आर्थिक मूल्यांकन किया जायेगा। पांचवीं योजना की अवधि में मात्स्यकी बन्दरगाहों के लिये पूंजी के आवंटन और उनकी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करते हुए परियोजनाओं के विषय में उसी समय विचार किया जायेगा, जबकि परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेंगी। भारत सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले संगठन द्वारा प्रारम्भ किये गये समन्वेषी कार्यक्रमों के अतिरिक्त विदेशी सहयोग से देश के उत्तरी पश्चिमी किनारे का सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव के बारे में भी अलग से विचार कर रही है। यह योजना अनेक एजेंसियों के समक्ष वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

**श्री डी० पी० जदेजा** : सभा-पटल पर रखा गया विवरण ज्यादा स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रत्येक वाक्य में यह कहा गया है कि या तो परियोजना विचाराधीन है अथवा स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 15 वर्ष पूर्व भारत-नार्वे दल ने यह सिफारिश की थी कि भारत में समृद्ध मत्स्य ग्रहण स्थल सौराष्ट्र के समुद्रतट पर हैं ? क्या बेरावल, मंगरोला और पोरबन्दर बन्दरगाहों के अतिरिक्त सरकार द्वारका और ओरवा में बन्दरगाह सुविधाएं प्रदान करने के विषय पर विचार करेगी ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे। लेकिन छोटी मत्स्य बन्दरगाहें पहले ही बनाई जा रही हैं।

**श्री वी० वी० नायक :** भारत-नार्वे परियोजना तथा समुद्र तट पर मत्स्य केन्द्रों के विकास के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है कि 10 बन्दरगाहें बनाई जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय इनके नाम बताएंगे ? हमारी समुद्रतटीय रेखा की लम्बाई 3,500 मील है और 10 बन्दरगाहें बनाने का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 350 मील की लम्बाई के पीछे एक बन्दरगाह बनाई जाएगी। क्या वह हमें इनके नाम बताएंगे : . . .

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न गुजरात के बारे में है।

**श्री वी० वी० नायक :** मेरे विचार में प्रश्न भारतीय बन्दरगाहों के बारे में था, चाहे वे गुजरात के बारे में अथवा किसी अन्य राज्य के बारे में हो।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** मैंने केवल गुजरात का उल्लेख किया है; इस समय जो 10 बन्दरगाहें बनाई जा रही हैं, उनका सम्बन्ध गुजरात से है।

**श्री वी० वी० नायक :** समग्र भारत में कितनी बन्दरगाहें हैं ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** यह एक अलग विषय है। मेरे पास सही संख्या नहीं है। इस समय 150 से अधिक बन्दरगाहें हैं और लगभग आधी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सही आंकड़े मैं नहीं दे सकता।

## गेहूं की छोटे तने वाली किस्मों की चयन पद्धति पर भारत-सोवियत गोष्ठी

*599. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की छोटे तने वाली किस्मों की चयन पद्धति पर भारत में हाल में भारत-सोवियत गोष्ठी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सोवियत गेहूं की किन किस्मों का परीक्षण किया गया है और भारत में इन्हें बोनें सम्बन्धी कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां, इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में 11 और 12 दिसम्बर, 1973 को एक विचारगोष्ठी आयोजित की गयी थी।

(ख) रूसी गेहूं की किस्मों को भारत में लाकर उगाना आवश्यक समझा गया है, ताकि हमारे वसंत कालीन गेहूं में, ख़ासकर बारानी क्षेत्रों में शीत सहने की क्षमता और गहरी जड़ प्रणाली को सम्मिलित किया जा सके। अतः गेहूं की अनेक किस्में यथा बेजौस्टाया-1, मिरोनांवस्काया-808, मिरोनांवस्काया-जुबिलंज्नाया-50, सारातांवस्काया-29, ओजेस्काया-16, कावकाज, स्कांरांस्फेल्का-35 और एवरोरा इत्यादि सोवियत रूस से मंगायी गयी हैं, ताकि इन्हें भारतीय बसंत कालीन गेहूं के साथ संकरण के कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा सके। इन किस्मों का उपयोग भारत के मैदानी इलाकों और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा। इस समय संकर-प्रजातों की जांच की जा रही है इनके विशेष गुणों का पता तब चलेगा, जब इन पर चल रहे परीक्षण कार्य पूरे हो जाएंगे।

**श्री रणबहादुर सिंह :** उत्तरी भारत के किसानों के प्रयोग के लिए कब तक पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा दी जाएगी ?

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** अभी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता । हम यह कार्य परीक्षण के तौर पर कर रहे हैं । जैसा कि मैंने कहा, शीत सहने की क्षमता और गहरी जड़ प्रणाली का खेती के क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा और इसकी सप्लाई की मात्रा में सही विवरण इस समय नहीं दिया जा सकता ।

**श्री रणबहादुर सिंह :** मंत्री महोदय ने इन किस्मों के बारे में शीत सहने की क्षमता और गहरी जड़ प्रणाली के बारे में बताया है । इन नई किस्मों से उत्पादिकता में कहां तक सुधार होगा जबकि स्थानीय संकर किस्में पहले से ही उपलब्ध हैं ।

**श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** माननीय सदस्य काफी ज्ञानवान आदमी हैं । दुर्भाग्यवश हमारे देश में गेहूं उपजाने वाले अधिकतर क्षेत्र वर्षा पर आधारित हैं । और यदि गहरी जड़ प्रणाली का विकास किया जाता है तो वे सर्दी की वर्षा या वर्षा के अभाव में भी मिट्टी की गहरी तहों से नमी प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे । सम्भवत: इससे इन क्षेत्रों में गेहूं की उपज में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । परीक्षण जारी हैं और इस समय मैं सही सही विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### बम्बई के निकट जहाजों की टक्कर

***अ० सू० प्र० संख्या 6. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट जाने वाला माल से लदे जहाज के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भाटकित दूसरे जहाज से टक्कर हुई और 27 मार्च, 1974 को बम्बई के निकट डूब गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) :** (क) जी, हां । नारायण प्रसाद' पाल जहाज और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भाटकित एम० वी० 'सन पिश' के बीच टक्कर 26 मार्च, 1974 को लगभग प्रात: 1 बजकर 24 मिनट पर हुई ।

(ख) टक्कर के फलस्वरूप, पाल जहाज 1,72,800 रुपए के 610 बोरे तिलहन और दाल के साथ डूब गया । जहाज का मूल्य लगभग 12,000 रु० था । किसी जान की हानि नहीं हुई । एम० वी० 'सन पिश' का कोई नुक्सान नहीं हुआ ।

(ग) व्यापार पोत अधिनियम 1958 के अधीन प्रारम्भिक जांच प्रगति पर है ।

**Shri Birender Singh Rao :** Mr. Speaker, Sir, this is a very serious matter. The hon. Minister has stated that the cost of the sunk vessel is approximately Rs 12,000 but with this paetry amount not even a damaged jeep can be purchased. May I know whether under valuation has been made keeping in view that the Government will have to pay compensation for the sunk vessel ? Who was the owner of that vessel ? Whether it was owned by Government or by private man or company ?

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** पाल जहाज़ का मालिक भगवा डाडी के जीवाभाई नयाभाई हैं और इसका बीमा 15,000 रुपये का था । जहाज़ की मोटर को बिल्कुल नुक्सान नहीं पहुंचा है । वस्तुत: पाल जहाज़ में ले जाई जा रही वस्तुओं की कीमत पाल जहाज़ से अधिक थी ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## पाम्बन पुल (तमिल नाडु) का निर्माण

*588. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाम्वन पुल (तमिलनाडु) के निर्माण के लिए टैन्डर मांगे गये थे ?

(ख) यदि हां, तो टैन्डर देने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं तथा जिसका टैन्डर स्वीकार किया गया है उस कम्पनी का नाम क्या है; और

(ग ) क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है तथा कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) :** (क) जी, हां ।

(ख) पांच फर्मों ने कार्य के लिए निविदायें भेजी हैं और निविदाओं की जांच की जा रही है ।

(ग) मुख्य पुल पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है । पूरा करने के लिए निर्धारित समय कार्य का ठेका देने और धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान के परिणामों के प्रकाशन से पूर्व अनुसंधान की जांच के लिए तंत्र

*590. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **कृषि** मंत्री अनुसंधान की उपलब्धियां कृषि का समय से पूर्व प्रचार करने के बारे में जांच करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति के बारे में 11 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किसी तंत्र की स्थापना की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधानों के कृषकों के उपयोग के लिये प्रकाशन से पूर्व उनकी उचित जांच की जाये ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों को मानते हुए परिषद् के सभी संस्थानों, प्रायोजना-समायोजकों और इससे सम्बन्धित अन्य संस्थानों को ये आदेश दे दिये हैं कि अनुसंधान के परिणामों को सही रूप में पूरी तरह मूल्यांकन के लिए पहले से ही जो प्रायोगिक कार्यविधि तैयार की गयी है, उसका सख्ती से पालन किया जाये । इन संस्थानों को एक अनुसंधान परियोजना फाइल रखने की भी सलाह दी गयी है, जिसमें बाकायदा अनुसंधान के प्रत्येक चरण की प्रगति का विवरण रखा जाता है । कोई विशेष उपलब्धि हो या कोई नया अनुसंधान अपने अंतिम चरण में हो उसे अमल में लाने के लिए अंतिम सिफारिश करने से पहले उस पर विचार विमर्श किया जाता है । यह विचार-विमर्श संस्थानों की अनुसंधान परिषदों, अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं की वार्षिक कार्य गोष्ठी की सभाओं और राज्य तथा केन्द्रीय किस्म अनुमोदन समितियों में किया जाता है ।

**खाद्यानों की बिकाऊ फालतू माल की वसूली के लिए अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के फैडरेशन द्वारा की गई पेश.कश**

*593. **श्री वी० मायावान**
**श्री शंकर दयाल सिंह** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के फेडरेशन ने खाद्यान्नों के बिकाऊ फालतू माल की वसूली की पेशकश की है,

(ख) फेडरेशन ने अन्य कौन-कौन से सुझाव दिये हैं ,

(ग) क्या सरकार ने फेडरेशन द्वारा रखे गये सुझावों की जांच की है, और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे )** : (क) से (घ) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के फेडरेशन ने अपने पत्रों में जो प्रमुख सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) व्यापारी पर लेवी की प्रणाली के अधीन गेहूं का थोक व्यापार करने की इजाजत दी जाए और पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिशेष राज्यों से बाहर भेजने के लिए व्यापारी द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा में से 50 प्रतिशत सरकार, उसकी एजेंसियों को 105 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित दर पर दिया जाए ।

(2) व्यापारी को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे लेवीमुक्त मात्रा का शेष 50 प्रतिशत देश के किसी भी भाग में बिना किसी प्रतिबंध के ले जा सकें ।

(3) सरकारी वितरण प्रणाली, समाज के निर्धन वर्गों और वह भी केवल कमी वाले राज्यों तक सीमित होनी चाहिए ।

(4) सभी थोक तथा खुदरा व्यापारियों को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस दिये जाने चाहिए और उनके स्टाक के बारे में उपयुक्त सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

(5) गेहूं और मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के भीतर संचलन संबंधी सभी प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से हटा दिया जाए ताकि अधिशेष और कमी वाले राज्यों के बीच की असमानता को दूर किया जा सके ।

(6) प्रमुख क्रय और विक्रय केन्द्रों पर राज्य सरकारों, उत्पादकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि के प्रतिनिधियों की सलाहकार समितियां गठित की जाएं ताकि खाद्यान्नों के शीघ्र संचलन और उचित वितरण को विनियमित किया जा सके ।

रबी मौसम 1974-75 के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति और उसके मूल्य के बारे में 28 मार्च, 1974 को लोक सभा में सरकारी नीति की घोषणा की जा चुकी है ।

**भारतीय खाद्य निगम पंजाब द्वारा पश्चिम बंगाल को घटिया चावल की सप्लाई**

*597. **श्री नलव किशोर शर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा ने हेरा फेरी करके पश्चिम बंगाल को घटिया चावल भेजा, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उक्त प्रकार के घोटालों में और भारतीय खाद्य निगम के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद, राज्य के सिविल सप्लाई विभाग के चार अधिकारियों और भारतीय खाद्य निगम, पंजाब रीजन, के दो अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और दो चावल मिल-मालिकों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

**भारतीय नौवहन निगम का कार्य**

*600. **श्री गजाधर माझी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े कुछ वर्षों की तरह वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के कार्य से सरकार सन्तुष्ट है, और

(ख) क्या अभी हाल के तेल संकट से भी इसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हुई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पतित्रिपाठी) :** (क) और (ख) 1972-73 के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का कार्य संतोषजनक समझा जा सकता है।

1973 के अन्त में उत्पन्न हुए तेल संकट से विश्व भर में बैंकरों की उपलब्धता में भारी कमी हो गई और मूल्य में तेजी से वृद्धि भी हुई। इस से संसार भर की नौवहन कम्पनियां, जिसमें शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया भी शामिल है पर प्रभाव पड़ा। परन्तु, शिपिंग कारपोरेशन के कार्य में ऐसी कोई बाधा नहीं आई।

**भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में केन्द्रीय सरकार के मार्ग दर्शी सिद्धान्त**

*601. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समस्त देश के लिए भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उनको अपनाया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6642/-74]।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों की दृष्टि

में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अपने कानून संशोधित कर लिए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी करने से पहले असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के संशोधित किए गए कानून मोटे तौर पर इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। किन्तु ऊपर उल्लिखित कुछ कानूनों में मामूली संशोधन अब भी किए जा रहे हैं। नागालैण्ड तथा मेघालय राज्यों का भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वहां पर भूमि अधिकतर सामुदायिक स्वामित्व में है। महाराष्ट्र विधान-मंडल ने एक संशोधन विधेयक पारित किया है जिसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति दिए जाने से पहले जांच की जा रही है। त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में संशोधन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल में कार्य प्रभारित कर्मचारी**

*602. **श्री भोला मांझी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल में 1 जनवरी, 1974 को कार्य प्रभारित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और डिवीजन के उन श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनकी जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि में छटनी कर दी गई या सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) क्या डिवीजन या सर्किल को वरिष्ठता की इकाई मान कर प्रत्येक श्रेणी में कनिष्ठतम श्रमिकों की छटनी की गई थी या सेवा समाप्त की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या छटनी किए गए श्रमिकों को छटनी का मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क), (ख) तथा (ङ) अरुणाचल प्रदेश प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) छटनी, मण्डलों में कनिष्ठता के आधार पर की जाती है। तथापि, जनजाति के मजदूरों की छटनी नहीं की जाती।

(घ) उपयुक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र**

*603. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां बार-बार सूखा पड़ता रहता है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए कितनी सहायता दी गई है या दिए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) महाराष्ट्र राज्य में छः जिलों के भागों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये जिले शोलापुर, अहमदनगर, पूना, नासिक, सतारा और सांगली हैं।

(ख) वर्ष 1970-71 में इस कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर इन छः जिलों के लिए लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण और सड़कों आदि के क्षेत्रों में निर्माण-कार्यों के लिए 10.79 करोड़ रुपए की सहायता का भुगतान किया गया है। पांचवीं योजना में इन जिलों को क्षेत्र विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिए 16 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मिलने की संभावना है और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

## ओमान में प्रायोगिक कृषि फारम के लिए सहायता

*604. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
**श्री बनपाली बाबू :** } क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान में प्रायोगिक कृषि फारम स्थापित करने के लिए सरकार का विचार औमान सरकार को सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता देने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) मुस्कत में स्थित भारत के दूतावास ने ओमान में एक कृषि फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में ओमान की सल्तनत से सहयोग के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल ओमान भेजने का विचार है। विशेषज्ञों के दल द्वारा परियोजना की रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद सहायता के ठीक-ठीक स्वरूप का पता चल सकेगा।

## कृषि मूल्य आयोग को पटसन के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी निदेश

*605. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत पटसन और मेस्टा का थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर 1972 में 163 से घटकर दिसम्बर 1973 में 123 रह गया है जबकि इसी अवधि में अन्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में 60 से 90 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने कृषि मूल्य आयोग को इस दृष्टि से कोई निदेश दिए हैं या अन्यथा यह मामला उक्त आयोग के पास भेजा है कि पटसन उत्पादकों की दशा पर विचार किया जाए और उत्पादन लागत अधिक होने के कारण पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये जो 250 रुपए प्रति क्विंटल से कम न हो और धान और पटसन के मूल्यों में समता बनाये रखी जाये जोकि 3:1 अर्थात 1 क्विन्टल पटसन 3 क्विन्टल धान के बराबर है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) कच्चे पटसन तथा मेस्ता के थोक मूल्यों का सूचकांक दिसम्बर 1972 में 162.8 था, जो दिसम्बर, 1973 में घट कर 123.2 हो गया जबकि अन्य जिन्सों के थोक मूल्यों के सूचकांक में 211.4 से 262.1 तक अर्थात 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) कच्चे-पटसन तथा अन्य कृषि जिन्सों के मूल्यों के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं। कच्चे पटसन के लिए मन्त्रालय ने आयोग को कोई अन्य विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं भेजे हैं। सहाय्य मूल्यों की सिफारिश करते समय आयोग प्राय: खेती की लागत, प्रतिस्पर्धी फसलों के मूल्यों, पटसन से तैयार होने वाले माल के मूल्यों और कच्चे पटसन के मूल्यों के परिवर्तन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों को ध्यान में रखता है।

## उचित दर दुकानों पर आटा/मक्का के बदले गेंहू की सप्लाई करने का प्रस्ताव

*606. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन अधिकारियों ने अपनी उचित दर दुकानों को आदेश जारी किए हैं कि वे कम से कम गेहूं के कोटे का 25 प्रतिशत आटे अथवा मक्का के रूप में दें,

(ख) क्या राशन कार्डधारी को यह छूट है कि वह आटा ले अथवा मक्का ले,

(ग) क्या दुकान में आटा उपलब्ध न होने की स्थिति में दुकानदार कार्डधारियों को मक्का खरीदने के लिए अथवा इस मात्रा को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या दुकान में आटा उपलब्ध न होने पर गेहूं की पूरी सप्लाई देने के लिए आदेश जारी किए जायेंगे?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(क) दिल्ली प्रशासन ने मार्च, 1974 में आदेश जारी किए थे कि कार्डधारियों को 4.250 किलोग्राम के प्रति यूनिट पर अनाज के कोटे में 1 किलोग्राम आटा /मक्का दिया जाए। अप्रैल के लिए, दिल्ली प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कार्डधारियों को 4.250 किलोग्राम अनाज में से 1 किलो आटा दिया जाए।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दुकानदारों को चाहिए कि वे कार्डधारियों को मक्का खरीदने के लिए मजबूर न करें क्योंकि सभी दुकानों को आटा दिया गया था ताकि जहां कहीं आवश्यक हो वहां वे कार्डधारियों की मांग को पूरा कर सकें।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## गवर्नमेंट एडिड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पड़ताल

5864. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेन्ट ऐडिड स्कूल टीचर्स एसोसियेशन, दिल्ली ने विद्या भवन स्कूल, नई दिल्ली में एक महिला अध्यापक को सितम्बर-अक्तूबर, 1973 में कथित अनुचित तौर पर बर्खास्त किए जाने के कारण 43 दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्कूल के अध्यापकों को बकाया वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अध्ययन कार्य को सामान्य बनाने, अध्यापकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने और बर्खास्त की गई अध्यापिका को फिर से नियुक्त करने के बा रे में क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ ने, सितम्बर-अक्तूबर, 1973 में विद्या भवन स्कूल, नई दिल्ली में 43 दिनों की हड़ताल की थी; जबकि उस स्कूल की एक अध्यापिका की, सहायक अध्यापक का एक पद समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, छटनी कर दी गई थी।

(ख) स्कूल की प्रबन्ध समिति को इस निर्णय से सूचित कर दिया गया है कि हड़ताली अध्यापकों की अनुपस्थिति की अवधि को, देय अनुमत्य छुट्टी के विरुद्ध, जो वे पहले अर्जित कर चुके हैं अथवा जिसे वे भविष्य में अर्जित करें, समायोजित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था जो उन्हें भेज दिया गया है। प्रबन्ध समिति से हड़ताल की अवधि को, जिसके दौरान अध्यापक हड़ताल पर थे, नियमित करने और उनको देय राशि का आवश्यक भुगतान करने के लिए फिर से कहा जा रहा है;

(ग) हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद से स्कूल सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। हड़ताली अध्यापकों को वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय प्रबन्ध समिति को सूचित कर दिया गया है। फालतू किए गए अध्यापक को उसी स्कूल में बहाल नहीं किया गया है क्योंकि कोई भी पद विद्यमान नहीं है। लेकिन, उसे सरकारी स्कूल में एक पद का प्रस्ताव किया गया है।

## नई दिल्ली में "मानव सम्बन्धी तथा प्रभावकारी विद्यालय पर्यवेक्षण" पर विचार गोष्ठी (वर्कशाप)

5865. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दक्षिणी जिले के शिक्षा निदेशालय, के विद्यालयों के मुख्याध्यकों की "मानव सम्बन्धों तथा प्रभावकारी विद्यालय पर्यवेक्षण" के बारे में 23 फरवरी, 1974 और 24 फरवरी, 1974 को सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक विचारगोष्ठी (वर्कशाप) हुई थी;

(ख) उक्त विचारगोष्ठी पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इसके लेखे किस प्रकार रखे गए हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** (क) जी, हां।

(ख) इस वर्कशाप पर सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया था। वर्कशाप आयोजित करने के लिए स्कूल द्वारा कक्ष निशुल्क उपलब्ध किया गया था और उस में भाग लेने वालों ने जलपान के लिए खर्च स्वयं वहन किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दाहोद में लान नदी पर पुल का निर्माण**

5866. **श्रीमालजी भाई परमार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाहोद में खान नदी पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने जाने के कारण दाहोद तालुका के ग्रामवासियों के लिए उस नदी को पार करना एक समस्या हो गई है, और

(ख) क्या सरकार का विचार उस नदी पर पुल बनाने अथवा जल रोधक की बढाई गई ऊंचाई को कम करने का है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) एक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Construction of Building For Defence Ministry**

5867. **Shri Lambodar Baliyar :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state

(a) whether a separate building is being constructed for Defence Ministry;

(b) if so, the total cost likely to be involved therein; and

(c) the time by which this building is likely to be completed ?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) :** (a) A building for occupation by the Defence Headquarters offices is at present under construction at Plot No. 35, King George Avenue.

(b) The sanctioned estimate is Rs.5·38 crores (approximately), for construction of six blocks. The cost is likely to go up due to increase in prices.

(c)Out of six blocks, two blocks have been completed; construction of one is in progress and of another will be taken up shortly. Construction of remaining two blocks will be held up because of a ban on 'new constructions'. In view of this no precise date of completion can be indicated at this stage.

**इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या कम करने का प्रस्ताव**

5868. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग स्नातकों में बेकारी की चिन्ताजनक हद तक वृद्धि की दृष्टि से इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल-हसन)** : जी, नहीं।

**Shortage of Machines for Drilling Deep Wells**

5869. **Shrimati V. R. Scindia** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of powerful machines for drilling deep wells for irrigation purposes in the country;

(b) the number of these machines manufactured indigenously and of those imported every years; and

(c) the steps taken by Government to make the country self reliant in this respect ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya)** : (a) No, Sir. By and large, there is no shortage of rigs required for drilling deep tubewells for irrigation purposes in the country except for some very heavy type of rigs required for drilling extra deep tubewells extending beyond 800 feet or so in limited pockets in the country.

(b) Drilling rigs with estimated work of Rs. 121 lakhs and Rs. 189 lakhs were produced in the organised sector during the year 1972 and 1973 respectively. Production in terms of number is not available. Besides, some rigs were also produced in the small scale industrial sector. The details for these, however, are not available. Foreign exchange amounting to Rs. 40·5 lakhs and Rs. 10·5 lakhs were released for import of 5 rigs and 2 rigs respectively during 1972 and 1973.

(c) Sizeable capacity has already been created in the country for manufacture of various types of drilling rigs. There are 7 units licensed/registered with the DGTD for manufacture of various type of rigs with a total capacity of 300 units per year. In addition, there are some units under the small scale industrial sector. Letters of indent have been issued to two more parties for manufacture of rigs. Almost the entire demand of rigs for irrigation wells, except for some extra heavy or highly specialised rigs, is already being met by indigenous manufacture.

**पालिटैक्निक पाठ्य क्रम के बारे में तकनीकी समिति**

5870. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिटेकनिक पाठ्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक और उद्योग प्रधान बनाने के बारे में तरीकों का सुझाव देने के लिए एक तकनीकी समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) और (ख) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर एक अखिल भारतीय तकनीशियन शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा तकनीशियनों के लिए प्रचालित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विषय-विशेषता की जानकारी देना शामिल है। विवरण अनुबन्ध है जिसमें बोर्ड के संविधान तथा कार्य दिए गए हैं।

## विवरण

### अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड का संविधान तथा उसके कार्य

इंजीनियरी, रसायन-इंजीनियरी और रसायन प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और वाणिज्य में पोलिटेक्निक स्तर तक की शिक्षा की देखभाल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संविधान क्षेत्रों में अखिल भारतीय तकनीकी अध्ययन के बोर्डों द्वारा की जाती थी। अखिल भारतीय परिषद ने, देश की पोलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन एवं विकास की विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह महसूस किया कि ऐसी स्थिति आ गई है जबकि अखिल भारतीय आधार पर तकनीकी शिक्षा के नए स्तर बनाने और उसके विकास का समन्वय करने के लिए समेकित रूप से तकनीकी शिक्षा के सभी विषय-क्षेत्रों की देखभाल करने हेतु उसके संरक्षण में एक पृथक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। तदनुसार, निम्नलिखित संविधान तथा कार्यों के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया है :—

**संविधान :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष . . . . (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा) | 1 |
| 2. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि | 1 |
| 3–6. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की समन्वय समिति द्वारा मनोनीत चार सदस्य . . . | 4 |
| 7. | तकनीकी शिक्षा की भारतीय सोसायटी का एक प्रतिनिधि | 1 |
| 8–9. | व्यावसायिक संस्थाओं के दो प्रतिनिधि . . | 2 |
| 10–13. | उद्योग तथा वाणिज्य के चार प्रतिनिधि . . . (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत किए जायेंगे) | 4 |
| 14–17. | तकनीकी शिक्षा के चार निदेशक . . . (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मनोनीत किए जायेंगे) | 4 |
| 18–21. | पोलिटेक्निक के चार प्रिंसिपल . . . (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत किए जायेंगे) | 4 |
| 22–25. | तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के चार प्रिंसिपल . | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि | 1 |
| 27. | योजना आयोग का एक प्रतिनिधि . | 1 |
| 28. | भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का एक प्रतिनिधि | 1 |
| 29–30. | दो समाज-वैज्ञानिक . . . (अ० भा० त० शि० प० द्वारा मनोनीत किए जायेंगे) | 2 |
| 31–34. | बोर्ड द्वारा स्वयं ही सहयोजित किए जाने वाले चार विशेषज्ञ | 4 |
| | जोड़ . . | 34 |

बोर्ड की अवधि इस शर्त पर तीन वर्ष होगी कि किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति अपने विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य बने रहने तक ही बोर्ड का सदस्य रहेगा।

बोर्ड की बैठक सामान्यतया वर्ष में दो बार होगी, किन्तु यह अध्यक्ष की इच्छा पर होगा कि आवश्यकतानुसार बोर्ड की बैठक बुला सके।

**कार्य :—**

(क) पोलिटेक्निक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की समन्वित योजना तैयार करना;

(ख) तकनीकी शिक्षा के स्तर निर्धारित करना, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर दाखिले की आवश्यकता पाठ्यक्रमों की अवधि, व्यावहारिक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और शिक्षण-पद्धतियों, परीक्षाएं आदि शामिल हैं;

(ग) तकनीकी/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षण, आवास और कर्मचारियों के सम्बन्धित पोलिटैक्निकों में दी जाने वाली अनुदेशात्मक सुविधाओं के स्तर निर्धारित करना;

(घ) विषय से परिचय—तकनीशियनों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोलिटैक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित की जाने की विशेषताएं तथा उन विषयों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने की विशेषताएं,

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को तकनीकी शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं पर सलाह देना, जिसमें पोलिटेक्निक प्रणाली का सतत मूल्यांकन भी शामिल होगा।

**संग्राहलयों से चोरी के ढंग का अध्ययन**

5871. **श्री बेकारिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो 'यूनेस्को' द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत संग्रहालयों से चोरी के ढंग, जिसमें प्राचीन कला-कृतियों तथा कलात्मक वस्तुओं की चोरी होती है, का अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) अध्ययन कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) उक्त परियोजना का वित्त पोषण कौन करेगा ?

**शिक्षा और कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, कला तथा पुरातत्व की चोरियां तथा उनका अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों से सम्बन्ध होने की समस्या का अध्ययन कर रहा है जिसमें संग्रहालय से पुरावस्तुओं तथा कलाकृतियों की चोरी का ढ़ंग भी शामिल है। यह अध्ययन अब संयुक्त राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान संस्थान (यू० एन० एस० डी० आर० आई०) रोम (इटली) द्वारा आयोजित एक परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जा रहे अध्ययन की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्राथमिक अध्ययन 1974 के मध्य तक पूरा होने की सम्भावना है । और अनुसन्धान पूरा करने में कितना समय लगेगा यह प्रारम्भिक अध्ययन के परिणामों पर ही निर्भर करेगा।

(घ) प्रारम्भिक अध्ययन तथा और अनुसन्धान का खर्चा केंद्रीय जांच ब्यरो द्वारा अपने सामान्य निधि विनिधान में से वहन किया जायेगा। तथापि, प्रत्येक देश से प्राप्त विशिष्ट अनुसन्धान प्रस्तावों के आधार पर निरन्तर अनुसन्धान के लिए वित्तीय सहायता हेतु यू० एन० एस० डी० आर० आई० द्वारा विचार किया जा सकता है ।

**विवरण**

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जा रहे प्राथमिक अध्ययन में संग्रहालयों, मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों से हुई पुरातत्वीय उपलब्धियों और कला वस्तुओं की चोरियों की घटनाओं तथा इस प्रकार की चोरियों में सहायक पहलुओं और पुरातत्वीय स्मारकों एवं संग्रहालयों में उपलब्ध सुरक्षात्मक व्यवस्था से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना भी शामिल है।

चुराये गए पुरावशेषों और कला-वस्तुओं की समस्या के समाधान के लिए एक काम चलाऊ प्रणाली तैयार करने और इस मामले में सार्वजनिक रूप के लिए घटना क्रिया-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अलावा. उक्त अनुसन्धान की परियोजना में चोरों और उक्त वस्तुओं के प्राप्तकर्ताओं की अन्तः ग्रन्थित भूमिकाओं तथा इस कार्य में शामिल अन्य बिचोलियों और इन चोरियों की रोकथाम तथा कानून प्रवर्तन की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं एवं अन्तर राष्ट्रीय हस्तक्षेपी (बहुपक्षीय तथा विपक्षीय) प्रक्रियाओं की सूचना दर्शाते हुए कुछ विशिष्ट किस्म के मामलों के अध्ययन भी सम्मिलित हैं।

इस प्राथमिक अध्ययन के पश्चात, हस्तक्षेपी प्रक्रियाओं की सार्थकता और संशोधित प्रणाली के विकास का मूल्यांकन करने के लिए और आगे अनुसंधान किए जायेंगे।

**Quarters for Government Employees under Construction in Delhi/New Delhi**

5873. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of quarters under construction at present in Delhi and New Delhi for Government employees;

(b) the prospective planning and policy of Government in regard to solving accommodation problem of their employees; and

(c) the year upto which allotment of Government quarters has been made so far in each category ?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) :** (a) 1708 units are under construction in Delhi/New Delhi.

(b) The intention was to achieve 75 % satisfaction in all types at Delhi/New Delhi by the end of the V Plan. Accordingly the Planning Commission was approached. The final allocation for the Fifth Five Year Plan is yet to be known, and in view of the financial stringencies, the Annual Plan for the year 1974-75 has been curtailed and a ban has been imposed, on new construction. In view of this it is difficult to anticipate as to how far it will be possible to achieve this objective.

(c) A statement is enclosed.

STATEMENT

| Type | Date of priority covered as on 21st March, 1974 |
|---|---|
| I | 13-11-1956 |
| II | 1-4-1952 |
| III | 16-2-1949 |
| IV | 18-9-1944 |
| V | 1-11-1961 |
| VI | 14-4-1963 |
| VII | 16-7-1973 |
| VIII | 30-7-1969 |

**Transport Facilities and Construction of Highway in Gujarat**

5874. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given by the Central Government to the Gujarat State Government for providing transport facilities and constructing highways during the last two years;

(b) the amount of assistance asked for by the State Government for the aforesaid works during the said period; and

(c) the amount of financial assistance proposed to be provided to the State Government for the said works during the financial year 1974-75 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** : (a) & (b) The Government of India has not given any grant or other financial assistance to Government of Gujarat for development of Road Transport during the last two years except the Railways contribution to the capital of Gujarat State Road Transport Corporation. In the field of Highways the Government of India are mainly concerned with National Highways, which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is given for some projects including *inter-alia* selected Stateroads/bridges of inter-State or economic importance. Further, money is also provided for some special roads under some other schemes. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Gujarat and the allotments made against those reqirements under the various schemes keeping in view the available resources :—

| | 1972-73 | | 1973-74 | |
|---|---|---|---|---|
| | Final requirements intimated by State Govt. | Amount allotted | Final requirements intimated by State Govt. | Amount allotted |
| | ——————in lakhs of Rupees—————— | | | |
| (*i*) Development and construction of National Highways . . . | 404·19 | 404·19 | 366·76 | 297·00 |
| (*ii*) Central Road Fund . . | 49·08 | 44·00 | 47·47 | 37·38 |
| (*iii*) Loan assistance for development of of State Roads of inter-Stte or economic importance . . . | 31·51 | 18·00 | Not received | 18·00 |
| (*iv*) Advance Action for 5th Plan in respect of National Highways . | — | 4·04 | 3·348 | 3·348 |

(c) Allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

**Sugar Demanded By and supplied to Andhra Pradesh**

5875. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar supplied to Andhra Pradesh by the Centre during the last five months ;

(b) the quantity of sugar demanded by the State during this period; and

(c) the reasons for not meeting the quota in full ?

**The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya)** : (a) The following quantities of levy sugar were allotted to Andhra Pradesh State for the last five months :

| | |
|---|---|
| November, 1973 | 11874 tonnes |
| December, 1973 | 11874 ,, |
| January, 1974 | 12514 ,, |
| February, 1974 | 12514 ,, |
| March, 1974 | 12514 ,, |

(b) & (c) : No communication for increasing the monthly quota has been received frcm the Government of Andhra Pradesh during this period. In any case, the basic monthly quotas of levy sugar for various State/Union Territories, including Andhra Pradesh, have been fixed on a rational basis, taking into account the population figures as recorded in 1971 census, and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month.

**कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए सुझाई गई खाद्यान्नों की वसूली की दरें**

5876. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला**
**श्री वाई० ईश्वर रड्डी** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1974-75 के लिए खाद्यान्नों की वसूली दरों के बारे में सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खाद्यान्नों के बारे में क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों पर विचार कर लिया है, और यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1974-75 विपणन मौसम के लिए देशी साधारण सफेद गेहूं और विभिन्न मेकसीकन किस्मों के लिए 95 रुपए प्रति क्विंटल, देशी लाल किस्मों के लिए 90 रुपए प्रति क्विंटल तथा बढ़िया किस्मों के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल के एक से अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी। बारीकी से विचार करने के बाद सरकार ने सभी किस्मों के गेहूं का खरीद मूल्य 105 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

**इन्द्रपुरी कालोनी के निकट की भूमि का आबंटन**

5877. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इन्द्रपुरी कालोनी और टोडापुर गांव के बीच स्थित भूमि का रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह आबंटन कब तक किया जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इन्द्रपुरी कालोनी में दूसरी मंजिल का निर्माण करने की अनुमति**

5878. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की इन्द्रपुरी कालोनी में सीवर बिछाने के कार्य के पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन्द्रपुरी कालोनी में दूसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति कब तक दे दी जाएगी ?

**निर्माण और आवास** मंत्री (**श्री भोला पासवान शास्त्री**) : दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना निम्नलिखित है:—

(क) सीवर बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है।

(ख) इस कालोनी में स्थित अलग अलग प्लाटों पर इस समय डेढ़ मंजिल बनाने (एक मंजिल तथा बरसाती) की अनुमति है। यह इस समय बताना संभव नहीं है कि ढाई मंजिलों के निर्माण की अनुमति दे दी जाएगी अथवा किस समय दी जायेगी ।

**खाद्य उत्पाद आदेश को कुछ उद्योगों पर लागू करना**

5879. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पाद आदेश साफ्ट ड्रिंक्स उद्योग पर लागू कर दिया गया है;

(ख) इस आदेश को अन्य उद्योगों, जसे ब्रेड, स्वीट्स, दूध, नमकीन, बिस्कुट्स, घी, चाकलेट, डिब्बाबंद फल तथा सब्जियों, आइस-क्रीम पर लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह खाद्य उत्पाद आदेश इन उद्योगों पर कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) फल उत्पाद आदेश को 1-1-1973 से मीठे सुवासित वातित पेय पर भी लागू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) फल उत्पाद आदेश का दायरा, फल और सब्जी के पदार्थों, जिनमें डिब्बा बन्द फल और सब्जियां तथा सम्बद्ध वस्तुएं शामिल हैं, तक की सीमित है।

**सरकारी क्वाटरों के आबंटन के लिए राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति तिथि को प्राथमिकता तिथि मानना**

5880. **श्री शशि भूषण**<br>**श्री सतपाल कपूर** } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का आबंटन करने के मामले में सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथि निर्धारित करते समय उनकी राज्य सरकार के अन्तर्गत की गई सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है तथा सरकारी क्वार्टरों का आबंटन करते समय उनकी प्राथमिकता तिथि उनकी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति की तिथि से मानी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जहां तक दिल्ली/नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों के सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, टाईप-4 तथा उसके नीचे के टाईप के पात्र अधिकारियों के मामले में, अग्रता तारीख की गणना उस तारीख से की जाती है जिससे कोई अधिकारी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार आदि के अधीन किसी पद पर लगातार, कार्य कर रहा हो। टाईप 5 तथा उससे ऊपर के टाईप के पात्र अधिकारियों के मामले में

अग्रता तारीख की गणना उस तारीख से की जाती है जिस से कोई अधिकारी, केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के अधीन अथवा इतर सेवा में किसी पद पर विशेष टाईप से संबंधित परिलब्धियां लगातार प्राप्त कर रहा हो।

(ख) किसी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि को, उसकी अग्रता निश्चित करने के लिए हिसाब में लिया जाता है ताकि उसे सामान्य पूल से वास के आवंटन के मामले में कोई कठिनाई न हो। इस लाभ से वंचित रहने के कारण राज्य के अधिकारियों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्तियां स्वीकार करने में प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था।

**अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के बारे में केरल प्राईवेट टीचर्स एसोसिए न की ओर से अभ्यावेदन**

5881. **श्री वयालार रवि:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण के बारे में केरल प्राइवेट टीचर्स एसोशिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):** (क) से (ख) : केरल प्राइवेट माध्यामिक स्कूल प्रधानाध्यापक संघ ने, केरल राज्य के माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति भेजी थी। उन में से एक संकल्प में वर्ष 1973 के राष्ट्रीय पुरस्कार औपचारिक प्रस्तुतीकरण समारोह में अध्यापकों को दिल्ली में आमंत्रित न करके भारत सरकार द्वारा दिखाए गये भेद भाव के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया गया था। उक्त समारोह को नई दिल्ली में 25 अप्रैल, 1974 को आयोजित करने का निर्णय किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे।

**कोचीन पत्तन न्यास के कर्मचारियों की मांगें**

5882. **श्री वयालार रवि:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास के अधिकारियों का विचार उन थोड़े से कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि तथा अन्य वित्तीय लाभ देने का है जिन्होंने उस समय प्रबंधकों का साथ दिया था जब भारी संख्या में अन्य कर्मचारी अपनी न्यायोजित मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को जानती है कि कर्मचारियों के प्रति ऐसा भेद भाव दिखाना उचित नहीं है जबकि हड़ताल को अवेध घोषित कर दिया गया था तथा समझौते की शर्तों के अन्तर्गत जिसमें कर्मचारयों को न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, यह हड़ताल समाप्त कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो पत्तन अधिकारियों को ऐसी कार्यवाही करने से, जिससे कर्मचारियों में तनाव पैदा हो सकता है, रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनवरी, 1973 में बजट अनुमान तैयार करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 25 और 15 रुपये के बीच मानदेय के भुगतान के लिए कोचीन पत्तन यास के अध्यक्ष की ओर से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए। चूंकि यह पिछले कई वर्षों से चली आ रही पद्धति के अनुसार था, अतः सरकार ने इस शर्त पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि केवल उन्ही कर्मचारियों को यह मानदेय दिया जाय जिन्होंने वस्तुतः अधिरिक्त बजट कार्य किया था।

## 11वें अखिल भारतीय डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें

5883. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 11वें अखिल भारतीय डेरी उद्योग द्वारा देश में डेरी विकास की परियोजनाओं में किसान भी शामिल किये जाने का सुनिश्चय करने हेतु एक सुदृढ़ सहकारी ढांचे की स्थापना करने की सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निकट भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) 11वें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वनों के लिए प्राक्कलन और उनका निरीक्षण

5884. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सामान्य वित्तीय नियमों का खंड संख्या 142 लागू होता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमों का उचित ढंग से पालन किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में कितने प्राक्कलन प्राप्त हुए और किन-किन भवनों का निरीक्षण किया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## इंजीनियरों के सभी वर्गों में स्थायी तथा अस्थायी पद

**5885. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरों के सभी वर्गों में इस समय स्वीकृत स्थायी तथा अस्थायी पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा भरे जाने हैं और उनको भरने में विलंब के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) कनिष्ठ इंजीनियरों को छोड़कर सभी वर्गों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

जहां तक कनिष्ठ इंजीनियरों का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है कि कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल) के 3140 पदों में से, 2489 पद स्थायी हैं तथा 651 पद अस्थायी हैं। कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत्) के सम्बन्ध में, 1100 पदों में से, 704 पद स्थायी हैं तथा 396 पद अस्थायी हैं। इन दो वर्गों में रिक्त पदों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**विवरण**

| क्रम संख्या | वर्ग | स्वीकृत पदों की संख्या | | रिक्त पदों की संख्या | पदों को भरने में विलम्ब होने के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | स्थायी | अस्थायी | | |
| 1. | प्रमुख इंजीनियर . . | 1 | -- | कुछ नहीं | |
| 2. | मुख्य इंजीनियर (सिविल) . | 6 | 5 | ---वही--- | |
| 3. | मुख्य इंजीनियर (विद्युत्) . | 1 | - | ---वही--- | |
| 4. | अधीक्षक, इंजीनियर (सिविल) | 28 | 19 | ---वही--- | |
| 5. | अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत्) | 5 | 6 | ---वही--- | |
| 6. | कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) | 170 | 110 | 16 | इन पदों को तब तक खाली रखा गया है जब तक कि चयन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के कोटे के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय नहीं हो जाता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) | 41 | 27 | कुछ नहीं | |
| 8. | सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) . . | 123 | — | —वही— | |
| 9. | सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) . . | 32 | — | —वही— | |
| 10. | सहायक इंजीनियर (सिविल) | 680 | 130 | —वही— | |
| 11. | सहायक इंजीनियर (विद्युत्) | 182 | 130 | 8 | ये रिक्तियां हाल ही में हुई हैं तथा इन के शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। |

**इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए संवर्ग**

5886. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में निर्णय किस तारीख को किया गया था ; और

(ख) सरकार ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा कम वेतन-मान की सिफारिश किये जाने तथा इंजीनियरिंग स्नातकों द्वारा 21 फरवरी, 1974 से ऐसे किसी काम को जैसे डिजाइन बनाने के काम, जिनके लिये स्नातक स्तर की योग्यता की आवश्यकता होती है, लेने/करने से इन्कार किये जाने के विचार से उनके लिये संवर्ग/पदक्रम बनाने के लिये अब क्या निर्णय किया गया है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) 19-12-1969।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों का वेतनमान 180-380 रुपये था। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है, उनके वेतनमान का संशोधन करके 425-700 रुपये कर दिया गया है। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है कि तृतीय वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार, केवल सीधी भर्ती के स्नातक इंजीनियरों के लिए 550-900 रुपये के वेतनमान पर एक पृथक काडर बनाया जाये अथवा नहीं।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागानों में खाद, बीज आदि की कमी**

5887. **श्री वाई० ईश्वर रैड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के चाय-बागानों को खाद, बीज आदि की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) देश में कुल मिलाकर उर्वरकों की कमी होने के कारण वर्ष 1973-74 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चाय बागान को निर्धारित लक्ष्य से कुछ कम उर्वरकों की सप्लाई की गई है।

(ख) इस क्षेत्र ने चाय बागान को उनकी अनुमानित आवश्यकता के अनुसार यथासंभव अधिकतम मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

## डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास समिति, दिल्ली के सदस्यों द्वारा शपथ-पत्र देना

5888. **श्री योगेश चन्द्र मुरमु** : क्या **कृषि** मंत्री डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास समिति लिमिटेड, दिल्ली पर लागू नये आदर्श उप-नियम के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया है कि डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास समिति, दिल्ली को अपेक्षित शपथ-पत्र देने को कहा जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को किस तिथि तक तथा किस रूप में अपने अंशधारियों से शपथ-पत्र प्राप्त करने तथा उसे देने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में निर्णय कब तक कर लिया जाएगा; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## डेरा इस्माइल खां आवास सोसाइटी, दिल्ली का सर्विस प्लान

5889. **श्री योगेश चन्द्र मुरमु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 17 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइल खां आवास सोसाइटी, दिल्ली के संबंध में बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियों तथा जल की सप्लाई के बारे में योजनाओं को अब तक मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी मंजूरी देने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं तथा इनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने समिति से जनवरी, 1973 से आरम्भ होने वाली तिमाही की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) (i) **बरसाती पानी की नलियां** : समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्लानों में कतिपय अनियमिताएं स्पष्टीकरण हेतु उन्हें सूचित की गई थीं, जिस की प्रतीक्षा है।

(ii) **जल पूर्ति** : समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्लानों में जल पूर्ति के स्रोत का उल्लेख नहीं था। उन्हें यह कहा गया है कि वे इसका उल्लेख कर, संशोधित प्लान प्रस्तुत करें, जिन की प्रतीक्षा है।

(ग) त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिये समिति को स्थायी निर्देश जारी किये गये थे। दिल्ली प्रशासन, समिति द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण उस के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है।

**पश्चिमपुरी तथा मदनगिरि जनता कालोनियों की बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन द्वारा दिए गए वचन**

5890. **श्री झारखंडे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन 5 मई, 1973 को पश्चिमपुरी तथा मदनगिरि जनता कालोनियों की पंजीकृत ऐजेंसियों के सदस्यों की बैठक में उपस्थिति हुए ;

(ख) क्या उक्त बैठक में उन्होंने निवासियों की कतिपय मांगे मंजूर कीं ;

(ग) क्या मंजूरशुदा मांगों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक कुछ नहीं किया गया है ;

(घ) क्या हाल ही में उनके द्वारा दी गई मंजूरी के बारे में याद दिलाने के लिये उन्हें एक ज्ञापन भेजा गया, यदि हां, तो उसमें क्या बातें लिखी गई हैं; और

(ङ) मंजूरशुदा मांगों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन मांगों की सुनवाई को तथा अभ्यावेदकों को सूचित किया कि वह इन पर विचार करेंगे।

(ग) से (ङ) : मई, 1973 को हुई बैठक में जिन मांगों पर विचार-विमर्श किया गया उनके सम्बन्ध में स्थिति अनुलग्नक I में दी गई है। उपाध्यक्ष रजिस्टर्ड ऐजेंसी, पश्चिमपुरी से प्राप्त दिनांक 26 फरवरी, 1974 के पत्र में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में स्थिति अनुलग्नक II में दी गई है।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6645/74]**

**जनता कालोनी, पश्चिमपुरी तथा राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के बीच पुल का निर्माण**

5891. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमपुरी जनता कालोनी, दिल्ली निवासियों ने एक अभ्यावेदन दिया है जिस में उन्होंने जनता कालोनी, पश्चिमपुरी तथा जनता कालोनी राजोरी गार्डन, नई दिल्ली के बीच बहने वाले नाले पर एक पुल बनाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है,

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसा पुल न होने से लोगों को दफ्तर जाने के लिये बस पकड़ने हेतु बहुत दूरी तक पैदल चलना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) से (घ) दिल्ली विकास अधिकरण जो मामले से सम्बन्धित है, ने बताया है कि उन्हें प्रस्तावित पुल के निर्माण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । पश्चिमपुरी में जनता हाउसिंग जी-10 जोन में पड़ता है जिसके लिये सरकार ने अभी तक क्षेत्रीय विकास योजना को अन्तिम रूप में स्वीकृति नहीं दी है और प्रश्नगत पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार क्षेत्रीय विकास योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद किया जा सकता है। परन्तु यहां और सड़के हैं जो पश्चिमपुरी में जनता हाउसिंग को रोहतक रोड और रिंग रोड से जोड़ती है।

**सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में बने रहना**

5892. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री सेवा निवृत्त अधिकारियों के भवनों में सरकारी आवासों के बारे में 25 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि सेवा-निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से सरकारी सेवा छोड़ने वाला सरकारी कर्मचारी सेवा मुक्त होने के बाद तीन वर्ष बाद सरकारी आवास किसी भी सूरत में तीन वर्ष से अधिक अपने पास न रख सके ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : सरकारी वास को अनधिकृत रूप से दखल में रखने वाले सेवा निवृत्त अथवा सरकारी सेवा को छोड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बैदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए सम्पदा अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया को कठोर बना दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही को तेज किया जा रहा है।

**विभिन्न विभागों और मंत्रालय के लिए पृथक पूल**

5893. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मन्त्रालयों, कार्यालयों तथा विभागों और स्वशासी निकायों की संख्या तथा नाम क्या है जिन्हें अपने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आबंटन करने हेतु उनका पृथक पूल बनाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या पृथक पूल वाले इन कार्यालयों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का आबंटन करते समय उनके कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथि उस विशेष विभाग में नियुक्ति की तिथि से मानी जाती है अथवा राज्य अथवा केन्द्रीय सेवा में उनकी नियुक्ति की तिथि से मानी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस आशय का आदेश जारी करने का है कि पृथक पूल वाले कार्यालयों में उस पूल में से क्वार्टर आबंटित करते समय प्राथमिकता तिथि उस विशेष विभाग में नियुक्ति की तिथि ही मानी जानी चाहिए ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री):** (क), (ख) तथा (ग) विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल वास का नियन्त्रण निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा किया जाता है और भारत सरकार के जिन मन्त्रालयों, कार्यालयों, विभागों तथा अन्य स्वायत्त निकायों के अपने अलग पूलवास हैं उनके बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। सामान्य पूल वास में किसी अधिकारी की अग्रता का हिसाब उस तिथि से लगाया जाता है जब से वह राज्य/केन्द्रीय सरकार या इतर सेवा के अन्तर्गत लगातार नियुक्ति पर हो। अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालय अपने पूलों के वास के आबंटन का नियन्त्रण स्वयं करते हैं। सम्पदा निदेशालय को यह मालूम नहीं है कि उन विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों की अग्रता तारीख निर्धारित करने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है। यह भी संभव नहीं है कि उन विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों को, जिन के विभागीय पुल हैं, अग्रता निर्धारित करने के तरीके के बारे में निर्देश जारी किये जाएं।

**वसंत विहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप-पट्टा समाप्त करना**

5894. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 17 दिसम्बर, 1973 अतारांकित प्रश्न संख्या 5101 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक परिसर (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले उन व्यक्तियों से कोई नुकसान वसूल नहीं कर सकता है जिसके उप-पट्टे समाप्त कर दिए गए हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार देता है कि वह उन व्यक्तियों को 'रेन्ट-फ्री' आधार पर परिसर का उपयोग करने की अनुमति दे और यदि नहीं, तो किस आधार पर उनसे नुकसान वसूल नहीं किया गया है तथा उसकी राशि कितनी है;

(ख) क्या रिहायशी परिसर का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जारी रखने के अपराध में दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई ऐसी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** (क) जी, नहीं। दो मामलों में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन हरजाना वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) तथा (ग) इन परिसरों में से एक परिसर के टेनेन्ट को, उस परिसर को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के कारण दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया गया था तथा जुर्माना किया गया।

**राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किये गये गलत सौदे के मामले की जांच**

5895. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम के विरुद्ध आलू के बीज की खरीद तथा उसे बंगलादेश भेजने के लिये परिवहन संबंधी प्रबन्धों के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)**: (क) जी नहीं अभी जांच चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किसी फ्लैट को प्राप्त करने के लिए शर्तें**

5896. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम आय के वर्ग के लिये राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैट प्राप्त करने के लिये विभिन्न कालोनियों के लिये भिन्न-भिन्न शर्तें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जी, हां । किराया खरीद आधार पर फ्लैटों के आबंटनों के संबंध में निम्नलिखित सीमा तक ;

(ख) अपेक्षाकृत लोकप्रिय क्षेत्रों में स्थिति क्वार्टरों के मामले में फ्लैट की लागत का 50 प्रतिशत आरम्भ में ले लिया जाता है तथा बकाया राशि 60 मासिक समान किस्तों में अदा करनी होती है; जबकि अन्य क्षेत्रों में, फ्लैट की लागत का 30 प्रतिशत आरम्भ में ले लिया जाता है और बकाया राशि 180 मासिक समान किस्तों में अदा करनी होती है। यह अन्तर इस लिये रखा जाता है ताकि मांग का दबाव समान रूप से वितरित हो और लगाई गई पूंजी की वापसी तीव्र गति से हो जिससे कि मकान बड़ी संख्या में बनाये जा सकें ।

**दिल्ली में चालान की गई उचित दर की दुकानें**

5897. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाली राशन कार्ड रखने के लिऐ दिसम्बर, 1973 से फरवरी 1974 के बीच राजधानी में उचित दर की कुल कितनी दूकानों का चालान किया गया ; और

(ख) कितने खाद्य निरीक्षक इन राशन-विक्रेताओं के साथ सांठ-गांठ करने के दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 की अवधि के दौरान किसी उचित मूल्य की दुकान का बोगस राशन कार्ड रखने के लिए कोई चालान नहीं किया गया था, लेकिन 16 मामलों (उचित मूल्य की दुकानों) की प्रशासन जांच कर रहा है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि एक निरीक्षक को बोगस कार्डों को पकड़ने के बारे में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में लापरवाही करने के लिए मुअत्तल कर दिया गया था ।

## ईरान को लौह अयस्क और बाक्साइट के निर्यात के लिए नौवहन क्षमता

5893. **श्री पी० आर० शिनाथ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान को लौह अयस्क तथा बाक्साइट का निर्यात करने के उद्देश्य से देश की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिये ईरान के साथ हाल ही में किये गये करार में उल्लिखित प्रस्तावों का विवरण क्या है, और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये देश में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** (क) ईरान को भारत द्वारा लौह अयस्क तथा बोक्साइट के निर्यात के लिये ईरान के साथ कोई करार नहीं किया गया है। मंगलौर पत्तन होकर कर्नाटक से ईरान को लोक अयस्क का निर्यात करने की संभावनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) सड़क प्रणाली में सुधार करने का कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## दिल्ली तथा खरखोदा (हरियाणा) के बीच बस सुविधाएं

5899. **श्री हरि सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा खरखोदा (हरियाणा) के बीच पर्याप्त बस सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और दिल्ली परिवहन निगम ने भी भारी मांग के बावजूद वहां के लिये अभी अपनी कोई बस नहीं चलाई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और इस कठिनाई को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली–खरखोदा के बीच कोई बस सेवा नहीं चला रही है जिस के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिचालन आता है। दो स्थानों के बीच बस सेवाओं को चलाने के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

## Scheme for Supply of Water in Kedar Bagh, Delhi-35

5900. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Kedar Bagh (Madan Park and Chunna Mal Park) Delhi-35 is a regular colony and according to the regular lay out plan of the Corporation, this colony has 91 plots in all;

(b) whether 50 plot holders of the said colony have signed necessary bonds with the Corporation for paying the development charges for water supply and 15 house owners have deposited the said charges in cash;

(c) whether the Planning Department of the Corporation has prepared the scheme for the supply of water to the said colony but the same has not so far been implemented as a result of which, a good deal of inconvenience is being experienced by the residents there; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which the said scheme is proposed to be implemented ?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri):** The information as furnished by the Municipal Corporation of Delhi is as under:-

(a) Yes.

(b) 45 plot holders have executed the agreements and 14 plot holders have paid the development charges.

(c) The scheme for supply of water is being prepared.

(d) This colony has not so far been included in the list approved by the Delhi Water Supply and Sewrage Disposal Undertaking for providing water supply in 1974-75. The Undertaking is not in a position to say as to when the scheme will be implemented.

**Provision of Special Bus Service for the Students of Government Teachers Training Institute, Daryaganj, Delhi**

5901. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether about 300 students (male and female) come from various parts of Delhi daily for receiving education at the Rajkiya Adhyapak Prashikshan Sansthan (Government Teachers' Training Institute), Daryaganj, Delhi but no bus-service has been provided for them by the D.T.C. despite numerous requests in this regard; and

(b) the action taken by Government to remedy the situation?

**Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** (a) & (b) Fifty-eight main and subsidiary routes, which are presently operating from various parts of Delhi, serve the Daryaganj area where the Government Teachers' Training Institute is situated. A number of services are also operating from Delhi Gate, which is close proximity to Darya-Ganj. The students of the above Institute can avail themselves of these services as well. It is not, therefore, considered necessary to provide special bus services for the students of the Institute.

**पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली में पेय जल और सीवर की सुविधाओं की व्यवस्था**

5902. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:** क्या निर्माण और आवास मंत्री पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली-110026 में पेय जल और सीवर की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में 10 दिसम्बर, 1973 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने गोल्डन पार्क, जो रोहतक रोड, नई दिल्ली-110035 पर स्थित एक अनधिकृत कालोनी है, में पेय जल तथा सीवर की सुविधाएं उपलब्ध की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनधिकृत कालोनी को किन शर्तों पर पेय जल की सुविधाएं दी गई हैं तथा इस संबंध में पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली-110026 के साथ भेद-भाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(ग) पंजाबी गार्डन को पेय जल तथा सीवर की सुविधाएं कब तक उपलब्ध की जाएंगी ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा दी गई सूचना निम्नलिखित है :—

(क) इस कालोनी में जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस कालोनी में मल-नियास की सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

(ख) गोल्डन पार्क के निवासियों ने पानी के मुख्य नल बिछाने की लागत का भुगतान किया था, अत: उनके लिये जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पंजाबी गार्डन कालोनी के मामले में निवासियों ने जल के मुख्य नल बिछाने की लागत अदा नहीं की है।

(ग) यदि निवासी पानी के मुख्य नल बिछाने की लागत अदा कर दें तो इस कालोनी में जलपूर्ति की व्यवस्था करने के मामले पर जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा विचार किया जा सकता है।

**दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक तथा विशेष संवर्ग के अध्यापकों को दिया गया चयन वेतन-मान**

**5903. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 220-430 रुपये के वेतनमान के अन्तर्गत कार्य कर रहे प्रशासनिक तथा विशेष संवर्ग के अध्यापकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितनों को अब तक स्थायी किया जा चुका है; और

(ग) उनमें से श्रेणी-वार कितनों को चयन वेतन-मान दे दिये गये हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** :

(क) प्रशासन काडर अध्यापक=1000
विशेष काडर अध्यापक=544

(ख) अब तक 267 प्रशासन काडर अध्यापक और 453 विशेष काडर अध्यापक स्थाई किये जा चुके हैं।

(ग) अब तक निम्न श्रेणी के अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड मंजूर किए गए हैं:—

| | |
|---|---|
| जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापक | 11 |
| जूनियर ड्राइंग अध्यापक . | 11 |
| जूनियर गृह विज्ञान अध्यापक . | 12 |
| जनियर शिल्प अध्यापक . . | 3 |

**स्वर्गीय प्रोफेसर एस० एन० बोस का उपचार**

5904. **श्री समर गुह**
**श्री श्याम सुन्दर महापात्र** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के तथा राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने स्वर्गीय नेशनल प्रोफेसर एस०एन०बोस के उपचार के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया था जबकि समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हो चुका था कि निधन होने से पूर्व वे लगभग दो सप्ताह से गंभीर रूप से बीमार थे;

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अथवा राज्य के शिक्षा मंत्रालय से कोई उत्तरदायी अधिकारी उन को देखने नहीं गया और न ही उनके इलाज की आवश्यकता के बारे में पूछताछ की।

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अथवा राज्य के शिक्षा मंत्रालय का कोई भी उत्तर-दायी अधिकारी प्रोफेसर बोस के निधन का दुखद समाचार सुनकर न उनके निवास स्थान पर गया तथा न ही उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में ही सम्मिलित हुआ; और

(घ) यदि हां, तो विज्ञान के इस महान सेवक के प्रति ऐसी उपेक्षा तथा उदासीनता दिखाने के क्या कारण हैं?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख) न तो केन्द्रीय सरकार को न ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को, इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिली थी कि प्रो० एस० एन० बोस गम्भीर रूप से बीमार थे अथवा उन्हें अपने इलाज क लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत थी। समाचार-पत्रों मे केवल यह प्रकाशित हुआ था कि वे कुछ दिनों से श्वासनली शोद्ध (ब्रानकाइप्सि) से बीमार हैं और उनकी हालत सुधर रही है।

(ग) पश्चिम बंगाल के राजपाल, स्वर्गीय एस० एन० बोस के निवास स्थान पर गए थे और पुष्प माला चढ़ाकर उन्होंने अपनी श्रधांजली अर्पित की थी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हुए थे। उनके निधन का दुखद समाचार सुनते ही तुरन्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने स्वर्गीय प्रो० बोस के परिवार के प्रति अपनी सम्वेदना भेजी थी। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग के तीन अधिकारी उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हुए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं में ऋणता से राहत तथा भूमि को संबद्ध करने तथा उसे वापस देने के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन**

5905. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा स्थापित आदिवासी विकास ऐजेन्सी परियोजना में ऋणता से राहत और भूमि के संबद्ध किये जाने तथा वापस दिलाने के संबंध में अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उस में मुख्यतया क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल की मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० टी०-6646/74]

(ग) इन सिफारिशों की संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जांच कर ली गई है और निर्णय ले लिए गये हैं। ये निर्णय सबंन्धित राज्य सरकारों तथा आदिवासी विकास अभिकरणों को उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सूचित भी कर दिये गये हैं।

## कलकत्ता पत्तन में हड़ताल

5906. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 और 1973 में कलकत्ता पत्तन में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी,

(ख) गत तीन वर्षों में कलकता पत्तन में कितनी बार हड़ताल हुई और उसमें कितने श्रमिक शामिल हुए उनकी मांगें क्या हैं और उनके बारे में क्या समझौते हुये, और

(ग) उपयुक्त अवधि में पंजीकृत और गैर-पंजीकृति कार्मिक संघों की संख्या कितनी थी?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी)** :

| (क) वर्ग | मजदूरों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1968 | 1973 |
| श्रेणी III . . . . | 15,841 | 15,577 |
| श्रेणी IV | 23,747 | 22,774 |
| नेमित्तिक . . . . . | 1,912 | 1,164 |

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेंगी

## होटल प्रबन्ध पाठ्यक्रम के लिए छात्रवत्तियां

5907. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आस्ट्रिया या किसी अन्य देश की सरकार द्वारा प्रायोजित होटल प्रबन्ध पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां देती है और यदि हां, तो कितनी और किन देशों के लिए; और

(ख) क्या प्रत्याशियों को कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होता है और यदि हां, तो क्यों?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) फ्रांस तथा आस्ट्रिया की सरकारें अन्य विषयों के अलावा होटल प्रबन्ध तथा पर्यटन के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीकों के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं । होटल प्रबन्ध तथा पर्यटन के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या का वर्गीकरण नहीं हुआ है किन्तु सरकार ने 1973-74 में होटल प्रबन्ध हेतु फ्रांस के लिये पांच और आस्ट्रिया के लिये सात उम्मीदवारों को नामजद किया ।

(ख) साधारणतया विदेशी सरकारों/संगठनों से प्राप्त किये उपहारों को विज्ञापित किया जाता है तथा आवेदकों से आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं जिनका निरीक्षण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक चयन समिति द्वारा किया जाता है । चुने गये उम्मीदवारों को फिर साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है तथा तत्पश्चात् चयन समिति के निर्णयों को अन्तिम रूप दिया जाता है। 1973-74 के दौरान समय अभाव के कारण, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अवेदन-पत्रों की जांच के आधार पर समिति द्वारा केवल आस्ट्रियाई सरकार की छात्रवृत्तियां ही चुनी गयी थीं । क्योंकि अन्यथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने की समय अवधि समाप्त हो जाती ।

## गेंहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज, खाद आदि का बेहतर उपयोग

5908. **श्री निहार लास्कर : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख अनुसंधान कर्ताओं के मतानुसार खाद तथा बीज आदि के बेहतर उपयोग से गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अन्य क्या सुझाव दिये हैं और

(ग) क्या सरकारी विशेषज्ञों ने उनके सुझावों की जांच करली है, यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) गेहूं अनुसंधान कर्ताओं ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए जो सुझाव रखे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—परम्मपरागत किस्मों की जगह अधिक पैदावार देने वाली तथा रोगरोधी किस्में उगाना, देश की विभिन्न कृषि-जलवायु के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्मों का चयन, उन्नत कृषि प्रबन्ध, ठीक समय पर कीट-व्याधियों और खरपतवारों का नियंत्रण, उन्नत किस्मों के बीज, उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं और ऋण जेसे साधनों का समय पर उपलब्ध होना, आदि ।

(ग) गेहूं अनुसंधान कर्ताओं की अखिल भारतीय कार्य गोष्ठी में इन सुझावों पर विचार किया जाता है और उपलब्ध साधनों तथा कार्यकर्ताओं के अनुसार उन पर अमल किया जाता है ।

## कुआलालमपुर के लिए भारतीय फुटबाल टीम का चयन

5909. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय फुटबाल टीम का चयन पश्चिम बंगाल की फुटबाल क्लबों के सहयोग के बिना ही किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस टीम की असफलता के बारे में पूरी तरह जानकारी होने पर भी उसे कुआलालमपुर भेजने के क्या कारण थे ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री श्री अरविन्द नेताम**) : (क) और (ख) कुआलालमपुर में जुलाई-अगस्त, 1973 में 17वें मेर्डेका टुर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक फुटबाल टीम भेजने के अखिल भारतीय फुटबाल संघ के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय खेल परिषद् ने विचार किया था तथा यह सिफारिश की कि टीम को इस शर्त पर स्वीकृति दी जानी चाहिए कि चुने गए खिलाड़ी विभिन्न क्लबों द्वारा मुक्त कर दिए जाएं तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी शारीरिक स्वस्थय का ध्यान रखा जाए। परिषद् ने यह भी सिफारिश की थी कि जो खिलाड़ी इस शर्त को पूरा नहीं करे, उन्हें टीम में शामिल न किया जाए। चूंकि कलकत्ता फुटबाल क्लबों ने अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए मुक्त नहीं किया था, अत: देश के अन्य भागों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक टीम चुनी गई और उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। इस युवा, सुप्रशिक्षित तथा होनहार खिलाड़ियों की टीम का खेल इस टुर्नामेंट में 1971 में भेजी गई पिछली भारतीय टीम के खेल की अपेक्षा बेहतर था। इस टीम ने भाग लेने वाले दस देशों में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि पिछली टीम ने भाग लेने वाले 12 देशों में दसवां स्थान प्राप्त किया था।

यह प्रयोग इस लिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अखिल भारतीय फुटबाल संघ पिछले वर्ष भी 1972 में हुए टुर्नामेंट के लिए कलकत्ता क्लब से खिलाड़ियों को मुक्त नहीं करा सका था, जिसके फलस्वरूप भारत उस वर्ष उस टुर्नामेंट में भाग नहीं ले सका था।

सरकार, खिलाड़ियों के टुर्नामेंट से पूर्व के अनिवार्य प्रशिक्षण से संबंधित परिषद् की सिफारिशों का भविष्य में भी पालन करने का विचार रखती है।

**नकोदर (जालंधर) में सतलुज नदी पर पुल के लिए वित्तीय सहायता**

5910. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालंधर के नकोदर सब डिवीजन में शाहकोट के समीप सतलुज नदी पर एक स्थायी पुल बनाने के लिये कितनी धनराशि दी गई है, और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब के फरीदकोट जिले में कवन पत्तन में धर्मकोट-शाहकोट सड़क पर सतलुज नदी के ऊपर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माणार्थ भारत सरकार ने 200.00 लाख रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। पुल के अनुमान की स्वीकृति, 121.36 लाख रुपये की लागत पर पहले ही दी जा चुकी है। और पहुंचमार्गों के अनुमान को अभी मंजूर किया जाना है। पंजाब सरकार पहले ही कार्य की विविदा स्वीकार कर चुकी है और निर्माण स्थल पर प्रारम्भिक प्रबंध

कर लिये गये हैं तथा नीवों के लिये कुंए खोदने के कार्य के शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ख) पुल की लम्बाई 1840 फुट है और पुल पर दोनों ओर पदाति पथ सहित दोगली वाले यान मार्ग की व्यवस्था की जायेगी। पुल गहरे कुओं की नीव पर बनेगा।

**ग्रामीण क्षेत्रों में डेरी केन्द्र**

5911. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डेरी विकास निगम के अधीन तुरन्त सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे ही मंत्रालय के अधीन डेरी-केन्द्रों की स्थापना की कोई केन्द्रीय योजना अथवा परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का सारांश क्या है तथा ग्रामीण लोगों को इनके लिए डेरी-विकास निगम से ही आवेदन करना पड़ेगा, अथवा यह योजना किस तरीके से चलेगी ; और

(ग) अब तक अलग-अलग राज्यों में कितने ग्रामीण डेरी-केन्द्र खोलें गए है अथवा खोलने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) जी नहीं। ग्रामीण डेरी केन्द्र स्थापित करने के लिए डेरी विकास निगम को सीधे सहायता देने की कृषि मंत्रालय की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है और न ही कृषि मंत्रालय में डेरी विकास के लिए कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ही है। ग्रामीण डेरी केन्द्रों की स्थापना करना राज्यों की योजनाओं में डेरी विकास कार्यक्रमों का एक भाग है। ग्रामीण सहकारी समितियां बनाने के नतीजे के तौर पर ग्रामीण डेरी केन्द्रों की स्थापना का कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है और राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की है।

(ख) चूंकि दुग्ध उत्पादन अधिकांशतः दूर-दूर तक फैले ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, अतः ग्रामीण डेरी केन्द्र स्थापित करने की योजना इस प्रकार उत्पादित दूध के लिए लाभदायक मंडी की व्यवस्था करने के लिए है ताकि अलाभकारी वस्तुएं तैयार करने के बजाय उत्पादकों को दूध की बिक्री से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। ग्रामीण डेरी केन्द्र उन छोटे कस्बों की भी आवश्यकतायें पूरी करेंगे जहां बड़ी डेरी योजनायें नहीं चल रही हैं। ऐसी योजनायें इनमें किसानों को पूरी तरह शामिल करके सहकारी आधार पर बनाई जा रही हैं। इनका सम्बन्ध दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य वाले अन्य पशुपालन कार्यक्रमों से भी है। राज्य सरकारें अपने डेरी विकास और पशु-पालन विभागों के जरिए इन योजनाओं को नियोजित और क्रियान्वित करती हैं।

(ग) राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 22 ग्रामीण डेरी केन्द्र खोले गए हैं; इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| 1. मध्य प्रदेश | 20 |
| 2. उड़ीसा | 2 |

पांचवी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में 147 ग्रामीण डेरी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | पांचवीं योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण डेरी केन्द्र |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 3 |
| 2. असम | 3 |
| 3. बिहार | 16 |
| 4. हरियाणा | 2 |
| 5. केरल | 10 |
| 6. मध्य प्रदेश | 33 |
| 7. महाराष्ट्र | 16 |
| 8. मणिपुर | 4 |
| 9. मैसूर | 5 |
| 10. नागालैण्ड | 2 |
| 11. उड़ीसा | 6 |
| 12. पंजाब | 3 |
| 13. त्रिपुरा | 8 |
| 14. उत्तर प्रदेश | 26 |
| 15. अरुणाचल | 2 |
| 16. दादरा तथा नगर हवेली | 1 |
| 17. गोवा | 2 |
| 18. मिजोरम | 2 |
| 19. पांडीचेरी | 3 |
| कुल | 147 |

**विशेष रोज़गार योजना के अधीन मैसूर के कमाण्ड क्षेत्रों में मिट्टी का सर्वेक्षण**

5912. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
**श्री जी० वाई० कृष्णन** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन कर्नाटक राज्य के हेमवती, काबीनी तथा हरंगी परियोजना कमांड क्षेत्रों में मिट्टी के सर्वेक्षण के लिये केन्द्र सरकार को भेजी गई कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी पी० मौर्य)** : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1973-74 में राज्य के हेमवती, काबीनी और हरंगी परियोजना कमांड क्षेत्रों में मिट्टी के सर्वेक्षण के लिए एक योजना भेजी है। इस योजना को धन की कमी के कारण वित्त मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिल सकी है। तथापि, पांचवी योजना में राज्य में भू-सर्वेक्षण संगठन को मजबूत बनाने की योजना के अन्तर्गत, इस योजना को वर्ष 1974-75 में सहायता देने के बारे में विचार किया जाएगा।

**मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं का जल ग्रहण क्षेत्र**

5913. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि के दौरान सिंचाई क्षमताओं का, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के संदर्भ में, अधिकतम लाभ उठाने के लिये सरकार ने जल-ग्रहण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों में सम्मिलित करने के लिये किन्हीं विशेष क्षेत्रों को चुना गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) से (ग) भारत सरकार कुछ समय से देश के सिंचाई सम्बन्धी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये एक समेकित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया गया है। पहले किये गये विकास कार्यों और अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करते हुए इस कार्यक्रम का क्षेत्र विभिन्न परियोजनाओं और राज्यों में भिन्न-भिन्न रहेगा। सिंचाई की क्षमता से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रमों को प्रभावी व तेजीसे चलाने के लिये प्रत्येक कमांड क्षेत्र में एक उपयुक्त परियोजना प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान चुने हुए 50 सिंचाई कमांड क्षेत्रों में समेकित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा तथा मिदनापुर जिलों (बांकुरा जिले के 13 तथा मिदनापुर जिले के 18 ब्लाकों) में फैला हुआ केगसावती कमांड क्षेत्र एक ऐसा कमांड क्षेत्र है, जिसमें पंचम पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कमांड क्षेत्रों के विषय में अन्तिम निर्णय करने के बारे में राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

**न्यायपालिका के लिए सुधार सेवाओं सम्बन्धी गोष्ठी**

**5914. श्री राम भगत पासवान**
**श्री राम सहाय पाण्डे** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका के लिये सुधार सेवाओं संबंधी गोष्टी हाल में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निश्कर्ष क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां ।

(ख) विचार विमर्श अपराध को रोकने तथा अपराधियों को सुधारने में न्यायपालिका अन्य सुधार एजेंसियों के कार्य पर केन्द्रित था। सेमिनार का सर्व सम्मति से यह मत था कि दण्ड न्याय की विभिन्न एजेंसियों में समन्वित उपागम होना चाहिए तथा सुधार सेवाओं पर प्रभाव डालने वाले सभी दण्ड कानूनों को लागू करने में न्यायपालिका ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करना है ।

**गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण**

**4915. श्री योगेश चन्द मुरमू :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है क्योंकि मुकामेह में पुल पर भारी यातायात से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और यदि हां तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुल का निर्माण कहां किया जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी):** (क) से (ग) सदस्य महोदय का आशय भागलपुर मुंगेर अथवा सुलतानगंज के निकट गंगा नदी पर सड़क पुल से है। इनमें से प्रत्येक पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा। इसलिए बिहार सरकार मामले में मुख्यत: सम्बन्धित है। मुकामा पुल पर तथा प्रश्नगत पुलों के लिए राज्य सरकार ने यदि कोई सर्वेक्षण किया हो तो तत्सम्बन्धी यदि कोई कठिनाई होती उसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

**बिहार में आदिवासी सहकारी निगम**

**5916. श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में आदिवासी सहकारी निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) :** (क) एक राज्य स्तरीय आदिवासी सहकारी विकास निगम, जिसका मुख्यालय रांची में है, पहले से ही बिहार में कार्य कर रहा है।

(ख) यह निगम 1969 में स्थापित किया गया था और उन वन श्रमिक सहकारी सोसायटियों, जिनके शत प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के हैं और बहु-उद्देश्यीय सहकारी सोसायटियों, जिनके कम से कम 90 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के हैं के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम प्रधान रूप से प्रोत्साहन देने का कार्य करता है और इसके मुख्य उद्देश्यों में सहकारी रूप में संगठित अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों को वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता और साथ ही विपणन सुविधायें प्रदान करना शामिल है। यह निगम सहकारी सोसायटियों को राज्य सरकार के वन विभाग से वन के भागों और दूसरी अप्रमुख तथा प्रमुख वन उपज के ठेके लेने में सहायता देता है। इस निगम का आदिवासियों को वस्तुओं, जिनमें कृषि सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएं और उपभोज्य वस्तुएं भी शामिल हैं, की आपूर्ति करने और वन व्यवस्था तथा आदिवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ करने का इरादा है।

**यमुनानगर में चीनी मिल का बंद हो जाना**

5917. **श्री प्रबोध चंद्र**
**श्री राम भगत पासवान** } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनानगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल संयंत्र 'हार्ड कोक' की भारी कमी के कारण बंद होने की स्थति में है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मिल को बंद होने से रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने जनवरी, 1974 में चीनी मिल यमुनानगर, जिला अम्बाला में 'हार्ड कोक' की कमी के बारे में सूचित किया था। यह मामला इस्पात तथा खान मंत्रालय, कोयला नियन्त्रक, कलकत्ता और संयुक्त निदेशक (परिवहन) कोयला कलकत्ता के साथ उठाया गया था ताकि चीनी मिल, यमुनानगर को उच्च प्राथमिकता के आधार पर 'हार्ड कोक' के आवंटित बैगनों की निर्मुक्ति प्रेषण और संचलन की व्यवस्था हो सके। फैक्ट्री में कार्य हो रहा है।

**वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों की ओर से ऊंची दरों की मांग**

5918. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों ने देश में ऊंची दरों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)**: (क) तथा (ख) तम्बाकू उत्पादकों की समिति से एक अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुआ है इस अभ्यावेदन में वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों ने कम मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है, और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार उन्हें राहत पहुंचाने के लिये राज्य व्यापार निगम के जरिये इसमें हस्तक्षेप करें। यह मामला विचाराधीन है।

## त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच भूमि सम्बंधी विवाद

5919. **श्री दशरथ देव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच सभी भूमि विवाद, जो वर्षों से लम्बित हैं, हल करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या इन विवादों को शीघ्र हल करने के लिये भारत सरकार ने त्रिपुरा सरकार से बातचीत की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) :** (क) और (ख) राज्य सरकार ने त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 जारी कर दिया है। अध्यादेश के अन्तर्गत गांव में प्रत्येक भू-खण्ड के बारे में क्षेत्र सम्बन्धी सूचकांक तैयार करने और वास्तविक कब्जेदारों की हैसियत का रिकार्ड रखने की व्यवस्था की गई है। इस अध्यादेश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारियों को, गैर कानूनी ढंग से हथियायी गई आदिवासी भूमि को मूल आदिवासी स्वामियों को कब्जा दिलाने के अधिकार भी प्राप्त हैं।

भारत सरकार आदिवासियों को उनकी भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बार-बार जोर देती रही है।

## Provision of loan to Small Farmers for Breedings Milch cattle during Fifth Plan

5920. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a provision has been made in the Fifth Five Year Plan to give loans to small farmers and landless farmers for breeding milch cattle; and

(b) if so, the amount to be provided for different States and particularly for Bihar State for the purpose?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya):** (a) There is no special scheme of the Goverment of India in the Fifth Plan for giving loans to small farmers and landless farmers for breeding milch cattle. However, a new scheme with a provision of Rs. 30·00 crores in the Centrally Sponsored Sector has been included in the Fifth Plan for giving subsidy to meet the cost of concentrates for rearing cross-bred heifers by small and landless farmers and agricultural labourers.

(b) The State-wise allocation has not yet been finalised.

## मुख्य राजमार्गों पर ट्रक-ट्रेलर चलाना

5921. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया**
**श्री पी० गंगादेव** } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य राजमार्गों पर ट्रक-ट्रेलर चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) : जी, हां । देश के उप प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक-ट्रेलर चलाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों, संघ प्रशासनों और अन्य संबंधित संस्थाओं के विचार मांगे गये हैं, जिन पर इस समय मुख्य यातायात चल रहा है ।

चूंकि ऐसे ट्रक-ट्रेलर चलाने की सुविधा के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम तथा नियमों में संशोधन करना आवश्यक है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि किस तारीख तक मामले को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

**श्रमिक कल्याण के बारे में राष्ट्रीय श्रम सहकारिता सलाहकार बोर्ड के सुझाव**

5922. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**
**श्री राम सहाय पांडे** } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम सहकारिता सलाहकार बोर्ड ने श्रमिक कल्याण के लिये कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने श्रमिक सहकारी सोसायटियों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास करने के लिए अनेक सुझाव दिए तथा सिफारिशें की हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6647/74]

**राज्यों में हरिजनों की भूमि हड़पने के मामलों की जांच**

5923. **श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में हरिजनों की भूमि हड़पने के सभी मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मिलावटी दूध की दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के रूप में बिक्री**

5924. **श्री राम प्रकाश** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मास दिल्ली के कुछ इलाकों में मिलावटी दूध दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के रूप में बेचा गया बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन इलाकों के नाम तथा पकड़े गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी हां। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ 15 फरवरी, 1974 को एक छापा मारकर छह व्यक्तियों को उस समय पकड़ा जबकि वे दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के रूप में बेचने की नीयत से दूध में मिलावट करने की कोशिश कर रहे थे।

(ख) यह गिरफ्तारी दक्षिणी दिल्ली में ज़मरुदपुर गांव में की गई थी। गिरफ्तार किए गए छह व्यक्तियों के नाम हैं--सर्वश्री मणि, सिंहदेव, के० सुब्रह्मण्यम, राजू, कुट्टास्वामी और दानन। इस मामले में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई कर्मचारी शामिल नहीं था।

(ग) इन व्यक्तियों पर खाद्यान्न मिलावट विरोधी अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया है।

**मिट्टी का तेल, उर्वरक, सीमेंट तथा चीनी का राज्यवार आवंटन**

5925. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी का तेल, उर्वरक, सीमेंट तथा चीनी के राज्यवार कोटे में उन राज्यों के पक्ष में जोड़-तोड़ की गई जिनमें वर्ष 1974 के आरम्भ में निर्वाचन होने थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो 1 अप्रैल, 1973 से अब तक के राज्यवार इस कोटे का विवरण क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रत्येक विवरण में उल्लिखित अवधि के लिए मिट्टी के तेल, उर्वरक, सीमेंट और चीनी के बारे में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कोटे और उन्हें किए गए आवंटन को बताने वाले चार विवरण (1 से 4 तक) संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गए: देखिये संख्या एल० टी० 6648/74]।

**राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेय जल योजना को लागु करना**

5926. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई पेय जल योजना आगामी वर्ष के दौरान लागू करने के लिये प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय आयेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में 1974-75 के दौरान जल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

पांचवीं योजना में जल पूर्ति कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है। राज्य सरकारों को अपनी जल पूर्ति योजनाएं बनाने, वित्तीय साधन जुटाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का पूर्ण अधिकार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पेयजल सुविधाओं के लिए शामिल किया गया व्यापक कार्यक्रम**

5927. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों में, उनके अपने स्थानीय स्रोतों से ही पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है।

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण जलपूर्ति के लिये 573 करोड़ रुपये के अंतरिम परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि निम्नलिखित वर्गों के बहुत से गांव इस के अन्तर्गत आ जायेंगे :—

(1) वे गांव जहां 1.6 कि० मी० की समुचित दूरी पर पेय जल के निश्चित स्रोत नहीं हैं।

(2) जहां जल पूर्ति का स्रोत हैजा तथा नहरुआ जैसी जल जन्य स्थानीय बीमारियों से ग्रस्त हैं।

(3) जिन में लवण, लोह तथा फ्लोराइड पदार्थों की अधिकता है। जलपूर्ति का विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजना बनाते समय, जन जातियों अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों की आबादी वाले ग्रामों को वरीयता दी जायगी।

**पौष्टिक आहार के कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता**

5928. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता का देश के कमजोर वर्ग की जनसंख्या के लिए विभिन्न पौष्टिक आहार कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के महत्व को देखते हुए पौष्टिक आहार कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में कटौती कब समाप्त की जायेगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) जी, हां। विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम तथा बालवाड़ियों के द्वारा पौष्टिक आहार कार्यक्रम में जो विस्तार करने का विचार था वह बजट के दबावों के कारण नहीं किया जा सका और इसकी व्याप्ति उसी स्तर तक रखनी पड़ी, जिसे पिछले वर्ष अर्थात् 1972-73 में प्राप्त किया जा चुका था। वर्ष के पिछले भाग के दौरान बजट व्यवस्था में दस प्रतिशत की और कटौती कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों से उपलब्ध बचतों पर उचित ध्यान देते हुए कम किए गए आटनों के अनुसार आहार वितरण

दिनों में कमी करने के लिए कहा गया था। पांचवीं योजना में इस कार्य- क्रम के लिए आबंटनों पर विचार किया जा रहा है।

**मद्य निषेध के कारण राजस्व में हुई हानि को पूरा करने के लिए राज्य को सहायता देना**

5929. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण, और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध को लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकर को उत्पादन शुल्क में होने वाली हानि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरबिन्द नेताम)** : (क) क्षतिपूर्ति की योजना 31 मार्च, 1974 तक लागू थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई थी :—

| राज्य का नाम | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|
| | | | (रुपए लाख की राशियों में) |
| 1. राजस्थान | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 17.33 | 17.33 | 17.33 |
| 3. हरियाणा | 14.00 | 14.00 | 14.00 |

**मछली के आयात के संबंध में बंगला देश के साथ हुए समझौते का कार्यकरण**

5930. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को मछली की सप्लाई के संबंध में बंगला देश के साथ हुआ समझौता सुचारू ढंग से चल रहा है।

(ख) यदि हां. तो वर्ष 1973-74 में भारत में कितनी मछली का आयात हुआ; और

(ग) भारत में मछली के आयात करने के तरीके संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मछली के वितरण के प्रबंध क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान बंगला देश से दो करोड़ पन्द्रह लाख (2.15 करोड़) रुपये की चार हजार तीन सौ चौदह (4314) मीटरी टन मछलियां आयात की गई थीं।

(ग) केन्द्रीय मीन-उद्योग निगम ही बंगला देश से मछलियों का आयात करने वाली एकमात्र संस्था है। निगम ने बंगलादेश में क्रय केन्द्र स्थापित किये हैं, जहां इसके अपने अधिकारी हैं। यह अधिकारी बंगलादेश के मीन उद्योग अधिकारियों की उपस्थिति में मूल्यों के संबंध में बातचीत करने के पश्चात् बंगला देश सरकार द्वारा बनाई गई तथा स्वीकृति की गई सहकारी समितियों से मछलियों की खरीद करते हैं। खरीदी गई ये मछलियां सड़क द्वारा सीमावर्ती चौकियों पर भेजी जाती हैं और भारत में लाने के लिए वहां निगम को सौंप दी जाती है। निर्यातकर्ताओं को ऋण-पत्र के माध्यम से बंगलादेश की मुद्रा में अदायगी की जाती है। पश्चिम बंगाल में उपभोक्ताओं को आयातित मछलियों का सीधा विक्रय निगम द्वारा कलकत्ता और नगरों के आस-पास स्थापित किये हुए लगभग 200 स्टालों और कमीशन एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। खुदरा क्षमता से बची मात्रा का निपटान सामान्य व्यापार के माध्यम से किया जाता है। असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में आयातित मछलियों का निपटान निगम द्वारा नियुक्त किये गये वितरकों के माध्यम से किया जाता है।

**Accumulation of Cargo Intended for Shipping at Various Harbours**

5931. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the cargo intended for shipping abroad has accumulated at various harbours of the country for want of ships;

(b) whether the ship owners want to lift the cargo only of their liking even where the ships are available;

(c) whether in view of the challenge posed by the oil crisis in the country, it is necessary to earn more foreign exchange by stepping up the exports; and

(d) if so, the decisions taken by Government in this behalf ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) :** (a) In Liner shipping, it happens sometimes that when cargo is ready shipping space is not available and vice versa. Government have occasionally been receiving some complaints about shortage of shipping space for exports.

(b) Sometimes shippers make a general complaint that some Shipping Companies prefer to load high-freighted cargoes and neglect low-freighted cargoes.

(c) & (e) Yes, Sir. Government have initiated necessary action for ensuring that adequate shipping space would be available for exports. A study Group is presently holding meetings with the representatives of the Conference Lines and Shippers' Associations for adequate shipping coverage of our exports to West Asian countries.

**सहकारी ऋण संस्थाओं का कार्य निष्पादन**

5932. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
**श्री मान सिंह भौरा** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी ऋण संस्थाओं का कार्य पिछले कुछ समय से सन्तोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें सुधार के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6649/74)।

**खाद्यान्नों के आयात के लिए धनराशि**

5933. **श्री श्री किशन मोदी**
**श्री पी० गंगादेव** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से खाद्यान्नों के आयात के लिये धनराशि की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना खाद्यान्नों के आयात के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जाता है।

**Farmers Service Societies Scheme**

5934. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the date on which the Farmers Service Societies Scheme was introduced;

(b) whether such societies have been set up by the Public Sector Banks; and

(c) if so, the names of the states where these societies have been set up and the purpose for which loans have been given indicating the amount of loans given to each of them?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)**: (a) The Scheme of Farmers' Service Societies was introduced during the year 1972-73.

(b) As at the end of November, 1973, 13 Farmers'Service Societies have been registered. Of these, 11 are financed by Public Sector Commercial Banks.

| (c) Name of State | No. of Farmers' Service Societies. |
|---|---|
| Manipur | 1 |
| Bihar | 1 |
| Karnataka | 3 |
| West Bengal | 4 |
| Uttar Pradesh | 2 |

Loans are advanced by commercial banks to the Farmers'Service Societies for extending credit to their members. Loans are given both for short-term agricultural production ad term loans for investment in agriculture and animal husbandry. Information on the quantum of loans advanced is not available.

**Enquiry in Utilisation of Funds Given to National Cooperative Development Corporation**

5935. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No.441 on 25th March, 1974 regarding loan due from National Co-operative Development Corporation and state whether Government propose to conduct any

enquiry into the pile up of huge amount of Government loan outstanding against the National Cooperative Development Corporation as on 31st March, 1974?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):** In the reply to Lok Sabha Starred Question No.441 on 25th March, 1974,it was already stated that the entire outstanding amount of loan together with interest, actually due from the National Cooperative Development Corporation to the Central Government, is repaid by the Corporation in annual instalments, on due dates, according to the terms of each loan. It was also stated that, so far, the Corporation has paid the due instalments regularly and in time. Since there has been no default as yet on the part of the Corporation in regular and timely repayment of the instalments of principal amounts of loan, along with interest, on due dates to the Central Government,the question about the Government conducting any enquiry in the matter does not arise.

## दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

5936. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक की अद्यतन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कदाचारों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और स्वरूप क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० की वर्ष 1972-73 की अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की विशेष बातें नीचे दी गई हैं :–

(1) अतिदेय ऋणों और ब्याज की पर्याप्त बकाया राशियां वसूल करनी रहती हैं और यह उल्लेख किया गया है कि 76.24 लाख रुपये अतिदेय हैं और 73.49 लाख रुपये संदिग्ध ऋणों के हैं ।

(2) यह भी सूचित किया गया है कि कुछ मामलों में उधार लेने वालों को उधार देते समय सभी कानूनी तथा प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

(3) ऐसे मामले हैं जहां अधिकतम ऋण सीमा से अधिक ऋण दिये गये हैं ।

(4) बैंक की उप विधि संख्या 53(2), जो नकद ऋण के नवीकरण के बारे में हैं. के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(5) 2,11,273.74 रुपये की राशि 'फुटकर देनदारों' की मद के अन्तर्गत दिखाई गई है । यह सम्पूर्ण राशि भी संदिग्ध स्वरूप की है, क्योंकि इसमें से अधिकांश राशि पिछले वर्षों में बैंक में हुई चोरियों से सम्बन्धित है ।

(6) कुछ मामलों में लगता है कि भूमि बन्धक-पत्र नहीं लिये गये हैं और उन्हें बैंक के रिकार्ड में नहीं रखा गया है ।

(7) बैंक की साधारण सभा की बैठक 28 दिसम्बर, 1970 से नहीं हुई है । बैंक की उपविधि संख्या 19 के अधीन इस प्रकार की बैठक हर वर्ष होनी है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० को लेखा परीक्षा की मुख्य-मुख्य बातों के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा है ।

**परिवहन चालकों को यात्रियों की अनुमित प्राप्त संख्या के मामले में राहत**

5937. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-नियोजित परिवहन चालकों को टैक्सियों, प्राइवेट टैक्सियों और स्कूटरों में यात्रियों को बिठाने की दी गई अनुमति से अधिक यात्री बैठाने की अनुमति देकर पेट्रोल के अधिक मूल्यों से राहत दी जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो क्या माल ले जाने वाले ट्रकों के केबिन में यात्रियों को बैठाने की वर्तमान गैर-कानूनी पद्धति को कानूनी घोषित करना उचित नहीं होगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) जब कभी पैट्रोल की कीमत में अधिक वृद्धि होती है तो परिचालन लागत में वृद्धि के लिए टैक्सी तथा आटो रिक्शा मालकों की प्रतिपूर्ति करने हेतु राज्य सरकारें तथा संघ प्रशासन टैक्सी तथा स्कूटर भाड़े में वृद्धि करती है । मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन की टैक्सी और आटो रिक्शा स्वामियों की सहकारी संस्थाओं के लिये उपभोक्ता पैट्रोल पम्पों के आवंटन की एक योजना है, जो केवल उन्हीं के लिए ही है ; जो परिचालक इन पम्पों से तेल लेंगे उन्हें 4 पैसे प्रति लिटर की बचत होगी और नियमित सप्लाई भी सुनिश्चित करेंगे । दिल्ली प्रशासन का एक टैक्सी में चार से अधिक यात्री ले जाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सड़क सुरक्षा की दृष्टि से, माल गाड़ियों में यात्री ले जाये जाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं होगा ।

**केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा दक्षिण- पूर्व एशिया में जल स्रोतों का सर्वेक्षण**

5938. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-जल बोर्ड को दक्षिण-पूर्व एशिया में जल स्रोतों का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है ? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**नई दिल्ली की कालोनियों में अप्राधिकृत फेरी वाले**

5939. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की कालोनियों में अप्राधिकृत फेरी वालों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें उचित लाइसेंस देने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टैक्नालिजी, कानपुर के इंजीनियरों द्वारा हृदय संकेत देने वाले उपकरण (इलैक्ट्रो काडियोग्राम) का आविष्कार**

5940. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी के इंजीनियरों ने एक नये उपकरण का आविष्कार किया है जिसके द्वारा किसी रोगी का हृदय संकेत (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम) लिया जा सकता है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल-हसन)** : (क) और (ख) : एच ० बी० प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर के इंजीनियरों ने एक ऐसा वहनीय दूरभाषिक प्रेषण और अभिग्राही उपस्कर तैयार किया है जिससे दूर स्थित डाक्टर को साधारण दूरभाषिक तार द्वारा विद्युत् हृदय संकेतों (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम) का पारेषण किया जा सकता है। ई० सी० जी० संकेत, कर्ण-खण्ड के साध लगा दिया जाता है जो उसे अकोस्टिक संकेत में परिवर्तित कर देता है । कर्ण खण्ड को टेलीफोन हैड-सैट के मुख खण्ड के सामने रख दिया जाता है । दूसरी ओर प्राप्त संकेत, ई० सी० जी० से काफी मिलते जुलते होते हैं और उन्हें विद्युत् हृदय लेखन यन्त्र अथवा टेलीविजन के पर्दे पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

**उड़ीसा के आदिवासियों क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करना**

5941. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को दृष्टि में रखते हुए राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद करने के अनुदेश दिये हैं ;

(ख) उड़ीसा के आदिवासी जिलों में जिलावार अब तक शराव की कुल कितनी दुकानें खोली गई हैं ;

(ग) निर्णय के अनुसार जिलावार शराब की कितनी दुकानें बन्द की गई हैं; और

(घ) शराब की दुकानों से कुल कितनी आय होती है और उन दुकानों के बंद होने से कितनी हानि हुई है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (ख) शराब की दुकानों का स्थान निश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है । केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्देश भी जारी नहीं कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार एक नई नीति तैयार करने की चेष्टा कर रही है, जिसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जा सके। इस चेष्टा के भाग के रूप में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष नीति तैयार करने का विचार है। इस संबंध में केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने जो सिफारिश की थी, उस पर और विचार किया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों के लिए समान मार्ग दर्शक बातों का सुझाव दिया जा सके।

**Financial Assistance to Jammu and Kashmir for Transportation and storage of Foodgrains**

5942. **Shri Jagannathrao Joshi**
**Shri Atal Behari Vajpayee** } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance provided to the Jammu and Kashmir Government by the Central Government for transportation and storage of foodgrains during the last three years, separately;

(b) the average annual expenditure per quintal incurred on the transportation and storage of foodgrains;

(c) the extent of reduction made in the aforesaid expenditure in the context of present economy drive and that proposed to be made in future; and

(d) the per quintal expenditure incurred by the Food Corporation on the storage of foodgrains in various States during the last year?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)**: (a) The year-wise claims of the Government of Jammu & Kashmir for transport and handling charges of foodgrains brought into the State from outside for the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 are Rs. 198·60, 178·31 and 216·45 lakhs respectively. Against these, payment of Rs. 526·91 lakhs has been made. The balance claims of Rs. 66·45 lakhs are under examination. The accounts for the year 1973-74 are yet to be finalised.

(b) the Government of Jammu Kashmir have intimated that the averge transportation and loading and unloaaing charges are Rs. 16·62 per quintal. No expenditure is incurred on storage.

(c) The arrangement to reimburse the transport and handling charges to the J & K. State Government was to last still the end of financial year 1973-74. As the Food Corporation of India have extended their activities to the Jammu & Kashmir State, fodgrains are now supplied f.o.r. Jammu/Srinagar. Foodgrains are now supplied to the State Government at the uniform issue prices.

The difference in the economic cost of the Food Corpration of India who are handling foodgrains on behalf of the Government of India, and the issue Price is re-imbursed to the Food Corporation as subsidy on foodgrains transactions.

(d) The average expenditure incurred by the Food Corporation in the various States on the storage of foodgrains on Government of India account during 1972-73; (provisional) was Rs. 1·15 per quintal of sales.

**उत्तरी गुजरात में मोधेरा में मन्दिर के पुर्ननिर्माण के लिए कार्यवाही**

5943. **श्री पी० जी० सावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कि इस समय उत्तरी गुजरात में मोधेरा स्थित सूर्य मन्दिर की स्थिति बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान के सौंदर्य तथा ऐतिहासिक महत्व को बनाये रखने के विचार से मन्दिर का जीर्णोद्धारा करने और उसे मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) और (ख) जनवरी, 1969 से चल रही बड़े प्रयास से की गई मरम्मत के परिणाम स्वरूप मन्दिर अब संरक्षण की सन्तोषजनक स्थिति में है । निस्पादित किये गये मरम्मत कार्यों की मद्दों में टूटे हुए सरदलों (लिटंलों) को मजबूत बनाना और उनकी मरम्मत करना, मन्दिर की क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत करना, फर्श की मरम्मत करना, इनकी बुनियादों में पानी के स्राव को रोकने के लिए मन्दिर के चारों ओर पत्थर की पट्टियों के एक प्रांगण-बतान (एप्रन) की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। उक्त मरम्मत कार्यों में प्रगति हो रही है और इनके इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पूरा हो जाने की सम्भावना है । मन्दिर के सामने वाले सीढ़ीनुमा तलाब की मरम्मत वर्ष 1973-74 में, इसके विस्थापित पत्थरों को पुनः सही ढंग से लगाकर कर दी गई है। मन्दिर के बाहरी मोहरे की मूर्तिकलाओं के वेहत्तर संरक्षण के लिए उन पर रसायनयुक्त पुताई की जायेगी, तथापि मन्दिर का पुनः निर्माण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पुरातवत्व सम्बन्धी सिद्धान्तों के विरुद्ध है ।

**सांझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश से भारत के चीनी निर्यात पर पड़ा प्रभाव**

5944. **डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ हुआ राष्ट्रमण्डलीय चीनी संबंधी समझौता ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश करने से समाप्त होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत के चीनी निर्यात के किस सीमा तक प्रभावित होने की आशा है, और

(ग) चीनी निर्यात में होने वाली कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी हां, 1974 के अन्त में ।

(ख) भारत के 25,400 मीटरी टन के नेगोशिएटेड प्राइस कोटे की मात्रा तक ।

(ग) भारत समेत विकासशील राष्ट्र मण्डल चीनी निर्यातक देश मौजूदा स्तर पर योरूपीय आर्थिक समुदाय को चीनी के नेगोशिएटेड प्राइस कोटे की सप्लाई के लिए आश्वासित तथा सतत मंडी प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन/योरूपीय आर्थिक समुदाय को राजी करने को मिल कर प्रयत्न कर रहे हैं ।

**हुगली पर दूसरे पुल के लिए विदेशी ऋण तथा सहायता**

5945. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने हुगली पर दूसरे पुल के लिए विदेशी ऋण तथा सहायता संबंधी सभी मामलों पर अभी तक स्वीकृति नहीं दी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड का दूसरे हुगली पुल के लिए विदेशी ऋण तथा सहायता के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इसे पुल के लिए ठेकेदारों द्वारा तथा हुगली नदी पुल आयुक्तों द्वारा विदेशी सलाहकारों को रखने तथा अन्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के विचार से परियोजना की स्वीकृति देने के लिए कहा गया था। विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने अब मैसर्स फ्रीमैन एण्ड पार्टनर, यू० के० को मैसर्स भगीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० के विदेशी सलाहकार और हुगली नदी पुल आयुक्तों द्वारा मैसर्स लुआ आफ वैस्ट जर्मनी को रखे जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

**शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा**

5946. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान मंडल ने अपना कोई संकल्प केन्द्रीय सरकार को भेजा है जिसमें केन्द्रीय सरकार से शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए विधेयक पारित करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह संकल्प केन्द्रीय सरकार के पास कब से विचारधीन पड़ा है ; और

(ग) संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) तथा (ख) महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित संकल्प, भारत सरकार को 21-10-1971 को भेजा गया था।

(ग) मामला विचारधीन है।

**श्री लंका के साथ चीनी के लिए व्यापार करार**

5946. **श्री सरजू पांडे**
**श्री डी० के० पंडा** } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने भारत से चीनी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह व्यापार समझौता रुपयों में भुगतान के आधार पर करेगी ; और

(ग) क्या देश में चीनी के प्रचलित मूल्यों के आधार पर श्रीलंका सरकार से अधिक मूल्य वसूल किए जाएंगे या कम ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) चीनी के चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर श्री लंका को 10,000 मीटरी टन सफेद चीनी बेची गई है।

**वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आयातित खाद्य तेल का मूल्य**

5948. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में, किस्मवार, कुल कितना खाद्य तेल आयात किया गया ;

(ख) ये तेल किन दरों पर आयात किए गये; और

(ग) वर्ष 1973-74 में दिए गए अधिक मूल्य के क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) कई एक बातों, जिनमें कम उत्पादन, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, बिजली का संकट और सोने के मूल्यों में तेज़ी भी शामिल है, के परिणामस्वरूप खाने के तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण यह वृद्धि हुई थी।

**विवरण**

| | 1972-73 | | 1973-74 | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (मीटरी टन) | दर (लागत भाड़ा सहित) रु० प्रति मी० टन० | मात्रा (मी०टन) | दर (लागत भाड़ा सहित) रु०मी०टन० |
| ताड़ का तेल . . . | 5,052 | 1,784 | 70,370 | 2,310 |
| सोयाबीन का तेल . | 24,693 | 2,032 | 33,833 | 3,039 |
| | 8,292* | | | |
| तोरिये का तेल | 10,170 | 2,048 | 32,735 | 2,962 |
| | | | 5,500@ | — |
| तोरिया . . | 67,052@ | — | 27,000@ | — |

*राहत सम्बन्धी सप्लाई

@अनुदान के रूप में

**श्वेत चीनी का निर्यात**

**5949. श्री एन० रामगोपाल रेड्डी**
**श्री प्रबोध चन्द्र** } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में श्वेत चीनी के मूल्य गत कुछ समय से काफी बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी हां, इसमें पिछले वर्ष के मूल्यों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) उत्पादन सम्भावनाओं, आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं और चीनी के चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस वर्ष निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा का समय-समय पर पुनरीक्षण तथा निर्णय करने का विचार है।

**भारत और पौलैण्ड के बीच अधिक घनिष्ठ आर्थिक संबंध स्थापित करने तथा मत्स्य पोतों का आयात करने हेतु समझौता**

**5950. श्री रानेन सेन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैण्ड की सरकारों ने अधिक घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु हाल ही में कोई समझौता किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पोलैण्ड से मत्स्य पोत (ट्रालर) आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

**उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सहकारी चीनी कारखाना**

**5951. श्री बी० आर० शुक्ल** : कृषि मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी कारखाना लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी कारखाना संघ लि०, लखनऊ को नानपारा जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में 1250 मी० टन० दैनिक गन्ना पैरने की क्षमता का एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए 26-3-1974 को एक लाइसेंस दिया गया है।

**'वंडर फ्लोर का विकास'**

**5952. श्री एन० शिवप्पा**
**श्री पी० गंगादेव** } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम जर्मन और पेरू के वैज्ञानिकों द्वारा मंवंडर फ्लोर' का विकास किए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने इसके आशयों के बारे में अध्ययन किया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) यह 'वण्डर फ्लोर' या चमत्कारी आटा असल में सेनेडेस्मस नामक हरा शैवाल है, जिसको पश्चिम जर्मनी के डोर्टमण्ड नामक स्थान में कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जाता है। इसको प्रोटीन की वृद्धि के लिए मानव-आहार में मिलाने की सलाह दी गई है क्यों कि इसमें प्रोटीन, आवश्यक अमीनो ऐसिड तथा अन्य खनिज और विटामिन अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। पेरू में पश्चिम जर्मनी की सहयोग से इस शैवाल के उत्पादन का एक कारखाना खोला गया है। शैवाल को सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है और फिर मानव-आहार में प्रोटीन का अंश बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। 100 ग्राम गेहू के आटे में 5 ग्राम शैवाल-प्रोटीन मिलाने से गेंहू के प्रोटीन के अमीनों एसिड संघटन में स्पष्ट अभिवृद्धि होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह 'वंडर फ्लोर' लाखों लोगों की प्रोटीन सम्बन्धी मांग की पूर्ति कर सकता है।

एक और प्रोटीनयुक्त शैवाल **स्पिरुलीना, सेनेडेस्मस** से तेजी से वृद्धि करता है और उसमें 60 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इसका फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और जापान में औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) अभी तक हमारे देश में मानव-आहार के लिए शैवाल का बड़े पैमाने पर संवर्धन का कोई कार्य नहीं किया गया। हाल ही में पैरस की "लैबोरेटिव दल रौसे" के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुजरात में बड़े पैमाने पर शैवाल संवर्धन का निजी क्षेत्र में कारखाना खोलने की सम्भावना का अध्ययन करने आये थे और 15 मई 1973 को उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ग्रामीणस्तर पर एक अग्रगामी यूनिट खोली है। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसन्धान परिषद की ओर से मैसूर में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान में पश्चिम जर्मनी की फर्म के सहयोग से शैवाल उत्पादन के लिए एक खुली संवर्धन शाला बनाने का प्रस्ताव रखा गया। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान का एक वैज्ञानिक शैवालों के उत्पादन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम जर्मनी भेजा गया था।

## विश्वविद्यालयों को अनुदान

5953. **श्री वी० के० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और अन्य स्रोतों से, यदि कोई हों तो, गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि के अनुदान दिए गए; प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी राशि के अनुदान दिए गए तथा प्रत्येक में छात्रों की संख्या क्या है; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की कसौटी क्या है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाएं

5954. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कुल कितनी दुर्घटनाय हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान दुर्घटना होने से बसों को हुई क्षति के कारण दिल्ली परिवहन निगम को कितनी हानि हुई है;

(ग) वर्ष 1973 में दुर्घटनाओं से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने गम्भीर रूप से घायल हुए;

(घ) क्या बस दुर्घटनाओं के हताहतों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं से हताहत होने वालों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) 1426।

(ख) 3,21,000 रुपए।

(ग) क्रमश: 61 और 183।

(घ) दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों तथा घायल व्यक्तियों के संबंधियों से 26 दावे प्राप्त हुए हैं। उनमें से किसी को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि सारे मामले मोटर दुर्घटना दावा न्याधिकरण, दिल्ली के समक्ष विचाराधीन हैं।

(ङ) इस कार्य के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 110 ए० के अन्तर्गत पहले से ही आवश्यक उपबन्ध विद्यमान हैं। इस धारा के अधीन दुर्घटना में मृत्युग्रस्त तथा हुए घायल व्यक्तियों के दावे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जो कि इस प्रयोजन के लिए बनाया गया है के द्वारा तय किए जाते हैं।

**सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन**

5955. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में दिल्ली और उस के आस पास को काफी भूमि, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित किए जाने के लिए मनोनीत थी, सहकारी समितियों को अलाट कर दी गई है जिनमें कुछ समितियां झटपट बना दी गई और कुछ समितियां पंजीकरण अधिनियम की शर्तें पूरी नहीं करतीं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अलाट की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है, उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह भूमि दी गई है और प्रत्येक मामले में प्रति वर्ग गज भूमि का विक्रय-मूल्य क्या है; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि ये सौदे वैध और नियमानुसार हैं या नहीं, और यदि हां, तो उस का निष्कर्ष क्या है; और यदि नहीं, तो क्या ऐसी जांच की जाएगी ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) जी, नहीं।

**(ख) तथा (ग) :** प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारतीय हाकी संघ में मतभेद**

5956. **श्री वयालार रवि**
**श्री के पी० उन्नीकृष्णन** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी संघ में मतभेद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को पता है कि हाकी संघ की इस गुटबन्दी से अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीमों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) सरकार को भारतीय हाकी संघ के गम्भीर मतभेदों की जानकारी है। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपलब्ध तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मतभेद का एक प्रमुख कारण एक वर्ग द्वारा लगाया गया यह आरोप है कि पदाधिकारियों के नए चुनाव करने में अत्यधिक देरी की गई थी और दूसरे वर्ग का यह प्रत्यारोप है कि 10

मार्च, 1974 को पूना में वार्षिक साधारण बैठक अनियमित थी, जिसमें कि पदाधिकारियों के चुनाव किए गए थे। पुराने तथा नए पदाधिकारियों ने एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालय से तथाकथित विषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है और इसके परिणामस्वरूप संघ का कार्य इस समय ठप्प पड़ा है।

10 से 11 अप्रैल, 1974 तक होने वाली अखिल भारतीय खैलकूद परिषद की बैठक में भी यह मामला परामर्श हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी बीच, जब तक दो वर्गों के बीच गतिरोध को दूर नहीं किया जाता है तथा टीम को तैयार करने और उसे शारीरिक रूप से सक्षम बनाए रखने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकार का प्रस्ताव उन होनहार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को, जिनमें से एशियाई खेलकूद 1974 के लिए हाकी टीम का चयन किया जाएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला को सुपुर्द करने का है।

**चीनी कारखानों द्वारा खुली बिक्री वाली चीनी की जमाखोरी**

5957. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत से कारखानों ने, विशेषतया महाराष्ट्र में, खुले बाजार में बेचने के लिए निर्धारित अपने 20 प्रतिशत मासिक कोटे को नहीं बेची और डिलीवरी नहीं दी और ये कारखाने खुली बिक्री वाली चीनी के कोटे को जमा करने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कारखानों द्वारा देश में चीनी जमा करने के ऐसे कितने मामले गत तीन महीनों में सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ग) यह जमाखोरी खुली बिक्री वाली चीनी के मूल्य में यकायक 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के लिए कहां तक उत्तरदायी है और मिलों की इन चालों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):** (क) जी हां।

(ख) कारखानों द्वारा जमाखोरी के किसी मामले के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उपलब्ध सूचनानुसार दिसम्बर, 1973 और जनवरी तथा फरवरी, 1974 के दौरान देश के 226 कारखानों में से, क्रमशः 74, 66 और 64 कारखानों ने चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अधीन जारी किए गये सरकार के आदेश का उल्लंघन किया था। इस आदेश के अधीन उसमें उल्लिखित प्रत्येक सप्ताह की अवधि में खुली बिक्री के चीनी के मासिक कोटे के 20 प्रतिशत से कम चीनी नहीं बेचनी थी। चूककर्त्ता कारखानों की जवाबतलबी की गई है।

(ग) योंकि चीनी कारखाने, कुल मिलाकर, खुली बिक्री की चीनी की अपनी मासिक निर्मुक्तियों का तुरन्त प्रेषण कर देतें हैं, उपर्युक्त उल्लंघनों का खुले बाजार के मूल्यों में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो सकता है। दिसम्बर, 1973 से खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में लगभग औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि अधिकांशतः खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 37½ प्रतिशत कर देने और क्षेत्रीय संचलन सम्बन्धी अड़चनों आदि जैसी अन्य बातों के कारण की गई थी।

**खाद्यान्नों के आयात के बारे में वाणिज्य मंत्री का वक्तव्य**

5959. **श्री वी० मायावन:**
**श्री प्रसन्न भाई मेहता:** } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1974 के समाचार की ओर दिलाया **गया** है जिस में वाणिज्य मन्त्री ने कहा है कि वर्तमान कमी पर काबू पाने के लिए भारत **खाद्यान्नों** का आयात करेगा।

(ख) क्या इस से पूर्व सरकार ने कहा था कि इस वर्ष खाद्यान्नों के आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग)** सरकार ने समाचार देखा है लेकिन वह तथ्यों पर आधारित नही है। फिलहाल, मौजूदा नीति के अनुसार पहले से प्राधिकृत सीमित मात्रा में आयात किए जा रहे हैं।

**केरल में कुट्टानड तथा त्रिचूर की "कोलें" भूमियों में भूरे टिड्डों के कारण फसल को हानि**

5960. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री कीटों तथा रोगों के कारण **फसल** को हुई क्षति के बारे में 18 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3455 के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में कुट्टानाड तथा त्रिचूर की **'कोले'** भूमियों में भूरे टिड्डों के कारण फसल को हुई हानि के परिणामस्वरूप किसानों के **कल्याण** के लिए कितनी सहायता दी गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : केरल सरकार ने **सूचना** भेजी है कि जिन किसानों की फसलें भूरे टिड्डों से क्षतिग्रस्त हुई थीं उनके लिए उन्होंने **निम्नलिखित** सहायता दी है :—

1. जिला कलक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों को "कृमि प्रभावित" क्षेत्र घोषित करें, ताकि सहकारी बैंकों से कृषकों को मिलने वाले अल्पावधि **ऋण** को मध्यावधि ऋण में बदला जा सके।

2. क्षति की मात्रा के अनुसार कृषकों को कर की वसूली से छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है उन्हें कर से पूर्ण छूट दे दी गई है।

3. जिन कृषकों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है उन्हें राशन कार्ड दे दिए गए हैं।

4. आगामी मौसम के लिए बीजों तथा कीटनाशी औषधियों की पर्याप्त **मात्रा** के भंडारण तथा अप्रभावित खड़ी फसलों को कृमियों से बचाने के लिए व्यवस्था की गई है।

5. 150 मीटरी टन "फुरेदान" खरीद कर इसे 50 प्रतिशत की राज सहायता पर कृषकों को बैचने के लिए कदम उठाये गए हैं।

6. अन्य प्रकार की कीटनाशी औषधियां खरीद कर उन्हें 'न लाभ न हानि' के आधार पर बेचने के लिए कदम उठाये गए हैं।

7. कुट्टानाद क्षेत्र में दूसरी फसल उगाने के लिए पम्पिंग के लिए बिजली के व्यय पर 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

8. कुट्टानाद में दूसरी फसल उगाने के लिए बिजली के कनेक्शन देने के लिए न्यूनतम गारन्टी की शर्तें समाप्त कर दी गई हैं।

राज्य सरकार ने टिड्डों के आक्रमण के नियन्त्रण के लिए छिड़काव कार्यों के लिए प्राकृतिक आपद राहत उपायों के अन्तर्गत भी केन्द्रीय सहायता मांगी है। भारत सरकार इस प्रार्थना पर विचार कर रही है और राज्य सरकार को उपयुक्त सहायता दी जायेगी। कीट-नाशी औषधियों के क्रय तथा वितरण के लिए अल्पावधि ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुरोध पर भी विचार किया जा रहा है।

**विश्व खाद्यान्न रक्षित भण्डार**

5961. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1974 के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्वव्यापी खाद्य संकट होने की स्थिति में विश्व खाद्यान्न रक्षित भण्डार अवश्य होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो देश में और विश्व के अन्य विभिन्न देशों में खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) वे कौन-कौन से खाद्यान्न हैं जिन्हें सरकार रक्षित भंडार के रूप में रखना चाहती है और कितनी अवधि तक ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखा है। भारत ने विश्व खाद्य सुरक्षा नीति और विश्व स्तर पर और व्यक्तिगत देशों में स्टाक को बनाए रखने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

हालांकि, इस समय खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन उसे तैयार करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

**दिल्ली के कनाट प्लेस में ऊंची इमारत के निर्माण के बारे में रोक लगाना**

5962. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के कनाट प्लेस में ऊंची इमारत का निर्माण करने के बारे में लगायी गयी रोक खत्म कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और

(ग) इस क्षेत्र में उंची इमारत का निर्माण करने के बारे में रोक लगाने और अब नियमों में ढील देने के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक समिति द्वारा इस क्षेत्र की विकास आयोजनाओं को समीक्षा किए जाने तक रोक लगायी गयी थी।

**तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद**

**5963. श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद संबंधी कार्य में प्रर्याप्त प्रगति नहीं हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य केवल अंशकालिक कर्मचारियों को ही सौंपा गया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी में शीध्र अनुवाद करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से(ग) : विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में निर्माण करने की केन्द्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने हेतु निदेश देने के लिए परिचालित रूप रेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ इस वात पर बल दिया गया है कि ऐसी पुस्तकों का निर्माण करने के मामले में पुस्तकों के मल लेखन पर जोर दिया जाना चाहिए। एक ओर, पुस्तक व्यवसाय बहुत से अनुवाद प्रकाशित कर रहा है, और योजना में दूसरी ओर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में माध्यम के रूप में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने को सुविधाजनक बनाने के अतिरिक्त इन भाषाओं में उच्च कोटि के लेखन को भी प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है। अतः इस योजना में, अनुवाद करने की तुलना में मूल पुस्तकों के लिखने, को, अधिक प्रायमिकता दी गई है ;

उपलब्ध सूचना के अनुसार, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में जो अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वे इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में अनुदित और प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या का लगभग 45 प्रतिशत है। पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए अब तक जो प्रयास किए गये है वे पर्याप्त हैं या नहीं, इस मामले की समीक्षा होनी है। सरकार ने पहले ही आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सी० वी० राव की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का हिन्दी में निर्माण किए जाने की योजना के कार्यान्वियन की, इसके सभी पहलुओं की जांच करने के लिए, जिसमें पुस्तकों का अनुवाद भी शामिल है, तथा इस योजना

को और आगे अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार को अपेक्षित सिफारिशें करने के वास्ते एक पुनरीक्षण समिति नियुक्ति कर दी है । समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है तथा उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए वेतनाभोगी अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार के अधिकांश अनुवाद कार्य को उन अनुवादकों को सौंपा जाता है जिन्हें अनुदित मानक पृष्टों के अनुसार अनुमोदित दरों पर पारिश्रमिक मिलता है कुछ मामलों में अनुवाद कार्य पूर्णा-कालिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिया जाता है।

**गुजरात में अभावग्रस्त के रूप में घोषित गांव**

5964. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
**श्री डी० पी० जदेजा** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रत्येक जिले में अभाव से कितने गांव प्रभावित हुए है और कितने गांवों को "अभावग्रस्त" घोषित किया गया है।

(ख) इस अभाव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) 1973 में अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति हो गई थी ।

(ग) लगभग 29 लाख व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए हैं।

**अभाव से प्रभावित और 'अभावग्रस्त' विवरण घोषित गांवों की जिलेबार स्थिति बताने वाला विवरण**

| क्रम सं० | ज़िला | प्रभावित गांवों की संख्या | 'अभावग्रस्त' घोषित गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | कच्छ . . . | 658 | 658 |
| 2. | राजकोट | 451 | 451 |
| 3. | जामनगर | 368 | 368 |
| 4. | सुरेन्द्रनगर | 231 | 231 |
| 5. | भावनगर | 81 | |
| 6. | बड़ोच . | 664 | |
| 7. | बांसकंडा | 240 | |
| 8. | महसाना | 105 | |
| 9. | अमरेली | 87 | |
| 10. | अहमदाबाद . . | 43 | |
| | | 9228 | |

**खाद्यान्नों की दोहरी मूल्य पद्धति को लागू करना**

**5965. श्री अरविन्द एम० पटेल**
**श्री वेकारिया** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों की दोहरी मूल्य पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसी पद्धति ठीक प्रकार से कार्य करेगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) : जैसा कि चावल के बारे में अधिकांश राज्यों में जो प्रणाली पहले से चल रही है, उसी प्रकार रबी की नई नीति की घोषणा से अधिशेष राज्यों में गेहूं की मंडी में आमद के एक भाग को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए सरकार सरकारी एजेंसियों द्वारा लेवी के रूप में निर्धारित मूल्य पर एकत्रित किया जाएगा और शेष मात्रा को राज्य के अन्दर खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाएगी। कुछेक राज्यों में मोटे अनाजों पर लेवी एकत्रित की जा रही थी लेकिन 7 मार्च, 1974 से उन के संचलन पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है। नीति में इन परिशोधनों को इस लिए लागू किया गया है ताकि खाद्यान्नों को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध किया जा सके और उनका समान वितरण किया जा सके तथा मूल्यों में अन्तर्राजीय विषमता में कमी की जा सके।

जहाँ तक प्रमुख उत्पादक राज्यों के बाहर व्यापारियों द्वारा गेहूं की बिक्री करने का सम्बन्ध है, उस पर विनियम और नियन्त्रण लागू किए जाएंगें।

**भारतीय हाकी फडरेशन द्वारा एशियाई खेलों तथा विश्वकप के लिए राष्ट्रीय दल का तैयार किया जाना**

**5966. श्री अरविन्द एम० पटेल**
**श्री वेकारिया** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारतीय हाकी संघ ने एशियाई खेलों तथा विश्व कप के लिय राष्ट्रीय दल तैयार करने के कार्य को हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारतीय हाकी फेडरेशन का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार के विचार उनकी किस प्रकार सहायता करने का है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) भारतीय हाकी संघ ने अभी तक एशियाई खेल-कूद 1974 तथा

विश्व-कप हाकी प्रतियोगिता 1975 में भाग लेने के लिये भारतीय हाकी टीम के चयन तथा उसे प्रशिक्षण देने की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) वर्तमान आन्तरिक विवादों तथा संघ में उत्पन्न गतिरोध की वास्तविक स्थिति को देखते हुए तथा टीम की तैयारी और उसे सुदृढ़ करने में सहायता करने के उद्देश्य से, सरकार का एशियाई खेल-कूद 1974 के लिये चुने जाने वाले होनहार हाकी टीम खिलाड़ियों में से होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मदारी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को सौंपने का विचार है।

**मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के लिए विश्व बैंक सहायता**

5967. **श्री रणबहादुर सिंह**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वाकांक्षी वन विकास योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश वन विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने धन संबंधी सहायता देने का भी आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(घ) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)**: (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना करने का प्रश्न सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) विश्व बैंक ने धन संबंधी सहायता देने के बारे में परियोजना को कोई आश्वासन नहीं दिया है। राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व बैंक को भेजने हेतु भारत सरकार के पास दो परियोजनाएं भेजी हैं। भारत सरकार अभी इन परियोजना रिपोर्टों पर विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) : सहायता देने के संबंध में विश्व बैंक इन परियोजना रिपोर्टों पर विचार कर रहा है। राज्य सरकार ने पांचवीं योजना में प्रस्तावित निगम की साम्य अंश पूंजी के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य वन विकास निगम की साम्य अंश पूंजी में सहयोग देने के लिए एक योजना बनाई है और उसने पांचवीं योजना में इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम को केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर निगम से प्रार्थना प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

**मध्य प्रदेश द्वारा खाद्य निगम बनाया जाना**

5968. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने अपना खाद्य निगम बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को कितनी सहायता प्रदान की जानी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल, समवाय अधिनियम, के अधीन अपने निजी निगम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता सुलभ करने की कोई भी योजना नहीं है ।

**वनों का विकास और संरक्षण**

5969. **श्री गिरीधर गोमांगो**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वनों के विकास और संरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार की नई वन नीति क्या है ;

(ख) वन आधारित उद्योगों और वन उत्पादन को बढ़ाने और वन सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किये गये हैं और कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता ली गई है ; और

(ग) उड़ीसा में चौथी योजनावधि में वनों से विस्थापित जनजातियों को बसाने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) भारत ने वर्ष 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी वह अभी चालू है । इस समय राष्ट्रीय कृषि आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि प्राप्त हुए अनुभव और वानिकी के क्षेत्र में हाल ही के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर वर्तमान नीति में क्या-क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है । सरकार को अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, पांचवीं योजना के दस्तावेजों के अनुसार और वन भूमि का निर्वनीकरण नहीं किया जाना चाहिए ।

(ख) वन अर्थ-व्यवस्था में अन्ततः सुधार लाने वाली अनुसंधान योजनाओं के, अतिरिक्त, पंचम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सम्मिलित की गई हैं :—

1. लगभग 800 लाख रुपये की लागत से 80,000 हैक्टर से भी अधिक बैकार, भूमि, पंचायत भूमि तथा वन-क्षेत्रों में मिश्रित किस्म के पेड़ लगाना ( 100 प्रतिशत अनुदान) ।

2. उजड़े हुए वनों में फिर से वन लगाना, रक्षा पट्टियों को लगाना तथा सामाजिक वानिकी का विकास करना (50 प्रतिशत अनुदान) । पांचवीं योजना की अवधि में इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 1,000 लाख रुपये की धनराशि, की स्वीकृति दे दी गई है ।

3. "राज्य वन निगमों में केन्द्रीय साझेदारी" सम्बन्धी योजना । इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने में पेड़ लगाने के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित होने वाले राज्य वन निगमों को साम्य शेयर के रूप में 1,000 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसके फलस्वरूप वनों पर आश्रित रहने वाले उद्योगों के लिये अधिक कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी । पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन योजनाओं के लिये अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं ली है ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उड़ीसा सरकार से प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**उड़ीसा के शिक्षा में पिछड़े हुए जिलों में उच्च शिक्षा**

5970. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के शिक्षा में पिछड़े हुए जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का है ; और

(ख) पांचवीं योजना में कोरापुट जिले के प्राइवेट कालेजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कोरापुट में प्राचीन स्मारकों का संरक्षण**

5971. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या बौद्ध मन्दिर 'धर्मकीर्ति' तथा गुनुपुर सर्वप्राचीन में पदमपुर का हिन्दू पाषाण मन्दिर तथा जयपुर में गुणतेश्वर गुफा सरकार द्वारा संरक्षित की जायेगी; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कोरापुट जिले में कितने ऐतिहासिक स्मारकों का पता चला है और कितने स्मारकों का सर्वेक्षण किया गया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री ( प्रो० एस० नुरुल हसन )** : (क) से (ग) पुरातत्वविद्, अधीक्षक, पूर्वी सर्कल, कलकत्ता, को जिला कोरापुट में स्थित स्मारकों का निरीक्षण करने तथा तत्संबंधी एक रिपोर्ट भेजने का अनुदेश दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार केवल उन्हीं स्मारकों का संकरण करती है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का समझा जाता है।

**इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी**

5972. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी किस-किस हवाई अड्डे पर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथेरिटी आफ इन्डिया में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये ;

(ख) क्या इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथेरिटी आफ इन्डिया ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को आथेरिटी में विभाग के उन कर्मचारियों को सेवा शर्तें बता दी हैं जिन्होंने आथोरिटी में स्थायी रूप सस्थानान्तरण का विकल्प दिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इन्डिया में प्रतिनियुक्ति पर गये अपने कर्मचारियों से, आथोरिटी में स्थायी स्थानान्तरण के बारे में, अपने विकल्प का उपयोग करने के लिये कहा है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) सूचना अनुलग्न क I, II, III, तथा IV में दी गई है।

**[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6650-74]**

(ख) तथा (ग) : भारतीय अन्तरराष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण में स्थायी रूप से रख लिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों (कार्यप्रभारित तथा नियमित) द्वारा विकल्प देने तथा इस प्रकार रख लिए जाने की शर्तों सम्बन्धी मामलों पर विचार उक्त प्राधिकरण के परामर्श से किया जा रहा है।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश का वर्क चार्जड स्टाफ**

5973. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के वर्क चार्जड स्टाफ के लिये प्रत्येक वर्ग के अनुसार वर्ष 1968 में कुल कितने स्थायी पद बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सभी पात्र कर्मचारियों को इन स्थायी पदों पर स्थायी बना दिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1968 के बाद और स्थायी पद बनाये गये हैं और यदि हां, तो कितने ; और

(घ) क्या स्थायी कर्मचारी किसी पेंशन सम्बन्धी लाभ के पात्र हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) अरुणाचल प्रदेश प्रशासन का कार्यप्रभारित स्टाफ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रभारित स्थापना का अंग नहीं है। वे अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इस प्रशासन के कार्यप्रभारित स्टाफ के लिये 1968 में 100 स्थाई पदों का सृजन किया गया था। प्रत्येक श्रेणी में बनाये गये स्थाई पदों की संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) जी, हां

(ग) 1968 के बाद से अभी तक किसी स्थाई पद का सृजन नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां ।

**विवरण**

प्रत्येक श्रेणी में 1968 में सृजित किये गये स्थाई पदों की संख्या

| क्रम संख्या | पद/श्रेणी | सृजित किये गये पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | मोहोरिर | 53 |
| 2. | सर्वेक्षक | 1 |
| 3. | ओवरसियर | 1 |
| 4. | चौकीदार | 25 |
| 5. | मेहतर | 7 |
| 6. | लोहार | 3 |
| 7. | बढ़ई | 2 |
| 8. | बढ़ई के लिये जुगाली | 1 |
| 9. | फिट्टर मिस्त्री | 3 |
| 10. | जल सप्लाई फिट्टर के लिए जुगाली | 1 |
| 11. | रोड रोलर चालक | 1 |
| 12. | पम्प चालक | 1 |
| 13. | सर्वकर्मकार | 1 |
| | | 100 |

**खाद्यान्नों में अधिक और कम उत्पादन वाले राज्य**

5974. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में आम वर्षों में भारत में अधिक उत्पादन वाले और कम उत्पादन वाले राज्य कौन-कौन से हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रकार के इन खाद्यान्नों का कितना अधिक अथवा कम उत्पादन हुआ है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) तथा (ख) यह बता सकना सम्भव नहीं है कि अलग-अलग धान्यों में अधिक उत्पादन वाले या कम उत्पादन वाले राज्य कौन-कौन से हैं। तथापि, हाल के वर्षों के अनुभव के आधार पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कुछ राज्य अधिक उत्पादन वाले राज्य माने जा सकते हैं।

**प्रत्येक राज्य में प्रति वयस्क प्रति माह दी गई खाद्यान्न की मात्रा**

5975. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राशन वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में (I) नवम्बर 1973 (II) जनवरी 1974 और (III) फरवरी 1974 के दौरान प्रति वयस्क प्रति माह कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया;

(ख) क्या महाराष्ट्र तथा गुजरात में इस कोटे में वृद्धि करने के लिये सार्वजनिक मांग हैं; और

(ग) इस सार्वजनिक मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):** (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से राज्यों को प्रत्येक मास कुल उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं। राज्य के अन्दर वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों को जारी करने का उद्देश्य खुले बाजार में उपलब्धता में वृद्धि करना है। क्योंकि सप्लाई, विशेषतया खुले बाजार में प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रत्येक राज्य में, राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है, सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न जारी करने के लिए कोई समान सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए दिये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा का अन्दाजा लगाएं। महाराष्ट्र और गुजरात में खाद्यानों की मात्रा में वृद्धि करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

**ज्वार और बाजरे का वसूली लक्ष्य और उपलब्धि**

5976. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खरीफ फसल के लिये ज्वार और बाजरे के राज्यवार वसूली लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं?

(ख) यदि इसमें कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) रबी फसल के लिये इन खाद्यान्नों के वसूली लक्ष्य क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):** (क) और (ख) ज्वार और बाजरा के राज्यवार लक्ष्य और खरीफ विपणन मौसम 1973-74 के दौरान अब तक वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। अधिप्राप्ति मौसम अक्तूबर, 1974 के अन्त तक जारी रहेगा। हालांकि ज्वार और बाजरा की अब तक की गई अधिप्राप्ति पिछले वर्ष की तदनुरूपी स्थिति, सामान्यत: लक्ष्य की तुलना में बेहतर है फिर भी अधिप्राप्ति की प्रगति बहुत ही धीमी रही है। उसके लिए कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) कुछ राज्यों में देर से वर्षा होने, कटाई के समय प्रतिकूल मौसम होने और कीट आक्रमण आदि के कारण फसल का क्षतिग्रस्त होना।

(2) खुले बाजार में मोटे अनाजों के ऊंचे मूल्य होना ।

(3) अन्य जिन्सों के मूल्य में सामान्य वृद्धि जिसके फलस्वरूप अधिप्राप्ति की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(4) वर्ष के उत्तरार्द्ध में बेहतर मूल्य की प्रत्याशा में उत्पादकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्टाक को रोक लेने की प्रवृत्ति ।

(5) कमी की सामान्य मनोभावना ।

(ग) हालांकि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि जैसे कुछेक राज्यों में ज्वार का उत्पादन रबी फसल के रूप में किया जाता है फिर भी अधिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए बाजरा और ज्वार को केवल खरीफ के लक्ष्य में ही शामिल किया जाता है । इसलिए रबी मौसम में इन खाद्यान्नों के कोई पृथक लक्ष्य नहीं है ।

**विवरण**

**ज्वार और बाजरा के अधिप्राप्ति लक्ष्य और मार्च, 1974 के अंत तक वास्तव में अधिप्राप्त मात्रा**

खरीफ विपणन मौसम 1973-74

(आंकड़े हजार मी० टन में)

| राज्य का नाम | अधिप्राप्ति के लक्ष्य | | अधिप्राप्त मात्रा | |
|---|---|---|---|---|
| | ज्वार | बाजरा | ज्वार | बाजरा |
| आन्ध्र प्रदेश | 100 | — | — | — |
| गुजरात | — | 150 | — | 14 |
| हरियाणा | — | 40 | — | — |
| मध्य प्रदेश | 95 | — | 5 | — |
| महाराष्ट्र | 375 | 25 | 67 | 64 |
| मैसूर | 200 | — | 2 | — |
| राजस्थान | 70 | 150 | 4 | 38 |
| उत्तर प्रदेश | 50 | 50 | 29 | 13 |
| तमिलनाडु | 15 | 5 | — | — |
| कुल | 905 | 420 | 107 | 129 |

## आयातित खाद्यान्न में कूड़ा-करकट और न खाने लायक पदार्थ के बारे में महाराष्ट्र की ओर से शिकायत

5977. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है कि विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्नों में कूड़ा-करकट तथा न खाने लायक पदार्थ 25 प्रतिशत तक हैं ;

(ख) क्या शिकायत का सत्यापन किया गया है और यदि हां, तो सत्यापन का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार को कूड़े-करकट से हुई हानि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिपूर्ति 1972-73 और 1973-74 के दौरान फरवरी के अन्त तक किस प्रकार और किस सीमा तक की गई ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

## पांचवीं योजना में वन विभाग में 50 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करना

5978. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना की अवधि में वन विभाग में 50 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य )** : (क) और (ख) प्राथमिक वानिकी क्रिया कलाप तैयार करते समय अधिक रोजगार मुहैया करने की बात ध्यान में रखी जाती है। ये क्रियाकलाप हैं वनरोपण, वन-वृक्ष विज्ञान सम्बन्धी कार्य, सड़क और भवन निर्माण, वन उत्पादों का उपयोग और उनका परिवहन, आदि। खासतौर पर वानिकी क्षेत्र में वन पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त कार्यकलापों की भी व्यवस्था की गई है । ये सभी कार्यकलाप श्रम-प्रधान हैं और इनसे रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध होंगे ।

पांचवीं योजनावधि के लिये राज्यों की वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत 172.97 करोड़ रुपये की और केन्द्रीय /केन्द्र द्वारा प्रायोजित वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत 47.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है । इस पूंजी निवेश से विभिन्न वानिकी योजनाओं में, जिनमें से अनेक रोजगार प्रधान हैं, रोज़गार के बहुत ज्यादा अवसर होने की सम्भावनायें हैं।

## हरिजन कालोनियों में शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष कार्यक्रम

5979. **श्री वी० के० दास चौधरी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से उन हरिजनों के लिये जो सफाई कार्य में लगे हैं; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की हरिजन कालोनियों की शिक्षा संस्थाओं के लिये उदारतापूर्वक अनुदान देने के लिये उनके मंत्रालय का समाज कल्याण के अन्तर्गत कोई विशेष कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में राज्यवार विभिन्न राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत अब तक दिये गये अनुदान का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना अथवा प्रस्ताव को शुरू करने पर विचार करेगी ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (ग) क्योंकि शिक्षा एक राज्य विषय है, इसलिए स्कूल खोलने और शैक्षिक संस्थाओं को जिसमें हरिजन कालोनियों की शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल हैं, वित्तीय सहायता देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । सामान्यतया, इलाकों की आवश्यकतानुसार स्कूल खोले जाते हैं। सभी स्कूलों को समान रूप से सहायक अनदान संबंधी नियम लागू होते हैं। किन्तु सामान्यतया भवन और उपस्कर अनुदान संस्वीकृत करने के लिए हरिजन कालोनियों, गन्दी बस्तियों इत्यादि में स्थित स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये अभी तक 29 आश्रम स्कूल स्थापित किये गए हैं। पिछड़े वर्गों के बच्चों सहित अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की योजनाएं शैक्षिक संस्थाओं की ओर केन्द्रित नहीं हैं अपितु वे पिछड़े वर्गों के बच्चों की ओर केन्द्रित हैं । मसौदा पांचवीं पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय योजनाएं, जो शैक्षिक विषय और अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं, ये हैं :—मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, बालिका छात्रावास और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता । इसके अलावा उनके लिये व्यावसायिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित किये जाते हैं अर्थात् इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में 20 प्रतिशत स्थान पिछड़े हुए वर्गों के बच्चों के लिये आरक्षित हैं जिनमें से 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं ;

## उचित दर दुकान संख्या 2204 में राशन की वस्तुओं का उपलब्ध न होना

5980. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की गोल मार्किट शाखा की उचित दर दुकान संख्या 2204 में खाद्यान्नों की राशन पर मिलने वाली सभी वस्तुएं अर्थात् गेहूं, आटा, चावल, चीनी, मक्का हर समय उपलब्ध नहीं होती है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं ?

(ग) इस दुकान में रजिस्टर्ड राशन कार्डों की कुल संख्या क्या है और खाद्यान्नों तथा चीनी के यूनिटों की कुल संख्या क्या है; और

(घ) इस दुकान में भी हर समय क्षेत्र में अन्य दुकानों में उपलब्ध राशन की सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने को सुनिश्चित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) मार्च, 1974 में कुछ दिनों के लिये आटा, मैदा और सूजी उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी की अपनी केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति और वितरण प्रणाली है। हालांकि विशिष्ट खाद्य वस्तुओं के लिए दिल्ली प्रशासन के खाद्य सम्भरण अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की व्यक्तिगत शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है लेकिन वे उसे के० स० क० उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी के खरीद एवं विक्रय कार्यपालक के पास जमा करवा देते हैं जोकि उनकी ओर से भारतीय खाद्य निगम से खाद्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। तदुपरान्त उन वस्तुओं को वे अपनी सुविधानुसार अपनी शाखाओं में वितरित कर देते हैं । इससे कुछ विलम्ब हो जाता है जिससे कुछ शाखाओं में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कमी अथवा अनपलब्धता पैदा हो जाती है।

| | |
|---|---|
| (ग) कार्डों की कुल संख्या . . . . . | 517 |
| अनाज यूनिट . . . . | 5014 |
| चीनी यूनिट . . . . . | 2683 |

(घ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी, नयी दिल्ली से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्य में सुधार करें ताकि उनकी शाखाओं को माल तुरन्त सप्लाई किया जा सके।

## डी०आई०जैड० एरिया और दिल्ली/नई दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में टाईप-IV के क्वार्टरों का निर्माण

5981. **श्री नवल किशोर सिंह**
**श्री आर० पी० उलगनम्बी** } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली तथा नगर के अन्य भागों में अलग-अलग टाईप-IV के कितने क्वार्टर इस समय निर्माणाधीन हैं ;

(ख) इन क्वार्टरों का निर्माण कार्य कब पूरा होगा और ये कब नियतन के लिये तैयार होंगे; और

(ग) इनमें से कितने क्वार्टर ऐसे कार्यालयों को दिये जायेंगे जिनमें सरकारी आवास के नियतन के लिए अलग 'पूल' हैं और उन कार्यालयों के नाम क्या हैं और प्रत्येक ऐसे कार्यालय को कितने क्वार्टरों क नियतन किया जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में टाईप-IV के निम्नलिखित क्वार्टर निर्माणाधीन हैं :—

| संख्या | स्थान | निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख |
|---|---|---|
| 8 | नेताजी नगर . . . | 31-7-74 |
| 152 | मस्जिद मोठ . . | 31-3-75 |
| 56 | सेक्टर VIII, रामकृष्णपुरम् | 30-9-74 |
| 80 | मोती बाग . . . . | 31-5-74 |
| 84 | सेक्टर III, रामकृष्णपुरम् | 31-10-74 |
| 32 | डी० आई० जैड० क्षेत्र . . . | 15-5-74 |
| 92 | डी० आई० जैड० क्षेत्र . . . . . | 31-12-74 |

ये क्वार्टर सभी प्रकार से पूर्ण होने पर अलाट किए जायेंगे।

(ग) निर्माणाधीन टाईप-IV के क्वार्टरों में से 79 क्वार्टर डाक तथा तार विभाग को, डी० आई० जैड० क्षेत्र में पी० एण्ड टी० क्वार्टरों को खाली करने के लिये दिए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि उस भूमि की लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा अस्पताल के विस्तार के लिए जरूरत है ।

**आयातित खाद्यान्न को मद्रास बन्दरगाह से निकालने में विलम्ब**

5982. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मद्रास बन्दरगाह से आयातित खाद्यान्न निकालने में विलम्ब किया जाता है ;

(ख) क्या इस बीच खाद्यान्न से भरे दो अन्य जहाज बन्दरगाह में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) इस विलम्ब के कारण कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) मद्रास बन्दरगाह से आयातित खाद्यान्नों की निकासी, जिस पर रेलवे और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा आन्दोलन और हड़ताल करने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, में अब सुधार हो गया है।

(ख) मार्च, 1974 के अन्त में और अप्रैल, 1974 के शुरू में मद्रास पत्तन पर गेहूं से लदा केवल एक जहाज घाट की प्रतीक्षा में था ; खाद्यान्न से लदा दूसरा जहाज, जोकि मद्रास पत्तन पर प्रतीक्षा कर रहा था, लगभग एक सप्ताह रोकने के बाद केरल पत्तन को भेज दिया गया था।

(ग) धीमी निकासी के कारण खाद्यान्नों को कोई क्षति नहीं हुई थी ।

**Posts Lying Vacant in Government of India Press, Faridabad**

5983. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of permanent posts of Case Room (Compositor, etc.) lying vacant in the Government of India Press, Faridabad and the dates from which they are vacant together with the reasons therefor;

(b) whether the employees of all the branches (Binding, Machine, Reading etc.) except composing branch, have been made permanent and if so, the reasons for which compositors, etc. have not been made permanent when they have put in 15 years service;

(c) whether different criteria are followed for determining the seniority in Case Room Branch and other branches and if not, the reasons for not publishing the seniority list since 1966; and

(d) whether in the Government of India Press, Ring Road, New Delhi temporary compositors have been appointed as learners in Lino/Mono-Branches and if so, the reasons for not applying these rules to the Government of India Press, Faridabad and what are these rules?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri)** : (a) A statement containing the number of permanent posts against which confirmations have to be done is placed on the Table of the Sabha. The question of fixing seniority of the employees is under consideration.

(b) Yes. A Seniority List was circulated. A number of representations had been received which are under examination. Confirmations in the composing section could not be made because of claims and counter-claims from the employees, some of whom have gone to Court of Law.

(c) No. The seniority list would be published as soon as decision has been taken on the various points involved.

(d) Permanent compositors with ten years service are eligible for selection as learners Since compositor with that length of service were not available in Ring Road Press, a relaxation was allowed in that Press. The question of relaxing the relevant rule in case of Govt. of India Press, Faridabad is also under consideration.

STATEMENT

**Statement showing permanent posts in Government of India Press, Faridabad in which confirmation have to be made.**

| Designation | No. of Posts | Break up of figures in Col. 2 | |
|---|---|---|---|
| | | Date | No. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Section Holder | 14 | 18-5-72 | 11 |
| | | 16-6-73 | 3 |
| Foreman | 5 | 18-5-72 | 4 |
| | | 16-6-73 | 1 |
| Compositors Gr. I | 40 | 1-4-69 | 32 |
| | | 18-5-72 | 6 |
| | | 16-6-73 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Compositors Gr. II | .. 126 | 5-5-58 | 3 |
| | | 1-5-63 | 23 |
| | | 1-7-66 | 49 |
| | | 11-8-66 | 1 |
| | | 24-6-68 | 1 |
| | | 1-4-69 | 20 |
| | | 21-8-71 | 1 |
| | | 15-8-72 | 22 |
| | | 16-6-73 | 6 |

**Expenditure on Jawahar Jyoti**

**5984. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the head under which the expenditure on Jawahar Jyoti in Teen Murti this being incurred;

(b) the expenditure incurred thereon during the last two years; and

(c) the approximate expenditure incurred thereon daily?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav):** (a) to (c) The Jawahar Jyoti is being maintained since 11th January, 1971, by the Nehru Memorial Museum and Library, which is an autonomous organisation.

An expenditure of Rs. 63/- was incurred by the Museum on its maintenance during 1972-73 and Rs. 50/- during 1973-74. The gas for feeding the Jyoti is supplied to the Museum free of cost. The average daily consumption of gas in this regard is one cylinder.

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या**

**5985. श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में श्रेणी-2, 3 तथा 4 के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित और जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की कमी के कारण गत तीन वर्षों में, श्रेणी-वार, कितने पदों को सामान्य रिक्तियों में परिवर्तन करने के मामले उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :**

| | श्रेणी I | श्रेणी II | श्रेणी III | श्रेणी IV |
|---|---|---|---|---|
| (क) | | | | |
| कुल कर्मचारियों की संख्या | 119 | 541 | 689 | 310 |

| | श्रेणी I | श्रेणी II | श्रेणी III | श्रेणी IV |
|---|---|---|---|---|
| (ख) | | | | |
| आदिम जाति के कुल कर्मचारियों की संख्या | 6 | 40 | 75 | 62 |
| जनजाति के कुल कर्मचारियों की संख्या | — | 5 | 2 | 8 |

(ग) कुछ नहीं।

**गुजरात में राज्य कृषि विकास परिषद् को समाप्त करना**

5986. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य कृषि विकास परिषद् को समाप्त कर दिया है, जिसे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने गठित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद् को समाप्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके कृत्य क्या थे ; और

(घ) क्या उसके स्थान पर किसी अन्य वैकल्पिक परिषद् का गठन किया जाएगा ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और यह उपलब्ध होने पर यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत में उर्वरकों की कमी और खाद्य उत्पादन पर उनके प्रभाव के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के विचार**

5988. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
**श्री तरुण गोसाई** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक, डा० ए० बोएरा के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत को इस वर्ष 50,000 टन उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत को उर्वरक की कमी से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि उर्वरक की कमी का अर्थ होगा खाद्यान्न उत्पादन में 50 लाख टन की कमी ; और

(घ) क्या इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि भारत को इस वर्ष कितना कम उर्वरक प्राप्त होगा और इससे उत्पादन में कितनी कमी होगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) से (ग) भारत सरकार का ध्यान खाद्य और कृषि संगठन की एक प्रैस विज्ञप्ति की ओर गया है जिसमें खाद्य और कृषि संगठन के अधिकारियों के इस कथन का हवाला दिया गया है कि भारत में उर्वरकों की

लगभग 10 लाख टन की कमी से खाद्यानों का उत्पादन लगभग 100 लाख टन तक कम हो जाने की आशंका है। इस प्रैस विज्ञप्ति में महानिदेशक डा० ए० एच० बोर्मा का हवाला देते हुए कहा गया है कि विकासशील देशों में उर्वरकों की भारी कमी से चालू वसंतकालीन फसल की संभावनायें पहले ही धूमिल हैं।

(घ) चूंकि चालू वर्ष के लिए उर्वरकों की बाहर से खरीद अभी जारी है, अत: इस समय उर्वरकों की कमी की मात्रा अथवा इसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में होने वाली कमी का अंदाज़ा लगा सकना संभव नहीं है।

**राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की मार्च, 1974 में हुई बैठक**

5989. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की 12 मार्च, 1974 को बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या निर्णय लिये गये ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे)** :(क) से (ग) 12-3-74 को हुई राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की बैठक में कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित 1974-75 मौसम के लिए रबी के खाद्यान्नों की मूल्य नीति पर विचार किया गया था। परिषद् का सलाहकार स्वरूप होने से सदस्यों ने गेहूं के मूल्य और अधिप्राप्ति की नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

**पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर चीनी मिलों का प्रबन्ध अपने अधीन करना**

5990. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अमृतसर चीनी मिलों का प्रबन्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन ग्रहण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि०, अमृतसर के वनस्पति संयंत्र, जोकि अप्रैल, 1973 से बंद पड़ा था, के प्रबंध को पंजाब सरकार ने भारत सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन अपने हाथ में ले लिया था। इस सम्बन्ध में जो और पग उठाए जाने हैं, उस के बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

**जामनगर, गुजरात में विक्टोरिया पुल**

5991. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामनगर, गुजरात में विक्टोरिया पुल के साथ एक पुल के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पुल के कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) जामनगर जिले में प्रस्तावित विक्टोरिया पुल, जब बनाया जायेगा वह स्थानीय सड़क पर होगा । अतः यह, राज्य कार्यक्लापों के क्षेत्र में आता है । राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुल का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(ख) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता ।

**"प्रोजेक्ट टाईगर" कायक्रम का मूल्यांकन**

5992. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "प्रोजेक्ट टाईगर" कार्यक्रम की उपलब्धियां एवं असफलताएं क्या-क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** 1. कृतिक दल की सिफारिशों के अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये 9 राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी । इस स्वीकृति के अनुसार राज्य सरकारों ने सब बाधाओं से मुक्त लगभग 300 वर्ग कि० मी० के एक कोर क्षेत्र को अलग रखना स्वीकार कर लिया है । इस कोर क्षेत्र में घरेलू पशुओं का चरना बन्द कर दिया जाएगा । नियमित वानिकी सम्बन्धी कार्य कोर क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में किए जाएंगे ।

2. समस्त 9 आरक्षित स्थलों, अर्थात् मानास, पालामाऊ, सिमिलीपल, कोरबेत्त, रणथम्भोर कान्हा, मेलघाट, बंदीपुर तथा सुन्दरबन की विस्तृत वैज्ञानिक व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएं तैयार करके उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया था । यह परियोजना पंचम पंचवषीय योजना में प्लान स्कीम के रूप में सम्मिलित की गई है और भारत सरकार ने वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक के लिये इन बाघ आरक्षण योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है । कृषि मन्त्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में इस परियोजना के लिये 3.59 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है ।

3. भारत सरकार ने समस्त 9 बाघ आरक्षित स्थलों के क्षेत्र निदेशकों के सम्बध में अपनी स्वीकृति दे दी है । 7 राज्यों ने क्षेत्र निदेशक नियुक्त कर दिये हैं और उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है । पालामाउ बाघ आरक्षण स्थल (बिहार) और मानास बाघ आरक्षण स्थल (असम) के लिए क्षेत्र निदेशकों को शीघ्र नियुक्त किया जा रहा है ।

4. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है । प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अभी बिहार तथा उड़ीसा में योजना शुरू

नहीं की गई है। परन्तु ये राज्य इस योजना को 1 अप्रैल, 1974-75 से शुरू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

5. विश्व वन्य-प्राणी निधि से दस लाख डालर के अनुदान के लिये एक विस्तृत अभ्यावेदन विश्व वन्य-प्राणि निधि के मुख्यालय को भेजा गया था। विश्व वन्य-प्राणि निधि ने उपकरणों के लिए 1,87,472 रुपये की धनराशि दे दी है। आगामी वर्ष के दौरान उपकरणों तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिये और धनराशि मिलने की सम्भावना है।

6. कान्हा बाघ आरक्षित स्थल के सिवाय वर्ष 1973-74 के दौरान किसी भी बाघ आरक्षित स्थल से बाघों की चोरी की कोई सूचना नहीं मिली है। कान्हा आरक्षित स्थल से चोरी होने के मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पिपली ब्लाक से भी बाघ की चोरी के एक मामले की सूचना मिली है। इस मामले की भी जांच की जा रही है।

**दिल्ली दुग्ध योजना अधिकारी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन**

5993. **श्री पी० गंगादेव**
**श्री पुरुषोत्तम ककोडकर** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना अधिकारी एसोसिएशन ने फरवरी 1974 में उन्हें कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस ज्ञापन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्र में दूध का उत्पादन और प्राप्ति बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए गए थे। दिल्ली दुग्ध योजना ने इस ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर विचार किया है और आवश्यक होने पर समुचित उपाय किए जाएंगे।

**दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापक**

5994. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान के कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे विज्ञान अध्यापकों की संख्या क्या है जिनकी सेवा तीन वर्ष से अधिक हो गई है और अभी तक जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) छिहत्तर।

(ख) अठारह।

(ग) जिन अध्यापकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है, उनके पास पद के लिए निर्धारित अपेक्षित प्रशिक्षण/ अर्हताएं नहीं हैं तथा कुछ मामलों में चरित्र/पूर्ववृत्त के जांच के बारे में रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**गंदी बस्तियां विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन करना**

5995. **श्री प्रबोधचन्द्र**
**श्री मूल चन्द डागा** } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियां विभाग का कार्य दिल्ली नगर निगम से लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है; यदि हां, तो कब से ;

(ख) क्या गन्दी बस्तियां हटाने की वे योजनाएं जो दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं अथवा की जानी थीं, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाया जायेगा ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्तियां हटाने की कौन कौन सी नई योजनाएं निकट भविष्य में कार्यान्वित की जायेंगी ;

(घ) क्या ऐसे किरायेदारों/लाइसेंसधारियों को, जो स्वेच्छा से घोषित गन्दी बस्तियों से निकलना चाहते हैं, गन्दी बस्ती वासियों के लिए बनाये गये नये क्वार्टर दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों; और

(ङ) क्या गंदी बस्तियों को शीघ्र हटाने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण गन्दी बस्ती वाली पुरानी रिहायशी इमारतों की मरम्मत पर अत्यधिक खर्च करने की बजाय उन्हें गिराने की नीति अपनायेगी और गन्दी बस्ती के अधिकृत निवासियों को बदले में आवास दिये जायेंगे ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)**:(क) गन्दी-बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना का कार्य भारत सरकार के दिनांक 11-2-1974 के पत्र द्वारा दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था ।

(ख) हस्तांतरित किये गये सभी चालू कार्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यान्वित करेगा ।

(ग) नई योजनाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण यथासमय तैयार करेगा और कार्यान्वित करेगा ।

(घ) जो व्यक्ति गन्दी बस्ती वासियों के लिए बनाये गये टेनेमेंट्स के आवंटन के पात्र हैं उन्हें, यथासम्भव उक्त टेनेमेंट्स में बसाया जायगा ।

(ङ) गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार, दोनों ही कार्य, क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर किये जायेंगे ।

**उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय आवास सुविधाएं**

5996. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य में चौथी योजना के दौरान निर्धारित आवास सुविधाओं के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय द्वारा चलाई गई निम्नलिखित दो योजनाओं को छोड़कर सभी सामाजिक आवास योजनाओं को राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता-प्राप्त आवास योजना ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना ।

चौथी योजना में उड़ीसा सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को भी राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए, जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी गई थी जो किसी योजना विशेष अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं थी । राज्य सरकार राज्य क्षेत्र की किसी भी योजना के कार्यान्वयन के लिये समेकित केन्द्रीय सहायता में से अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राशि का निर्धारण करने में स्वतन्त्र थीं । फलतः, चौथी योजना में राज्य क्षेत्र में शामिल की गई सभी आवास योजना के वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण उड़ीसा सरकार ने स्वयं करना था । उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चौथी योजना में विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन 6642 मकानों के निर्माण का लक्ष्य था जिसके विपरीत 5741 मकानों के निर्माण की आशा थी । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने लगभग 2600 मकानों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम के विशेष नान-प्लान ऋण का भी उपयोग किया है ।

2. जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र की उपर्युक्त दो योजनाओं का सम्बन्ध है, बागान कर्मचारयों के लिये सहायता-प्राप्त आवास योजना का कार्यान्वयन उड़ीसा में नहीं होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना जो अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी, के अधीन चौथी योजना में 8.40 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की 3349 आवास स्थल देने की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या को मालूम करने के लिए परिवार-वार सर्वेक्षण पूर्ण न कर सकने के कारण राज्य सरकार इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न कर सकी ।

**उड़ीसा का चौथी योजना के दौरान शिक्षा सुविधाओं का लक्ष्य**

**5997. श्री बनमाली बाबू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को दी गई शिक्षा सुविधाओं का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**कृषि संबंधी करार के लिए रूसी कृषि प्रतिनिधिमण्डल का दौरा**

**5998. श्री बनमाली बाबू**
**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के कृषि विशेषज्ञ दल ने मार्च, 1974 में कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों में अधिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने तथा करार पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतनिधिमण्डल के साथ क्या विचार-विमर्श किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां । छः रूसी विशेषज्ञों का एक दल भेड़ प्रजनन, बकरी प्रजनन और चुकन्दर की खेती सम्बन्धी परियोजनाएं शुरू करने के लिये रूसी सहायता की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिये 11 मार्च, 1974 को भारत में पहुंचा था।

(ख) विचार विमर्श का संक्षिप्त सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

रूसी विशेषज्ञों ने सीकर के समीप स्थापित होने वाले भेड़ प्रजनन फार्म, जयपुर के समीप स्थापित होने वाले कृत्रिम वीर्य केन्द्र, मालपुरा (राजस्थान) के केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान, उत्तर प्रदेश के भैंसोरा नामक स्थान के भेड़ प्रजनन फार्म के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, दाचीगम और दुकसम भेड़ प्रजनन फार्मों, जम्मू तथा कश्मीर में डीसू और अहलंगोडोल स्थित भेड़ प्रजनन केन्द्रों का दौरा किया था। दौरे की अवधि में उन्होंने भेड़ तथा बकरी प्रजनन के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की । उन्होंने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में श्रीगंगानगर, जलन्धर, लुधियाना, हिसार, लखनऊ, कानपुर तथा पंतनगर में अनुसन्धान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के चुकन्दर की खेती से सम्बन्धित प्रयोगात्मक खेतों का भी दौरा किया था और गन्ने तथा चुकन्दर के परिसंस्करण विषयक उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त की।

अध्ययन की गई सामग्री, जलवायु तथा आर्थिक परिस्थितियों और भूमि क्षेत्र के परीक्षण के आधार पर और भारतीय विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों को ध्यान में रखते हुए रूसी प्रतिनिधि मण्डल शुरू में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीकर, राजस्थान, और भैसोरा, उत्तर प्रदेश की समीपवर्ती भूमि के क्षेत्रों में मैरिनों भेड़ों के लिए भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए सिद्धान्ततः सम्भावनाएं मौजूद हैं। रूसी विशेषज्ञों का विचार है कि जम्मू तथा कश्मीर में सौरनौलटैस्की नस्ल की पशमीना बकरियों का प्रजनन करना सम्भव है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रिडैन्सकया नस्ल की बकरियों के प्रजनन के प्रश्न को खुलझाने के लिए इन बकरियों को नई जलवायु के अनुकूल करने के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक कार्य करना वांछनीय है ।

रूसी विशेषज्ञों का विचार है कि काराकुल भेड़ प्रजनन के लिए भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों की परिस्थितियां प्रजनन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय विशेषज्ञों ने रूसी विशेषज्ञों से अनुरोध किया था कि वे काराकुल भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त कृषि जलवायु की परिस्थितियों के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। वे इस बात के लिए सहमत थे कि वे काराकुल भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करेंगे। यदि ये क्षेत्र उपयक्त सिद्ध हुए तो रूसी विशेषज्ञ 29 नवम्बर, 1973 के मूल पत्र के अनुसार काराकुल भेड़ सलाई करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान संस्थानों और प्रयोगात्मक केन्द्रों द्वारा प्राप्त अनुभव और अध्ययन परिणामों के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चुकन्दर की खेती करना सम्भव है।

परन्तु चुकन्दर की खेती के लिए बीज के चयन और कृषि तकनीकों में सुधार किया जाना चाहिए। तकनौलोजी विकास के लिए अनुसन्धान अध्ययनों को भी व्यापक बनाया जाना चाहिए। क्रियान्विति के विषय में दोनों पक्षों ने निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की है।

1. भेड़ पालन तथा चुकन्दर की खेती में अनुसन्धान तथा चयन कार्य का अध्ययन करने के लिए रूसी अनुसन्धान संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति तथा उसके बदले में भारत में रूसी वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्ति।

2. तीन महीने की अवधि के अन्दर भारतीय पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर विभिन्न फार्मों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय विशेषज्ञों, भेड़, पालकों, पशु-चिकित्सकों, बकरी पालकों और चुकन्दर उत्पादकों के दल द्वारा रूस का दौरा करने के प्रश्न पर रूसी पक्ष विचार करेगा।

3. भारतीय पक्ष की प्रार्थना पर रूसी पक्ष भारत के कृषि मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकारों और सरकारी कृषि विभागों/राज्यों या केन्द्रीय सरकार के संस्थानों से सम्बद्ध विशेषज्ञों के रूप में चुकन्दर की खेती, भेड़ तथा बकरी प्रजनन के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगा।

4. रूसी पक्ष भारत में विभिन्न मृदा तथा जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों में परीक्षण के लिए रूस में संग्रह की गई 10 से 15 अधिक उत्पादनशील किस्मों के तीस-तीस किलोग्राम बीज और अनुसन्धान हेतु अन्य प्रजनन सामग्री की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार करेगा।

5. भारतीय पक्ष भेड़ तथा बकरी प्रजनन फार्मों, वैकसीन आदि के लिए उपकरणों तथा मशीनरी और चुकन्दर के सम्बन्ध में अनुसन्धान एवं विकास कार्य के लिए उपकरणों की आवश्यकता पर विचार करेगा और उसके बारे में रूसी पक्ष को सूचित करेगा। इसके बाद रूसी पक्ष इन चीजों की सप्लाई की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में इस प्रार्थना की प्राप्ति से तीन महीने के अन्दर भारतीय पक्ष को सूचित करेगा।

6. भारत में रूसी सलाहकारों और विशेषज्ञों की प्रतिनियक्ति, रूस में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय विशेषज्ञों का दौरा, बीज सामग्री मैरिनों भेड़ बकरियों और अपेक्षित उपकरणों की सप्लाई आपस में तय हुई शर्तों के आधार पर की जाएगी।

**चावल के आवागमन पर प्रतिबन्ध के कारण चावल के मूल्य में वृद्धि**

**5999. श्री पी० आर० शिनाय :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में चावल के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है; और

(ख) क्या उपयुक्त वितरण प्रणाली के बिना चावल के आवागमन पर लगा प्रतिबन्ध भी मूल्य वृद्धि का एक कारण है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है जोकि अंशत: मौसमी है और अंशत: उत्पादक राज्यों के बाजार में कम आमद, परिकल्पित जमाखोरी और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण हुई है।

**खाद्यान्न के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना**

6000. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यन्नों को लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) अधिप्राप्ति के हित में गेहूं/धान/चावल के अन्तर्क्षेत्रीय /अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को जारी रखा जा रहा है। राज्यों के बीच मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा दिया गया था क्योंकि उत्पादक राज्यों में अधिप्राप्ति के मामले में आगे कोई और सुधार नहीं देखा गया था।

**आदिवासी खंडों में सहकारी समितियां**

6001. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी खंडों में सहकारी समितियां आरम्भ की हैं;

(ख) क्या उक्त समितियां उचित रूप से काम कर रही हैं; और

(ग) कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) इस मन्त्रालय में इन सोसायटियों के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। परन्तु इन सोसायटियों के कार्यकरण में सुधार करने की पर्याप्त गुंजायश है।

(ग) कर्नाटक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवा सहकारी सोसायटियों, प्राथमिक विपणन सहकारी सोसायटियों, श्रमिक सहकारी सोसायटियों और श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी सोसायटियों के गठन के मामले में वही सुविधायें दी जाती है जो दूसरे राज्यों में दी जाती हैं। ये सहकारी सोसायटियां ठेकेदारों का स्थान लेकर अनुसूचित जातियों की भौतिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

**पालिश करने के कारण चावल को क्षति**

6002. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
**श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** } . क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के बावजूद 'मिल्ड' चावल के लिए अधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत पालिश पर जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य-वार प्रतिवर्ष कितने चावल का नुकसान होता है; और

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने चावल कुटाई उद्योग (लाइसेंसिंग का विनियमन) नियम, 1959 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि भारत से निर्यात करने के प्रयोजन के लिए मिल के चावल को छोड़कर, चावल में पालिश का अंश 5 प्रतिशत से अधिक अथवा 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा । ये नियम समस्त भारत के लिए हैं।

**पंजाब में रबी की फसल को नुकसान**

6003. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी के इस मौसम के दौरान पंजाब में गेहूं और रबी की फसल को भारी नुक्सान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):** (क) तथा (ख) गेहूं तथा रबी की फसलें अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में बोई गई थीं, परन्तु शीत के प्रकोप, जाड़े में वर्षा की कमी, उर्वरक, बिजली तथा डीजल की कमी का भी सम्भवत: फसल पर कुप्रभाव पड़ा है। परिस्थिति का सामना करने के लिए उठाव सिंचाई के कार्यों की सहायता करने के लिए हाई स्पीड डीजल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा नांगल उर्वरक कारखाने की बिजली की सप्लाई में कमी करके हरियाणा तथा पंजाब में सिंचाई कार्यों के लिए अधिक बिजली उपलब्ध की गई है।

**गेहूं के मूल्य में वृद्धि का जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव**

6004. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या गेहूं के मूल्य में वृद्धि का जीवन निर्वाह लागत पर पड़ेगा तथा उससे अधिक मुद्रास्फीति होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) से (ग) गेहूं के अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में हाल ही में की गई घोषणा का जीवन-यापन के सूचकांक पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है और न ही यह आशा की जाती है कि इससे कोई अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होगी। इसके विपरीत इससे मौजूदा राजसहायता के भार और घाटे की अर्थव्यवस्था में कमी होगी ।

**नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट**

6005. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट केरल सरकार का है;

(ख) क्या भूतपूर्व ट्रावनकोर सरकार ने उक्त प्लाट को इमारत की 1939 में युद्ध कार्यों के लिए भारत सरकार को दे दिया था;

(ग) क्या भारत सरकार ने दिनांक 16 मई, 1967 के अपने पत्र संख्या 3(55) 65-एल में कपूरथला प्लाट को कुल 6 एकड़ भूमि में से सरकार को केरल एजूकेशन सोसाइटी द्वारा स्कूल बनाने के लिए 2.164 एकड़ भूमि देना स्वीकार किया है;

(घ) क्या कपूरथला प्लाट के शेष भाग पर बनी इमारत पर अब भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा कब्जा किया हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो भूमि का शेष भाग (6 एकड़ में से 2.164 एकड़ घटा कर) कब तक राज्य सरकार को दे दिया जाएगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां, लेकिन दिनांक 16 मई, 1967 के पत्र में न कि 16 मई, 1957 के।

(घ) जी, हां ।

(ङ) पुलिस दल को कपूरथला प्लाट से स्थानांतरित करने हेतु वैकल्पिक वास ढूढ़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैसे ही प्लाट खाली होगा उसका कब्जा केरल सरकार के हस्तांतरित कर दिया जायेगा ।

**केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चौथी योजना का परिव्यय**

6006. **श्री एम० एम० जोजफ**
**श्री बक्के जार्ज** } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने इस राज्य (केरल) में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चौथी योजना में 16 करोड़ रुपये की परिव्यय की मंजूरी दी जब कि चौथी योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर कार्यों पर लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय स्तर पर) के लिए चौथी योजना का कुल परिव्यय 416 करोड़ रुपये हैं और राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए न्यूनतम आवश्यकतायें केन्द्रीय नौवहन तथा परिवहन मंत्री को भेजे गये अर्द्ध-सरकारी पत्र दिनांक 31-10-1973 और पत्र संख्या 14733/डी० आई०/पी० एच० दिनांक 30 नवम्बर, 1973 के अन्तर्गत स्पष्ट कर दी गई थी; और

(ग) क्या उपरोक्त पत्रों को ध्यान में रखते हुए नौवहन और परिवहन मंत्री का विचार चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए काफी अच्छी राशि आवंटित करने का है ।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं । 16 करोड़ रुपये की रकम केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकासार्थ स्वीकृति के लिए, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में मूल रूप से शामिल कार्यों की केवल लागत दिखाती है। वास्तविक खर्च साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अभी तक स्वीकार किये गये कार्यों की कुल लागत 17 करोड़ रुपये है ।

(ख) समस्त देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल चतुर्थ योजना परिव्यय 331.28 करोड़ रुपये न कि 416 करोड़ रुपये नियोजित किया गया था। धन की उपलब्धता के अनुसार खर्च की गई वास्तविक रकम लगभग 212 करोड़ रुपये है।

(ग) 1973-74 के लिए केरल सरकार द्वारा सूचित नवीनतम मांग 300 लाख रुपये की थी। उपलब्ध धन को दृष्टि में रखते हुए, राज्य सरकार को 273.95 लाख रुपये की रकम अन्तिम रूप से आवंटित की गई है।

**केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित धनराशि में कटौती**

6007. **श्री बक्के जार्ज**
**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि के आवंटन में कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कटौती कितनी की गई है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इससे राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: (क) से (ग) 22-3-1974 को सूचित केरल सरकार की अंतिम मांग 300 लाख रुपये की थी। चालू वित्तीय कठिनाई के संदर्भ में समस्त देश के लिए 1973-74 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए कुल आवंटन में कटौती को ध्यान में रखते हुए, जिस के कारण कुछ निर्माण कार्यों की प्रगति में अनिवार्यतः कमी हो जायेगी, केरल सरकार के लिए 273.95 लाख रुपये का आवंटन किया गया ।

**मछली पत्तन, धामरा, उड़ीसा के बारे में परियोजना प्रतिवेदन**

6008. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले में धामरा पर मछली पत्तन के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तथा पुनरीक्षित लागत अनुमानों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पत्तन के बारे में समय-सीमा तथा क्रियान्वित कार्यक्रम क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)**: (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों को कुछ स्पष्टीकरण और अतिरिक्त सूचना देने के लिये लिखा गया है। अभी ये प्राप्त होने हैं।

(ग) आर्थिक दृष्टि से इस परियोजना की जीवन-क्षमता और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिये की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इस परियोजना की मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा।

**भुवनेश्वर में रीजनल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश की स्थापना**

6009. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में रीजनल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ।

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर, सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इसे शिलांग में स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

**खाद्यान्न की कीटों, चूहों आदि से रक्षा करने के लिए संगठन**

6010. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिगेडियर ओ० पी० नरूला के नेतृत्व वाली छोटे पत्तन समिति ने उड़ीसा के बालासौर जिले में चांदबाली छोटे पत्तन के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) समिति ने चांदबाली सहित छोटे पत्तनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**खाद्यान्न की कीटों, चूहों आदि से रक्षा करने के लिए संगठन**

6011. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में कीटों, चुहों, कुतरने वाले जन्तुओं, आदि से खाद्यान्न की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर प्रभावकारी संगठन की स्थापना किये जाने की व्यवस्था होने के बावजूद संगठन की स्थापना नही की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) अनाज सुरक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या लाखों रुपयों के अनाज की सुरक्षा के लिये सरकार का विचार भविष्य में इस अभियान को प्रभावकारी ढंग से चलाने का है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (घ) "अन्न सुरक्षा अभियान" योजना का उद्देश्य, किसान, व्यापारी और सामुदायिक स्तर पर कटाई के बाद खाद्यान्नों के सम्भालने और भण्डारण में हुई हानि से अवगत करना और इस हानि को कम करने

के लिए भण्डारण और कीट नियन्त्रण की वैज्ञानिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाना है। 1969-70 में सधन प्रशिक्षण प्रदर्शन और प्रचार के लिए एक नियमित योजना शुरू की गई थी। 1972 तक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था जिसमें मुख्यालय की एक केन्द्रीय यूनिट और बम्बई तथा पटना की दो रीजनल टीमें और सभी स्टाफ शामिल था। गाजियाबाद, भोपाल, हैदराबाद और मद्रास में चार और रीजनल टीमें गठित कर इस संगठन का हाल ही में विस्तार किया गया है।

2. किसानों में बहुत बड़ी संख्या में उन्नत भण्डारण ढांचों को वितरित किया गया है और किसानों के मौजूदा भण्डारण ढांचों में सुधार किया गया है। अनेक वजीफेदार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है जिनमें भण्डारण औद्योगिकी के अद्यतन विकास को बताया गया है। प्रधूमन, कीट-नाशक और चूहों के नियन्त्रण के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रदर्शन का आयोजन भी हुआ है। वास्तविक प्रधूमन बड़े पैमाने पर किया गया है। प्राप्त होने वाले लाभों के प्रचार के लिए रेडियो, टेलीविजन आदि जैसे विभिन्न संचार साधनों का उपयोग किया गया है।

3. इन उपायों से विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों को सम्भालने और उनके भण्डारण के वैज्ञानिक तकनीक को और अधिक अपनाने में मदद मिली है और इससे खाद्यान्नों को होने वाली हानि में कमी करने में मदद मिली है। इस अभियान को देश भर में चलाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को भी कहा जा रहा है कि वे इस अभियान की गतिविधियों में तेजी लाएं ताकि अधिक लागत से पैदा किए जाने वाले खाद्यान्नों को कीटाणुओं, टिड्डियों, चूहों, पक्षियों और जीवाणुओं आदि से बचाया जा सके।

**कर्नाटक में उर्वरक उपलब्ध न होने से गन्ने की काश्त पर प्रभाव**

**6012. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उपलब्ध न होने से कर्नाटक में गन्ने की काश्त में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा गन्ना उत्पादकों द्वारा की गई उर्वरक की मांग को पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) किसी राज्य की उर्वरकों की आवश्यकताओं का जायजा लेते समय गन्ना सहित विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को उर्वरकों का नियतन करती है। विभिन्न फसलों तथा क्षेत्रों में इन उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि 1973-74 में कुल मिलाकर उर्वरक की उपलब्धता आवश्यकताओं से कम कर रहीं है, अतः सम्भव है कि कर्नाटक के गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी न की जा सकी हों।

(ख) कर्नाटक राज्य को उर्वरकों की अधिकतम सम्भव मात्रा की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**मोटे अनाज को लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के कारण खाद्यान्न की वसूली में सुधार**

**6013. श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**
**श्री निहार लास्कर :** } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज की अन्तर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने के बाद खाद्यान्न की वसूली में सुधार हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इससे खाद्य समस्या कितनी हल हुई है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय संचालन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गये थे क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति में कोई सुधार नहीं हुआ था । इन प्रतिबंधों को हटाने के फलस्वरूप, यह बताया जाता है कि विशेषकर कमी वाले राज्यों में इन खाद्यान्नों की सामान्य उपलब्धता, में सुधार हुआ है ।

**पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार की योजना**

**6014. श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए तमिलनाडु राज्य में आरम्भ किए जाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न योजनाओं की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी जांच कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा योजना आयोग से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में उनमें से कितनी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए राज्य की सहायता करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**त्रिनगर से केन्द्रीय सचिवालय तक मार्ग संख्या 59 और 59 ए पर चल रही बसें**

6015. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर और रामपुरा से केन्द्रीय सचिवालय तक मार्ग संख्या 59 और 59ए पर चल रही बसों की गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में लगभग एक घंटा लगता है और यदि हां, तो क्या केवल भीड़-भाड़ रहने के समय में इस मार्ग की बसों को पटेल नगर तथा शंकर रोड होकर चलाने का प्रस्ताव है जिस मार्ग से लगभग आधा घंटा लगता है ; और

(ख) क्या इसके अतिरिक्त त्रिनगर के बढ़ते हुए यातायात को लाने ले जाने के लिए सरकार का विचार मोती नगर से सचिवालय तक वर्तमान ग्रीन लाइन सेवा को जखीरा से सचिवालय तक बढ़ाने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) मार्ग सं० 59 और 59ए पर चल रही बसें त्रिनगर/रामपुरा से केन्द्रीय सचिवालय तक पहुंचने में लगभग 50 मिनट लेती हैं। फिलहाल, उपर्युक्त मार्गों पर बस सेवाओं को पटेलनगर और शंकर रोड से होकर चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, यात्रा समय को कम करने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम विचार कर रहा है कि क्या उपर्युक्त स्थानों को आनंद पर्वत या मोती नगर से शटल या पोषक सेवाओं द्वारा जोड़ा जा सकता है। ग्रीन लाइन बस सेवायें हर दस मिनट की, आनंद पर्वत/मोती नगर से केन्द्रीय सचिवालय तक चल रहीं हैं।

**रामपुरा से केन्द्रीय सचिवालय तक ग्रीन लाइन बसें चलाना**

6016. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**<br>**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में कुछ मार्गों पर ग्रीन लाइन की अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं ;

(ख) क्या लारेंस रोड़, त्रिनगर तथा रामपुरा में रहने वाले हजारों कर्मचारियों को सवारी न मिलने के कारण केन्द्रीय सचिवालय के आस-पास स्थित उनके कार्यालयों में पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रामपुरा से मोतीनगर होते हुए केन्द्रीय सचिवालय तक ग्रीन लाइन सेवा आरम्भ करने का है जिससे कर्मचारी समय पर केन्द्रीय सचिवालय पहुंच सकें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने मार्च, 1974 के पहले पखवाड़े में केन्द्रीय सचिवालय से राजधानी में 9 विभिन्न स्थानों को ग्रीन लाईन बस सेवाएं चलाईं।

(ख) जी, नहीं। इस समय तीनों ही क्षेत्रों तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच निगम की सीधी सेवाएं हैं।

(ग) जी, नहीं। परन्तु जब समस्त बस मार्गों को तय करने का कार्यक्रम बना कर उसे कार्यान्वित किया जायेगा, तो इन स्थानों के लिए आवश्यक पोषिक सेवाएं चलाई जायेंगी।

**हुगली पर नए पुल के निर्माण के करार के मसौदे पर मंजूरी**

6017. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रिंसघाट पर हुगली नदी पर नए पुल के निर्माण के लिए सांविधिक प्राधिकरण, हुगली नदी पुल आयोग ने अपने नवीनतम पत्र में केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि उस करार के मसौदे पर शीघ्र ही अंतिम मंजूरी दी जाए जिस पर हुगली नदी पुल आयोग और पश्चिमी जर्मनी कंसल्टेसी फर्म 'लुआ' हस्ताक्षर करेंगे;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार मसौदे का पाठ क्या है ; और

(ग) हुगली नदी पुल आयोग की ओर से प्राप्त पत्र पर उनके मंत्रालय ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) से (ग) हुगली नदी पुल आयुक्त केवल यह जानना चाहते थे कि विदेशी मुद्रा दृष्टिकोण से विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृति के लिए उनका अनुरोध बोर्ड के सामने कब आयेगा और वे इस मामले का शीघ्र निपटान चाहते थे। ठेकेदार (मैसर्स भागीरथी पुल निर्माण कम्पनी) के सलाहकार के तौर पर मैसर्स फ्रीमैन फाक्स एण्ड पार्टनर प्राइवेट लि०, यू० के० की तथा हुगली नदी पुल आयुक्तों के लिए मैसर्स ल्योन हाईट अंड्रा एड पार्टनर पश्चिम जर्मनी के परामर्शदाता के तौर पर नियुक्ति की आवश्यक स्वीकृति विदेशी निवेश बोर्ड पहले ही दे चुका है। राज्य सरकार को इस स्वीकृति की सूचना दे दी गई है और अगली कार्रवाई करना उनका काम है।

**हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा मुगल लाइन के लिए 17,200 डी० डब्ल्यू० टी० के 12 मालवाहक जहाजों का निर्माण**

6018. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने मुगल लाइन के लिए 17,200 डी० डब्ल्यू० टी० वाले 12 मालवाहक जहाजों के निर्माण का वचन पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण बताए गए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने 17-11-73 को मुगल लाईन लि० से उस ठेके को रद्द कर दिया जो कि प्रत्येक 15000 डी० डब्ल्यू० टी० के 12 जहाजों के निर्माण के लिए था। इसका

कारण यह था कि पक्के आदेश के अभाव में तथा आदेश की पहली किस्त न देने से ठेके को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता था ; निर्धारित सूत्र के अनुसर तय की गई कीमत शिपयार्ड को स्वीकार न थी क्योंकि इसी बीच जहाजों की कीमत में भारी वृद्धि हो गई और मुगल लाईन के जहाजों के तय शुदा मूल्य में जहाजों की वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर संशोधन किया जाना था, और मुगल लाईन मूल्य के संशोधन पर पुनः विचार करने के लिए सहमत नहीं हुए । फलस्वरूप एक नया समझौता किया गया जिसके अनुसार हिन्दुस्तान शिपयार्ड अब मुगल लाईन लि० के लिए प्रत्येक 15000 डी० डब्ल्यू० टी० के 12 जहाजों की अपेक्षा 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० के पायोनियर क्लास के 11 जहाजों का निर्माण करेगा ।

**दिल्ली की झुग्गियों तथा गंदी बस्तियों के निवासी**

6019. **श्री कमल मिश्र मधुकर**
**श्री आर० एन० बर्मन** } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अधिकांश जनसंख्या झुग्गियों अथवा गंदी बस्तियों में रहती है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार झुग्गियों में रहने वाले कुल, लोगों की संख्या झुग्गी क्षत्रों के नामों तथा प्रत्येक झुग्गी क्षेत्र में रहने वाल लोगों की संख्या के बारे में जानकारी देगी; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें उचित आवास प्रदान के लिए कोई कार्यवाही की है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) दिल्ली की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसे क्षेत्रों में रह रहा है ।

(ख) तथा (ग) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का सर्वेक्षण कर रहा है तथा आवश्यक सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद ही उपलब्ध होगी ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं झुग्गी झोंपड़ी हटाओ योजना के अधीन लगभग 50,000 झुग्गी झौंपड़ी निवासियों को प्लाट मकान दिये गये हैं गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन, गन्दी बस्ती सफाई तथा पुनः आवास व्यवस्था का कार्य भी किया जाता है तथा गन्दी बस्तियों के पात्र निवासियों को मकान दिये जाते हैं ।

**दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रावास कर्मचारियों के वेतन**

6020. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रावास कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं। और स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**नेपालगंज से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण**

6021. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपालगंज से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण सम्बन्धी योजना स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब शुरू होगा; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में घाघरा नदी के घाघराघाट पर एक ऐसा सड़क पुल बनाया जाएगा जिस पर सभी मौसमों में यातायात चल सके ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकरार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कुछ अन्य सड़कों के साथ-साथ नेपालगंज अहमदाबाद सड़क को शमिल करने का प्रस्ताव किया है। घाघराघाट में घाघरा नदी के ऊपर प्रस्तावित सड़क पुल इस सड़क पर पड़ेगा। उपलब्ध धन, अखिल भारत आधार पर प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर सड़कों के वर्गीकरण के लिए उल्लिखित कसौटियों को पूरा करने की प्रत्येक प्रस्ताव की पारस्परिक प्राथमिकता की दृष्टि में रखते हुए पांचवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय अन्य समान प्रस्तावों के साथ-साथ विचारार्थ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को नोट कर लिया गया है। चूंकि पांचवीं योजना अभी प्रारम्भिक चरण में है अत: इसके बारे में अभी कुछ कहना पूर्व समय होगा कि कहां तक किसी सड़क और या पुल को पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल किया जाएगा और यदि ऐसा होगा तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा।

**Procedure Governing Advancement of Loans under Low Income Group Housing Scheme**

6022. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the procedure governing advancement of loans under the Low Income Group Housing Scheme indicating the criteria adopted therefor, the amount of loan granted thereunder and the persons entitled therefor;

(b) whether the loan is advanced in lump-sum or in instalments; and

(c) whether there are too many formalities in this scheme, due to which a common man is unable to get loan thereunder?

**The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri)**: (a) The low Income Group Housing Scheme introduced by the Govt. of India provides for the grant of loan assistance to persons whose income does not exceed Rs. 7,200/- per annum, and their Cooperative Societies, for construction of houses for *bona-fide* residential use. The amount of loan is restricted to 80% of the cost of the house (including the cost of developed land) subject to a maximum of Rs. 14,500/ per house. The scheme is in the State Sector and is implemented by the State Governments and

Union Territory Administrations. The procedure for application for the grant of loans under this Scheme is laid down in the Rules framed by the State Governments and Union Territory Administrations.

(b) The loan is advanced in instalments, depending on the progress of construction.

(c) Usual formalities have to be complied with and the eligible persons are able to fulfil the requirements and have been getting loans under the Scheme.

**Complaint From Chief Minister, Rajasthan Regarding F. C. I.**

**6023 Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Rajasthan made a complaint about the F.C.I. to him in February, 1974; and

(b) if so, the content thereof and the action taken by Government thereon?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Voluntary Institutions Running Balvadis and Bal Kalyan Kendras**

**6024. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the voluntary institutions running Balvadis (creches or Kindergartens etc.) and Bal-Kalyan Kendras (Child Welfare Centres) which were given financial assistance in 1972 and 1973 separately, indicating the amount of financial assistance given to each of them as also the criteria adopted therefor; and

(b) whether the Central Social Welfare Board examines the working of these voluntary institutions before giving them the financial assistance and the criteria adopted for such examination ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam ) :** (a) and (b) According to available information, in 1972-73, the Central Social Welfare Board and the State Social Welfare Advisory Boards granted financial assistance of Rs. 1 ·42 crores to 3062 voluntary institutions for running balvadis as shown below:-

| | No. of Vol. organizations | Amount (Rs. in crores) |
|---|---|---|
| Central Social Welfare Board | 178 | ·05 |
| State Social Welfare Advisory Boards | 2884 | 1 ·37 |
| Total | 3062 | 1 ·42 |

The officers of the Central Social Welfare Board/State Social Welfare Advisory Board inspect the work of the voluntary organizations, examine their accounts and render guidance and counselling. The Chairman and members of the Central and State Social Welfare Advisory Boards also visit the institutions and give their advice and guidance. Financial assistance is granted only if the following conditions are satisfied:-

(*i*) The institution should be engaged in welfare activities.

(*ii*) The institution should be registered under the Societies Act or any other appropriate enactment.

(*iii*) The application should be recommended by the concerned State Social Welfare Board.

(*iv*) The institution should be accessible for inspection by the Cental/State Social Welfare Board Members/Staff.

(*v*) The institution should remain accountable for the grant and furnish utilisation certificate authenticated by a commercial auditor.

**अमरीका को चीनी का निर्यात**

6025. **श्री निहार लास्कर**
**श्री तरुण गोगा** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका को प्रति वर्ष कितनी चीनी निर्यात करता है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी चीनी सप्लाई की गई ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) लगभग 71/73 हजार मीटरी टन।

(ख)

| वर्ष | निर्यात की गई मात्रा (मी० टन) |
|---|---|
| 1971 | 71,273 |
| 1972 | 73,427 |
| 1973 | 71,800 |

**अन्न कर लगाना**

6026. **श्री निहार लास्कर**
**श्री तरुण गोगा** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकरार ने अन्न कर लगने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कर का ब्यौरा क्या है ?

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जायगा ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का परामर्श ले लिया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) से (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**मोटे अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से मोटे अनाज के मूल्यों में वृद्धि**

6027. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिवन्ध को हटाने से इसके मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) और (ख) संचलन संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के बाद कमी वाले राज्यों में मोटे अनाजों के मूल्यों में सामान्यतया गिरावट आई है और कुछ अधिशेष राज्यों में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।

## पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम को शिक्षा के लिए आवंटित राशि

6028. **श्री निहार लास्कर**
**श्री तरुण गोगोई** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में शिक्षा सुधार के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस बारे में केन्द्र सरकार के कौन से मुख्य प्रस्ताव हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा के जो प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, वे "केब स्टैंडिंग कमेटी प्रोसिंडिग्ज" (केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की कार्यवाहियां) नामक प्रकाशन में दिए हुए हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

## राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन

6029. **श्री सतपाल कपूर**
**श्री आर० पी० उलगनम्बी** }: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि इसने 18 अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। अन्तरिम रिपोर्टों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

### विवरण

1. अनाज की अधिक उपज देने वाली और संकर किस्मों के अच्छे बीजों का वर्धन और वितरण।
2. उर्वरक वितरण।

3. कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के पहलू।

4. छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये ऋण सेवायें।

5. छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के जरिये दुग्ध उत्पादन।

6. कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि मौसम-विज्ञान प्रभागों की स्थापना।

7. उत्पादन वानिकी--मानव निर्मित वन।

8. भूमिहीन कृषि मजदूरों के आवास के लिये स्थान।

9. मृदा सर्वेक्षण और भारत का मृदा मानचित्र।

10. आलू के बीज।

11. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगटनात्मक पहलू।

12. सिंचाई पद्धतियों का आधुनीकीकरण तथा कमांड क्षेत्रों का समेकित विकास।

13. समग्र-ग्राम विकास कार्यक्रम।

14. जिन्स विकास परिषदों और निदेशालयों का संगठन और उनके कार्यकलाप।

15. लघु कृषकों और सीमान्त कृषि श्रमिक विकास एजेंसियों के नवीकरण कार्यक्रमों पर अन्तरिम रिपोर्ट।

16. अपनी आय को बढ़ाने के लिये लघु और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों के माध्यम से कुक्कट, भेड़ और सूअर प्रजनन पर अन्तरिम रिपोर्ट।

17. वृक्षारोपण पर अन्तरिम रिपोर्ट।

18. सामाजिक वानिकी पर अन्तरिम रिपोर्ट।

## चीनी के बारे में तमिलनाडु में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक

**6030. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने सीजन 1973-74 के लिये तमिल नाडु गन्ना उत्पादक संघ कार्यवाही समिति के अभ्यावेदन पर गन्ना उत्पादकों तथा चीनी कारखानों के प्रबन्धकों की त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सहकारी कारखानों सहित प्रत्येक कारखाने के लिये कितना मूल्य नियत किया गया ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य)** : (क) और (ख) तमिल नाडु सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें तमिल नाडु में स्थित प्रत्येक कारखाने के लिए भारत सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित किए गए न्यूनतम सांविधिक मूल्यों और उनके द्वारा 1973-74 में वास्तव में दिए गए मूल्य, जैसा कि उन्होंने सूचित किया है, का ब्यौरा दिया गया है।

**विवरण**

(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल में)

| कारखाने का नाम | गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य | 1973-74 कारखानों से प्राप्त सूचनानुसार दिए जा रहे मूल्य | |
|---|---|---|---|
| 1. अरुणा . . | 8.19 | 9.53 | |
| 2. मदुरनटकम (कोप) . | 8.75 | 9.53 | |
| 3. थिरु अरूरन . . | 8.00 | 9.25 | |
| 4. नेलीकुप्पम . | 8.09 | 9.00 | (वित्त परमिट के रूप में 9.25 रु० अदा करेगा) । |
| 5. लालगुडी | 8.56 | 10.00 | |
| 6. कावेरी . . | 8.00 | 8.50 | |
| 7. पुगालूर | 8.00 | 8.00 | (अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने का प्रश्न विचाराधीन है) । |
| 8. सालम (कोप) . | 8.28 | 8.78 | |
| 9. मदुरा . . | 8.09 | 8.59 | |
| 10. अमरावती (कोप) | 8.00 | 8.50 | |
| 11. सकथी . . | 8.85 | 9.50 | —0.50 गन्ने की विशेष किस्म के लिए । |
| 12. विलुपूरम . . | 8.38 | 8.33 | —0.78 परिवहन संबंधी राज सहायता । |
| 13. अम्बर (कोप) . . | 8.56 | 8.50 | से 10.10 |
| 14. अलंगनालूर . | 8.66 | 9.16 | |
| 15. कालाकुरूची (कोप) . | 8.00 | 9.35 | |
| 16. धर्म पुरी (कोप) . . | 8.85 | 9.35 | |

**गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में चीनी कारखानों द्वारा दिया गया गन्ने का मूल्य**

6031. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक चीनी कारखाने ने गन्ना उत्पादकों को परिवहन राज सहायता सहित कटाई शुल्क या अन्य किसी रूप में प्रति टन गन्ने का कितना वास्तविक मूल्य दिया,

(ख) क्या सरकार के विचार में प्रत्येक कारखाने द्वारा दिये गये मूल्य में अन्तर है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें कारखानों से प्राप्त सूचना दी गई है ।

(ख) विभिन्न कारखानों द्वारा 1971-72 और 1972-73 के दौरान वास्तव में दिए गए मूल्यों में अन्तर था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार केवल न्यूनतम मूल्य अधिसूचित करती है और कारखाने अधिसूचित मूल्यों से अधिक कोई भी मूल्य दे सकते हैं । तथापि, बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी कारखाने ने अधिसूचित मूल्यों से कम मूल्य नहीं दिए थे ।

**विवरण**

तमिलनाडु में कारखानों द्वारा कारखाने के दरवाजे पर वास्तव में दिए गए गन्ने के मूल्यों के रेंज को बताने वाला विवरण

(आंकड़े रु० प्रति मीटरी टन में)

| कारखाने का नाम | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. अम्बर | 73.70 | 80.00 से 90.00 तक | 96.00* |
| 2. मदुरमटकम | 73.70 | 85.00 | 95.30 |
| 3. थिरु अरूरन | 73.70 | 85.00 | 87.50 |
| 4. नेलीकुप्पम | 73.70 | 85.00 | 88.10 |
| 5. लालगुडी | 73.70 | 85.00 | 95.00 से 100.00 तक |
| 6. कावेरी | 73.70 | 80.00 से 85.00 तक | 92.50 |
| 7. पुगालोर | 73.70 | 85.00 | 99.10 |
| 8. मालेम | 73.70 | 85.00 | 90.30 से 95.30 तक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 9. मदुरा . | 73.70 | 85.00 | 98.20 |
| 10. अमरावती . | 73.70 | 85.00 से 87.00 तक | 95.30 से 100.00 तक |
| 11. सकथी | 73.70 से 83.70 तक | 100.00 से 105.00 तक | 115.00 से 120.00 तक |
| 12. विलूपुरम | 73.70 | 80.00 | 86.60+ 5.00 (परिवहन संबंधी राज सहायता) |
| 13. अरुणा | 73.70 | 75.70 | 99.00 |
| 14. अंलगानालूर . . . | 73.70 | 85.00 | 100.00 |
| 15. कालाकुरूची | 73.70 | 75.70 | 93.50 |
| 16. धर्मपुरी . . . . | आरम्भ ही नहीं हुआ । | 85.00 | 90.00 |

*तमिलनाडु सरकार से कहा गया है कि वह गन्ने का अतिरिक्त मूल्य देने की मंजूरी दें ।

## कीट प्रभावित क्षेत्रों का अनुमान

6032. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा**
**श्री एम० एस० पुरती** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के कीट प्रभावित क्षेत्रों के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कीट से प्रभावित चने की अधिक से अधिक फसल को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** :(क) चालू कृषि वर्ष की अवधि में बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र महामारी के रूप में कृमियों

से प्रभावित हुए थे। विभिन्न राज्यों में कीटों से प्रभावित हुए क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

| राज्य का नाम | कीट का नाम तथा उससे प्रभावित फसल | प्रभावित क्षेत्र (हैक्टर) |
|---|---|---|
| केरल | धान पर भूरे टिड्डे का आक्रमण | 1,34,000 |
| उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब | गन्ने पर पायरीला का आक्रमण | 9,11,000 |
| बिहार | चने पर पोड बोरर का आक्रमण | 39,000 |
| महाराष्ट्र | ज्वार पर मिज का आक्रमण | 8,90,000 |

(ख) बिहार में चने की खेती के अंतर्गत आने वाला 39,000 हैक्टर क्षेत्र पोड बोरर कृमियों से प्रभावित हुआ था और उसके फलस्वरूप फसल को 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक क्षति हुई। राज्य सरकार ने रासायनों के जमीनी छिड़काव द्वारा नियंत्रण उपाय किये। वनस्पति-रक्षण, सांगरोध तथा संचयन निदेशालय का एक अधिकारी राज्य सरकार के वनस्पति रक्षण अधिकारी के साथ प्रभावित क्षेत्र का शीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार से नियंत्रण संबंधी कार्यवाही को गतिमान कर दिया था।

**बिहार में बीज निगम की स्थापना को केन्द्रीय स्वीकृति**

6033. **श्री एम० एस० पुरती**
**श्री जगन्नाथ मिश्र** } : **क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में बीज निगम की स्थापना के बारे में केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) तथा (ख) बिहार सरकार से बीज निगम की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**रूई की बहुत अच्छी फसल**

6034. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में रुई की बहुत अच्छी फसल होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अनुमान क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)**: (क) तथा (ख) 1973-74 में कपास के उत्पादन और उसके अन्तर्गत क्षेत्र सम्बन्धी पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर जुलाई अगस्त 1974 में किसी समय उपलब्ध होंगे। तथापि उपलब्ध संकेतों के अनुसार इस वर्ष कपास के उत्पादन की सम्भावनाएं सामान्यतः अच्छी हैं ।

## राजधानी में बसों के किराए में वृद्धि

6035. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने राजधानी में बसों के किराये बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम को 1963-64 से घाटा हो रहा है और इन घाटों का एक मुख्य कारण यह है कि 1964 के बाद बस भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यद्यपि बस ढांचों फालतु पुर्जों, टायरों, ईंधन आदि की कीमतों में वृद्धि तथा कर्मचारियों की मजूरियों में वृद्धि हो जाने के कारण, परिचालन की लागत में भारी वृद्धि हो गई है। वर्तमान घाटे के कम से कम अंश को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के भाड़ा ढांचों में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार का यह विचार है कि यह उचित होगा कि राजधानी में बस सेवाओं में कुछ सुधार करने के बाद ही संशोधित भाड़ा लागू किया जाए ताकि भाड़े में संशोधन के कारण बस की सवारियों पर अनुचित बोझ न पड़े।

## दिल्ली/नई दिल्ली को गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन

6037. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली को उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन की प्रतीक्षा सूची में सदस्यों के नाम दर्ज हैं और जिन के सदस्यों को प्लाटों का आवंटन अ भी किया जाना है; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सदस्यों को विकसित प्लाटों का आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : (क) सूचना विवरण में दी गई है

(ख) नवजीवन, सरकारी कर्मचारियों तथा लोक सेवक सहकारी समितियों के मामले पर प्रतीक्षा सूची के सदस्यों को प्लाट आवंटन करने के लिये, कार्यवाही की जा रही है।

आदर्श भवन, स्वावलम्बी, लो इनकम ग्रुप गवर्नमेंट सर्वेंट्स तथा चन्द्र नगर सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतीक्षा सूचियों की जांच की जा रही है।

प्रतीक्षा सूची के सदस्यों को प्लाट आवंटन करने हेतु गूजरांवाला सहकारी आवास समिति के मामले पर तब विचार किया जाएगा जब समिति की सक्रिय सूची के सभी सदस्यों को प्लाटों का आवंटन हो जाएगा। शेष तीन समितियों के मामले न्यायाधीन हैं।

**विवरण**

| क्रम संख्या | समिति का नाम |
|---|---|
| 1. | नवजीवन सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 2. | न्यू फ्रेन्ड्ज सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 3. | गवर्नमेंट सर्वेंट्स सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 4. | आनन्द निकेतन सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 5. | लोक सेवक सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 6. | गुजरांवाला सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 7. | आदर्श भवन सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 8. | स्वालम्बी व सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 9. | लो इन्कम ग्रुप गवर्नमेंट सर्वेंट्स सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 10. | चन्द्र नगर सहकारी गृह निर्माण समिति |
| 11. | सुप्रीम कोर्ट बार सहकारी गृह निर्माण समिति । |

## चीनी के लिए श्रीलंका का अनुरोध

6038. **श्री आर० एन० बर्मन**
**श्री एस० ए० मुरुनगन्तम** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने चीनी की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार से हाल ही में चीनी सप्लाई करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) जी हां ।

(ख) उनके साथ 10,000 मीटरी टन सफेद चीनी बेचने का एक ठेका किया गया है ।

## Bajra Supplied to Madhya Pradesh During Last Three Months

6039. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(*a*) the total quantity of bajra supplied to Madhya Pradesh from Central Pool during the last three months;

(b) whether Government are aware of the difficulties being faced by Madhya Pradesh be cause of shortage of coarse grains and

(c) if so, whether Government will consider supplying one lakh tonnes of bajra or jowar per month to Madhya Pradesh from the Central Pool ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) to (c) There has been no demand for allotment of coarse-grains from the Government of Madhya Pradesh during the last three months and during this period no coarse-grain has been allotted to that State. Requests received from the State Governments are always considered in the light of availability of coarse grains in the Central Pool and other relevant factors.

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय बचत पूल में कटौती/मितव्ययता**

6040. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय में केन्द्रीय बचत पूल के अन्तर्गत योजना और गैर-योजना वस्तुओं के सम्बन्ध में कितनी कटौती अथवा मितव्ययता की गई है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी योजनाएं/परियोजनाएं स्थगित की गई हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) तथा (ख). चूंकि 1974-75 का बजट अभी संसद द्वारा पारित होना है, अत: योजना तथा गैर-योजना सम्बन्धी मदों के बारे में किसी प्रकार की कटौती मितव्यता का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

**कृषि मंत्रालय में केन्द्रीय बचत पूल के अधीन मितव्ययता**

6041. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय में केन्द्रीय बचत पूल के अधीन योजना और गैर-योजना वस्तुओं के सम्बन्ध में कितनी कटौती या मितव्ययता करने का विचार है; और

(ख) इस के परिणामस्वरूप कौन-कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं स्थगित किये जाने की सम्भावना है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) इस समय योजना और गैर-योजना सम्बन्धी मदों के बारे में 1974-75 को बजट व्यवस्था में कटौती या मितव्ययता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की बिक्री और लाभ**

6042. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में, राज्यवार, चीनी मिलों के नाम क्या हैं और उन की संख्या कितनी है ,

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 तथा 1973-74 में इन मिलों की कितनी बिक्री हुई, और

(ग) उपरोक्त अवधि में उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों के निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के चीनी कारखानों के नाम, उनके द्वारा 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (28-2-1974 तक) किए गए प्रेषणों के ब्यौरे तथा जैसा कि चीनी कारखानों ने सूचित किया है 1971-72 और 1972-73 में हुए लाभ/हानि के आंकड़े दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 6651/74] । 1973-74 के बारे में सूचना

अभी उपलब्ध होनी है। लाभ/हानि के आंकड़ों में कराधान और विकास संबंधी छूट/आरक्षणों, यदि कोई हों, के लिए की गई व्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, उन कई एक चीनी कारखानों, जो अन्य कार्य करते हैं, के बारे में केवल चीनी के बारे में अलग सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

## दिल्ली में दूध की कमी को पूरा करने के लिए सहकारी डेयरियों के लिए योजना क्रियान्वित करना

6043. **श्री शशि भूषण :** क्या कृषि मंत्री दिल्ली में दूध की कमी को पूरा करने के लिए सहकारी डेयरियों के बारे में 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2083 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दूध की कमी को देखते हुए दिल्ली के आसपास डेयरियां स्थापित करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया गया है ताकि उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे ) :** (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दूध एकत्र करने के क्षेत्र के लिए विशेष डेरी विस्तार तथा पशु विकास परियोजना हेतु एक योजना तैयार की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 233 और 348 के अन्तर्गत अर्जित की गई 53.97 लाख रुपए की धनराशि का उपयोग करने का इरादा है इस योजना के उद्देश्य विस्तार में नीचे दिये गए हैं ;

(1) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध एकत्र करने के क्षेत्र में दुधारू पशुओं का विकास करना।

(2) दूध उत्पादकों की आर्थिक दशा सुधारना और उन्हें अत्यावश्यक सुविधायें प्रदान करना।

(3) दूध उत्पादकों की वर्तमान सहकारी सोसायटियों को मजबूत बनाना और नई सोसायटियों के गठन को प्रोत्साहन देना।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध करना, ताकि महानगर के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके।

2. इस योजना का लाभ मुख्यत: उन दूध उत्पादकों तथा उनकी सहकारी सोसायटियों को उपलब्ध होगा, जो दिल्ली दुग्ध योजना को पूरे वर्ष भर दूध को निश्चित मात्रा सप्लाई करना स्वीकार करेंगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा बुलन्दशहर, हरियाणा के गुड़गांव, रोहतक तथा करनाल और राजस्थान के बीकानेर, अलवर तथा भरतपुर जिलों में लागू की जाएगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत (1) कार्यकर पूंजी ऋणों (2) सहकारी सोसायटियों को प्रोत्साहन कमीशन (3) सहकारी सोसायटियों को परिवहन सहायता (4) दूध के प्रयोग में आने वाले उपकरणों की खरीद के लिए सहायता (5) दूध एकत्रीकरण और जांच केन्द्रों की स्थापना (6) दूध की गुण संबंधी जांच करने के केन्द्रों की स्थापना (7) साहाय्यित दाने तथा चारे आदि की सप्लाई के रूप में सहायता देने का प्रस्ताव है।

4. इस योजना की जांच की गई है और इसे वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

'शूगर फ्राड कास्ट्स गवर्नमेंट रूपीज टू लैक्स' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

6044. **श्री शशिभूषण :** क्या कृषि मंत्री शूगर फ्राड कास्ट्स गवर्नमेन्ट रुपीज टू लैक्स के बारे में 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) और (ख) : जी हां । केन्द्रीय आबकारी अधिकारी, जिन्होंने इस संबंध में कार्यवाही शुरू की थी, ने सूचित किया है कि अन्तिम आदेश देने के लिए कुछ और समय लगेगा । यह कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक स्वरुप की है ।

**Amount incurred on Dumaria Bridge (Champaran-Bihar) by Central Government**

6045. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of money incurred by the Central Government upto 15th March, 1974 on the Dumaria Bridge (Champaran-Bihar);

(b) the total expenditure estimated to be incurred in the completion of the bridge; and

(c) the date by which the bridge is to be completed?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) (a) to (c)** Information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House on its receipt.

**Constitution of a Body on Problems of Farmers Regarding Agricultural Produce**

**6046. Shri Bibhuti Misra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central or State Governments have not so far constituted any executive body to go into the problems of farmers regarding agricultural production;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if there is any such body, the name and functions thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c)** No special executive body has been constituted. However, the Departments of Agriculture at the Centre as well as in the States are looking after the problems of farmers relating to agricujture production.

कलाकारों, चित्रकारों और शिल्पकारों के बारे में सरकार की नीति और दृष्टिकोण

6047 . **श्री इसहाक संभाली :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए कलाकारों, चित्रकारों और शिल्पकारों ने हाल ही में टेलिवीजन में एक साक्षात्कार के दौरान उनके बारे में सरकार की नीति और दृष्टिकोण के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनको नए अवसर उपलब्ध करने के लिए कोई नए उपाय किए हैं?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र द्वारा 14 मार्च, 1974 को टेलीविज़न पर दिखाए गए "ग्रुप प्रदर्शनी 74" नामक कार्यक्रम में कुछ युवा कलाकारों ने उनके साक्षात्कार के दौरान, नए तथा उदीयमान कलाकारों को अप्रर्याप्त सरकारी मान्यता तथा प्रोत्साहन दिए जाने तथा उनकी जरूरतों का बात ही बात में सहसा जिक्र किया था।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ललित कला अकादमी का विचार नए कलाकारों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने का है।

**दिल्ली में जाली राशन कार्डधारी**

**6048. श्री इसहाक सम्भली**
**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 10,000 जाली राशन कार्डधारी हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कार्डों को रद्द करने के लिये कार्यवाही करने का है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा पकड़े गए बोगस राशन कार्डों को निरस्त करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। राशन के कार्डधारियों की ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है।

**संसदीय सौंध के निर्माण के लिए ठेका**

**6049. श्री डी० के० पंडा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय सचिवालय के नये भवन के निर्माण के लियें मैसर्स महेन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी को ठेका दिया गया था;

(ख) क्या निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने में कम्पनी की असफलता के कारण ठेका रद्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त ठेका कम्पनी पर कितना जुर्माना किया गया;

(घ) क्या उक्त कम्पनी को काली सूची में दर्ज कर दिया गया है; और

(ङ) क्या वही निर्माण कार्य श्री सुरेश कुमार को सौंप दिया है जो पहला ठेका रद्द होने के समय मैसर्स महेन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी का साझीदार था?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इकरार नामे के खण्ड 2 तथा 3 के अधीन कार्यवाही की गई थी जिसमें क्षतिपूर्ति लेने तथा शेष कार्य को ठेकेदार के जोखम तथा लागत पर निष्पादन कराने की व्यवस्था है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ठेके को समाप्त करने के समय, श्री सुरेश कुमार के पास मैसर्स महेन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी का मुख्तारनामा था ।

**उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में विलम्ब**

6050. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में, राजपथ के निर्माण में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं? और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) से (ग) जी, हां । केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी और वित्तीय आवश्यकता जिसके लिए समय-समय पर सलाह दी गई है, को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित और उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने लोक निर्माण विभाग को पुनसंगठित करने की उम्मीद में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ कार्यों में विलम्ब हुआ है।

**देवनागरी लिपि का विकास एवं प्रचार**

6051. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि का राष्ट्रीय लिपि के रूप में विकास एवं प्रसार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) समस्त देश में देवनागरी लिपि में कामकाज करने योग्य जानकारी देने के लिये प्रचार करने हेतु अन्य क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) क्या देवनागरी टाइपराइटर का अधिक वैज्ञानिक, पूर्ण और सरल 'की बोर्ड' अपनाने का कोई प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : **(क) से (घ)** : मुख्य मंत्रियों के 1961 में हुए सम्मेलन में एक यह सिफारिश की गयी थी कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच एक सामान्य लिपि प्रभावी कड़ी होगी और इसलिए एकता के लिए उससे बड़ी मदद मिलेगी । विद्यमान परिस्थितियों में, भारत में देवनागरी ही एक मात्र ऐसी सामान्य लिपि हो सकती है। हालांकि निकट भविष्य में एक सामान्य लिपि अपनाना कठिन हो सकता है फिर भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसके लिये कार्य किया जा सकता है।

उक्त सिफारिश के अनुसरण में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने देवनागरी लिपि के विकास तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं । क्षेत्रीय भाषाओं की उन

विशिष्ट ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए जिनके लिये देवनागरी लिपि में कोई चिन्ह विद्यमान नहीं है, विशेष चिह्न और स्वर भेद चिह्नों को लागू करके इस लिपि का संशोधन तथा विस्तार किया गया है तथा इस संबंध में निम्नलिखित पुस्तिकाएं/पैम्फलेट प्रकाशित किये गये है :—

1. "स्टैन्डर्ड देवनागरी" (अंग्रेजी)
2. "परिवर्धित देवनागरी" (हिन्दी)
3. "मानक देवनागरी" (हिन्दी)
4. "परिवर्धित देवनागरी चार्ट" (हिन्दी)
5. "मानक देवनगारी चार्ट" (हिन्दी)
6. "देवनागरी थुएजिज" और इसका हिन्दी रूपान्तर "देवनागरी का क्रमिक विकास" ।

इन प्रकाशनों को भारत के विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिये एक सजीव फिल्म भी तैयार की गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयास जारी रहेंगे ।

देव नागरी टाइपराइटर के लिये सर्वोत्तम सम्भव कुंजी पटल अपनाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

**'हिस्ट्री आफ फ्रीडम इन इंडिया' प्रकाशित करने का प्रस्ताव**

**6052. श्री वसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1857 से लेकर 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया' प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या 'फ्रीडम मूवमेंट' के प्रथम खण्ड के प्रकाशन के बाद से इस परियोजना की कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और इसके क्या कारण है, और

(घ) इस परियोजना पर सरकार ने अब तक कितनी धन राशि खर्च की है और स्वतन्त्रता आन्दोलन का पूर्ण इतिहास शीघ्र प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (घ) भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास चार खण्डों में प्रकाशित किया गया है, जिनमें से अन्तिम दो खण्डों का विमोचन राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1973 को किया गया था, पुस्तकों में अठारहवीं ईसवी शताब्दी के मध्य से लेकर स्वतन्त्रता संग्राम के विभिन्न चरणों का चित्रण किया गया है।

परियोजनाओं पर सरकार द्वारा किए गए व्यय के सम्बन्ध में ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

**'लैक आफ बिटूमन सबस्टिच्यूट बैफ्ल्स रोड, प्लैनर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

6053. **श्री वसन्त साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र के "लैक आफ बिटून सबस्टिच्यूट बैफल्स रोड प्लेनर्स' शीर्षक के प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) बिटुमिन की संभावित कमी, यदि कोई है, विषयक मामले पर सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत विचार किया जा रहा है । यदि ऐसी कमी बनी रही तो कुछ अन्य उपयुक्त निर्माण सामग्रियों द्वारा व्यावहारिक प्रतिस्थापना करके अथवा विशिष्टियां घटाकर चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया आदि का अधिक उपयोग करके खपत को यथा संभव कम करने की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

**महाराष्ट्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करना**

6054. **श्री वसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम भारत के लिये महाराष्ट्र में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) से (ग) : महाराष्ट्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, सरकार को महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के आधार पर महाराष्ट्र में एक संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिये अनुरोध किया गया है प्रस्ताव से संबंधित ब्यौरे, भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है, जिनकी प्रतीक्षा है ।

**उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल को सुचारू रूप से भेजने हेतु पत्तनों पर अतिरिक्त सुविधाएं देना**

6055. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर पर्याप्त घाट सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल के आगमन में जबरदस्त रुकावट पड़ रही है क्योंकि

माल वाहक जहाजों को घाट पर स्थान प्राप्त करने हेतु 15-20 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पूरे सामान को शीघ्र भेजने के लिये जो उर्वरक उद्योग के लिए परमावश्यक होता है, अतिरिक्त सुविधाएं देने हेतु क्या तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के कुपोषण का मुकाबला करने के लिए कार्यक्रम

6056. **श्री विक्रम महाजन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को कुपोषण का मुकाबला करने के लिये कार्यक्रम के बारे में 26 नवम्बर' 1973 के अतारांनेकत प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) 'फीडिंग दिनों' की संख्या को कम करके वर्ष 1973-74 में कितनी धनराशि की बचत की गई है; और

(ग) क्या सभी राज्यों ने वर्ष 1974-75 के लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया है और यदि हां, तो इस कार्यक्रम को सभी राज्यों में एक महीने में पूरे 25 दिन तक चलाने की व्यवस्थ को पुनः लागू किया जायेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन स्कूल पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिये अनुपूरक आहार वितरण कार्यक्रम हेतु योजना आयोग ने वर्ष 1974-75 के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वास्ते राज्य क्षेत्र में 11.65 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया है ।

(ख) आहार वितरण दिनों में कमी खर्च में बचत करने के लिए नहीं, बल्कि खर्च को उपलब्ध धन तक सीमित रखने के लिए आवश्यक समझी गई थी। प्रत्येक राज्य में आवंटित व्यवस्था में सम्भावित बचत के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूल-पूर्व आहार वितरण कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र में था । पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है। हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों के लिए वार्षिक योजना 1974-75 में पहले ही के आधार पर अर्थात् एक वर्ष में 300 दिन आवंटन किए गए हैं । हरियाणा राज्य ने वर्ष 1974-75 के दौरान पौष्टिक आहार के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की है।

## ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम को लागू करके दिया गया रोजगार

6057. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम लागू करने से, वर्षवार, कितने रोजगार की व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी योजनाएं क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) और (ख) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना अप्रैल, 1971 में 50 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय पैसे 3 वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ की गई थी। मजदूरी और सामाग्री पर किये जाने वाले व्यय का कुल अनुपात 70 : 30 का नियत किया गया था । इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपये में से 35 करोड़ रुपये की राशि मजदूरी पर व्यय की जानी थी । इससे 4 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रति वर्ष 875 लाख श्रम-दिनों का रोजगार पैदा होगा । वर्ष 1971-72 और 1972-73 में क्रमश: 789·66 और 1461·31 लाख श्रम दिनों का रोजगार पैदा किया गया। वर्ष 1973-74 के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, पैदा किये जाने वाले रोजगार के 875 लाख श्रमदिनों के लक्ष्य से एक बार फिर बढ़ जाने की उम्मीद है । ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

## पंखा रोड, दिल्ली को चौड़ा करना

6058. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास, प्राधिकरण की सबसे बड़ी कालोनी जनकपुरी को जाने वाली मुख्य सड़क पंखा रोड को चौड़ा करने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पंखा रोड, को चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है ।

## Paintings and manuscripts stolen from Maulana Azad Library of A.M.U.

6059. **Shri Chandra Shailani:**

**Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether certain rare paintings and manuscripts were stolen from Maulana Azad Library of Aligarh Muslim University on the 23rd February, 1974;

(b) the total value of the articles stolen; and

(c) the action taken so far to find out the clue of the theft ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):** (a) On the night between February 23 and 24, 1974, some valuable manuscripts and paintings were stolen from the Manuscripts Section of Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University.

(b) it is very difficult to assess the value of these paintings ad manuscripts.

(c) The university has lodged a report with the police. The case is under investigation.

## पश्चिम बंगाल का अप्रैल के बाद अधिक मात्रा में गेहूँ और चावल का आवंटन करने का अनुरोध

6060. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में सांविधिक राहत व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार अप्रैल, से अधिक मात्रा में गेहूं और चावल का आवंटन करे, और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे):** (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार सांविधिक और परिशोधित राशन वाले दोनों ही क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल और गहूं के आवंटन में वृद्धि करने की मांग करती रही है। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं, स्थानीय बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय भण्डार से अप्रैल, 1974 के लिए 1·32 लाख मी० टन चावल तथा गेहूं आवंटित किया गया है जबकि मार्च, 1974 के लिये 1·20 लाख मी० टन आवंटित किया गया था । इसके अलावा, पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय भण्डार से अप्रैल, 1974 के लिए 15,000 मी० टन मोटे अनाज भी आवंटित किए गये हैं।

## भारत में खाद्य स्थिति के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन के आंकड़े

6061. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन के खाद्य तथा कृषि संगठन से प्रकाशित विवरण में भारत सहित 21 देशों के संबंध में खराब फसल और अनाज की कमी का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि सरकार उक्त आंकड़ों को और उनके निष्कर्षों को स्वीकार करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त संगठन से यह बात क्यों नहीं कही गई कि वह संयुक्त राष्ट्र संगठन को अपने निष्कर्ष भेजे जाने से पूर्व भारत सरकार को सूचना दें ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** (क) से (ग) खाद्य तथा कृषि संगठन अरली वार्निंग सिस्टम फार फूड सोरटेजेज नामक एक जानकारी संबंधी बुलेटिन प्रकाशित करता है, जिसमें विश्व की वर्तमान खाद्य स्थिति का उल्लेख किया जाता है। इस बुलेटिन की सामग्री उस जानकारी पर आधारित है, जिसे खाद्य एवं कृषिसं गठन समाचार-पत्रों,

खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्मिकों, के विभिन्न देश के दौरों, खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की रिपोर्टों आदि स्रोतों इकट्ठा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विस्तृत सांख्यिकीय संबंधी पुनरीक्षण और अध्ययन किये बिना तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के निर्णय के बिना, खाद्य स्थिति के नवीनतम विकासों की जानकारी खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र को प्रदान की जाये ।

खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत में कम फसल होने और खाद्य की कमी की संभाव्यताओं के सम्बन्ध में कोई आंकड़े निर्मुक्त नहीं किये हैं। तथापि, अरली वार्निंग सिस्टम फार फूड सोरटेजेज नामक अपनी मार्च, 1974 के बुलेटिन में खाद्य एवं कृषि संगठन ने यह सूचना दी है कि भारत में खाद्य सप्लाई की स्थिति अधिक कठिन होने की सम्भावना है और अतिरिक्त अनाज के आयात करने की आवश्यकता हो सकती है। खरीफ की फसल का नवीनतम अनुमान 665 लाख मीटरी टन लगाया गया है, जबकि 670 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि रबी की फसल के अनुमान को 480 लाख मीटरी टन से कमकर के 410 लाख मीटरी टन कर दिया गया है और यह अनुमान और भी कम हो सकता है। खरीद के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि 32 लाख मीटरी टन चावल की खरीद की गई थी, जबकि 66.5 लाख लाखमीटरी टन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और खरीद की अधिकतम सीमा का अनुमान 38 लाख मीटरी टन लगाया गया है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा बुलेटिन में प्रकाशित किये गये आंकड़े उनके अपने अनुमान है। खरीफ तथा रवी खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात किसी समय जुलाई, या अगस्त, 1974 में उपलब्ध होगे। उपलब्ध संकेतों के अनुसार इस वर्ष खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के खरीफ उत्पादन से काफी अधिक होने की संभावना है। और लगभग 670 लाख मीटरी टन का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। चालू मौसम के दौरान रबी की फसल के उत्पादन का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। इस वर्ष के दौरान रबी के उत्पादन पर बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी की मौजूदगी जनवरी, फरवरी, 1974 के दौरान वर्षा की कमी, उर्वरकों की उपलब्धि और रबी की फसलों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में मौसम के शेष भाग के दौरान मौसम की परिस्थितियों आदि अनेक बातों का प्रभाव पड़ सकता है ।

## महिलाओं में शिक्षा का प्रसार

6062. **श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं के लिये माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा लागू करने का है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल. कर्नाटक, नागालैण्ड, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ल० मि० और अमीनिदीव द्वीप समूह, अरूणांचल, दादरा और नागर हवेली तथा पांडिचेरी में माध्यमिक स्तर तक लड़के और लड़कियों दोनों के लिये शिक्षा नि:शुल्क है।

मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में शिक्षा केवल लड़कियों के लिये ही माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क है। अन्य राज्यों में जनता के पिछड़े वर्गों तथा ज्यादा गरीब वर्गों के लिए नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है। सभी राज्यों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा शुरू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। भारतीय संविधान में निहित निदेशात्मक-सिद्धान्तों के अनुसरण में सभी राज्यों में नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा शुरू करने के लिये सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं।

### गुजरात में कीटाणुयुक्त पेय जल की सप्लाई

6063. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा और गुजरात के अन्य भागों में मार्च, 1974 में कीटाणुयुक्त पेय जल की सप्लाई की गई और कुछ कीटाणु माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना भी देखे जा सकते थे;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों के लोगों ने इस तथ्य की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(ग) कीटाणुयुक्त जल सप्लाई करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई जांच करने के आदेश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री)** : गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) ऐसी कोई घटना राज्य सरकार को नहीं बताई गई।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### वाणिज्य पोत परिवहन (अनाज की ढुलाई) नियम, 1974

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)** : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (अनाज की ढुलाई) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 248 में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 6638/74]**

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972**

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (1973-74 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 128(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 226 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6639/74]**

(2) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) तमिलनाडु नियम, 1974, जो भारत के राज पत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) तमिलनाडु नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 3(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 6640/74]**

**राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर**

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6641/74]**

**श्री रण बहादुर सिंह** (सिंधी) : मैंने पिछले महीने की 12 तारीख को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी का मामला उठाया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय को उस बारे में वक्तव्य देने को कहूंगा।

## दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा हड़ताल समाप्त किए जानें के बारें में वक्तव्य

## STATEMENT RE. CALLING OFF OF STRIKE BY DELHI JUNIOR DOCTORS

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों ने इस सदन में 2 अप्रैल को दिए गये मेरे वक्तव्य के आधार पर 6 अप्रैल को दौपहर बाद से अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है । कनिष्ठ डाक्टरों ने काम पुन: प्रारम्भ कर दिया है और अस्पतालों की सेवाएं तेजी से सामान्य होती जा रही हैं ।

---

## समिती के लिए निर्वाचन

## ELECTION TO COMMITTEE

### अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए राज्य सभा को सिफारिश

**श्री डी० बसुमतारी** (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री एन० पी० चौधरी तथा सुन्दरमणि पटेल और कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापरडे की राज्य सभा से निवत्ति के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्वपद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे :"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री एन० पी० चौधरी तथा सुन्दरमणि पटेल और कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापरडे की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के तीन सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

## सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा **परिसीमन** अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा परिसीमन अधिनियम, 1963 का और सशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**श्री एच० आर० गोखले** : मैं विधेयक पुर : स्थापित करता हूं ।

## नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTER UNDER RULE 377

**बिहार सरकार द्वारा श्री राजनारायण को निष्कासन आदेश दिये जाने का समाचार**

**श्री श्यामानन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : मैं बिहार सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत समाजवादी नेता, श्री राजनारायण, संसद् सदस्य को निष्कासन आदेश दिए जाने की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत ही अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्यवाही है। श्री राजनारायण इस माह के दिनांक 7-8-9 को होने वाली अपने दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने वहां पर जा रहे थे।

**Mr. Speaker** : He is a member of the Rajya Sabha the matter should be raised there. Moreover D.I.R. has been invoked by the state Government.

---

## अनुदानों की मांगें, 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

**वाणिज्य मंत्रालय**

**श्री एम० सुदर्शनम्** (नरसरावपेट) : मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान 1961 करोड़ रुपए के निर्यात किए गए । यह आंकड़े अब तक के सब से अधिक आंकड़े हैं । हमें आन्तरिक खपत की बलि देकर भी निर्यात को बढ़ाना चाहिए । तेल और खाद्य के आयात के लिए अपेक्षित धन जुटाने हेतु उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि निर्यात के लिए अधिक मात्रा में सामान उपलब्ध हो सके। हमें पांच

वर्ष के लिए हड़तालों एवं तालाबन्दियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिए। औद्योगिक कच्चे मालों की सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

वर्ष के पहले 9 महीनों में जहां 1691 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात हुआ वहां पर इसी अवधि में आयात में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इस अवधि में 1785 करोड़ रुपए के आयात किए गए। निर्यात में यह वृद्धि 21.6% थी जबकि आयात के आंकड़ों में 44% वृद्धि हुई। इस अवधि में गेहूं, पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाद मशीनरी, उर्वरक, रसायन, अलौह धातुए आदि के आयात मूल्य में वृद्धि हुई है। यदि हम निर्यात की वर्तमान गति को बनाए रख सकें तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियत 2000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

समाचार पत्रों के समाचारों के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय, योजना मंत्रालय तथा योजना आयोग ने 1974-75 वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले वर्षों की उपलब्धियों की ओर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है। विनुक्त विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से हमारे प्रयास पूर्व यूरोप से भिन्न देशों को अपने निर्यात बढाने की ओर होने चाहिएं। वाणिज्य मंत्रालय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि इन देशों में किन वस्तुओं की मांग है। उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की ओर विशेष बल दिया जाए। भारत को अपने पड़ोसी देशों, मध्य पूर्व के देशों, पूर्वी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और लतीफी अमरीकी देशों के साथ निर्यात बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

वाणिज्य मंत्रालय में निर्यात उपादन विभाग की स्थापना इस दिशा में स्वागतयोग्य प्रयास है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय किया गया है परन्तु इसके संबंध में पूर्ण विवरण नहीं बताया गया।

प्रतिवेदन में निर्यात नीति संकल्प का उल्लेख किया गया है। यह सकल्प 1970 में मुख्य रूप से चौथी योजना के संदर्भ में अपनाया गया था। आज की अन्तर्राष्ट्रीय तेल स्थिति और उसके हमारे निर्यात व्यापार पर संभावित प्रभाव को देखते हुए आज इसका विशेष महत्व नहीं है। अत: इसमें विश्व व्यापार को आज की प्रवृत्तियों के संदर्भ में संशोधन किए जाएं। भौगोलिक निकटता, मित्रतापूर्ण और परम्परागत संबंधों की दृष्टि से एशियाई देशों से व्यापार बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार तेल संशोधनों से युक्त खाड़ी के देशों के साथ व्यापार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मंत्रालय द्वारा इस दिशा में प्रयास उचित एवं सराहनीय है। तथापि भारत को इन देशों में गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। यह कार्य अकेले सरकार का नहीं है। व्यापारी-स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खाड़ी के देश इस समय विभिन्न देशों से जानकारी कर आयात करने के प्रयास कर रहे हैं। अत: भारतीय उद्योगपतियों को उन देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उद्योगपतियों को अनेक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिए गए हैं परन्तु भारतीय उद्योगपतियों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमें निर्यात को बढ़ाने के लिए इन प्रबंधों की ओर ध्यान देना है तो इन बाधाओं को दूर करना होगा।

इस समय अनेक वस्तुओं का निर्यात सरकारी अभिकरणों के माध्यम से होता है। हमारा उद्देश्य निर्यात से आय को बढ़ाना है इसलिए सरकार से मान्यता प्राप्त निर्यात घरानों को भी सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ कार्य करने की छूट होनी चाहिए। इससे देश के निर्यात संवर्धन प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा।

सदन में आश्वासन के बावजूद तम्बाकू बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसकी शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : प्रतिवेदन से पता चलता है कि मंत्रालय का कार्य वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है।

माननीय मंत्री ने अपने अनेक लेखों में समाजवादी देशों के साथ व्यापार के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि विदेशी मुद्रा की कमी के समय रुपयों में व्यापार के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिवेदन में विभिन्न देशों के साथ व्यापार का ब्यौरा तो बताया गया है परन्तु व्यापार प्रवृत्तियों में परिवर्तन का ब्यौरा नहीं बताया गया। यह भी नहीं बताया गया कि ये परिवर्तन हमारे देश के हित में है अथवा नहीं। समाजवादी देशों के साथ होने वाले व्यापार में परिवर्तन की प्रवृतियां हमारे हित की हैं अथवा नहीं। प्रतिवेदन के एक अनुलग्नक में मुख्य वस्तुओं के आयात के कुल मल्य के आंकड़े दिए गए हैं परन्तु यहां पर भी उनका ब्यौरा नहीं बताया गया। यह सब ब्यौरा बताया जाना चाहिए था।

इसी प्रकार प्रतिवेदन में निर्यात लक्ष्य, विभिन्न व्यापार समझौतों के लिए बातचीत में प्रगति आदि की अवस्था बताई जानी चाहिए थी जिससे सभा उनके बारे में उचित निर्णय कर सकती। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सोवियत रूस ने दीर्घावधि आधार पर भारतीय वस्तुओं के क्रय का कोई प्रस्ताव किया है जिससे हमारे निर्यात की अनिश्चित स्थिति में कुछ सुधार होगा ?

पटसन देश के लिए विदेशी मद्रा उपार्जन का एक महत्वपूर्ण यह रहा है। कच्चा पटसन केवल एक मात्र ऐसा औद्योगिक कच्चा माल है जिसके मूल्य बढ़ने नहीं दिए गए हैं और इस व्यापार पर मिल मालिक संगठनों के नियंत्रण के कारण प्राथमिक पटसन उत्पादकों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य भी नहीं मिल रहे। भारतीय पटसन निगम ने मूल्यों को प्रभावित करने की दृष्टि से पटसन के क्रय का काम नहीं किया है। इस सब के कारण पटसन उत्पादकों के लिए कच्चे पटसन का मूल्य लाभदायक नहीं है। पश्चिम बंगाल के पटसन श्रमिकों ने हाल ही में मांग की थी कि कच्चे पटसन का व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाए। केवल इससे ही उत्पादकों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

पटसन व्यापार में बहुत अधिक घोटाला हो रहा है। इस वर्ष के प्रारम्भ में पटसन मिल मालिकों को लगभग 30 करोड़ रुपए के शुल्क में रियायतें दी गईं जबकि अतर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन उत्पादों की बहुत मांग है।

पटसन उत्पादों का विदेशों से व्यापार विदेशी मुद्रा के गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का सब से बड़ा स्रोत है। बीजकों में मूल्यों को घटा बढ़ाकर दिखाना इस व्यापार की पुरानी प्रथा है। इसके कारण एक ओर तो कच्चे पटसन के उत्पादों को हानि होती है दूसरी ओर सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा काला बाजार में जाती है। इस को रोकने के लिए पटसन व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार चाय भी विदेशी मुद्रा उपार्जन का एक अन्य बड़ा उद्योग है। भारत की स्वीधानता के समय यह उद्योग बहुत ही फैल रहा था। इस उद्योग पर चाय बागानों के विदेशी मालिकों का प्रभाव था। सरकार ने इस उद्योग की उपेक्षा की। सरकार ने एक के बाद एक समिति नियुक्त की। उनकी कुछ सिफारिशें स्वीकार की गईं कुछ को स्वीकार नहीं किया गया। इसके कारण यह उद्योग पूर्णतया उपेक्षित उद्योग रहा जबकि तथ्य यह है कि इसकी खेती के अन्तर्गत बहुत अधिक भूमि है और इसमें बहुत अधिक श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त है।

सरकार द्वारा ऋणों एवं राज सहायता के रूप में उद्योग को वित्तीय सहायता दी जा रही है। परन्तु फिर भी बहुत से चाय बागानों की स्थिति शोचनीय है। बहुत से चाय बागान बन्द हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की इस बारे में कोई स्थिर नीति नहीं है।

केरल विधानसभा तथा केरल सरकार ने चाय बागानों के कर्मचारियों तक सभी दलों की सहायता से निर्णय किया है कि बागानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश भेजा गया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि पांडिचेरी के बारे में, अत्यावश्यक सेवाओं के बारे में कोई अध्यादेश होता तो सरकार तत्परता दिखाती परन्तु इस मामले में वे राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दे रहे हैं। मैं इस में विलम्ब होने के कारण जानना चाहती हूं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने पूरे दायित्व के साथ यह मामला केन्द्र को भेजा है। सरकार निरन्तर यह बात कह रही है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात सरकार इन बागानों को अपने अधिकार में ले लेगी और इसके लिए गर्व प्रदर्शित करेगी । सरकार को इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिए। वे या तो यह कहें कि वे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार विदेशी मालिकों को खुली छूट दें। क्या सरकार इसी बात के पक्ष में है? सरकार को विदेशी तथा भारतीय स्वामित्व के बागानों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

द्विपक्षीय व्यापार करारों से हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है। इन करारों के अन्तर्गत भारत के निर्यात व्यापार में काफी प्रगति हुई है। सरकार को भविष्य में इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए। इसके लिए चाय बागानों का सरकारी क्षेत्र में लिया जाना बहुत आवश्यक है। बागानों में ही नहीं अपितु व्यापार और चाय की नीलामी पर भी लिप्टन ब्रुकबांड जैसी विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा आय आदि बातों की दृष्टि से चाय व्यापार का सरकारीकरण बड़ा महत्व रखता है। यदि बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात की जाती है तो श्रम तथा अन्य मन्त्रालय इसके लिए जनसंख्या वृद्धि का दोष बताते हैं। परन्तु चाय बागानों में कर्मचारियों की संख्या क्यों कम हो

रही है? केरल में भी भूमि और श्रमिक अनुपात में परिवर्तन आ गया है। इन उद्योगों में केवल चाय ही नहीं अपितु कहवा, रबड़ तथा काजू आदि उद्योग भी हैं जिनमें श्रमिकों की वर्तमान संख्या कम होती जा रही है क्या उसका कारण बढ़ती हुयी जनसंख्या बताया जा सकता है। चाय उद्योग बन्द हो रहे हैं, इस मामले पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

नारियल जटा उद्योग की स्थिति देखिए। दो वर्ष पूर्व तत्कालीन मन्त्री ने कहा था नारियल जटा के निर्यात व्यापार का सरकारीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नारियल जटा बोर्ड ने एक ज्ञापन पर विचार किया, जो आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने दिया था और जिसमें इस उद्योग के सरकारीकरण की मांग की गयी थी। इस बोर्ड ने, जिसमें विशेषज्ञ हैं जैसा कि सरकार दावा करती है, इस पर विचार किया और मांग स्वीकार कर ली। केरल सरकार ने भी बोर्ड की विचारधारा का समर्थन कर दिया। इसके पश्चात निर्णय किया गया कि सरकारीकरण किया जायेगा। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय को इस प्रश्न पर तथा मेरे अन्य प्रश्नों पर विचार करना चाहिए और इनका उत्तर देना चाहिए। नारियल जटा उद्योग संकट से गुजर रहा है। लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है। इसमें विदेशी मुद्रा की आय का मामला भी अन्तर्गत है। अतः मन्त्री महोदय को इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। काजू तथा इलाइची उद्योग के बारे में भी प्रकाश डाला जाना चाहिए।

अन्त में, देश में हथकरघा बुनकरों के सामने जो संकट है तथा कपड़े की जो समस्या है उस विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूं। धागे से नियन्त्रण हटा दिया गया है। हथकरघा बुनकरों को देशपर्यन्त धागा उपलब्ध नहीं है। इस कारण हथकरघा बुनकर भुखमरी तथा बेरोजगारो का सामना कर रहे हैं। एक ओर तो उनके सामने यह समस्या है दूसरी ओर उन्हें उनके पारिश्रमिक में वृद्धि का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। धागे से नियन्त्रण हटाये जाने के बाद मिल मालिकों ने अत्यधिक लाभ कमाया है परन्तु वे बुनकरों के पारिश्रमिक में वृद्धि करना नहीं चाहते। गत वर्ष कुछ मजदूर संघों से बात-चीत करने के पश्चात कुछ मिल मालिकों ने बोनस की राशि में भारी वृद्धि की। जितनी अधिकतम राशि बोनस अधि-नियम में बताई गई है उससे और अधिक बोनस उन्होंने दिया। यदि मजदूर हड़ताल करें तो मिल मालक वेतन बढ़ाते हैं। बम्बई में, हाल ही में, कपड़ा मजदूरों ने पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग के लिए 41 दिन की हड़ताल की। तमिलनाडु में भी ऐसी ही हड़ताल रही। मिल मालिक अधिक वेतन देने के लिए सहमत हुए। उन कपड़ा मिलों को नियन्त्रित कपड़े के मूल्य में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि करने दी जा रही है परन्तु हथकरघा बुनकरों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक वर्ष पहले जो निर्णय किया गया था कि मोटे कपड़े के मूल्य में तीन वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, उस निर्णय की अवहेलना करके यह वृद्धि क्यों की गई।

इन मिलों ने 847 वर्गमीटर कपड़ा तैयार किया जबकि इनका दायित्व केवल 560 वर्गमीटर तैयार करने का था। इससे पता चलता है कि कुप्रबन्ध के कारण इन मिलों को काल्पनिक रूप में संकटग्रस्त घोषित किया गया। अतः मेरा अनुरोध है कि कपड़ा मिलों को सरकारी अधिकार क्षेत्र में लिया जाये।

निष्कर्षत: मैं मन्त्रीमहोदय को सरकार के 1970 के निर्यात नीति संकल्प के बारे में स्पष्ट कराना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह जागरूक होकर कार्य करें।

**श्री बी० के० दासचौधरी** (कूच-बिहार) : वाणिज्य मन्त्रालय का कार्य सराहनीय रहा है। देश के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। परन्तु वाणिज्य मन्त्रालय के विशेषकर विदेशी व्यापार विभाग का दृष्टिकोण गलत है। आज देश में खाद्य पदार्थों तथा ईंधन की समस्या है। मन्त्रालय को अधिकाधिक निर्यात का प्रयास करना चाहिए। परन्तु क्या यही पर्याप्त है। मन्त्रीमहोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश को कितने निर्यात पर कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है और क्या इतनी विदेशी मुद्रा किसी अन्य विकल्प, निर्यातमुख उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, से भी प्राप्त हो सकती है।

सरकार मानवी बातों से लेकर मेंडक की टांगों तक 3000 वस्तुओं का निर्यात करती है? सरकार को इन सब वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? सरकार को प्राथमिकता के आधार पर निर्यात की वस्तुओं का चयन करना चाहिए।

इन्हीं बातों के कारण उनके उचित विकास निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्या उन्होंने कोई अनुसन्धान किया है? उनके कुछ अनुसन्धान अधिकांशत: पारस्परिक हैं और बड़े उद्योग तथा बड़े उपक्रमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यात लिया जाता है। पांचवीं लोकसभा की प्राक्कलन समिति के 28वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 32 पर जो सिफारिश की गई थी उसके बारे में 12 दिसम्बर 1972 को कहा गया था कि सरकार उस पर निर्णय करेगी, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति ने यह सुझाव दिया था कि चाय पर लगने वाली उत्पादन शुल्क की पद्धति समाप्त कर दी जाए ताकि चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले। परन्तु सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सही निर्णय लेना उतना ही अच्छा है जितना कि समूचे कार्यक्रम को क्रियान्वित करना।

[ उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* ]

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 12 पर दार्जिलिंग में चाय की पौदों के पुन: रोपण आदि के बारे में जो सिफारिश की थी उस पर भी सरकार ने टालमटोल उत्तर दिया है और समय पर निर्णय भी नहीं लिया है, आप केवल तीन या चार बड़े चाय निर्यातकों की सहायता कर रहे हैं और छोटे चाय उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं। मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है। हमारे इस चेतावनी के बावजूद भी कि पटसन उत्पादक को हानि उठानी पड़ रही है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह मेरे ही विचार नहीं है अपितु 4 मार्च 1971 के बंगाली समाचार पत्र जुगान्तर में दिए गए पटसन उत्पादकों के विचार भी इसकी पुष्टि करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री बी० के० दास चौधरी** : यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य सदस्यों को काफी समय दिया जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपके सचेतक ने कहा है कि वक्ताओं की सूची लम्बी है और इसीलिए प्रत्येक को 10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, मुसीबत यह है कि मना करने के बावजूद भी सदस्य बोलते चले जाते हैं। आप थोड़ा समय और ले सकते हैं।

**श्री बी० के० दासचौधरी** : स्वतन्त्रता से पूर्व पटसन और धान के मूल्यों का अनुपात क्या था ? यह तीन मन धान एक मन पटसन के बराबर था।

इस वर्ष भी पटसन उत्पादक कूच बिहार जिले में स्थानीय बाजार से 2 मन पटसन के बदले में 1 मन धान प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 1974 के आर्थिक सर्वेक्षण से भी पटसन उत्पादकों की दयनीय स्थिति का पता चलता है।

दिसम्बर, 1972 में सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में सूचकांक 163 था और 1973 में यह कम होकर 123 हो गया। दिसम्बर 1972 में मूंगफली का मूल्य सूचकांक 262 था, 1973 में यह बढ़कर 362 हो गया। इसी प्रकार दिसम्बर 1972 में कच्ची रुई का मूल्य सूचकांक 169 था, किन्तु दिसम्बर 1973 में यह 279 था।

यह ज्ञात नहीं है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि पटसन का मूल्य 157.60 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित कर पटसन उत्पादकों को अत्यधिक लाभप्रद मूल्य दिए गए हैं। जहां तक कच्ची पटसन के मूल्य का सम्बन्ध है किसानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला है। दूसरी ओर सरकार उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा रही है ताकि उत्पादकों को आधारभूत न्यूनतम मूल्य भी न मिल सके। यदि यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्यातोन्मुख उद्योग है और उसे विदेशी मंडियों से प्रतियोगिता करनी होती है तो उपमन्त्री द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर के अनुसार हाल ही के वर्षों में पटसन के मूल्य बढ़ने के बावजूद पटसन के माल के खरीदारों की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि मन्त्री महोदय ने निर्यात शुल्क फिर से क्यों लगा दिया है जबकि इसे गत वर्ष हटा दिया गया था। यदि वास्तव में ही पटसन की वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना है और इसके साथ ही यदि आप यह निर्यात शुल्क लगाते हैं, तो इससे इसे प्रतियोगी बनने में बाधा पड़ेगी। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ उदारता बरतनी चाहिए, ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। वाणिज्य मन्त्रालय की समस्त नीति पटसन उत्पादकों का शोषण करने वाली है।

रुई के मामले में उत्पादकों को नकद राशि, निर्यात करने का अधिकार आदि के रूप में अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। किन्तु यहां उत्पादकों को प्रोत्साहन तो दिए ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत उन पर अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। यदि वास्तव में ही सरकार पटसन उत्पादकों की सहायता करना चाहती है, तो इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही करना चाहती है ? मन्त्री महोदय हमें बतायें कि क्या सरकार सूती धागे और अन्य वस्तुओं की बुलाई दरों में समानता लाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? गत दिसम्बर में मन्त्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार

किया जा रहा है। किन्तु, उप-मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से हमें पता चलता है कि सरकार किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। कौन सी बात ठीक है?

सूती कपड़े के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण गरीब लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नियन्त्रित मूल्य वाले कपड़े के मूल्य में कमी करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए जिसे हाल ही में लगभग 37 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

**Shri Ram Hedaoo** (Ramtek) : I want to draw the attention of the Commerce Ministry towards the very bad Condition of handloom industry. Agriculture and handloom are main industries of the country. About two Crore people have been working on hand looms but today their condition has become miserable. These handloom weavers are not getting raw meterial and Yarn according to their requirements and are, therefore losing their employment.

I would suggest that the Government should set up an All-India Handloom Corporation. This Corporation should be made responsible to tackle all the problems faced by handloom industry and they should ensure that handloom weavers are not thrown out of employment. Common sheds should be provided for handloom weavers in the colonies where they are residing and they should be provided with the work there. Till all the weavers are provided with the employment in poorlooms, handlooms should be allowed to function. Moreover proper study of foreign and internal markets should be made so as to find out the types of cloth which is demanded by the people and such kind of cloth may be manufactured by the weavers. The marketing of cloth made by handloom weavers should be handled by the All-India Handloom Corporation, only then the weavers would definitely be able to get them employment.

It is really regrettable that even after 25 years of attaining independence handloom weavers should face such a difficult situation. I would like to request the Government that they should try to export the handloom cloth as at present. They are not giving proper attention to this trade This trade has got a good world market.

I would like to say one thing more in this connection that the Cotton growers are not getting proper price for their produce, although the price of yarn has gone up considerably but the price of cotton has not been increased proportionately which the cotton growers are getting. Yarn manufacturers are reaping huge profits. If such kind of situation is allowed to continue, the dangerous Consequences may arise.

I will again request the Government to constitute the All-India Handloom Corporation at an early date and they should take the full responsibility for providing work to each weaver.

**श्री धामनकर** (भिवण्डी) : मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

हाल में नई आयात नीति की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत अधिक निर्यात किया जाएगा तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रचर बना कर उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। यह नई नीति सराहनीय है।

वाणिज्य मन्त्रालय का सम्बन्ध मुख्यरूप से आन्तरिक तथा विदेश व्यापार से है। किन्तु कपड़ा उद्योग को वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत रखा गया है जबकि अन्य उद्योग औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं। मेरा सुझाव है कि कपड़ा उद्योग को भी औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अधीन रखा जाए जिससे इस उद्योग का विकास हो सके।

मेरा यह भी सुझाव है कि देश से कच्चे माल का निर्यात नहीं होने देना चाहिए। रबड़ उद्योग पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। यदि रबड़ के कच्चे माल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई गई तो कुछ समय पश्चात भारी मूल्यों पर रबड़ का आयात करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय आयात-निर्यात नीति पर पुनः वचार करें।

भारत से लगभग 25 करोड़ रुपए के मूल्य के हाथ से बने वस्त्रों का निर्यात किया गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि अगले वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपयों के मूल्यों के नायलन वस्त्रों का निर्यात किया जा सकता है किन्तु कच्चे माल की कमी है।

रेशम तथा नायलन उद्योग में रेशम मूल्य और फैप्रोलेक्टम की भारी कमी है तथा उद्योग को विदेशों से कच्चा माल मंगाना पड़ रहा है। यह सम्भावना है कि वुडपल्प का मूल्य 1973 में 4,400 रुपया प्रति टन से बढ़कर 1974 में 7,700 रुपया प्रतिटन हो जाएगा। रेशम पल्प का आयात राज्य ब्यापार निगम के द्वारा किया जाता है जो 7.1 प्रतिशत सर्विस चार्ज लेता है। उसमें राज्य ब्यापार निगम द्वारा आयात किया जाने का कोई लाभ नहीं रहता। टायर कार्ड उत्पादकों ने यह सुझाव दिया है कि वुड पल्प का वितरण लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उत्पादन के आधार पर। मेरा सुझाव है कि देश में वुड पल्प बनाने के लिए अतिरिक्त कारखानों की स्थापना की जाए जिससे हमें अमरीकी उत्पादकों पर निर्भर न रहना पड़े।

हथकरघा बुनकरों तथा विद्युत चालित करधा बुनकरों के लिए रेशम धागे की भारी कमी है। सेंचुरी रेमन नामक कम्पनी को रेमन किलामेंट यार्न के लिए 7,000 टन की क्षमता का लाइसेंस दिया गया था किन्तु उसने 1973 में वास्तव में 10,438 टन यार्न का उत्पादन किया। सेंचुरी रेयन तथा ग्वालियर रेयन ने अनियमित विस्तार कर लिया है। देश में धागे की कमी को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि इन कम्पनियों द्वारा जिन संयंत्रों में अनधिकृत विस्तार किया है उन्हें विकेन्द्रकृत विद्युत चालित करघा उद्योग तथा हथ करघा उद्योग को उचित मूल्य पर बिकवाये। उन्हें इस बात के लिए भी विवश किया जाये कि ये उन रुपयों की बिक्री खुले बाजार में न करें। तथा करघा उद्योग को ही बेचें जिसस जिन सयंत्रों में अनधिकृत क्षमता-विस्तार हुआ है उनमें उत्पादन भी उसी मात्रा में होता रहे तथा वे करघा उद्योग को मिल सके।

जुलाई, 1974 से देश में पहली बार केप्रोलेक्टम का उत्पादन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी द्वारा आरम्भ किया जाएगा जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मेरा सुझाव है कि कताई मिलों को कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाये तथा राज्य ब्यापार निगम द्वारा आयात किए जाने की प्रक्रिया बन्द कर दी जाये। इससे नायलन धागे की स्थिति में सुधार होगा।

रुई की कमी के कारण इस वर्ष सूती कपड़ा के निर्यात में कमी होने की सम्भावनायें हैं। वर्ष 1973 में 226 करोड़ रुपए के मूल्य का सूती कपड़ा विदेश भेजा गया था। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** (लखीमपुर) : वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात में वृद्धि सम्बन्धी उपलब्धियों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं तथा इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

यह सराहनीय बात है कि गत वर्ष आयात की तुलना में 164 करोड़ रुपयों का अधिक निर्यात किया गया। किन्तु यदि निर्यात के लिये कुछ वस्तुओं को दी गई रियायतों तथा सुविधाओं का हिसाब लगाया जाये तो व्यापार संतुलन अपने अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि पटसन, चाय जैसी वस्तुओं का अधिक मात्रा म निर्यात किया जाये। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जबकि हमें 1300 करोड़ रुपयों का अशोधित तेल मंगाना पड़ा है इसकी बात की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने पूर्व यरोपीय देशों के साथ उनके कुल व्यापार में से 39 प्रतिशत व्यापार करने का करार किया है।

पटसन के निर्यात से देश को एक चौथाई विदेशी मुद्रा की आय होती है किन्तु यह दुःख की बात है कि 1972-73 में केवल 4. 45 करोड़ रुपयों के मूल्य के पटसन का निर्यात किया गया जबकि 1971-72 में 11. 96 करोड़ रुपये के पटसन का निर्यात किया गया था। पटसन व्यापार निगम न निर्यात को बढ़ावा देता है और न पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाता है।

चाय भी निर्यात प्रधान वस्तु है तथा चाय उद्योग से लगभग 10 लाख व्यक्तियों को सीधे-सीधे रोजगार मिलता है।

किन्तु विश्व मण्डियों में भारतीय चाय का निर्यात घटता जा रहा है तथा इससे प्राप्त लाभ में भी कमी हुई है। चाय उद्योग संकट ग्रस्त होता जा रहा है तथा अनेक चाय बागान बन्द हो गये हैं। जहां तक चाय के उत्पादन का सम्बन्ध है विश्व में चाय के उत्पादन का सूचकांक 1951 से 1971 की अवधि में 100 से बढ़कर 189 हो गया है किन्तु भारतीय चाय उत्पादन का सूचकांक 100 से बढ़कर केवल 152 हुआ है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है एफ० ए० ओ० ने भारतीय चाय के निर्यात के लिये 211. 5 मिलियन कि० ग्रा० की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी किन्तु 1972-73 में हम उतनी चाय भी निर्यात नहीं कर सके।

चाय के निर्यात में कमी होने का एक मुख्य कारण यह है कि चाय को उद्योग तथा कृषि दोनों माने जाने के कारण चाय पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए हैं। राज्य सरकार भी कर लेती है तथा केन्द्रीय सरकार भी। वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री ने भी यह स्वीकार किया था कि भारत में अन्य देशों की तुलना में चाय पर शुल्क की राशि अधिक है। मेरा सुझाव है कि चाय पर लगे करों में कुछ कमी की जाये।

वर्ष 1950-51 में 20. 0 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया तथा 'यूनिट' मूल्य 7. 11 था। 1968-69 में 'यूनिट' मूल्य 7. 79 था जबकि निर्यात की मात्रा वही रही। वर्ष 1972-73 में निर्यात 20. 1 करोड़ कि० ग्रा० था तथा यूनिट मूल्य 7·60 था। इससे स्पष्ट विदित होता है कि गत 20 वर्षों में न चाय के निर्यात में वृद्धि हुई और न इसके यूनिट मूल्य में। इससे विशषकर आसाम की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आसाम में 758 चाय बागान हैं जिनमें से 680 चाय बागानों को जोन पांच में रखा गया है जिससे उन्हें 1. 15 रुपया के हिसाब से उत्पादन शुल्क देना पड़ता है जबकि अन्य क्षेत्रों के बागानों को 25 पैसा या 50 पैसा शुल्क देना पड़ता है। इसके कारण उत्पादक बढ़िया किस्म की चाय का उत्पादन करने की बजाय अधिक मात्रा में चाय उत्पादन का मार्ग अपना रहे हैं जिससे निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री उत्पादन शुल्क की नीति में, जो न्याय संगत नहीं है, संशोधन करें।

अन्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले उद्योगों को आवश्यक सामग्री का आयात करने का अधिकार है किन्तु चाय बागानों को यह अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें उर्वरक का आयात करने का भी अधिकार नहीं है। चाय बागानों की उर्वरक के लिये 110 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर की मांग है कि चाय बोर्ड ने 95 कि० ग्रा० की सिफारिश की है। उन्हें इस हिसाब से भी उर्वरक सप्लाई नहीं किया जाता। अतः मेरा अनुरोध है कि चाय बागानों को आवश्यक सामग्री के आयात के लिये कम से कम 10 प्रतिशत की छूट अवश्य दी जाए। चाय व्यापार निगम $2\frac{1}{2}$ वर्ष से कार्य कर रहा है किन्तु अभी तक उसके चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। अन्त में मेरा अनुरोध है कि सरकार चाय उद्योग की ओर पूरा ध्यान दे।

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरिडीह) : वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व की अर्थ-व्यवस्था में भारी परिवर्तन के कारण भारत के व्यापार में अनेक अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में तेल, खाद्यान्न और उर्वरक आदि के वर्तमान मूल्यों के कारण भारतीय व्यापार संतुलन में 2100 करोड़ रूपयों का अन्तर आ गया है। मूल्य वृद्धि तथा विशेषकर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कम क्षमता के उपयोग के कारण हमारी निर्यात की क्षमता कम होती जा रही है। विकासशील देशों का शोषण करके विकसित देश और सम्पन्न होते जा रहे हैं तथा उनका जीवन-स्तर ऊंचा होता जा रहा है। कई देशों की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है तथा उनकी क्रय शक्ति भी अलग-अलग है। विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि उनको सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं बेचने के लिये विवश किया गया है 'अंकटाड III' विफल हो गया है तथा धनी देश विकासशील देशों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गये करार पर मुझे प्रसन्नता है। मुझे आशा है कि अमरीका के साथ भी कोई ऐसा करार किया जाएगा। विश्व के सभी विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी हुई है। 1960 में सभी विकास-शील देशों के व्यापार की प्रतिशतता 21. 3 थी जो 1970 में घटकर 17. 6 रह गई।

हमारी नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को कम किया जाये जिससे विश्व मुद्रा प्रणाली में यथा सम्भव स्थिरता लाई जा सके। शिपिंग कोड तथा नीलामी से तेल की खरीद प्रक्रिया में संशोधन किया जाना चाहिये।

मैं यह सुझाव अवश्य देना चाहूंगा कि पूर्वी क्षेत्र में कपास की काश्त आरम्भ की जाए। छोटा नागपुर पठार में अम्बा चरखा की व्यवस्था की जाये तथा वहां कताई मिलों की स्थापना की जाये जिससे उस क्षेत्र में बेकार पड़े हजारों हथकरघों को चालू किया जा सके

छोटा नागपुर और मानभूम जिलों में लाख के उत्पादन में भारी कमी हुई है जबकि इसका मूल्य 26 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़कर 1400 रुपया हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा आई० सी० ए० आर० इस मामले में क्या करते रहे ? आदिवासियों को यदि अपेक्षित बीज उपलब्ध कराये गये होते तो उनको बहुत सहायता मिलती।

वाणिज्य मंत्रालय को दिसम्बर, 1974 से सोयाबीन के तेल का आयात अवश्य बन्द कर देना चाहिये जिससे अधिक भूमि में सोयाबीन उगाया जा सके। हजारीबाग में पैदा होने वाले वरजीनिया तम्बाकू में न्यूनतम निकोटीन होता है। विश्व में इस किस्म का तम्बाकू कहीं पैदा नहीं होता। इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् द्वारा हजारीबाग में खोले गये प्रयोगात्मक फारमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

गत बीस वर्षों में लगभग सभी औद्योगिक वस्तुओं के न्यूनतम मल्यों में भारी वृद्धि हुई है किन्तु अभ्रक के न्यूनतम मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई। श्रम प्रधान होने के कारण अभ्रक उद्योग के लाखों श्रमिकों को इससे सब से कम मजदूरी मिलनी है। 19 फरवरी 1974 से अभ्रक के न्यूनतम मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि मैंने गत दिसम्बर में यह सुझाव दिया था कि उसमें 50 से 100 प्रतिशत की वृद्धि की जाये। इस वृद्धि को भी स्थगित रखा गया है जो नितांत अनुचित है। ऐसी परिस्थितियों में अभ्रक के उत्पादन में कमी हुई है जिससे हजारों श्रमिक बरोजगार हुए हैं। गिरिडीह में सभी अभ्रक कारखानों में तालाबन्दी है।

मेरा एक यह भी सुझाव है कि अखिल भारतीय माप तोल प्रशिक्षण संस्थान को पटना से रांची में अंतरित किया जाये। अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ व्यक्ति अभ्रक का अवैध रूप से भी खनन करते हैं तथा इसका निर्यात भी अवैध रूप से करते हैं जिससे इस प्रकार निर्यात के आंकड़े खान निदेशालय द्वारा तैयार किये जाने वाले विवरण में सम्मिलित नहीं होते।

खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कमजोर वर्ग की परिभाषा करने में विलम्ब के कारण गिरिडीह के कमजोर वर्ग के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। पटसन की ही भांति अभ्रक की खरीद भी खान तथा धातु व्यापार निगम ने इन कमजोर वर्गों के माध्यम से न करके बड़े व्यापारियों के माध्यम से जिन्होंने अभ्रक भी इन्हीं लोगों से सस्ते भाव पर खरीदी थी। मेरा सुझाव है कि इस प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

**Shri Sat Pal Kapoor** (Patiala) : Sir, I support the demands of the Commerce Ministry. At the same time I would like to suggest that the functioning of this Ministry should be improved so that the various problems faced by the handloom weavers are solved urgently. They are being exploited by the spinning mills. (*Interruptions*) Action should be taken on the Report kept by the Textile Commissioner in his office.

We have been demanding for a long time that the poor persons should be enabled to get coarse cloth at fair price. I am sorry to mention that the production of coarse cloth is going down and its prices are increasing No attention has been given to the problems of Adivasis, Harijans and peasants

I have repeatedly suggested that we should increase our trade with Middle East countries. The production of cottage industries and village level industries is decreasing gradually. I would like to suggest that the produce of these industries should be made an export item. It is also desirable to introduce training programmes for the artisans working in these industries.

I would also like to invite the attention of the hon. Minister to the carpet industry which can earn foreign exchange to the tune of Rs. 400 crores. I request that the hon. Minister should give priority to the export of carpets.

I support the proposal of exporting one million tonnes of sugar. In view of the availability and good prospects of sugar Government should take steps to achieve this target. Sugar lobby has been creating certain hindrances in the way of sugar export. Government should fight them out. Export of Basmati rice can also be increased considerably.

In view of the declared policy of the Government regarding the support to the small scale industries I would like to suggest that adequate quantities of steel should be made available to the various small scale industries in the States of Punjab and Haryana. There are export oriented industries. Worth crores of rupees of foreign exchange is earned by such industries situated in Ludhiana, Amritsar, Rajapur, Faridabed, Sonepat and several other places.

So far as chemical industry is concerned, it is felt that licences for importing the machinery are delayed by the ministry. In fact licences for import items should be given in advance. This arrangement is likely to increase the exports of Chemical industry by three times.

Some licences were issued for the manufacture of blankets from rags but not a single lic ence was issued to any of the industrialist in Punjab, despite the fact that a number of applications were received from that State. The hon. Minister should pay attention towards that.

**श्री वयालार रवि** (चिरंचिकलि) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। कपड़ा उद्योग की मशीनों का उत्पादन केवल एक या दो एकाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा किया जाता है। देश में कपड़ा उद्योग मशीनों की बड़ी मांग के होते हुए भी सरकार ने मशीनों के निर्यात की अनुमति दी है। इस नीति से केवल एकाधिकारियों को लाभ हो रहा है।

मंत्रालय ने उत्पादकों की समस्याओं को नहीं समझा है और उनकी पारी शुल्क से रक्षा नहीं की है। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक नौवहन विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है, वह अच्छा कार्य कर रहा ह परन्तु उन्हें मंत्रालय से उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिये ट्रालरों के आवंटन के सम्बन्ध में केरल के 200–300 तटवर्ती छोटे निर्यातकों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है क्योंकि बड़े व्यापारियों का दबाव है। इस सम्बन्ध में नौवहन विकास प्राधिकरण का परामर्श नहीं लिया गया।

परामर्शदात्री समिति में भी सरकार से बड़े व्यापारियों के आयात लाईसेंस रद्द करने की मांग की गई है। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में नौवहन विकास प्राधिकरण के सुझावों और परामर्शों पर उचित ध्यान दने का अनुरोध करता हूं। यदि ये लाइसेंस रद्द किये जायें तो हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर उचित ध्यान देंगे।

मैं वाणिज्य मंत्रालय के विरूद्ध कुछ कहना चाहता हूं। बीमा कम्पनियों ने तीन बड़ी बड़ी फर्मों, जिन में से दो विदेशी हैं, को 'रिजेकशन कवर' के रूप में 3·5 करोड़ रुपये दिये

हैं। क्या इससे देश को हानि नहीं हुई है ? अन्य लोगों को यह लाभ---क्यों नहीं दिया गया। मुझे---खेद है कि वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में चुप रहा।

रबड़ उत्पादकों की दशा ठीक नहीं है। उनकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि हम फालतू रबड़ का निर्यात कर रहे हैं। देश में इस समय कितना फालतू रबड़ है और कितने रबड़ का निर्यात किया गया है ? राज्य व्यापार निगम रबड़ के 60 से 66 पौंड प्रति क्विंटल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को पाने में असफल रहा है। निर्माताओं के पास इस समय 50,000 टन रबड़ बेकार पड़ा है। 60-66 पौंड प्रति क्विंटल मूल्य होने पर हम उसका निर्यात क्यों नहीं करते।

1960 में प्रशुल्क आयोग ने पुन: आरोपण के लिए राज सहायता निश्चित की थी। प्रशुल्क आयोग और जांच समिति ने राज सहायता बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी। सरकार प्रति वर्ष 35 लाख रुपये शुल्क के रूप में इकट्ठा कर रही है जिसमें से 1100 लाख रुपया बेकार पड़ा है। उसका उपयोग राज सहायता बढ़ाये जाने में क्यों नहीं किया जाता ? पिछले वर्ष नारियल जटा सामान का निर्यात अपने 14 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्री से बात की जानी चाहिए और आवश्यक कार्य- वाही की जानी चाहिए।

**Shri Md. Jamilurrahman** (Kishanganj) : Commerce Ministry plays an important role in the field of our trade but its performance has so far been disappointing. The Jute Corporation in connivance with mill owners has exploited the poor jute producers. Their condition will continue to deteriorate till improvements in the structure of Jute Corporation are not made. Price of jute has been fixed at Rs. 157 per quintal whereas producer is getting only Rs. 30/ per maund. They are not getting seeds, fertilizers, water and electricity at cheap rates. There should be coordination between Commerce and Agriculture Ministry.

Purchasing centres should be opened in the jute producing areas of North Bengal, Assam and Meghalaya. There is only one purchasing centre in Kishanganj and farmers are facing great hardships in marketing their produce and they are not getting reasonable prices.

There is a proposal to set up a jute mill at Purnea. Thousand of skilled and unskilled workers will get employment and earn foreign exchange in case mill is set up at Karimganj.

State Trading Corporation is not doing its duty. It is not providing any assistance to the small weavers and handloom workers. It appears that State Trading Corporation is only helping big traders or their industries. It is not worried about assistance to be given to the small weavers.

Government is committed to provide cloth on cheap rates to the poor. Heavy dose of taxes on this cloth is not proper. It should be reviewed.

Village industries should be encouraged so that educated people could get employment and foreign exchange worth crores of rupees could be earned.

**श्री वसंत साठे** (अकोला) : वाणिज्य मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो देश के लिये सब से अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। वास्तव में यदि वाणिज्य मंत्रालय सक्रिय हो जाये तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था उभर सकती है। इस मंत्रालय को देश के मामले का व्यापक रूप सामने रखना चाहिये। स्वीडन और फिनलैण्ड में उत्पादन मुख्यत: कर्मचारियों की सहकारी

समितियों के माध्यम से होता है परन्तु हमारे देश में इन समितियों का स्वरूप कथित पूंजीपतियों के समान है और मजदूर अभी भी गुलामी जैसी स्थिति में हैं। इसलिये हमारे देश के पूंजीवादी ढांचे में परिवर्तन करना होगा। उसके लिए भिन्न प्रकार के वाणिज्य को लागू करना होगा ।

एक महत्वपूर्ण बात इस देश के लिए निर्यात योग्य माल के उत्पादन को बढ़ाना है। हमें कच्चे माल, खालों, रबड़ आदि के निर्यात पर बल नहीं देना चाहिए। हमें अधिकाधिक तैयार माल का निर्यात करना चाहिए। हमारा देश निर्माण, विशेषत: आधुनिक माल जैसे इलैक्ट्रोनिक्स को तैयार करने की क्षमता रखता है । दस्तकारी के मामले में हमारे देश से कोई आगे नहीं है। अधिक चप्पलें बनायी जानी चाहिएं। छोटे कारखानों में निर्मित माल को बढ़ावा देकर अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसमें मंत्रालय बहुत काम कर सकता है और देश के लाखों बेरोजगार युवकों को काम उपलब्ध किया जा सकता है। हमारे देश का प्रत्येक देहात कृषि पर आधारित है जैसे मुर्गीपालन आदि कोई भी कार्य किया जा सकता है।

इस प्रकार समूचे विश्व में इस प्रकार व्यापार बढ़ाया जा सकता है। देश के समूचे मानव संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रुख अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है और हमें कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए।

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : वाणिज्य मंत्रालय की मांगों को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

[श्री दिनेशचन्द गोस्वामी **पीठासीन हुए**]

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

गत 25 वर्षों में पहली बार 1972-73 में हमारे आयात से हमारा निर्यात अधिक राशि का था। चौथी योजना के आरम्भ में 1972-73 के लिए लक्ष्य 1760 करोड़ रुपये का था परन्तु हमने निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि करके 1961 करोड़ रुपये का निर्यात किया। इस प्रकार हमने 1973-74 के लिए निर्धारित लक्ष्य से 60 करोड़ रुपये अधिक का निर्यात किया। हम 1972-73 में भुगतान संतुलन की अच्छी स्थिति में थे। हमने 1973-74 के लक्ष्य को भी पार कर लिया था।

1973-74 का वर्ष भी अच्छा है और हमारी सफलता संतोषजनक है । 1973-74 के प्रथम 10 महीनों में जनवरी तक हमारा निर्यात 1921 करोड़ रुपये का है । यह 1972-73 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। हमें पूरी आशा है कि 1973-74 की स्थिति 18 से 19 प्रतिशत होगी। परन्तु आशाओं को अक्तूबर के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बहुत धक्का लगा है। इससे हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति निकट भविष्य में ठीक नहीं हो सकेगी। हमने 20 से 22 प्रतिशत तक निर्यात बढ़ाकर जो कमाया था उसका 75 प्रतिशत पेट्रोल उत्पादों और उर्वरकों के मामले में खप जायेंगे। यह हमारी बुनियादी जरूरत है।

हम चाहते हैं कि पांचवी पंच वर्षीय योजना में हमारा विकास दर 7 से 8 प्रतिशत बना रहे परन्तु अक्तूबर, 1973 के बाद की घटनाओं के बाद 7 से 8 प्रतिशत के विकास दर से हमारे देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी। इसलिये अपने उत्पादन आधार को मज़बूत, व्यापक और सुचारु करना होगा।

गैर परम्परागत और इंजीनियरिंग माल पर अपनी विकास दर को बढ़ाने के लिए हम ध्यान दे रहे है।

हमारा कृषि पर आधारित उद्योगों के मामले में भी कार्य संतोषजनक है।

चाय के बारे में चर्चा की गई है । आशा है कि इस वर्ष 1972-73 की अपेक्षा 70 लाख किलोग्राम अधिक निर्यात होगा और हमारी प्राप्ति लगभग 160 करोड़ रुपये होगी। मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के परिणाम सामने आने लगे हैं।

वर्ष 1971-72 के दौरान 4250 लाख किलोग्राम और 1972-73 में 4600 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ और इस वर्ष यह 4780 लाख किलोग्राम है । प्रति वर्ष हमारा उत्पादन बढ़ रहा है जबकि कुछ पड़ोसी देशों का उत्पादन ठीक नहीं है।

हमारी कॉफी का निर्यात 1972-73 के दौरान 32 करोड़ रुपये का था और इस वर्ष निर्यात 41 करोड़ रुपये का होगा और मात्रा में भी सुधार है।

सुझाव दिया गया है कि हमें अधिक तैयार माल का निर्यात करना चाहिए। 1973-74 में हमने इसके लिए बहुत उपाय किए हैं। अब तक भारत रबड़ का आयात करता रहा है परन्तु अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि अब हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि कुछ बचा भी सकते हैं। अगस्त 1973 में भारत ने पहली बार रबड़ का निर्यात किया है; रबड़ उत्पादकों का कार्य बहुत संतोषजनक है और लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

रबड़ के निर्यात के बारे में मूलरूप से यह निर्णय किया गया था कि यदि घाटा भी उठाना पड़ा तब भी रबड़ का निर्यात किया जाएगा तथा इस निर्णय का उद्देश्य केवल कृषकों को लाभ पंहुचाना था। रबड़ का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हं कि रबड़ का निर्यात करते समय देश की मांग को पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा तथा उद्योग के लिए रबड़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही में रबड़ उद्योग को भी सचेत करना चाहता हूं कि वह प्राकृतिक रबड़ की बहुतायत का अनुचित लाभ न उठाये तथा रबड़ का वैद्य तथा उचित मूल्य दें।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रबड़, पटसन, अभ्रक आदि वस्तुओं के बारे में आन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में हाल ही में स्थिति में सुधार हुआ है। यह ज्ञात हुआ है कि प्राकृतिक रबड़ को अब कृत्रिम रबड से खतरा नहीं रहा। हमारा विचार है कि रबड़ की काश्त करने वालों को अधिक से अधिक राजसहायता दी जाए जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले तथा रबड़ उत्पादन का 2,25,000 टन का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

मछलियों के निर्यात के बारे में कुछ मामलों की आलोचना की गई है। सदन को ज्ञात होगा कि 1972-73 में 58 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पादनों का निर्यात किया गया । वर्ष 1973-74 के लिए 75 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किय गया था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इसमें वृद्धि होगी तथा 84 करोड़ रूपये के माल का निर्यात किया जाएगा। यह उपलब्धि वास्तव में सराहनीय है।

काजू के बारे में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 1972-73 में काजू वितरण ससंबंधी नीति के बारे निर्णय किया गया था तथा यह नीति अब श्रमिकों, निर्यात, और सम्बद्ध राज्य सरकारों के लिए संतोष-जनक सिद्ध हुई है। इस संबंध में भी मैं यह बताना चाहता हूं कि 1972-73 में 68 करोड़ रुपये का माल निर्यात गिया गया था तथा अब आशा की जाती है कि 78 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया जाएगा।

अपरिष्कृत काजू के आयात को भी इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जिसमें किसानों को स्वदेशी काजू के मूल्य अधिक मिलें।

आंशिक रूप से कमाये गये चमड़े के निर्यात का विनियमन हमने पहली बार 1973-74 में आरम्भ किया था। गत वर्ष इस समस्या पर विचार-विमर्श किया गया था। उस समय यही निष्कर्ष निकाला गया था कि आंशिक रूप से कमाये गये चमड़े के निर्यात को हतोत्साहित किया जाये तथा उत्तरोत्तर तैयार माल ही भेजा जाये। इस कार्य के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया जिसके अनुकूल परिणाम निकले हैं। चमड़े के तैयार माल का निर्माति 10 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 18 करोड़ रुपये का हो गया है। चमड़े के निर्यात में भी कोई कमी नहीं हुई है। गत वर्ष 173 करोड़ रुपये का चमड़ा निर्यात किया गया था किन्तु इस वर्ष 184 करोड़ रुपये का चमड़ा निर्यात होगा।

मैंने आरम्भ में भी कहा था कि हमारे आयात मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। हमें औद्योगिक कच्चे माल तथा उर्वरक आदि की सप्लाई जारी रखनी पडेगी। अतः व्यापार संतुलन रखने के लिए हमें परम्परागत तथा कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करनी होगी जिससे हमें अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। सरकार इसी दिशा में प्रयत्न कर रही है कि देश को आत्म-निर्भर बानाया जाये।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : मंत्री महोदय ने चाय बागानों तथा नारियल जटा के व्यापार के राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी केरल सरकार के अध्यादेश के बारे में कुछ नहीं बताया। समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त नई कम्पनियों के प्रवेश के बारे में सरकार की क्या नीति है?

**श्री ए० सी० जार्ज** : बागान राष्ट्रीयकरण का मामला प्रमुख नीति का मामला है। प्रो० चट्टोपाध्याय इसका उल्लेख करेंगे। जहां तक नारियल जटा उद्योग का प्रश्न है, सरकार का विचार है कि नारीयल जटा उत्पाद का निर्यात सरकार के माध्यम से किया जाये। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार नहीं है। केरल सरकार इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है किन्तु वह इससे उत्पादों का सरकार द्वारा निर्यात करने का विरोध करती है।

**श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले** : टायरों का मूल्य चोर बाजार में बहुत अधिक है किन्तु काश्तकार को रबड़ का बहुत कम मूल्य मिलता है। क्या मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि टायर का मूल्य बढ़ाकर उतना ही कर दिया जाये जितना चोर बाजार में है, जिससे कृषकों को भी उचित मूल्य मिल सकें?

**श्री ए० सी० जार्ज** : सरकार ने सितम्बर, 1970 में उत्तम किस्म के रबड़, आर० वी-I का न्यूनतम मूल्य 520 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया था किन्तु बाजार भाव इससे 150 रुपया अधिक है।

**Shri M. C. Daga** (Pali): I congratulate the Ministry of Commerce for its better performance. I would like to invite the attention of the hon. Minister to the injustice caused to the weavers engaged in the production of mercerized cloth. The mercerized cloth machines are not operated by power. The entire process is done by hands. It is quite disgusting that Government have imposed compound duty at the rate of Rs. 5,000 on the mercerized machines while its cost is Rs. 2,000 only. Such small scale industries are functioning in Rajasthan and other places, besides my district. The Chief Minister of Rajasthan wrote to the hon. Minister in this connection. The hon. Minister gave an assurance to our deputation that something would certainly be done in this matter. (*Interruptions*) . The produce of this industry is exported to Nepal and Bangladesh. I have also been giving much emphasis on need of incentives to be given to handloom weavers.

The hon. Minister has stated that the production of coarse cloth has been doubled. But it is of no use for the poor because of the fact that they are unable to get it. Distribution machinery of the Government is responsible for this situation. I suggest that Government should, first of all, assess the requirement of cloth of the poor persons. After that, Textile mills should be forced to produce a certain quantity of cloth for them.

It is a matter of great concern that there is no proper co-ordination among the different ministries of the Government of India. No Ministry is prepared to shoulder responsibility for certain problems. I suggest that all the ministries should develop a sense of joint responsibility. I have received a letter from an exporter who wanted to have a ship for exporting certain goods. But he has not yet been given this facility.

Malpractices in obtaining licences are still prevalent in the country. In certain cases licences are given to fictitious companies which do not produce anything. I suggest that stringent action should be taken against the persons and the officers responsible for such malpractices. I am prepared to submit some information in this regard. The hon. Minister may look into the matter. While concluding, I would like to reiterate that compound duty on the mercerized cloth industry should be removed.

* **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरूनेलवली) : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे निर्यात में संतोषजनक वद्धि हुई है किन्तु यदि व्यापार संतुलन को देखा जाये तो ज्ञात होगा कि निर्यात की तुलना में आयात 1968-69 में 550.7 करोड़ रुपया, 1969.-70 में 169.4 करोड़ रुपया, 1970-71 में 99 करोड़ रुपया और 1971-72 में 216.3 करोड़ रुपया अधिक रहा।

खेद का विषय है कि चाय, पटसन, चीनी और मसालों आदि जैसी निर्यात की परम्परागत वस्तुओं के मूल्य गिरते जा रहे हैं। किन्तु फल, रुई, मशीनी औजार आदि जैसी आयात की वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने समुद्री उत्पादों, फलों, वन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया जबकि इसकी बहुत सम्भावनायें हैं।

सरकार के निर्यात नीति संकल्प में कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी। मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों से कुल निर्यात का 5 प्रतिशत निर्यात भी नहीं किया जाता? मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस विषय पर प्रकाश डालें।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

काजू, सूती कपड़ा आदि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 17 निर्यात सम्वर्धन परिषदें हैं। अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन परिषदों के होते हुए भी इन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है मेरे विचार से इन परिषदों पर व्यर्थ धनराशि खर्च की जा रही है।

तटदूर तथा गहन समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में सहायता करने के लिये 16 अगस्त, 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किन्तु इस प्राधिकरण ने मछली पकड़ने के लिये एक विदेशी एकाधिकार प्राप्त कम्पनी को अनुमति दी है। इस कम्पनी का नाम मैसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० है। इसका क्या औचित्य है कि मछली पकड़ने के लिये स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने की बजाय विदेशी कम्पनी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गत तीन वर्षों से श्रीलंका को प्याज और मिर्च के निर्यात में गति रोध आ गया है जिससे पूना और बम्बई में इस कार्य में लगे श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

महोदय, तूतीकोरिन से लगभग 2.24 करोड़ रुपये के पामीराह स्टाक और रेशे का निर्यात किया जाता है। खादी आयोग ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से यह अनुरोध किया था कि इस उद्योग का सर्वेक्षण किया जाये। उक्त संस्थान ने अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि इस उद्योग को नकद सहायता की जाये। किन्तु सरकार ने अभी तक इस सिफारिश की स्वीकृति की घोषणा नहीं की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

तैयार चमड़े के निर्यात के बारे में सीतारमैय्या समिति की सिफारिश स्वीकार करने के बाद सरकार ने इस कार्य के लिये आवंटन मूलभूत ढांचा तैयार नहीं किया है। तमिलनाडू में चमड़ा कमाने वाले 400 कारखानों में से लगभग 350 कारखाने बन्द हो गये हैं जिससे लगभग 4 लाख मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। तमिलनाडु में लगभग 60 करोड़ रुपये के मूल्य का कमाया हुआ चमड़ा जमा हो गया है। इस लघ उद्योग में एकाधिकार ग्रहों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है जिससे छोटे कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि चमड़ा उद्योग के छोटे कारखानों को तुरन्त वित्तीय सहायता दी जाये तथा उन्हें आवश्यक मशीनों और उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी जाये। मैं चमड़ा उद्योग के छोटे कारखानों, चमड़ा निर्यात तथा मजदूरों की दशा बनाने वाला एक ज्ञापन सभा पटल* पर रखना चाहता हूं।

भारतीय रूई निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि देश में रूई के मूल्य स्थिर हो सकें तथा रूई व्यापार से विचोलियों को हटाया जा सके। किन्तु भारतीय रूई निगम रूई की वसूली इन्हीं विचोलियों के माध्यम से कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं इस निगम ने रूई के मूल्यों में स्थिरता लाने में कितनी सफलता प्राप्त की तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में ली गई संकट ग्रस्त मिलों की क्या सहायता की ?

---

***अध्यअ महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।**

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper/document was not treated as paper laid on the table.*

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कपड़ा के ऐसे खुदरा व्यापारियों के लाभ में 12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की वृद्धि करने के क्या करण हैं जो बड़े नगरों में है तथा जिन्हें भाड़े आदि पर अधिक राशि खर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि वे कपड़ा मिलों से अधिक दूर नहीं रहते ?

सरकार ने स्टैंडर्ड कपड़े के कानूनी मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा कपड़ा मिलों से यह अनुरोध किया है कि इस कपड़े के उत्पादन को 40 करोड़ मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ मीटर कर दिया जाये। क्या सरकार ने उत्पादन बृद्धि सुनिश्चित कराने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

कुछ समय पहले मिल में बने कपड़े पर लगे उपकर में बृद्धि की गई थी तथा इस प्रकार होने वाली आय को हथ करघा बुनकरों को दिया जाना था। किन्तु खेद है कि बुनकरों को कोई ठोस सहायता नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि हथकरघा बुनकरों को धागे के आवंटन तथा वित्तीय सहायता के बारे में क्या कदम उठाये जाएंगे ?

तमिलनाडु सरकार ऐसा कानून बना रही है जिसके अन्तर्गत धोती, साड़ी, लुंगी आदि का उत्पादन केवल हथकरघा उद्योग में किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने इस आशय की नीति अभी तक घोषित नहीं की है। केन्द्रीय सरकार ने अनाधिकृत विद्युत् चालित करघों की गणना भी नहीं कि है जबकि राज्य सरकार ने यह कार्य पूरा कर लिया है। हथकरघा उद्योग की सहायता इन उपायों के बिना की जानी सभंव नहीं है।

100 कांउट से ऊपर वाले धागे का वितरण कपड़ा आयुक्त के अधीन है किन्तु उसका मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके कारण मिल मालिक हथकरघा बुनकरों की खाल खींचते हैं। मेरा अनुरोध है कि स्टेपल धागे की स्वेच्छा पूर्वक वितरण नीति को समाप्त किया जाये । वितरण का कार्य राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। उसी स्थिति में हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में धागा उपलब्ध हो सकता है। मेरा यह भी सुझाव है कि रेशम उद्योग को भी 20 प्रतिशत मूल्य द्वारा छूट दी जानी चाहिए जिससे रेशम उत्पादों के निर्यात में बृद्धि हो सके।

**श्री राजा कुलकर्णी** (बम्बई-उत्तर पूर्व): महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप इतनी तीव्र गति से बदलता जा रहा है कि हमारा वाणिज्य मंत्रालय प्रयत्न करने पर भी उसको समझ नहीं पा रहा है। अभी तक सरकार की यह नीति रही है कि पहले देश की आवश्यकता को पूरा किया जाये तथा यदि कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो उसकी निर्यात सम्भावनाओं पर विचार किया जाये।

नई व्यापार नीति का अब यह उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसी वस्तु का निर्यात किया जाये जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, चाहे उसका उत्पादन देश में भारी मात्रा में होता है अथवा कम मात्रा में। अत: ऐसी नई वस्तुओं की सूची बनाई जानी चाहिए जिनके मूल्य अन्तार्राष्ट्रीय मण्डियों में अधिक हैं। खेद है हमारी निर्यात नीति में उस लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा गया ।

मंत्री महोदय कृपया सभा को बताएं कि उनके मंत्रालय ने ऐसी किन वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनके निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। मैं सदन का ध्यान मंत्री महोदय के इस कथन की ओर दिलाना चाहता हूं कि कच्चे माल की बजाय तैयार माल का निर्यात किया जाना अधिक लाभप्रद है। यदि सरकार की यही नीति है तो प्राकृतिक रबड़ का निर्यात जारी रखने में क्या औचित्य है जब कि देश में हजारों छोटे रबड़ कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार आंध्र से बेराहटिस का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। बेराहटिस का पाउडर कूआं खोदने के लिये तेल उद्योग द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यदि इस कच्चे माल का निर्यात न करके इसके पाउडर का निर्यात किया जाये तो सरकार करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है। कच्चे माल के निर्यात के फलस्वरूप देश में इसके पाउडर का उत्पादन बहुत कम है तथा विदेशों से प्राप्त क्रयादेशों को पूरा नहीं किया जाता। अतः मेरा सुझाव है बेराहटिस कच्चे माल का निर्यात बंद किया जाये।

हमें अफ्रीकी देशों से ऊनी कम्बलों के क्रयादेश मिले हैं किन्तु ऊन उद्योग एक जाली उद्योग है। चिकड़ा काण्ड वाणिज्य मंत्रालय की असफलता का ज्वलन्त उदाहरण है। इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी किन्तु उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं बताया गया।

ऊनी चीथड़े लुधियाना के एककों का कच्चा माल नहीं है। उनकी आवश्यकता धागे की है। अतः लुधियाना के एककों को आयात लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिएं और ये वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये जायें। परन्तु सरकार ने यह निर्णय न करके इस बारेंमें तदर्थ निर्णय किये, जिनके अनुसार चीथड़ों को पूरी तरह बेकार करके आयात करने की शर्त लगाई गई। यह शर्त व्यावहारिक नहीं है। इसी कारण 5000 गांठें पिछले दो महीनों से बन्दरगाह पर रुकी हुई हैं। इनको सीमाशुल्क अधिकारियों ने रोक रखा है। यह सारा माल लगभग 20 वास्तविक उपभोक्ताओं अर्थात कताई मिलों का है। यह उद्योग श्रम-प्रधान उद्योग है और इसमें लगभग 25,000 मजदूर काम करते हैं। उनके बेरोजगार होने की आशंका है। इस स्थिति का कोई रास्ता ढूंढा जाना चाहिए।

इसका एक और पहलू भी है। माल के न छोड़े जाने के कारण राज्य व्यापार निगम को आयातक होने के नाते विलम्ब शुल्क की अदायगी करनी पड़ेगी। इसके कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और निर्यात के आदेशों की भी पूर्ति नहीं हो सकेगी जिससे अन्त में देश को ही हानि होगी। अतः वाणिज्य और वित्तीय मंत्रालय दोनों को मिल कर इस मामले को शीघ्रता से निपटाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, रद्दी ऊन उद्योग की एक और समस्या भी है। अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में ऊन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अतः इस उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा को सारे ऊन उद्योग की सीमा के स्तर तक बढ़ाया जाये। इस समय यदि इसे 1.80 करोड़ रुपया दिया जाता है तो इसे 5 करोड़ तक बढ़ाया जाये। यह श्रम-प्रधान उद्योग है और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। अतः इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये।

मंत्रालय ने स्वंय स्वीकार किया है कि धागे पर सांविधिक नियंत्रण की असफलता के कारण सूती कपड़े का निर्यात 1973-74 में कम हुआ है। इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कपड़ा उद्योग के विस्तार और नए एककों के लिए लाइसेंस प्रथा समाप्त करने की मिल-मालिकों की मांग सरकार के विचाराधीन है। यदि इसे मान लिया गया तो इसका स्पष्ट अर्थ होगा सूती कपड़ा उद्योग में सरकारी क्षेत्र की असफलता को स्वीकार करना। राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राज्य कपड़ा निगम के संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध से स्पष्ट हो गया है कि उन्हें लाभ पर चलाया जा सकता है। इन सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रभाव के परिणामस्वरूप संश्लिष्ट रेशा उद्योग में नायलोन की कताई करने वालों और बुनाई करने वालों के बीच स्वैच्छिक समझोता हुआ, परन्तु यह प्रबन्ध ठीक प्रकार से चल नहीं

रहा है और बुनकरों का शोषण किया जा रहा है। नायलोन और रेयन के वितरण पर और अधिक नियंत्रण रखा जाये और इस स्वैच्छिक समझौते के स्थान पर कोई अन्य प्रबन्ध किये जायें।

कुछ छोटे-छोटे उद्योगपतियों ने 'क्रिमपर्स' लगा रखे हैं परन्तु उन्हें वास्तविक उपभोक्ता सूची से निकाल दिया गया है। इस कारण उन्हें नायलोन की कताई करने वालों से 'मल्टी-फ़िलामेंट' धागा नहीं मिलता। इन एककों के बन्द होने की आंशका है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

**Shri Laxminarain Pandeya** (Mandsaur): Wrong economic policies of the Government have clearly effected external as well as internal trade of the country. It has been mentioned in the Report for the year 1973-74 that although efforts were made to reduce imports and increase exports, yet much progress could not be achieved with regard to balance of trade. Imports during the year showed an increase of 44·3 per cent. Trade agreements with socialist countries have not helped in balancing the trade and improving the position with regard to foreign exchange.

Last year, during the discussions on demands of the Ministry, certain policy changes had been announced and this year also same thing has been done. But even then, the industries which depend on imported raw material are facing difficulties. Our policies and systems have stood in the way of procuring ra w materials.

The Minister had undertaken tour of a number of countries to promote exports. But the results of the tour have not come out. This should be explained.

Exports of traditional items have declined. The Government should seriously look into it and adopt measures to increase their exports. It is also necessary for maintaining balance of trade. The Report says that internal consumption of sugar and Basmati rice would be checked and these items would be exported to earn more foreign exchange. Government should take into account the availability and internal consumption of these items and then fix export targets. Such a co-ordination would help in fulfilling internal requirements as well as export requirements.

The Government has taken over a number of sick textile mills and made efforts to improve matters. But the Government has not decided its policy about the quality, quantity and rates of the cloth to be manufactured. The distribution system of cloth is also defective.

A Textile Mill at Gwalior had manufactured cloth for export purposes. The export of that cloth was cancelled hence the same had to be sold in the internal market. Though the cloth actually measured 18 metres but it had been stamped as 20 mts. Had the same cloth been exported, it would have earned bad name for the country. This is a serious matter and should be looked into, so that such things do not happen in future.

Sometime ago, a Cine laboratory of Bombay had been sanctioned foreign exchange worth Rs. 40,000 for the import of certain machinery. But, somehow, later on the amount was raised to 2·92 lakhs. The matter was referred to C.B.I. The results of the enquiry should be revealed.

The hon. Minister has not given any satisfactory reply with regard to the import of Granulated mud in the name of fertilizer through M.M.T.C. Similarly, scrap was imported in place of stainless steel. This deal took place through S.T.C.

We are importing and exporting certain goods on barter basis. Recently, some persons were allowed to import and export certain articles. This was done without issuing any notification. This is irregular and it leads to corruption. Such actions should, therefore, be checked.

In a number of cases, actual users do not get raw material or licence, whereas there are a number of companies which obtain licences and sell the imported raw material to other parties in black market. Such a misuse of import licences should be checked.

Our licencing procedure is very complicated. This should be made simple. Import licence has a validity period of one year. On a number of occasions, it becomes difficult to bring the goods within the prescribed period. In such cases, the validity period should be extended. so that there is no need to apply again for the licence.

Certain goods, such as ready-made garments are manufactured in cottage and small industries and these goods have export potential. But we are not giving enough encouragement to these industries. Efforts should be made to increase the export of such goods.

A large quantity of Poppy Husk is produced in our country. Its export should be encouraged to earn foreign exchange. Special efforts should be made to increase the export of tea, coffee, cashew-nuts and tobacco.

We have set up free Trade Zones. But such areas lack proper facilities and it is hampering their development. Kandla and Haldia are such free Trade Zones.

Russian Tractors were imported under Trade Agreements. But today their spare parts and tyres are not available. Hence, most of these are lying unserviceable with farmers. The Government should, therefore, make provisions for import of spare parts of machineries imported under Trade Agreements.

There are a number of Corporations under the Ministry of Commerce. These Corporations have been running in loss. This situation should be improved.

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : यद्यपि निर्यात-आयात व्यापार संबंधी नीतियां बनाना वाणिज्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, तथापि इन नीतियों की सफलता का आधार नौवहन और परिवहन तथा नागर विमानन पर भी निर्भर है। अतः, वाणिज्य मंत्रालय और नौवहन और परिवहन, नागर विमानन एवं रेलवे मंत्रालयों में समुचित समन्वय होना आवश्यक है। अन्यथा उन नीतियों के समन्वय में कमियां रह जाने की संभावना है।

अभी कल ही समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि विमान सेवा कम्पनियों द्वारा निर्यात के माल की बुकिंग बन्द करने के कारण निर्यातकों को गंभीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जहाजरानी कम्पनियों ने अपने मार्ग परिवर्तित कर दिये हैं, जिस कारण अनेक निर्यातकों को वायु सेवाओं का सहारा लेना पड़ रहा था। वाणिज्य मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करें और इस समस्या को हल करने के प्रयत्न करें।

रबड़ के उत्पादन में कमी और प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रबड़ की मांग में वृद्धि के कारण इस उद्योग में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। 1971-72 में रबड़ का कुल उत्पादन 4,34,121 टन था जबकि 1973-74 में कुल 1,43,000 टन का ही उत्पदन हुआ है। दूसरी ओर 1971-72 में रबड़ की कुल मांग 4,33,654 टन थी जबकि 1973-74 में 1,48,000 टन की मांग है। इसके कारण, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः निर्यात नीति और रबड़ उद्योग की स्थिति पर ध्यान देकर कार्यवाही की जाये। कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तथा उद्योग की स्थिति की वृद्धि से, मंत्री महोदय को नीति संबंधी स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

**श्री ए० सी० जार्ज** : मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि उद्योग को प्राकृतिक रबड़ की सप्लाई करना, आन्तरिक मांग की पूर्ति करना और तब शेष मात्रा का निर्यात करना सरकार की नीति है।

**श्री वयालार रवि** : उत्पादकों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिये।

**प्रो० मधु दंडवते :** दुर्भाग्य से सरकार धागे की मूल्य और वितरण नीति निर्धारित नहीं कर पाई है। नई नीति बनाने के पश्चात् भी अनेक हथकरघा केन्द्रों और विद्युत करघा केन्द्रों को कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी विशेष नम्बर का धागा मांगा जाता है तो उन्हें उस नम्बर का धागा नहीं मिलता। इसके कारण काला बाजारी भी बढ़ती है। कई बार सरकारी मिलों से भी रिश्वत दिये बिना धागा नहीं मिलता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

बम्बई बन्दरगाह में ऊनी चीथड़ों की 5,000 गांठें रुकी पड़ी हैं। जब तक सीमा शुल्क विभाग और वाणिज्य मंत्रालय में पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं किया जाता, इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती रहेंगी। सैद्धांतिक रूप से नीति तो तय कर दी गई है कि पुराने ऊनी कपड़ों को पूरी तरह बेकार किये बिना उनका आयात नहीं किया जा सकता, परन्तु जिन देशों से इनको आयात किया जाता है वे देश इस कार्य के करने का उत्तरदायित्व लेने को तत्पर नहीं है। इन परिस्थतियों में इस उत्तरदायित्व को राज्य व्यापार निगम को सौंपा जाना चाहिये और यह कार्य सीमा शुल्क अधिकारियों के निरीक्षण में है। इन गांठों को उठाने की अनुमति न दिये जाने के कारण प्रतिदिन लगभग एक लाख रुपये का विलम्ब शुल्क भी अदा करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

हस्त-संसाधन उद्योग को कुछ राहत दी गई है। परन्तु बम्बई जैसे स्थानों में उद्योगों एवं संसाधन उद्योग में कार्य कर रहे श्रमकिों के प्रतिनिधियों की यह शिकायत है कि सरकार द्वारा दी गई राहत का कुछ उद्यमियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, श्रमिकों के बेरोजगार होने की आशंका है। सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार ने विज्ञान की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। उस अवसर पर मजदूर संघों ने सरकार से इस आवश्यकता की मांग की थी कि पुस्तक डिपुओं एवं पुस्तक ग्रहों को इस नीति का लाभ उठाकर अपने श्रमिकों को काम से नहीं हटाने दिया जायेगा। मंत्री महोदय को बताया गया कि इंडिया बुक हाऊस, बम्बई इस निर्णय का लाभ उठाकर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दी जायेगी। आशा है कि मंत्री महोदय अपने आश्वासन को पूरा करने के लिये इस विषय में कार्यवाही करेंगे।

संकट-ग्रस्त एककों को अपने अधिकार में लेने और उन्हें सुधारने के उपबन्ध का कुछ उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों के अहित में उपयोग किया जा रहा है। जब उनके एककों की लाभप्रदता घट जाती है व मशीनें पुरानी हो जाती हैं तो वे अपने एकक को संकट-ग्रस्त घोषित कर देते हैं। जब उनके कार्यकरण में सुधार हो जाता है तो उन्हें फिर उनके मालिकों को वापिस कर दिया जाता है। अब इस प्रकार का उपबन्ध है कि जब इस प्रकार के एकक को अपने हाथ में लिया जाये तो उसे फिर गैर-सरकारी उद्योगपतियों को लौटाया न जाये। अतः मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि इस प्रकार के एककों को एक बार सरकारी नियंत्रण में लेकर वापस नहीं किया जायेगा।

**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :** सदन में जो बातें उठायी गई हैं उनमें से बहुत-सी बातों का उत्तर मेरे सहयोगी ने दे दिया है। अतः मैं उन बातों को सदन का समय बचाने के विचार से नहीं लेना चाहता।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अगले वर्ष हमारा लक्ष्य क्या होगा। हमें विश्वास है कि अगले वर्ष हम 2,771 करोड़ रुपये की राशि के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस मंत्रालय का

तथा इसके अन्तर्गत आने वाले संगठनों का यही प्रयास होगा कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमारी नीति संबन्धी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

सर्वप्रथम, हम उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करेंगे। उत्पादन वृद्धि के लिए जो चीजें आवश्यक होंगी वे उपलब्ध करायी जायेंगी। हमारी आयात नीति भी हमारे उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य के अनुकूल रखती है। मुद्रा स्फीति की विश्वपर्यन्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये, हम निर्यात की वस्तुओं की उचित दर लेना चाहेंगे अतः चाय और पटसन जैसी वस्तुओं के लिये हम विश्वपर्यन्त फैली मुद्रा स्फीति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्य लेना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमने कीनिया, इन्डोनेशिया तथा श्रीलंका आदि से बात-चीत की है। लौह अयस्क और रबड़ जैसी वस्तुओं के बारे में भी हम इसी नीति का अनुसरण करने का विचार कर रहे हैं। यह हमारी नीति का दूसरा पहलू है। तीसरे, नये बाजारों की खोज और पुराने बाजारों का संरक्षण करने का प्रश्न हमारे सम्मुख आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने पूर्व योरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी के देशों आदि में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की कुछ क्षेत्रीय बैठकें बुलाई हैं। इन क्षेत्रों में हमारा निर्यात बढ़ने की बड़ी संभावना है और इस संबंध में हमारी नीति वस्तुओं की सूची तैयार करने और अन्य उपाय करने के लिये भरसक प्रयास करने की है ताकि इस स्थिति का लाभ उठाया जा सके।

चौथे हम परियोजना निर्यात तथा विविधीकरण पर भी विचार कर रहे हैं। खाड़ी के देशों में तथा अन्यत्र भी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनायें हैं। जिनपर सरकार विचार कर रही है। स्वेज नहर क्षेत्र तथा इरान में रेल परियोजनाओं के निर्माण में भाग लेने की भी व्यवस्था करेंगे और हम अपनी गैर परम्परा-गत वस्तुओं, जैसे इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को भी बढ़ायेंगे। यदि इन उद्देश्यों के अनुसार हम कुछ संस्थागत ढ़ांचा तैयार करें और अपनी प्रक्रियाओं को समुचित ढंग से संशोधित किया जाये अथवा सरल बनाया जाये तो फिर इस नीति को क्रियान्वित किया जा सकता है। अभी हमने पीछे अपनी आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है जिसमें निर्यात नियमों को सरल बयाना गया है। निर्यात सम्वर्धन की दृष्टि से यह सब कुछ किया जा रहा है।

जहां तक नीति कार्यान्वयन अभियान का संबंध है मंत्रालय तथा मंत्रालयाधीन संगठनों में बहुत-सी चीजों का नवीकरण तथा पुनर्गठन किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत तीन विभाग हैं—विदेश व्यापार विभाग, निर्यात उत्पादन विभाग, अन्तर्देशीय व्यापार विभाग। इन तीनों विभागों के पीछे निर्यात उत्पादन पर पूरा ध्यान देने का विचार है। हम इस बात के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि निर्यात उत्पादन उपायों में पूरी तरह समन्वय हो सके। मंत्रीमंडल सचिव तथा भारी उद्योग सचिव के नेतृत्व में दो उच्च शक्ति प्राप्त समितियां बनाई गई हैं। जिनका लक्ष्य यह है कि विभिन्न मंत्रालयों में आरम्भ किये गये उत्पादन अभियानों तथा उत्पादन योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाये ताकि हमारे निर्यात में वृद्धि हो और हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। हमारी यह सुनिश्चित करने की नीति है कि हम उन कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की आंतरिक खपत किस प्रकार कम कर सकते हैं जिनकी विदेशों में बहुत अधिक मांग है। इस संबंध में बासमती चावल, चीनी तथा समुद्री उत्पाद आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी खपत हमें कम करनी है। हमें अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आशा है। यदि हम इन वस्तुओं अथवा सेवाओं की अपनी आंतरिक खपत को कम कर दें तो हमारी स्थिति में सुधार हो जायेगा।

आयात-निर्यात नीति को सरल बनाने के अतिरिक्त हम नकद सहायता और राजसहायता को यदि संभव हुआ तो समाप्त कर रहे हैं क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में ऐसा ही किया जाना चाहिए। इसकी कुछ आलोचना होगी। परन्तु कठिन परिस्थितियों में हमे बहुत से विकल्पों पर ध्यान नहीं देना है।

इन सब बातों के उपरान्त भी यह ध्यान रखा गया है कि लघु उद्योगों को कठिनाई न हो; यदि हो भी तो बहुत कम हो आयात और निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण का विचार सैद्धान्तिक रूप से आपत्तिजनक नहीं है किन्तु व्यावाहिरक रूप से अस्वीकार्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करना है।

हम राज्य व्यापार निगम को मजबूत बना रहे हैं और इसके अन्तर्गत हम विशेष वस्तुओं की देखभाल के लिये कार्य संचालन के क्षेत्रों के निर्धारण हेतु दूसरे सहायक अंगों की स्थापना कर रहे हैं। एक चर्म निर्यात विकास निगम की स्थापना की जा रही है। कैमिकल्स तथा फार्मास्यूटीकल निगम बनाने का भी निर्णय किया गया है। तेल उत्पादन करने वाले देशों की कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये, कृषि उत्पाद निर्यात निगम बनाने का भी विचार है।

राज्य व्यापार निगम तथा इसके सहायक निगमों में अधिक सहयोग और समन्वय के लिये निदेशक मंडल में स्थायी निदेशकों की संख्या को चार से बढ़ा कर सात कर दिया गया है। शाखा कार्यालयों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियां दी जा रही हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हमने अभ्रक की समस्या की ओर ध्यान देने के लिये एक अभ्रक बोर्ड का गठन किया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्य अत्यधिक सराहनीय रहा है किन्तु हमें इसमें और सुधार करना है।

हिसाब-किताब तथा सांख्यिकी आंकड़ों की प्रमाणिकता के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधीन कार्य करने वाले विशेषज्ञ सांख्यिकि तथा औद्योगिक लागत के महा निदेशक भी आपस में सहमत नहीं होते। दूसरे कई कारण हैं कि कभी-कभी विभिन्न संगठनों के आंकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खाते। किन्तु उनमें भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला अधिक अन्तर नहीं होता है। निर्यात गारन्टी निगम को अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया गया है। एक निर्यात बैंक की स्थापना पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रह है। सांताक्रूज में एक निर्यात संसाधन जोन भी स्थापित किया जा रहा है। दूसरा जोन दमदम पर स्थापित किया जा रहा है।

मैं पटसन निगम के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में कई गम्भीर बातें उठायी हैं। भारतीय पटसन निगम का कार्य ठीक नहीं रहा है परन्तु वह पूर्णतया निराशाजनक नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। हमें पता है कि पटसन निगम बहुत पुराना तथा अनुभवी नहीं है। परन्तु अगले वर्ष के आयोजन में हम रूई निगम के अनुभव तथा पटसन निगम के गत वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखेंगे।

उत्पादकों की वास्तविक रूप से सहायता करने और उन्हें लाभ पहुंचाने का दूसरा उपाय यह है कि सरकारी क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाये इस वर्ष हमारा विचार उनकी संख्या 30 से बढ़ाकर 100 करने का है। हमें कम से कम 250 केन्द्रों की आवश्यकता है किन्तु ऋण की कमी और अन्य कठिनाइयों के कारण इस वर्ष 250 केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकेगी।

मैं विभिन्न राज्यों विशेषकर पटसन उत्पादक राज्यों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राज्य सरकारों तथा अपने साथियों पर वहां अधिक सुचारू रूप से कार्य करने के लिये दबाव डालें। सरकारी क्रय केन्द्रों पर ही निर्भर करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सहकारी समितियों को इनके साथ

सहयोग करना चाहिए। भारत के कुछ पूर्वी राज्यों में यह कार्य समुचित ढंग से नहीं हो रहा है। अतः असफलता के लिये सरकार अथवा निगम को दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं होगा।

देश के पूर्वी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र की भांति राज्य स्तर पर कपास निगम स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने स्तर पर क्रय केन्द्रों की संख्या 30 से बढ़ा कर 100 कर रहे हैं। हम इनकी संख्या अगले वर्ष और बढ़ाना चाहते हैं। पटसन निगम को नया रूप दिया जा रहा है। निदेशक बोर्ड के कुछ सदस्यों को हटा दिया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम संगठन को और सुदृढ़ करेंगे।

समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार संबंधों का उल्लेख किया गया है। इन देशों को 1971 में हमारे कुल निर्यात में 4.6 प्रतिशत की कमी हुई है।

इसके पश्चात् गत दो वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। विदेश व्यापार में बहुत विविधता का अनुमान लगाया गया है। रेल वैगनों, कपड़ा मिल मशीनों, बुनाई की मशीनों सिले सिलाये कपड़ों, औषधियों, बिजली के सामान आदि वस्तुओं का इन देशों को निर्यात किया गया है।

कपड़ा उद्योग के कार्यकारी दल ने जिसके अध्यक्ष हमारे मंत्रालय के सचिव हैं, अपना विचार-विमर्श पूरा किया है। सूती कपड़े की देश में और विदेश में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुये, कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सूत और कपड़े के 1972 के 9,700 लाख किलोग्राम और 80,200 लाख मीटर के लक्ष्य को बढ़ाकार 1978-79 में 13,000 लाख किलोग्राम और 104,000 लाख मीटर किया जाये। 1972 की अधिष्ठापिक क्षमता की अपेक्षा पांचवीं योजना के अन्त में 57 लाख तकुओं और 85,500 करघों की वृद्धि हो जायेगी। चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में 20 लाख 75 हजार तकुए और 15,000 करघे लगाने की अनुमति दी गई है। कताई और बुनाई क्षमता में विस्तार सुसंगत वितरण के आधार पर कियाप्जायेगा ताकि हथकरघों और शक्तिचालित करघों के बुनकरों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

सूती कपड़ा उद्योग के विस्तार के लिये मशीनरी पर वर्तमान मूल्य के अनुसार 850 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

हमने बड़े सोच विचार के बाद नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि की है, परन्तु कुछ बातों का ध्यान रखा गया है। एक बात यह है कि नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े की किस्मों को बढ़ा दिया गया है, दूसरे उत्पादन में शत प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। फिर मिलों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा गया है। पांचवें हमने गत छः वर्षों में नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि नहीं की है। यह बात बहुत अशचर्य है कि उद्योगों को मूल्य बढ़ाने की अनुमति न दी जाये, परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि और अधिक मिलें संकटग्रस्त हो जायेंगी और सरकारी खजाने से और राशि उन पर लगानी पड़ेगी। जब उत्पादन लागत लगभग शत प्रतिशत बढ़ गई है तब हमने 30 प्रतिशत की अनुमति दी है। अब भी वास्तविक मूल्य और उत्पादन लागत लागत में 60 प्रतिशत का अन्तर है।

जहां तक भाड़े में समानता लाने की बात है, एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अन्तिम रिपोर्ट अभी तक मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हमने इसे गहन अध्ययन के लिये योजना आयोग के पास भेजा है। चाय पर क्षेत्रवार उत्पादन शुल्क को मुक्ति संगत बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाने वाला है। हम ऐसा करने के पक्ष में हैं।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जब उपमंत्री उत्तर दे रहे थे तब हमने कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देने का उन्होंने आश्वासन दिया था। पहला प्रश्न विदेशी स्वामित्व के बागानों के राष्ट्रीयकरण करते हैं। केरल सरकार द्वारा विदेशी बागानों के राष्ट्रीयकरण के लिए भेजे गये अध्यादेश का क्या हुआ? समुद्री व्यापार में एकाधिकारयों के प्रवेश के बारे में क्या विचार हैं?

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय :** राष्ट्रीयकरण का प्रश्न विदेशी तथा गैर-विदेशी स्वामित्व वाले सभी के बारे में एक हम साथ लिया जाएगा। तथा इस आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकते। संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के सरकारीकरण की बात पर विचार किया रहा है।

**श्री सी० के. चन्द्रप्पन :** मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

**सभापति महोदय :** मंत्री महोदय द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने सभी प्रश्न नोट कर लिये हैं। मैं मंत्री मोहदय से अनुरोध करूगां कि यदि संभव हो तो वह प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्य के पास भिजवा-दें। सामान्यतया ऐसा ही किया जाता है।

**Shri Md. Jamilurrahman** (Kishanganj): I would like to know as to what decision has been taken about Mā Jute the at Kishanganj and how long would it take to establish a Jute mill there as it may benefit North Bengal and Assam?

**प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** : हमने अभी हाल में इस बारे में निर्णय किया है। सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि आसाम में दो जूट मिलें स्थापित की जायेंगी और मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में से प्रत्येक राज्य में एक-एक जूटमिल स्थापित की जायेगी, बिहार के लिए एक जूट मिल के लिए कार्यावही पहले ही हो रही है।

**सभापति महोदय :** श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखा जायेगा।

**सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

*All the Cut Montions were put and negatived.*

**सभापति महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई**

*The following Demands in respect of the Ministry of Commerce were put and negatived*

| मांग सं० | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजी |
| | | रु० | रु० |
| 11. | वाणिज्य मंत्रालय | 89,99,000 | — |
| 12. | विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन | 1,40,18,81,000 | 11,62,52,91,000 |

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग
## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE

**सभापति महोदय :** अब सदन में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सस्कृति विभाग सम्बन्धी 24 से 26 नम्बर की मांगों और 96 से 97 नम्बर की मांगों पर चर्चा होगी ।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव भेजना चाहें, वे दस मिनट के अन्दर स्लेप पर लिख कर भेज दें, तो उन्हें पेश किया हुआ मान लिया जायगा ।

[ श्री नवल किशोर सिंह **पीठासीन हुए**
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair* ]

**शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए**

| मांग सं० | कटौती प्रस्ताव सं० | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| 24. | 1. | श्री शिब्बन लाल सक्सेना | शिक्षा विभाग को दी गयी अनुदान की राशि की अपर्याप्तता । | 100 |
| | 2. | श्री शिब्बन लाल सक्सेना | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली अनुदान की राशि को कम से कम 75 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में, ताकि वह सम्बद्ध कालेजों के साथ न्याय कर सके, असफलता । | 100 |
| | 6. | श्री शिब्बन लाल सक्सेना | शिक्षा के लिए नियत अनुदान की राशि की अपर्याप्तता । | 100 |
| | 3. | श्री एस० एन० सिंह | विभिन्न बिरला व्यापार कम्पनियों से बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी को दान आदि के रूप में मिलने वाली राशि में होने वाले गबन को रोकने में असफलता । | 100 |
| | 4. | | बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी के प्रबन्धकों द्वारा शिक्षकों पर किये जा रहे उत्पीड़न रोकने में असफलता । | 100 |
| | 5. | | बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी में प्रबन्धकों द्वारा व्यक्तियों को मनमाने ढंग से डीन और विभागाध्यक्ष के पद से हटाये जाने को रोकने में असफलता । | 100 |
| | 7. | | रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता । | 100 |

*श्री मा घुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : प्राथमिक शिक्षा नींव पर माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा का ढांचा तयार होता है । परन्तु यह अफसोस की बात है कि समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा की पहले की भांति ही उपेक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में प्राथमिक स्कूल ऐसे भवनों में चल रहे हैं, जिन्हें पशुओं का बाड़ा कहा जा सकता है । स्कूल भवन और उनका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि किशोर स्कूलों की ओर स्वंय आकर्षित हों ।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती बहुत ही त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रही है। गत वर्ष पश्चिम बंगाल में विधायकों से 16 से 17 व्यक्तियों के नाम प्राथमिक अध्यापकों के रूप में भर्ती करने के लिए नाम सुझाने को कहा गया था । जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, उन व्यक्तियों ने पहले चुनावों में कांग्रेस विधायकों की सहायता की थी। कुछ व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए विधायकों ने उन व्यवितयों से 200 रु० से 2,000 रु० तक की धन राशि ली। इस प्रकार भ्रष्ट तरीके से नियुक्त किये गये अध्यापकों से छात्रों के भविष्य निर्माण की क्या आशा की जा सकती है।

देश में प्राथमिक शिक्षा के समक्ष एक अन्य बाधा है---छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए नाम लिखाने वाले छात्रों में से 60 प्रति शत छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं और केवल 40 प्रतिशत ही आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। एक मात्र इस कारण से हमारी शिक्षा पद्धति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही। परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने, माता-पिता की कठिन आर्थिक स्थिति और कुछ अन्य कारणों से छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ देने से समूची शिक्षा पद्धति को एक गहरा धक्का पहुंचता है ।

छात्रों को पाठ्य पुस्तकें सुगमता से नहीं मिलतीं और वे ही किताबें चोर बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। रवीन्द्र नाथ टैगोर लिखित "सहज पाठ" पुस्तक, जो पहले और दूसरे दर्जे के छात्रों के लिए निर्धारित है, काले बाजार में बिक रही है। इसी प्रकार "किशोलय" भी काले बाजार में बिक रही है। अध्यापक अपनी तनुख्वहा के मनीआर्डर की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं, फिर छात्रों को पढ़ाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष लगते है और कुछ अन्य राज्यों में 14 वर्ष लगते हैं। यह एक स्पष्ट विषमता है और यह स्वस्थ शैक्षणिक प्रणाली के हित में नहीं है। उचित शिक्षा के हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के शिक्षा-स्तर में अन्तर है और सभी राज्यों में शिक्षा के न्यूनतम स्तर को बनाये रखना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल और केरल की शिक्षा में कुछ तो इकरूपता होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों शिक्षा में एकरूपता का होना वहुत आवश्यक है।

---

*बंगाली में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

तकनीकी शिक्षा के लिए काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है जैसा कि अनुदानों की मांगों से स्पष्ट है। परन्तु पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी में डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं ताकि वे अपनी नौकरी बनाये रख सकें। वहां 37 लाख रुपये के उपकरण बेकार पड़े हैं और अध्यापक शारीरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार जनता के धन को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया जा रहा है।

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

---

## *निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता

## **LEGAL AID TO THE POOR

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ देना आधुनिक सरकार की एक जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। उदाहरण के तौर पर निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं, रोजगार का लाभ दिया जाता है और वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है और उनका समाज के दमन और शोषण से संरक्षण किया जाता है। इसी श्रेणी में निर्धन वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करना भी आता है।

हमारे देश में इस मामले पर पिछले अनेक वर्षों से चर्चा की जा रही है। इस मामले के औचित्य की जांच करने के लिए अनेक आयोग स्थापित हुए हैं और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने हेतु वैधानिक उपबन्ध किये जाने चाहिएं। 1954 से सभी विधि आयोगों ने सरकार से सिफ़ारिश की है कि निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिएं।

1972 और 1973 में श्री नीतिराज सिंह चौधरी और विधि मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने इस सदन में लगभग आधा दर्जन बार आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही सदन में एक व्यापक विधेयक पेश करने जा रहे हैं। परन्तु सरकार के कार्य से इस बारे में हमें निराश ही होना पड़ा है। यह कहा गया है कि धन की कमी के कारण मंत्री महोदय ठोस प्रस्ताव पेश नहीं कर सके, परन्तु ऐसा कहना सही नहीं है। यदि सरकार की इच्छा हो, तो इस कार्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा सकती है। निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के बारे में होने वाले खर्च के बारे में कुछ अनुदान लागाये गये हैं। उनमें से एक अनुदान के अनुसार इस कार्य पर प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना आवश्यक है और यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। प्रथम चरण में केवल 4 करोड़ रु० की धनराशि खर्च होगी।

एक विचार-गोष्ठी में कुछ ऐसे मामलों की चर्चा की गई थी। एक श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी और बच्चे मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें कानून की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसी प्रकार एक बार कार दुर्घटना में एक माली अपंग हो गया था, परन्तु कानून की जानकारी न होने से वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सका।

---

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half-An-Hour Discussion

सरकार से हम यह भी जानना चाहते हैं कि उन स्वैच्छिक संगठनों के प्रति सरकार का क्या रवैया है, जो निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान कर रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय और विधि कालेज के छात्र फरवरी, 1970 से विधि संगठन का संचालन कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संगठन को कोई कानूनी सहायता प्रदान कर रही है? इस संगठन की स्थापना तब की गई थी, जबकि आन्ध्र के एक निरपराध व्यक्ति को छः महीने तक बिना किसी कारण के जेल में रखा गया और उसकी पत्नी को कानून की कोई जानकारी नहीं थी।

यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव किया गया है कि कानून में डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वकील को न्यायालय में वकालत के लिए अपना नाम दर्ज कराने के बाद सांविधिक रूप से निर्धन लोगों के दो या तीन मुकदमें प्रति मास निशुल्क: लेने चाहिएं। श्री वी० आर० कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग ने भी इसी आशय की सिफारिश की है, परन्तु सरकार ने इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है और वह चुप्पी साधे बैठी है।

कुछ राज्य सरकारों ने इस बीच निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए कार्यवाही की है। 1958 में केरल में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, तब वहां एक विधेयक पास किया गया था कि निर्धन व्यक्तियों की कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत 100 रु० मासिक से कम आय वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी के वकील से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता था और उस वकील को सरकार शुल्क देगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के बारे में श्री वी० आर० कृष्णा अय्यर के नवीनतय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में वह क्या करने जा रहे हैं?

जहां तक सिफारिशों का सम्बन्ध है, हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, परन्तु हमें पता चला है कि ये प्रस्ताव अच्छे हैं और इनमें कुछ सांविधिक बोर्डों और समितियों के गठन की बात कही गई है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री वी० आर० कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक को वह सदन में कब पेश करने जा रहे हैं, जिसे इस सभा में पेश करने के बारे में मंत्री महोदय ने पिछले सभा में आश्वासन दिया था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्री वी० आर० कृष्णा अय्यर ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य प्रस्ताव पेश किये हैं और इन प्रस्तावों को अगर क्रियान्वित किया गया, तो उनके क्रियान्वयन पर सरकार को कितना धन खर्च करना पड़ेगा? निर्धनों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के कार्य में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :** माननीय सदस्य ने रिपोर्ट के बारे में कोई भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। मैं पहले इसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

विधि मंत्रालय ने न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, और जिसका कार्य यह था कि कानूनी सहायता उपलब्ध करने के बारे में वह मंत्रालय की मदद करे। समिति ने पिछले वर्ष के मध्य में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसके बाद हमने उस प्रतिवेदन की जांच करने और आगामी कार्यवाही के बारे में निर्णय करने के लिए मंत्रालय के तीन सचिवों की एक समिति नियुक्त की है। समिति ने प्रतिवेदन की जांच करके हमें सलाह दी है कि कुछ कार्यवाही तो कार्यकारी आदेश द्वारा की जा सकती है और कुछ अन्य कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुक स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध करने के लिए वर्तमान विधियों में संशोधन करना होगा। जैसे ही हमें यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, हमने विधेयक तैयार करना आरम्भ कर दिया। प्रारूप विधेयक तैयार हो गया है।

1949 में कानूनी सहायता उपलब्ध करने के बारे में विधान बनाया गया था। उसके आधार पर एक योजना बनाई गई थी। सभी राज्य सरकारों को 1960 में केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में परिचय भेजा था, परन्तु राज्य सरकारों ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों के अनुसार संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं, जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार कानूनी सहायता योजना को लागू कर सकती है, परन्तु इसके लिए राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना होगा।

अब योजना तैयार है। राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और कानूनी सहायता देने वाले स्वैच्छिक संगठनों के विचार जानने के लिए मुख्य प्रतिवेदन, सचिवों के प्रतिवेदन और प्रारूप विधेयक की प्रतियां भेजी जानी हैं। इसके बाद ही विधेयक पेश किया जायेगा।

जब तक हम राज्य सरकारों की सहमति और उनके विचार प्राप्त नहीं कर लेते तब तब विधेयक पेश करने में जल्दबाजी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रियान्वयन तो राज्य सरकारों को ही करना है और जल्दबाजी करने से हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

कानूनी सहायता उपलब्ध करने के लिए एक व्यापक विधायी योजना का उपवन्ध करने के बारे में सिफारिश की गई है। एक सांविधिक निगम की स्थापना करने की भी सिफारिश की गई है जो संगठित स्वतन्त्र कानूनी सेवाओं को प्रोत्साहित करे और उनका मार्गदर्शन करें और सरकारी तथा दलगत दबाव से मुक्त रहे। कानूनी सहायता देने वाले विभिन्न वर्गों के संगठनों, विधि स्कूलों, सामुदायिक संगठनों, ग्रामीण सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के संगठनों और तदर्थ तालिकाओं में दर्ज प्राइवेट वकीलों का एक संगठन बनाने का सुझाव दिया गया है।

वकीलों के बारे में सुझाव दिया गया है कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया जाये और इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक वकील को वे मामले स्वीकार करने पड़ेंगे, जो कानूनी सहायता समितियां उसके पास भेजें। अगला सुझाव यह है कि अपराध प्रक्रिया संहिता को सरल बनाया जाये और जमानत के उपवन्धों को उदार वनाया जाये। प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए विधेयक

पेश करेंगे। अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—उद्योगों में श्रमिकों के लिए मुकदमा निधि बनाना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कानूनी सहायता देने हेतु विशेष परामर्शदात्री समिति बनाना, बाल अपराध-न्यायालयों में बचाव पक्ष के वकील की व्यवस्था करना और न्याय पंचायतों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना आदि आदि।

अतः यह कहना उचित नहीं है कि हम सो रहे हैं। हम तेजी से कार्यवाही करने के लिए यथासंभव हर प्रयास कर रहे हैं। हम राज्यों की सहमति और सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद ही विधेयक पेश किया जायेगा।

**तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 9 अप्रैल, 1974/19 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)** ।

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 9, 1974/Chaitra 19, 1896 (Saka).*

———————